रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 7 दिसम्बर, 2005/16 अग्रहायण, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 2 दिसम्बर, 2005

संख्या ई0 एक्स0 एन0–एफ(5)– 4/2005.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

3398–राजपत्र/2005–7–12–2005—2,967. मूल्य : एक रुपया।

हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाए.—(1) इन नियमों में जब तक कि कोई बात, विषय या संदर्भ से विरुद्ध न हो,–

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकर्ता" से व्यौहारी द्वारा प्ररूप मू.प.क.(वैट)–26 मे लिखित में अपनी ओर से अधिनियम के अधीन सशक्त किसी अधिकारी के समक्ष, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, जो,

(i) व्यौहारी का रिश्तेदार है, या

(ii) कोई व्यक्ति जो व्यौहारी के पास नियमित और अंशकालिक कर्मचारी है, या

(iii) कोई व्यक्ति जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा समाविष्ट किसी भारतीय विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से उच्चतर लेखा परीक्षण सहित वाणिज्य, विधि, अर्थशास्त्र या बैंककारी में उपाधि रखता हो ;

(ग) "समुचित निर्धारण प्राधिकारी" से किसी विशिष्टि व्यौहारी की बाबत सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या आबकारी एवं कराधान अधिकारी, जिसकी अधिकारिता में व्यौहारी का कारबार का स्थान

स्थित है, या यदि व्यौहारी का हिमाचल प्रदेश में एक से अधिक कारबार का स्थान है, तो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या आबकारी एवं कराधान अधिकारी, जिनकी अधिकारिता में हिमाचल प्रदेश में ऐसे कारबार का मूल स्थान स्थित है, या ऐसा अन्य व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया है और राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे व्यौहारी की बाबत निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत किया है, अभिप्रेत है;

(घ) "समुचित सरकारी खजाना" से सरकार का खजाना या उप–खजाना या जिले में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की कोई शाखा या स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की कोई शाखा, जिसमें सम्बन्धित व्यौहारी का हिमाचल प्रदेश में कारबार का स्थान, या कारबार का मूल स्थान, हैं यदि राज्य में कारबार एक या एक से अधिक स्थान पर किया जा रहा है, अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण.— स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की शाखा समुचित सरकारी खजाना केवल तभी समझी जायेगी यदि,

(क) राज्य सरकार ने बैंक को प्राधिकृत किया है, और

(ख) व्यौहारियों के सम्बन्ध में जहां सरकार का कोई खजाना या उप–खजाना या भारतीय स्टेट बैंक की कोई शाखा न हो;

(ड.) "सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा आयुक्त की सहायता करने के लिए उस पदनाम द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) "ईंट" से किसी भट्ठे में से की गई या पकाई गई मिट्टी की ईन्टें अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत छत बनाने की खपरी भी सम्मिलित है;

(छ) "चार्ज कोड" से आयुक्त द्वारा निर्धारण के सर्किल को समनुदेशित संख्या अभिप्रेत है;

(ज) "प्ररूप ग" से केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त्त) नियम, 1957 के अधीन विहित प्ररुप "ग" अभिप्रेत है;

(झ) "आबकारी एवं कराधान अधिकारी" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा आयुक्त की सहायता करने के लिए उस पदनाम द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ञ) "प्ररुप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ट) "मास" से कलैण्डर मास अभिप्रेत है;

(ठ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ड) "छोटा संकर्म ठेकेदार" से वर्ग "ग" या वर्ग "घ" संकर्म ठेकेदार जो क्रमशः 25 लाख रुपये और 6 लाख रुपये तक का कार्य के लिए बोली या निविदा देने के लिए अर्हित हो; और

(ढ) "कर का भाग" से निम्न फार्मूला के अनुसार संगणित कोई भाग अभिप्रेत है, अर्थातः—

$$\frac{(S)\ \text{विक्रय} \times (R)\ \text{दर}}{(R)\ \text{दर} + 100}$$

जहाँ यथास्थिति विक्रय कराधेय माल का विक्रय मूल्य है और मू.प.क. (वैट) की दर या टी0 ओ0 टी0 है ।

(2) जो शब्द और पद इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय—2

मुख्यालय का रजिस्ट्रीकरण नामनिर्देशन और कतिपय व्यौहारियों के लिए कराधेय मात्रा

3. रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन.—(1) धारा 14 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन समुचित निर्धारण प्राधिकारी को प्ररूप मू.प.क. (वैट)—1 में किया जाएगा और निम्नलिखित के मामले में हस्ताक्षरित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) स्वामित्व अधिकार (स्वतत्व), कारबार के स्वत्वधारी (स्वामी) द्वारा;

(ii) भागीदारी, समस्त भागीदारों द्वारा;

(iii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब कारबार, प्रबंधक या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के कर्त्ता द्वारा;

(iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 या किसी अन्य विधि के अधीन निगमित कम्पनी, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या कारबार प्रबंध करने वाले मुख्य अधिकारी द्वारा;

(v) सोसाइटी, अध्यक्ष, सचिव या कारबार प्रबंध करने वाले किसी अधिकारी द्वारा;

(vi) क्लब या व्यक्तियों का संगम, क्लब या संगम के कार्यकलापों का प्रबंध करने वाले व्यक्ति, इस निमित सम्यक रूप से प्राधिकृत सदस्यों द्वारा; और

(vii) सरकारी विभाग, विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन प्ररुप मू.प.क. (वैट)–2 में जमा की रसीद और समुचित सरकारी खजाने में एक सौ रुपये फीस के साथ संलग्न की जाएगी।

(3) साधारण रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी आवेदन किसी व्यौहारी द्वारा प्ररूप मू0प0क0(वैट)–1 में किया जाएगा जो धारा 9 के अधीन या धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प रखता है और उसमें "साधारण रजिस्ट्रीकरण" के लिए आवेदन शब्द रूप से वर्णित किए जाएंगे ।

4. प्रतिभूति.—(1) रजिस्ट्रीकरण के लिये धारा 15 के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति, निम्नलिखित प्ररूपों में दी जा सकेगी, अर्थात:–

(क) नकद जमा या डाकखाना बचत खाता या अनुसूचित बैंक का बचत बैंक खाता पास बुक या निर्धारण प्राधिकारी के पास सम्यक रूप से गिरवी रखी गई सावधि जमा रसीद या अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी; या

(ख) समुचित निर्धारण प्राधिकारी के समाधान के लिये स्वीय बंधपत्र सहित दो ऋणशोधक्षम प्रतिभूतियां और समुचित मूल्य के नॉन–जुडिशियल पेपर पर प्ररूप मू.प.क. (वैट)–3 में निष्पादित किया गया हो।

(2) उप–नियम (1) के अधीन दी गई प्रतिभूति, जब तक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहेगा, पूर्णतः अनुरक्षित रखी जायेगी। यदि पूर्व निर्धारित प्रतिभूति की रकम अपर्याप्त पाई जाती है, निर्धारण प्राधिकारी, किसी भी समय, पर्याप्त कारणों से अतिरिक्त प्रतिभूति मांग सकेगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति ने बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति दी है, ऐसे गारंटी देने वाला व्यक्ति इसके अवसान की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व उसको पुनः विधिमान्य करेगा।

(4) जहां किसी व्यक्ति द्वारा दी गई प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति प्रतिभू–बंधपत्र के रूप में है और प्रतिभू दिवालिया हो जाता है या अन्यथा असमर्थ हो जाता है अथवा मर जाता है या उसे वापिस ले लेता है, तो वह व्यक्ति इन घटनाओं में से किसी के घटित होने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले प्राधिकारी को सूचित करेगा और ऐसी घटना के तीस दिन के भीतर ऐसी ही रकम की एक नई प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति देगा।

(5) किसी कर, ब्याज या देय शास्ति के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में, उसको सूचना देने के पश्चात, ऐसे कर, ब्याज या शास्ति की वसूली हेतु, निर्धारण प्राधिकारी, उप नियम (1) के अधीन व्यौहारी द्वारा दी गई प्रतिभू या अतिरिक्त प्रतिभूति का समपहरण और समायोजन करने का दायी होगा और ऐसी सूचना की तारीख से तीन दिनों की अवधि के भीतर प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति की रकम में कमी को व्यौहारी द्वारा भरा जायेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र.—(1) जब समुचित निर्धारण प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझें, समाधान हो जाता है कि आवेदन विधिवत है और आवेदक ने अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षाओं की पूर्ति की है, वह ऐसे व्यौहारी या ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और प्ररूप मू.प.क. (वैट)–4 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा, (एक मुश्त कर संदाय करने पर व्यौहारी को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र "साधारण रजिस्ट्रीकरण" के रूप में और मू.प.क. का व्यौहारी द्वारा संदाय करने की दशा में "वैट रजिस्ट्रीकरण" के रूप में स्पष्ट निर्दिष्ट करें) जो कि नियम 3 के उप–नियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, या कर संदाय करने के दायित्व के प्रारम्भ से, जो भी पश्चात्कथित (परवर्त्ती) हो, विधिमान्य होगा, परन्तु धारा 14 की उप–धारा

(2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के मामले में, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र इसके प्रदान करने की तारीख से विधिमान्य होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, अन्य विशिष्टियों के साथ–साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करेगा :–

(क) कारबार और कारबार की किसी शाखा की अवस्थिति;

(ख) कारबार की प्रकृति;

(ग) कर और विवरणी अवधि; और

(घ) अंतराल जिसमें कर संदेय किया जाना है।

(3) अधिनियम और नियमों से यथाशक्य संगत, इस नियम की उप–धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट विशिष्टियां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में, उन्हीं शब्दों में जैसा कि व्यौहारी या व्यक्ति ने अपने आवेदन प्ररूप में उपयोग की है, वर्णन किया जायेगा।

(4) प्रत्येक मूल्य परिवर्धित कर (वैट) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एकमात्र संख्या, होगी जिसे करदाता पहचान संख्या के रूप में जाना जाएगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् टी0 आई0 एन0 के रूप में निर्दिष्ट किया है), जोकि 11 अंकों की संख्या से मिलकर बना होगा, जिसमें ,–

(क) प्रथम दो अंक का, जैसा कि संघ के गृह–मंत्रालय द्वारा प्रयुक्त "राज्य कोड", का प्रतिनिधित्व करेंगे ;

(ख) अगले दो अंक "प्रभार कोड" का प्रतिनिधित्व करेंगे ;

(ग) अगले चार अंक "रजिस्ट्रीकरण संख्या" का उपयुक्त प्रतिनिधित्व करेंगे;

(घ) अगला एक अंक "अधिनियम पहचान कोड", अर्थात्, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956; का प्रतिनिधित्व करेगा ; और

(ड.) अन्तिम दो अंक "चैक कोड" (जांच कोड) का निम्नलिखित रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे, अर्थात्:–

दृष्टांत : 11 अंकों वाले करदाता पहचान संख्या की संरचना

राज्य कोड		प्रभार कोड		रजिस्ट्रीकरण संख्या				अधिनियम पहचान कोड		चैक कोड	
0	2	0	1	0	0	0	1			1	0

(5) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र कारबार के मुख्य स्थान पर रखा जाएगा और इसकी एक अनुप्रमाणित प्रति कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थानों, जिससे यह सम्बन्धित है रखी जाएगी ।

(6) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 9 या 16(2) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प रखने वाले व्यौहारी को साधारण रजिस्ट्रीकरण संख्या आबंटित की जाएगी और प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण के शीर्ष पर "साधारण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

6. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति देना.—समुचित निर्धारण प्राधिकारी, प्रति कापी पचास रुपये फीस के संदाय पर, उसमें प्रगणित कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित प्रति (कापी) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को सौंपेगा (देगा)।

7. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की (अनुलिपि) दूसरी प्रति जारी करना.— रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, समुचित सरकारी खजाने में पचास रुपये फीस जमा करने के पश्चात्, उसको जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जो कि गुम , नष्ट हो गया था, विरुपित या विकृत हो गया था, की दूसरी प्रति, आवेदन पर, समुचित निर्धारण प्राधिकारी से प्राप्त कर सकेगा।

8. रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के रजिस्टर का रख–रखाव.—(1) धारा 14 की उप–धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यौहारी के कारबार का नाम और अन्य विशिष्टियां, प्रथमतः रजिस्टर में प्ररूप मू.प. क. (वैट)–5 में दर्ज की जाएगी।

(2) धारा 14 की उप–धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति के कारबार का नाम और अन्य विशिष्टियां रजिस्टर में प्ररूप मू.प.क.–6 में दर्ज की जाएगी।

9. धारा 14 (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिस्थापन.—कोई व्यौहारी जो धारा 14 की उप–धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है,अपने कारबार की स्थापना के प्रयोजन के लिए, कारबार के स्थापन से 30 दिन के भीतर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिस्थापन के लिये आवेदन करेगा और अपने विद्यमान रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को भी समुचित निर्धारण प्राधिकारी को अभ्यर्पित करेगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, समुचित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, धारा 14 की उप–धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करते हुए और विद्यमान रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करते हुए, कारबार के प्रारम्भ की तारीख से, प्रतिस्थापित किया जायेगा, तत्पश्चात् रजिस्टर में प्ररूप मू.प.क. (वैट)–6 में प्रविष्टि का लोप किया जायेगा और निर्धारण प्राधिकारी द्वारा रजिस्टर में प्ररूप मू.प.क. (वैट)–5 में साथ–साथ आवश्यक प्रविष्टि की जायेगी।

10. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का संशोधन इत्यादि.—(1) प्रत्येक व्यौहारी, धारा 14 की उप–धारा (6) के अधीन, समुचित निर्धारण प्राधिकारी को, उसमें विनिर्दिष्ट किसी अनिश्चित घटना के घटने पर या उक्त उप–धारा के खण्ड (क) के अधीन अन्तरण द्वारा कारबार का स्वामित्व अर्जित करने पर या भागीदारी में किसी परिवर्तन की दशा में, इस निमित आवेदन करते हुए, सूचना देगा :

परन्तु यह कि जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का संशोधन, समुचित निर्धारण प्राधिकारी की अधिकारिता से बाहर स्थित कारबार के किसी अतिरिक्त स्थान से सम्बन्धित है, ऐसे संशोधनों के बारे सूचना, ऐसे प्राधिकारी को भी, जिसकी अधिकारिता में ऐसे कारबार का अतिरिक्त स्थान स्थित है, अग्रेषित की जाएगी।

(2) जब कोई व्यौहारी उप–नियम (1) के अधीन सूचना देता है, वह समुचित निर्धारण प्राधिकारी को अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भी भेजेगा जो यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का संशोधन या प्रतिस्थापन या रद्द कर सकेगा, जो कि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, व्यौहारी से सूचना प्राप्त करने की तारीख से, यथास्थिति,संशोधित या प्रतिस्थापित या रद्द किया गया समझा जाएगा।

(3) समुचित निर्धारण प्राधिकारी यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संशोधनों या प्रतिस्थापन या रद्दकरण की आवश्यक प्रविष्टि, रजिस्टरों में यथास्थिति, प्ररूप मू.प.क. (वैट)–5 या मू.प.क. (वैट)–6 में करेगा।

(4) कोई व्यौहारी, जिसे "साधारण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" जारी किया गया है, अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को मूल्य परिवर्धित कर रजिस्ट्रीकरण में संपरिवर्तित करने के लिए समुचित निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा । उक्त प्राधिकारी, ऐसे व्यौहारी को "साधारण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" को संशोधित करेगा जिससे कि

संशोधन को आगामी तिमाही या मास के प्रथम दिवस से प्रभावी किया जा सके जैसा कि व्यौहारी कर का संदाय कर रहा है ।

11. धारा 14 (6) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्ददकरण.—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी जो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द करने के लिए आवेदन कर रहा है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और उसकी अनुप्रमाणित प्रतियां, यदि कोई हैं, निर्धारण प्राधिकारी को अग्यर्पित करने के अतिरिक्त, आवेदन के साथ और निम्नलिखित दस्तावेजों को भी प्रस्तुत करेगा, अर्थात:—

(क) अप्रयुक्त कानूनी प्ररूप;

(ख) आवेदन की तारीख पर प्रस्तुत करने के लिए देय विवरणी यदि कोई है;

(ग) ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष के दौरान उसके द्वारा आयातित या विनिर्मित वस्तुओं का मूल्य दर्शाते हुए विवरणी; और

(घ) बंद स्टाक की विवरणी।

(2)(क) प्रत्येक व्यौहारी जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो चुका है, इस निमित दिये गये नोटिस की तामील की तारीख से 15 दिनों के भीतर, समुचित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित ऐसी अन्य सूचना या दस्तावेज भी देगा/करेगा।

(ख) यदि व्यौहारी अप्रयुक्त कानूनी प्ररूप विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अग्यर्पित करने में असफल रहता है, ऐसे प्ररूप राजपत्र में प्रकाशित लोक सूचना द्वारा अप्रचलित घोषित किए जाएंगे।

(3) अधिनियम के अधीन रद्द की गई समस्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों की विशिष्टियां, समुचित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, यथासंभव शीघ्र राजपत्र में अधिसूचित की जाएंगी।

(4) समुचित निर्धारण प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति से 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्ददकरण का अनिवार्य आदेश पारित करेगा और रद्ददकरण के आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्ददकरण के आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर यथा स्थिति, व्यौहारी या अन्य व्यक्ति को तामील करेगा ।

(5) नियम 12 में यथा उपबन्धित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, इस निमित अधिसूचना जारी करने की तारीख या रद्दकरण के आदेश की तारीख या आवेदन की तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से प्रभावी होगा।

12. धारा 4 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण.—(1) जब समुचित निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि धारा 14 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यौहारी का सकल आवर्त्त लगातार तीन वर्षों के लिए कराधेय मात्रा से अधिक होने में असफल रहा है, यह, ऐसे व्यौहारियों जिनका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रति वर्ष जून के आखिरी दिन या दिसम्बर के आखिरी दिन को रद्द किया जा सकेगा, की विशिष्टियां देते हुए एक सूची आयुक्त को अग्रेषित करेगा और ऐसे रद्दकरण के आदेश क्रमशः आगामी सितम्बर के ठीक आखिरी दिन या आगामी मार्च के ठीक आखिरी दिन से प्रभावी होगा और धारा 4 की उप–धारा (6) के अधीन व्यौहारी का कर का संदेय करने का दायित्व उक्त तारीख से समाप्त हो जाएगा।

(2) तत्पश्चात् अधिनियम के अधीन रद्द किये गये समस्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों की वशिष्टियां, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने वाले प्राधिकारी द्वारा यथाशक्य शीघ्र राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

13. रद्द रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण.—प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी या उसका विधिक प्रतिनिधि जिनका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो गया है, या तो समुचित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से या धारा 14 की उप–धारा (6) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन व्यौहारी के विधिक प्रतिनिधि के आवेदन पर, अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, इस निमित्त जारी किये गये नोटिस (सूचना) की तामील की तारीख से 15 दिन के भीतर समुचित निर्धारण प्राधिकारी को अभ्यर्पित करेगा।

14. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण.—व्यौहारी के आवेदन पर, व्यौहारी को स्वीकृत किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का, समुचित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, इसके जारी किये जाने की तारीख से ऐसी अवधि के पश्चात् जैसा कि आयुक्त आदेश द्वारा निदेश दे, और सरकारी खजाने में एक सौ रुपये फीस के संदाय पर, नवीकृत किया जायेगा।

15. व्यौहारी के पास एक से अधिक कारबार का स्थान होने की दशा में कारबार के मूल स्थान का नाम निर्देशन.—(1) जहां किसी व्यौहारी के पास हिमाचल प्रदेश के भीतर कारबार का एक से अधिक स्थान हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् "शाखाएं" निर्दिष्ट किया गया है), वह ऐसी शाखाओं में से किसी एक शाखा को जिनमें कारबार किया गया है, इस नियम के प्रयोजन के लिये कारबार के मूल स्थान के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा :

परन्तु यह कि यदि व्यौहारी किसी एक शाखा को कारबार का मूल स्थान नामनिर्देशित करने में असफल रहता है तो सभुचित निर्धारण प्राधिकारी, इस नियम के प्रयोजन के लिये ऐसी किसी एक शाखा को कारबार का मूल स्थान नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) समस्त शाखाओं की बाबत, अधिनियम या इन नियमों के अधीन अपेक्षित, समस्त आवेदन (रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने हेतु आवेदन सहित) विवरणियां (समस्त शाखाओं के आवर्त सहित) या कथन कारबार के मूल स्थान के भारसाधक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से समुचित निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक शाखा का भारसाधक व्यक्ति भी सभी युक्तियुक्त समय पर और किसी अधिकारी, जो कि आबकारी और कराधान निरीक्षक के नीचे की पंक्ति का न हो, की मांग पर, कारबार के मूल स्थान का नाम और पता देगा और उसकी शाखा के आवर्त की विवरिणियां, ऐसे कारबार के मूल स्थान को प्रेषित की गई है या नहीं, सूचित करेगा।

(3) सम्पूर्ण कारबार के लिये आवर्त, समस्त शाखाओं के आवर्त का योग होगा।

(4) अधिनियम या इन नियमों के अधीन जारी किये जाने वाले या तामील किये जाने वाले समस्त नोटिसों और आदेशों को उप–नियम (1) के अधीन नामनिर्देशित कारबार के मूल स्थान के भारसाधक व्यक्ति को जारी किया जाएगा और तामील करवायी जायेगी :

परन्तु यह कि कारबार परिसरों और लेखों के निरीक्षण के मामले में, नोटिस और आदेश, किसी भी निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किसी भी शाखा पर तामील किया जा सकेगा ।

(5) ऐसे कारबार के मूल स्थान के भारसाधक व्यक्ति को ज़ारी किया गया या तामील किया गया नोटिस (सूचना) या आदेश, सम्बन्धित व्यौहारी की समस्त शाखाओं को जारी और तामील किया गया समझा जायेगा।

16. कतिपय व्यौहारियों के लिए कराधेय मात्रा.—व्यौहारी के सम्बन्ध में,—

(क) जो राज्य के बाहर निवास करता है, परन्तु किसी माल को विक्रय के लिये राज्य में परिदत्त करता है या माल का क्रय राज्य में करता है; और

(ख) जो अनुसूची "ग" में विनिर्दिष्ट माल का क्रय करता है, कराधेय मात्रा एक रुपये होगी।

अध्याय–3

कराधेय आवर्त, आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) का अवधारण और संदेय शुद्ध कर का परिकलन

17. सकल आवर्त से कटौती.—(1) अपने कराधेय आवर्त का परिकलन करते हुए, रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी अपने सकल आवर्त से निम्न कटौती कर सकेगा,–

(i) अधिनियम की धारा 9 के अधीन कर मुक्त घोषित माल के विक्रय का आवर्त;

(ii) माल के किए गए विक्रय का आवर्त,–

(क) राज्य के बाहर ;

(ख) अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में;

(ग) भारत में माल के आयात के अनुक्रम में; और

(घ) अधिनियम की धारा 58 के अधीन भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल का निर्यात;

(iii) अवक्रय संव्यवहार के मामले में ब्याज के रूप में पृथकतः प्रभारित की गई रकम या किश्तों द्वारा संदाय की किसी प्रणाली के अधीन ब्याज के रूप में प्रभारित रकम ;

(iv) कराधेय माल का विक्रय मूल्य जहां ऐसा विक्रय रद्द हो गया हो:

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन कटौती के लिए दावा केवल तभी किया जायेगा, यदि यथास्थिति, कर बीजक या फुटकर बीजक की समस्त प्रतियां व्यक्ति के कब्जे में हों।

(v) छः मास की अवधि के भीतर वापस किये गए किसी माल की बाबतः विक्रय मूल्य :

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन व्यौहारी कटौती का दावा, केवल, क्रेता द्वारा, वापिस किये गये माल हेतु जारी किये गये नामे नोट के आधार पर करेगाः

(vi) रोकड़ छूट के रूप में अनुज्ञात राशि परन्तु ऐसी छूट नियमित व्यापार पद्धति के अनुसार हो ।

(vii) निम्नलिखित के लिए उनके वास्तविक उपयोग के लिए माल के विक्रयों का आवर्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन उसे प्रमाण मू0प0क0–15 में विवरणी के साथ संलग्न करते हुएः–

(1) संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके घटक अभिकरण जैसे :–

(i) यु0 एन0 डी0 पी0

(ii) यू0 एन0 इ0 एस0 सी0 ओ0

(iii) यु0 एन0 एफ0 पी0 ए0

(iv) यू0 एन0 एच0 सी0 आर0

(v) यु0 एन0 आई0 सी0 ई0 एफ0

(vi) यु0 एन0 आई0 डी0 ओ0

(vii) यु0 एन0 आई0 सी0 ई0 एफ0

(viii) डब्ल्यू0 एफ0 ए0 ओ0

(ix) डब्ल्यू0 एच0 ओ0

(x) आई0 एल0 ओ0

2. राजनयिक मिशन

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमने निम्नलिखित वस्तुएं मैसर्ज..... रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या धारक से हि0 प्र0 मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन अपने वास्तविक उपभोग के लिए क्रय की है:–

क्रम संख्या	माल का विवरण	माल का क्रय मूल्य	कैश मैमों की संख्या और जारी किया गया फुटकर बीजक
1	2	3	4

स्थान.....
तारीख.....

क्रेता के हस्ताक्षर
पूर्ण पता और मोहर सहित ।

स्पष्टीकरण.–इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए परेषण आधार या शाखा अन्तरण आधार पर भेजे गए माल का आवर्त व्यौहारी के कुल आवर्त से अपवर्जित किया जाएगा ।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (iv) और (v) में निर्दिष्ट कटौती का दावा, कर अवधि, जिसमें घटना घटी है, में किया जायेगा :

परन्तु यह यदि अवधि का आवर्त, दावे से कम है, तब ऐसे कटौती के अतिशेष का दावा पश्चात्वर्ती कर अवधि (अवधियें) में किया जाएगा।

(3) उप–नियम (1) के खण्ड (i) से (vii) के उपबन्ध अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उस विस्तार तक लागू हैं क्रय कर के उदग्रहण के लिये क्रय के कराधेय आवर्त के निर्धारण के लिये भी लागू होंगे।

(4)(क) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल का मूल्य समस्त संकर्म संविदा के मूल्य को विचार में रखते हुए और उससे निम्नलिखित सहित श्रम और सेवाओं के प्रति किए गए संदाय के संघटक को घटाते हुए, निर्धारित किया जाएगा, अर्थात् :–

(i) संकर्म के निष्पादन के लिए श्रम प्रभार ;

(ii) उप ठेकेदार को श्रम और सेवाओं के लिए संदत्त रकम ;

(iii) योजना, डिजाइनिंग और वास्तुविद् फीस के लिए प्रभार ;

(iv) संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए उपयोग करने हेतु मशीनरी और औजार भाड़े पर लेने के लिए प्रभार ;

(v) खपने वाले जैसे जल, विद्युत और ईन्धन की लागत जिसे संकर्म संविदा के निष्पादन में उपयोग किया जाता है, सम्पत्ति जोकि सकर्म संविदा के निष्पादन के दौरान अंतरित नहीं होगी ;

(vi) ठेकेदार की स्थापना का उस विस्तार तक, जहां तक यह श्रमिक और सेवाओं की पूर्ति से सम्बन्धित है, की लागत ;

(vii) अन्य समान खर्चे जो कि श्रमिक और सेवाओं की पूर्ति से सम्बन्धित हैं ;

(viii) ठेकेदार द्वारा, उस विस्तार तक अर्जित लाभ जहां तक यह श्रमिक और सेवाओं की पूर्ति से सम्बन्धित है ।

(ख) इन शीर्षों के अधीन कटौती योग्य रकमों को ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी ।

(5) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत, अपने मालिक के निमित्त कमीशन अभिकर्ता द्वारा बेचे गए माल का विक्रय मूल्य अभिकर्ता के कराधेय आवर्त में जोड़ा जाएगा ।

18. कर की दर के अनुसार कराधेय आवर्त का वर्गीकरण.—प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित, अपने

विक्रय या क्रयों के कराधेय आवर्त का वर्गीकरण, सरकार द्वारा यथा अधिसूचित या अधिनियम से संलग्न अनुसूची (अनुसूचियों) में विनिर्दिष्ट कर की दर के आधार पर करेगा।

19. कराधेय आवर्त पर कर की संगणना.—रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी विक्रय के कराधेय आवर्त पर देय, कर की संगणना, सरकार द्वारा यथा अधिसूचित या अधिनियम से संलग्न अनुसूची (अनुसूचियों) में विनिर्दिष्ट कर की दर को लागू करते हुए, करेगा।

20. आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) हेतु शर्तें–(1) अधिनियम की धारा के अधीन आगत कर प्रत्यय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को अनुज्ञात होगा, यदि ऐसे व्यौहारी के पास,–

(क) उनके कब्जे में व्यौहारी द्वारा उसको जारी किया गया मूल मू0प0क0 बीजक, जिससे ऐसे माल का क्रय प्रभावित होता है, होगा, जिसमें कर पृथकतः प्रभारित किया जाएगा ; और

(ख) आगत कर प्रत्यय के लिए पात्र माल के समस्त क्रयों को कालानुक्रम में उसमें अभिलखित करते हुए और उसमें समायोजित समस्त उचित लेखे बनाए रखेगा ।

(2) इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की बाबत कोई आगत कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा ।

21. आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की संगणना.—नियम 22 और 23 के उपबन्धों के अध्यधीन, रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी (स्पैशल ईकनौमिक जोन या साफ्टवेयर टेकनोलौजी पार्क के अधीन आने वाले व्यौहारी सहित) कर/विवरणी (रिर्टन) अवधि के दौरान माल के क्रयों पर संदत्त समस्त आगत कर के लिये उससे प्रतिवर्ती आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) घटाने के पश्चात् आगत कर प्रत्यय का हकदार होगा :

परन्तु यह कि अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (3) और उप–धारा (4) के द्वितीय परन्तुक में विनिर्दिष्ट माल की बाबत, आगत कर प्रत्यय केवल उस विस्तार तक, जिसके द्वारा राज्य में संदत्त कर की रकम चार प्रतिशत से अधिक हो जाती है, उपयोग की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि अधिनियम की धारा 6 के अधीन संदत्त क्रय कर को उसी व्यक्ति के हाथों में पश्चात्वर्ती विक्रय के प्रयोजन के लिए आगत कर प्रत्यय के रूप में माना जाएगा ।

22. आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) जहां माल की पहचान सम्भव है.—जहां रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी ने कराधेय विक्रयों के लिये अंशतः क्रय किये गये माल का उपयोग किया है और उनका विनिर्माण या विक्रयों में उपयोग में उसके क्रय का वस्तु-वार लेखा बनाये रखा है और ऐसे क्रयों का कराधेय माल के विक्रय से सहसम्बन्ध रखा है, कर/विवरणी (रिर्टन) अवधि के लिये आगत कर प्रत्यय, प्रतिवर्ती आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) द्वारा यथा घटाये गये ऐसे क्रयों पर संदत या संदेय मूल्य परिवर्धित कर की रकम होगी ;

परन्तु यह कि अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (4) में विनिर्दिष्ट माल की बाबत, आगत कर प्रत्यय केवल उस विस्तार तक, जिसके द्वारा राज्य में संदत्त कर की रकम चार प्रतिशत से अधिक हो, और उपरोक्त संगणित रकम निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार संगणित रकम (राशि) से घटायी जाएगी :–

$$\frac{\text{पी0X4}}{100}$$

जहां "पी" क्रय मूल्य है से कर की रकम को अपवर्जित करके, उस माल की बाबत, जिसे उपर्युक्त विनिर्दिष्ट रीति में प्रेषित किया गया है रकम का निरूपण करता है।

23. आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) जहां माल की पहचान सम्भव नहीं है.—जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी ने कराधेय विक्रयों के लिये अंशतः क्रय किये गये माल का उपयोग किया है और नियम 20 में यथा उपबन्धित लेखों को बनाये रखने में असमर्थ रहता है, और उसके द्वारा विक्रय में कर मुक्त माल का विक्रय और कराधेय माल और/या शाखा या परेषण अन्तरण सम्मिलित है, तब यह उपधारणा की जाएगी कि कर अवधि के दौरान ऐसे क्रय किये गये माल, कर मुक्त माल के विक्रयों के आवर्त के अनुपात में, कराधेय माल और कर अवधि के क्रमशः शाखा या परेषण अन्तरण में उपयोग किया गया है और तदनुसार आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) की संगणना कर उस अनुपात में दावा किया जायेगा।

24. अधिनियम के प्रारम्भ में रखे स्टाक पर आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट).—(1) धारा 62 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम

निर्दिष्ट किया गया है) के अधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ में, स्टाक में रखे पूंजी माल से अन्यथा माल पर आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उपलब्ध होगा, अर्थात् :–

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी समुचित निर्धारण प्राधिकारी को :

(i) आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित प्ररुप में अधिनियम के प्रारम्भ से चार मास के भीतर, उसमें आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) का, केवल उस रकम के लिये दावा करते हुए जो कि बीजक पर पृथकतः प्रभारित की गई थी या मूल्य कर सहित दर्शाया गया है, ऐसे माल की विवरणी प्रस्तुत करेगा ; और

(ii) विनिर्दिष्ट रुप से कर की रकम संदत्त कर दी है साबित करते हुए निरसित अधिनियम के अधीन विहित प्ररुप एस.टी.–25 में समुचित प्रमाणपत्र ।

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिये आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) के दावे से सम्बन्धित दस्तावेजों/साक्ष्य को प्रतिधारित करेगा और ऐसे दस्तावेज (दस्तावेजों/साक्ष्य) को समुचित निर्धारण प्राधिकारी को या धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को, जैसे ही और जब अपेक्षित हो, संवीक्षा (परिशोधन) के लिये उपबंध करेगा:

परन्तु यह कि परेषण पर अंतरित या शाखा अन्तरण आधार पर, माल की बाबत आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) केवल उस विस्तार तक अनुज्ञात किया जायेगा, जिसके द्वारा राज्य में संदत मूल्य परिवर्धित कर की रकम 4 (चार) प्रतिशत से अधिक हो जाती है।

(2) समुचित निर्धारण प्राधिकारी या अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, उप–नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन किये गये दावे को सत्यापित करेगा, और इसके फाइल करने के तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को उपलब्ध आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) की रकम को अवधारित करेगा। ऐसा प्रत्यय (उधार) दावेदार द्वारा अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पांच मास के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए अनुपात में उपयोग में लाना होगा ।

(3) आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) ऐसे माल के बाबत ग्राह्य नहीं होगी, जो कि निरसित अधिनियम के अधीन कर के संदाय से छूट–प्राप्त औद्योगिक इकाइयों से क्रय किया गया था।

25. अनुलिपि कर बीजक पर आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट).—(1) यदि मूल कर बीजक गुम हो जाता है, नष्ट हो जाता है या विकृत हो जाता है, रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, समुचित निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन करेगा और उसके साथ, उसको विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा जारी किये गये कर बीजक की अनुलिपि (दूसरी) प्रति संलग्न करेगा और ऐसे बीजक के अधीन दावा किये गये आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) की रकम के बराबर रकम के लिये प्ररुप संख्या मू.प.क. (वैट)–7 में क्षतिपूर्ति बंधपत्र देगा।

(2) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, समुचित निर्धारण प्राधिकारी संव्यवहार का प्रतिपरीक्षण करेगा और संव्यवहार की वास्तविकता के बारे समाधान हो जाने के पश्चात् इस सम्बन्ध में पारित आदेश द्वारा दावा अनुज्ञात करेगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी केवल उप–नियम (2) में विर्निदिष्ट आदेश की प्राप्ति के पश्चात् आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) का उपयोग करेगा ।

26. संदेय शुद्व कर.—रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, उत्पाद कर दायित्व और आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) की अवधारणा के पश्चात् धारा 12 के उपबंधों के अनुसार कर/विवरणी अवधि के लिये शुद्व कर दायित्व की संगणना करेगा।

अध्याय–4

नैमित्तिक कारबार में लगे हुए व्यौहारी

27 अनुज्ञा प्रदान करने के लिये आवेदन.—(1) नैमित्तिक व्यौहारी, समुचित निर्धारण प्राधिकारी को प्ररुप मू.प.क. (वैट)–8 में आवेदन करेगा और सरकारी खजाने में, चालान द्वारा प्ररुप मू.प.क. (वैट)–2 में एक सौ रुपये की अनंतरणीय फीस देय करेगा और अपने आवेदन के साथ खजाना रसीद संलग्न करेगा।

(2) नैमित्तिक व्यौहारी, समुचित निर्धारण प्राधिकारी को, प्ररुप मू.प.क. (वैट)–8 में आवेदन के साथ विक्रय बिल बहीं (बहियां) और लेखा बहियां या अधिप्रमाणीकरण के लिये देगा और विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की सूची संलग्न करेगा।

(3) नैमित्तिक व्यौहारी, नैमित्तिक कारबार के प्रारम्भ की तारीख से पहले, किसी भी समय अपना आवेदन वापिस ले सकेगा।

28. प्रतिभूति.— (1) समुचित निर्धारण प्राधिकारी, नियम 27 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, हाथ में लिए गए या लिए जाने के लिए आश्यित कारबार की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभूति की रकम अवधारित करेगा जो कि एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

(2) प्रत्येक नैमित्तिक व्यौहारी, समुचित निर्धारण प्राधिकारी के पक्ष में, उप–नियम (1) के अधीन अवधारित रकम के लिये प्रतिभूति देगा जो कि किसी स्थानीय अनुसूचित बैंक से बैंक गांरटी या मांगदेय ड्राफ्ट के रुप में होगी।

(3) समुचित निर्धारण प्राधिकारी, नैमित्तिक कारबार के चालू रहने के दौरान, किसी भी समय अतिरिक्त प्रतिभूति मांग सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि पहले से प्राप्त की गई प्रतिभूति अपर्याप्त है :

परन्तु यह कि अतिरिक्त प्रतिभूति सहित प्रतिभूति की कुल रकम, एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

29. अनुज्ञा प्रदान करना.—जब समुचित निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्ररुप मू.प.क. (वैट)–3 में आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, और नियम 28 के उप–नियम (1) के अधीन प्रतिभूति दी गई है, नैमित्तिक व्यौहारी को प्ररूप मू.प.क. (वैट)–9 में अनुज्ञा देगा, जो कि तीन प्रतियों में होगी। प्रथम दो प्रतियां नैमित्तिक व्यौहारी को दी जायेगी। ऐसा प्राधिकारी, ऐसी अनुज्ञा की विशिष्टियां प्रयोजन हेतु अनुरक्षित रखने के लिए रजिस्टर में दर्ज करेगा :

परन्तु यह कि यदि उक्त प्राधिकारी का समाधान नहीं होता है कि आवेदन में अंतर्विष्ट विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं या कि नैमित्तिक व्यौहारी ने प्रतिभूति नहीं दी है, वह, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए आवेदन को नामजूंर करेगा।

30. नैमित्तिक व्यौहारी द्वारा माल का आयात.—(1) नैमित्तिक व्यौहारी जो राज्य के बाहर से माल लाता है, राज्य में प्रवेश करने पर प्रथम चैक पोस्ट या बैरियर को रिपोर्ट करेगा और समुचित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति प्ररूप मू.प.क. (वैट)–9 में देगा और अपना माल प्ररुप मू.प.क. (वैट)–26–क में घोषित करेगा।

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट नैमित्तिक व्यौहारी, नैमित्तिक कारबार के प्रारम्भ से पहले, समुचित निर्धारण प्राधिकारी नजदीकी चैक पोस्ट का प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को ऐसे माल का ब्यौरा देगा। उक्त कारबार के चालू रहने के दौरान आयातित माल का ब्यौरा भी तुरन्त समुचित निर्धारण प्राधिकारी को देगा।

31. नैमित्तिक कारबार (इवेन्ट) की अवधि का विस्तार या नये निर्गम (आउटलैट) का खोला जाना.—यदि नैमित्तिक व्यौहारी, नैमित्तिक कारबार इवेन्ट के संचालन की अवधि का विस्तार करने का आशय रखता है या कोई नया निर्गम खोलने का आशय रखता है, वह, इस निमित्त अग्रिम रुप में कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व, समुचित निर्धारण प्राधिकारी को सूचित करेगा और ऐसा प्राधिकारी, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर और आवेदन की वास्तविकता के विषय में अपना समाधान करने के पश्चात, नैमित्तिक कारबार इवेन्ट के संचालन हेतु अनुज्ञा की अवधि का विस्तार कर सकेगा और अवधि का विस्तार करने के तथ्य और/या नये निर्गम के खोले जाने को प्ररूप मू.प.क. वैट–(9) में सम्मिलित करेगा :

परन्तु यह कि अनुज्ञा की अवधि का विस्तार करते समय या नया निर्गम खोलने की अनुमति देते समय, समुचित निर्धारण प्राधिकारी पहले से दी गई प्रतिभूति का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

32. कर संदाय का ढंग.—नियम 33 के उप–नियम (4) के उपबन्धों के अध्यधीन, नैमित्तिक व्यौहारी, कारबार की समाप्ति पर देय कर की रकम को समुचित सरकारी खजाने में, चालान द्वारा प्ररूप मू.प.क. (वैट)–2 में जमा करेगा :

परन्तु यह कि यदि नैमित्तिक कारबार इवेन्ट की अवधि सात दिन से अधिक हो जाती है, तो कर की रकम, साप्ताह की समाप्ति के पश्चात् प्रथम कार्य दिवस को साप्ताहिक और अन्तिम किश्त नैमित्तिक कारबार इवेन्ट की समाप्ति के तुरन्त बाद, जो भी पहले हो, जमा की जाएगी।

33. नैमित्तिक कारबार इवेन्ट की समाप्ति के पश्चात् प्रक्रिया और कर दायित्व को अन्तिम रुप देना.—(1) नैमित्तिक व्यौहारी, समुचित निर्धारण प्राधिकारी को, नैमित्तिक कारबार इवेन्ट की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् प्ररूप मू.प.क. (वैट)–10 में विक्रयों और क्रयों और कर दायित्वों के ब्यौरे देते हुए विवरण देगा। वह अविक्रीत माल का ब्यौरा भी संलग्न करेगा और समुचित निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष अन्तिम कर दायित्व अवधारित करने के लिये लेखा बहियों को प्रस्तुत करेगा।

(2) समुचित निर्धारण प्राधिकारी, प्ररूप मू.प.क. (वैट)–10 में विवरण की प्राप्ति की तारीख को या अगले कार्य दिवस पर, तुरन्त नैमित्तिक व्यौहारी के लेखा बहियों का परीक्षण करेगा और नैमित्तिक व्यौहारी का अन्तिम कर दायित्व अवधारण करेगा और उससे ऐसी अवधारित कर की रकम तुरन्त जमा करने की अपेक्षा करेगा।

(3) जहां कोई नैमित्तिक व्यौहारी, समुचित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित, अपना कर दायित्व चुकाने में असमर्थ रहता है, उसे नैमित्तिक व्यौहारी द्वारा दी गई प्रतिभूति से वसूल किया जाएगा। शेष कोई रकम जो वसूल नहीं हुई है, को अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अधीन वसूलीय किया जाएगा।

(4) अपना समाधान हो जाने के पश्चात् कि नैमित्तिक व्यौहारी ने कर दायित्व चुका दिया है– समुचित निर्धारण प्राधिकारी, यदि कुछ देय नही है, प्रतिभूति को निर्मुक्त करेगा और उसे प्ररूप मू.प.क. (वैट)–11 में (तीन प्रतियों में) अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसे प्रथम और द्वितीय प्रतियां वहां पर दी जाएंगी। व्यौहारी द्वितीय प्रति को राज्य से जाते समय आखिरी चैक पोस्ट या बैरियर पर जमा करेगा।

34. नैमित्तिक व्यौहारी के माल का अवरोध.—यदि कोई नैमित्तिक व्यौहारी नियम 33 के अधीन अपने कर दायित्व को चुकाने में असमर्थ रहता है; उसके द्वारा वाहित माल, यदि कोई है, रोक दिया जाएगा और नियम 62 में प्रक्रिया के अनुसार, यदि अपेक्षित हो, नीलाम कर दिया जाएगा।

35. अनुज्ञा लेने में असफलता.—यदि नैमित्तिक व्यौहारी नियम 27 के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन करने में असफल रहता है या नियम 27 से 34 तक के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, अन्तिम कार्रवाई लेने से पहले उसे मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

अध्याय–5

कर का संदाय और विवरणियां

36. कर का संदाय और अन्य देय .—(1) कोई व्यौहारी, भागीदारी के समस्त भागीदार, सोसाइटी, या संगम या क्लब के समस्त सदस्य और समस्त व्यक्ति जो कारबार (संस्था) समुत्थान बना रहे हैं, अधिनियम या इन नियमों के अधीन देय कर, शास्ति, ब्याज या किसी रकम का संदाय करने के लिये संयुक्ततः और पृथकतः दायी होंगे।

(2) प्रत्येक व्यौहारी,–

(i) धारा 7 या धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन प्रशमन के रूप में, एकमुश्त राशि का संदाय करने के लिये दायी होगा; और

(ii) अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (4) के अधीन कर;

विवरणी दाखिल करने से पहले ऐसी एकमुश्त राशि और कर का संदाय करेगा।

(3) अधिनियम के अधीन देय कोई अन्य रकम, ऐसे निर्देशों के अनुसार जैसे समुचित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं, संदत्त की जाएगी।

37. कर के संदाय का ढंग इत्यादि.—(1) व्यौहारी द्वारा, कर, ब्याज, शास्ति, प्रशमन धन, रजिस्ट्रीकरण फीस या अधिनियम या इन नियमों के अधीन देय किसी अन्य किसी दायित्व या रकम के बाबत, संदेय कोई रकम, समुचित सरकारी खजाने में संदत्त की जाएगी। निर्धारण प्राधिकारी के पक्ष में ऐसी किसी रकम का कोई संदाय, स्थानीय अनुसूचित बैंक को संदेय बैंक ड्राफ्ट या क्रास चैक के सिवाय, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी के कार्यालय में स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(2) अधिनियम के अधीन समस्त संदाय, चालान द्वारा जिला आबकारी एवं कराधान कार्यालय और इसके उप–कार्यालयों से निःशुल्क अभिप्राप्त होने वाले प्ररुप मू. प.क.(वैट)–2 में किए जांएगे ।

(3) चालान चार प्रतियों में भरा जाएगा। चालान की प्रति जिसे "दूसरी प्रति" चिन्हित किया गया है, खजाना द्वारा रखी जाएगी, "मूल" के रूप में चिन्हित प्रति कोषाधिकारी द्वारा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को भेजी जाएगी और प्रतियां जिन्हें "तीसरी प्रति" और "चतुर्थ प्रति" चिन्हित किया गया है सम्यक रूप से हस्ताक्षरित, संदाय के साक्ष्य के रूप में संदाय करने वाले व्यक्ति को लौटा दी जाएगी । चालान की तीसरी प्रति संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा, विवरणी या आवेदन के साथ निर्धारण प्राधिकारी को दी जाएगी।

38. संकर्म ठेकेदारों के बिलों/बीजकों से कर की कटौती.—(1) संकर्म संविदा के निष्पादन में माल के रूप में सम्पति अन्तरण के लिये, प्रत्येक व्यक्ति जो संकर्म ठेकेदार के साथ संविदा करता है या कोई संकर्म ठेकेदार उप–ठेकेदार के

साथ संविदा करता है, समुचित निर्धारण प्राधिकारी को, ऐसी संविदा के 30 दिनों की अवधि के भीतर प्ररूप मू.प.क.–(वैट)–12 में ऐसी संविदा की विशिष्टियां देगा।

(2) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल के रूप में सम्पति अन्तरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संकर्म ठेकेदार के साथ संविदा करता है या कोई संकर्म ठेकेदार उप–ठेकेदार के साथ संविदा करता हैं और धारा 17 के अधीन कर की कटौती के लिये दायी है, समुचित निर्धारण प्राधिकारी को प्ररूप मू.प.क. (वैट)–12 में कर कटौती संख्या के आबंटन के लिये आवेदन करेगा।

यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, समुचित निर्धारण प्राधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर, आवेदक को कर कटौती संख्या आबंटित करेगा।

(3) धारा 17 के प्रयोजन के लिये, किसी सरकारी विभाग, निगम, सरकारी उपक्रम, सहकारी सोसाइटी, स्थानीय निकाय, न्यास या प्राईवेट या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या अन्य कोई समुत्थान (संस्था) में, संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल में सम्पति के अन्तरण के लिये चाहे माल के रुप में या किसी अन्य रुप में संदेय मूल्यवान प्रतिफल के मदे कोई संदाय करने या किसी दायित्व का उन्मोचन करने के लिये, या किसी संकर्म को क्रियान्वित करने के लिये दायी प्रत्येक व्यक्ति;

(i) नकदी या चैक या बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य ढंग द्वारा, उसके संदाय के समय पर ; या

(ii) संकर्म ठेकेदार के खाते में ऐसी राशि (रकम) के जमा करने के समय पर; या

(iii) संकर्म ठेकेदार के उक्त मूल्यवान प्रतिफल के कारण दायित्व का उन्मोचन करते समय,

अधिनियम की धारा 17 के अधीन कर के प्रति ऐसी राशि (रकम) के 2 प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करेगा।

(4) उप–नियम (1) के अधीन कटौती, निष्पादित समस्त संकर्म संविदा, चाहे अंशतः है या पूर्ण है, की बाबत की गई समस्त संदायों से की जायेगी।

(5) रकम, जिसे किसी व्यक्ति से पूर्वगामी उप–नियमों के अधीन किसी मास में कटौती करना अपेक्षित है, उसके द्वारा, पृथकतः प्रत्येक संकर्म ठेकेदार के लिए प्ररूप मू.प.क. (वैट)–2 में चालान द्वारा, प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर

समुचित सरकारी खजाने में सदंत्त किया जाएगा। संदाय करने वाला व्यक्ति चालान की चौथी प्रति प्ररूप मू.प.क. (वैट)–13 में विवरणी के साथ संलग्न करेगा, जो कि उसके द्वारा, ठीक पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान उसके द्वारा की गई कटौती की बाबत प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर, समुचित निर्धारण प्राधिकारी को दी जाएगी, और "तीसरी प्रति" भी सम्बन्धित संकर्म ठेकेदार को सदांय और कर कटौती के प्रमाणपत्र के रूप में दी जाएगी, जो इसे प्ररूप मू. प.क. (वैट)–15 या यथास्थिति, प्ररूप मू.प.क. (वैट) 15–च में अपनी विवरणी के साथ संलग्न करेगा, यदि वह अधिनियम के अधीन संदेय कर की रकम के स्थान पर प्रशमन द्वारा एक मुश्त संदाय करने का विकल्प करता है। विवरणी जो हस्ताक्षरित नहीं है या चालान की समुचित प्रति के साथ संलग्न नहीं है, को विवरणी नहीं माना जाएगा।

(6) संकर्म ठेकेदार, जिसे उप–नियम (5) में विनिर्दिष्ट संदाय और कर कटौती का प्रमाणपत्र दिया जाना है, को प्रमाणपत्र की वास्तविकता और शुद्धता के सत्यापन के अध्यधीन, इसमें दर्शाई गई रकम को, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये उससे देय, कर की कुल रकम से कटौती करने का हक होगा और अतिशेष का नियम 37 में अधिकथित रीति में सदांय करेगा।

39. दैनिक वसूली रजिस्टर रखना और संदाय का समाधान.—(1) प्रत्येक जिला में एक दैनिक वसूली रजिस्टर प्ररूप मू.प.क. (वैट)–14 में रखा जाएगा, जिसमें अधिनियम के अधीन देय, कर या शास्ति या अन्य कोई रकम, का संदाय जो किसी व्यौहारी या अन्य व्यक्ति ने किया हैं, के सबूत में प्राप्त प्रत्येक चालान की विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी।

(2) प्रत्येक कोषाधिकारी, पूर्ववर्ती मास के दौरान अधिनियम और इन नियमों के अधीन, खजाना में जमा की गई रकम का विवरण, प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह के भीतर जिला आबकारी एवं कराधान कार्यालय को भेजेगा।

(3) प्रत्येक जिले का सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में, अधिनियम या इन नियमों के अधीन संदत्त विभिन्न रकमों की वसूली दर्शाते हुए एक विवरणी तैयार करेगा और उसे अपने जिले के कोषाधिकारी को सत्यापन के लिए अग्रेषित करेगा। यदि सत्यापन के समय कोई फर्क पता चलता है तो जिला का प्रभारी अधिकारी खजाना के साथ आवश्यक समाधान की व्यवस्था करेगा।

40. विवरणी की अवधि.—(1) उप–नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, द्वितीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर त्रैमासिक स्वतः निर्धारित विवरणी प्ररूप मू.प.क. (वैट)–15 में देगा :

परन्तु यह कि प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी जिसका कुल आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए या उससे अधिक था, वित्तीय वर्ष के प्रत्येक मास की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर मासिक विवरणी देगा।

(2) उप–नियम (1) के उपबन्धों के होते हुए भी, समुचित निर्धारण प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी व्यौहारी के लिये मासिक विवरणियां नियत करेगा और ऐसा आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता ।

(3) व्यौहारी, जिसके लिये, उप–नियम (2) के अधीन मासिक विवरणी अवधि नियत की गई है, प्रत्येक मास की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर, प्रत्येक मास के लिये प्ररूप मू.प.क. (वैट)–15 में स्वतः निर्धारित विवरणी देगा।

(4) प्ररूप मू.प.क.(वैट)–15 में विवरणी समुचित निर्धारण प्राधिकारी या जिला मुख्यालय से अन्यथा स्थानों पर मू.प.क. कार्य के लिये तैनात आबकारी एवं कराधान निरीक्षक को, देय कर के संदाय के सबूत में खजाना या बैंक रसीद के साथ भेजी जाएगी। विवरणी की मूल प्रति कार्यालय में रखी जाएगी और दूसरी प्रति हस्ताक्षरित करके और तारीख के साथ शासकीय स्टाम्प और आवक संख्या लगवा कर उसकी अभिस्वीकृति के पश्चात् व्यौहारी को लौटा दी जाएगी।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, आगामी 31 अक्तूबर को या उससे पहले प्ररूप मू.प.क. (वैट)– 15–"अ" में पूर्ववर्ती वर्ष के लिये भी वार्षिक विवरणी देगा।

वार्षिक विवरणी,–

(i) वर्ष के अन्त का तुलनपत्र, वर्ष के लिये लाभ और हानि सहित विनिर्माण/व्यापार लेखे सहित, अन्तिम लेखे की प्रति से संलग्न होगी और

(ii) वार्षिक बजट में ज्ञापित आवर्त और ऐसे लेखे के मध्य अन्तर यदि कोई है, का, समाधान करते हुए विवरण, के साथ होगी और निम्नलिखित रीति में सत्यापित करेगी:–

मैं/हम ————पुत्र श्री ———— एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/ करते हैं कि मैसर्ज ———— की बाबत, 31 मार्च_____ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये उपरोक्त लेखे का विवरण सत्य और सही है और

वर्ष के लिये बनाये गये नियमित लेखा पुस्तक के आधार पर है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

व्यौहारी की हैसियत सहित हस्ताक्षर

तारीख .....

स्थान .....

(6) प्रत्येक विवरणी, जिसका इन नियमों के अधीन दिया जाना अपेक्षित है, जब तक कि उसमें वर्णित सूचियां, विवरणियां, घोषणाएं, प्रमाणपत्र और दस्तावेज संलग्न न हो या जिसे इन नियमों के अधीन विवरणी के साथ दिया जाना अपेक्षित है, अपूर्ण होगा। विवरणी, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के मामले में कर्त्ता, स्वत्वधारी संस्था के मामले में स्वत्वधारी, भागीदारी के मामले में भागीदार, या यथास्थिति इस निमित्त लिखित में कर्त्ता, स्वत्वधारी या भागीदार द्वारा प्राधिकृत कोई पूर्णकालिक कर्मचारी और सरकारी विभाग के मामले में विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा और किसी सोसाइटी या कम्पनी के मामले में अध्यक्ष, निदेशक, सचिव या प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। विवरणी जो हस्ताक्षरित नहीं है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है, को विवरणी नहीं माना जाएगा। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता अकेला ही विवरणी के साथ संलग्न प्रत्येक सूची और विवरणी पर हस्ताक्षर करेगा। कोई सूची या विवरणी जो हस्ताक्षरित नहीं है या किसी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, को सूची या विवरणी नहीं माना जाएगा।

41. विक्रयों और क्रयों की सूची.—प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी अपनी विवरणी (रिटर्न) के साथ प्ररूप एल एस–1 और एल.पी. 1 में विक्रयों और क्रयों की सूचियां जो कि विवरणी (रिटर्न) में प्ररूप मू.प.क. (वैट) 15 में विर्निदिष्ट है, संलग्न करेगा।

42. मांग और संग्रह रजिस्टर का अनुरक्षण.—प्रत्येक निर्धारण प्राधिकारी, प्ररूप मू.प.क. (वैट)–17 में कर का संदाय, शास्ति, ब्याज, प्रशमन द्वारा एकमुश्त, अन्य रकम, व्यौहारियों द्वारा अपनी अधिकारिता में अग्रनीत करते हुए आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) दर्शाते हुए, मांग और संग्रह रजिस्टर बनाये रखेगा।

43. व्यौहारियों द्वारा किये गये अप्राधिकृत संग्रह की विवरणियां इत्यादि.—कोई व्यौहारी, जिसने कर का अप्राधिकृत संग्रहण किया है, को धारा 20 के अधीन ऐसी संग्रहीत की गई रकम को सरकारी खजाने में संदत्त करना अपेक्षित है और प्ररूप मू.प.क. (वैट)–15–ग में विवरणी देगा, जो कि ऐसे खजाने से ऐसी रकम का संदाय और समुचित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट प्रत्येक मास की

समाप्ति के 10 दिनों के भीतर प्ररुप एल.एस–3 में सूची दर्शाते हुए, प्ररूप मू.प.क. –(वैट)–2 में रसीद के साथ संलग्न होगा।

44. विवरणियों की संवीक्षा, निरीक्षण और विवरणियों के लेखे इत्यादि की संपरीक्षा.—(1) समुचित निर्धारण प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 16 के अधीन दाखिल की गई व्यौहारी की प्रत्येक विवरणी की संवीक्षा करेगा। यदि ऐसी संवीक्षा पर विवरणी में कोई त्रुटि पाई जाती है और व्यक्ति द्वारा ऐसी विवरणी के अनुसार संदेय से, कम कर संदत्त किया गया पाया जाता है, ऐसा प्राधिकारी, सम्बन्धित व्यौहारी को, उसे ठीक करने, और कम संदत्त की गई कर की रकम को अधिनियम की धारा 19 के अधीन संदेय को ब्याज सहित देय करने का और खजाना रसीद (रसीदों) को उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, उसके समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश देते हुए, नोटिस की तामील करवाएगा :

परन्तु यह कि यदि यह पाया जाता है कि व्यौहारी ने ऐसी विवरणी के अनुसार कर या ब्याज संदेय रकम से अधिक संदत्त कर दिया है, उक्त प्राधिकारी इसके बारे में व्यौहारी को, ऐसी संवीक्षा के पूर्ण होने के एक मास के भीतर नोटिस भेजते हुए द्वारा सूचित करेगा।

(2) यदि, उप–नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति पर, व्यौहारी ऐसे नोटिस में दिए गए निर्देश का अनुपालन करता है और ऐसे अनुपालन का, खजाना रसीद की प्रति सहित सबूत देता है, निर्धारण प्राधिकारी उसका अभिलेख रखेगा और संवीक्षा को बन्द कर देगा। यदि व्यौहारी ऐसे निदेशों का अनुपालन नहीं करता है या ऐसे नोटिस में दिए गए निर्देशों का, ऐसी असहमति के कारणों को प्रस्तुत करते हुए लिखित में अपनी असहमति अभिव्यक्त करता है, निर्धारण प्राधिकारी, जब तक कि ऐसे कारणों को सही या न्यायोचित स्वीकार नहीं कर लेता, मामले को सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिले के भारसाधक अन्य अधिकारी को पंद्रह दिन के भीतर, ऐसे व्यौहारी की बाबत अधिनियम की धारा 61 के अधीन संपरीक्षा शुरु करने की सिफारिश करते हुए निर्दिष्ट करेगा।

(3) विवरणियां, वार्षिक विवरण और लेखे की संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, आयुक्त या समुचित निर्धारण प्राधिकारी या धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य कोई अधिकारी, किसी व्यौहारी को किसी विवरणी की शुद्धता के सत्यापन के लिए साक्ष्य और अन्य कोई अतिरिक्त सूचना (सूचनाएं) जैसा आवश्यक समझे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) आयुक्त, अधिकथित पैरामीटरों के आधार पर, उप–नियम (2) के अधीन अधिकथित रीति में, धारा 61 के अधीन या तो यंत्र या कम्प्यूटर की सहायता से संपरीक्षा करने के लिए कुछ व्यक्तियों का चयन करेगा :

परन्तु यह कि आयुक्त, सूचना की प्राप्ति पर या अन्यथा, उन व्यक्तियों का संपरीक्षा के लिए, जो, उसके अनुसार, संपरीक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित है, चयन कर सकेगा।

(5) संपरीक्षा, टीम के रूप में नामनिर्देशित अधिकारी द्वारा की जाएगी। ऐसी टीम एक या एक से अधिक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या उप–आबकारी एवं कराधान आयुक्त, जैसा आयुक्त उचित समझे से गठित हो सकेगी।

(6) विवरणियां, वार्षिक विवरण और लेखों की संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए, ऐसी संपरीक्षा के लिए नियत अवधि, तारीख, समय और स्थान नोटिस में स्पष्ट रुप में होना चाहिए। नोटिस में यथा विर्निदिष्ट, लेखा बहियों को प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 10 दिन की अवधि दी जानी चाहिए ।

(7) कोई व्यक्ति जिसे उप–नियम (2) के अधीन नोटिस की तामील की गई है, विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट लेखा बहियों को प्रस्तुत करेगा। संपरीक्षा, यथासम्भव, व्यौहारी के कारबार परिसर में की जाएगी।

(8) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी या अधिकारी, संपरीक्षा के दौरान व्यौहारी को, नोटिस में दी गई अवधि के लिए लेखा बहियों का निरीक्षण/ सत्यापित करने के लिए उसे आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा। व्यौहारी, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्पष्टीकरण भी देगा।

अध्याय–6

प्रशमन के रूप में एकमुश्त राशि (कर के संदाय में)

45. प्रशमन के रूप में एकमुश्त राशि.—(1) (व्यौहारी जो राज्य के बाहर से वस्तुओं का आयात करता है और व्यौहारी जो औषधियों का व्यौहार करता है से अन्यथा) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के पास धारा 7 या धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन प्रशमन के रूप में उपधारणात्मक एकमुश्त कर राशि देय करने का विकल्प है, और ऐसा कर, इस अध्याय में यथाविहित रीति में संदत्त करेगा।

(2) ऐसा संदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एक मुश्त राशि" कहा गया है) निर्धारण सम्बन्धी उपबन्धों के उपयोजन घोषणा प्ररूपों के उपयोग, ऐसे प्ररूपों से सम्बन्धित अभिलेख को बनाए रखने, ब्याज का उद्ग्रहण, अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध उल्लंघन और अपराधों के लिए शास्ति अधिरोपित करने, और परादेय देयों की वसूली के प्रयोजन के लिए कर समझा जाएगा।

(3) एकमुश्त राशि का संदाय करने के लिए प्रस्ताव का आवेदन, विहित प्ररूप में, समुचित निर्धारण प्राधिकारी को किया जाएगा और अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन देने हेतु पात्र व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। समुचित निर्धारण प्राधिकारी, व्यौहारी द्वारा फाइल किए गए आवेदन की संवीक्षा करेगा और विकल्प, मास के प्रथम दिवस से अनुगामी दिवस पर जिसमें ऐसा विकल्प प्रस्तुत किया गया है, यदि यह ठीक और पूर्ण है प्रवर्त्तन में रहेगा । आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसा प्राधिकारी अभिनिश्चित करेगा कि यह पूर्ण है और इसकी विषय–वस्तु सही है, और तत्पश्चात् आवेदक को एकमुश्त राशि संदाय करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

(4) उप–नियम (2) के अधीन ऐसे विकल्प का प्रयोग करने वाले व्यौहारी को आवेदन की तारीख से आगामी मास के आरम्भ से एक मुश्त राशि का संदाय करने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा। यदि समुचित निर्धारण प्राधिकारी विकल्प को अपूर्ण पाता है तो वह व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए उसे पूर्ण करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

(5) एकमुश्त राशि का संदाय करने वाला व्यौहारी एकमुश्त राशि को समान त्रैमासिक किश्तों में संदत्त करेगा, जो प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर संदेय होगा, और ऐसे किए गए संदाय के सबूत में, समुचित निर्धारण प्राधिकारी को, एक खजाना रसीद प्रस्तुत करेगा।

(6) एकमुश्त राशि का संदाय करने का विकल्प रखने वाला व्यौहारी, धारा 30 के अधीन कर बीजक जारी नहीं करेगा और आगत कर प्रत्यय, ऐसे व्यौहारियों से खरीदे गए माल की बाबत शून्य होगा, और ऐसे व्यौहारी को, उसके द्वारा क्रय किए गए माल पर कोई आगत कर प्रत्यय का दावा करने का भी हक नहीं होगा।

(7) एकमुश्त राशि का संदाय करने का विकल्प रखने वाला व्यौहारी, जैसा विहित किया जाए, कर का प्रभार करने का हकदार होगा।

(8) इस अध्याय में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय, किसी या समस्त वर्ग (वर्गों) के व्यौहारियों से एकमुश्त राशि संदाय करने की सुविधा को प्रत्याहृत कर सकेगी।

46. ईंट भट्ठा मालिकों की बाबत एकमुश्त राशि स्कीम.—(1) ईंट भट्ठा मालिक (ईंट भट्ठा के पट्टेदार सहित) धारा 16 की उप–धारा (2) और नियम 45 के उपबन्धों और इस नियम के अध्यधीन अपने विकल्प पर, प्रशमन द्वारा एकमुश्त राशि, को, अधिनियम के अधीन देय, कर के बदले, निम्नलिखित सारणी में दी गई दरों पर संदत्त करेगा, अर्थात् :–

सारणी

क्रम संख्या	भट्ठे की क्षमता	वर्ग	प्रति वर्ष से देय एकमुश्त राशि जब किसी भट्ठे को एक स्थान पर जलाने के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाता है
1.	33 घौरी की संख्या से अधिक क्षमता का ईंट भट्ठा	क	1,93,600 रुपए + 6800 रुपए 33 घौरी की संख्या से अधिक प्रति अतिरिक्त घौरी के लिए
2.	28 से 33 घौरी की संख्या की क्षमता का ईंट भट्ठा	क	1,93,600 रुपए
3.	22 से 27 घौरी की संख्या की क्षमता का ईंट भट्ठा	ख	1,51,250 रुपए
4.	22 से कम घौरी की संख्या की क्षमता का ईंट भट्ठा	ग	1,21,000 रुपए
5.	30 सितम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान न जलाया गया ईंट भट्ठा जिसमें भट्ठे के अन्दर और बाहर का स्टॉक पिछले प्रथम अक्तूबर को समाप्त समस्त वर्गों की 5 लाख से से अधिक ईन्टें न हो	घ	30,250 रुपए

टिप्पण.– यदि किसी भट्ठे को दो स्थानों पर जलाने के लिए अभिहित किया जाता है, ऐसे भट्ठे के मालिक द्वारा संदेय एकमुश्त राशि की दर उपरोक्त दरों से दुगुनी होगी।

स्पष्टीकरण.–इस नियम के प्रयोजन के लिए 'घोरी ' से ईन्ट की चौड़ाई की तरफ से कालम में खड़ी रखी ईन्टे, लम्बाई में रखी ईन्टे के बराबर हों, जो आगे उसी प्रकार सीधी रखी ईंटों के कालम से लगभग 4 ईंच से 5 ईंच के

फासले पर अलग रखी हों, अभिप्रेत है, और "घोड़ी की संख्या" से सीधी रखी ईंटों के कालम की संख्या जो कि भट्ठे की आन्तरिक और बाह्य दीवार के मध्य उसकी पूरी चौडाई के ऊपर समायोजित हो जाए, अभिप्रेत है ।

(2) ईंट भट्ठा मालिक किसी भी समय निम्नलिखित प्ररूप में, कर के बदले एकमुश्त का संदाय करने का विकल्प दे सकेगा ।

आवेदन का प्ररूप

सेवा में

निर्धारण प्राधिकारी,

———— जिला ————

विषय.–हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन निपटारे (प्रशमन) द्वारा एकमुश्त संदाय करने का विकल्प।

मैं———— (नाम), आयु _____(वर्ष) पुत्र श्री ———— निवासी गांव/शहर ———— जिला ———— मैसर्ज ————होल्डिंग टिन ———— ईंट भट्ठा मालिक ———— में स्थापित (स्थान) जिला_____ का स्वामी /भागीदार/प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक, एतद्द्वारा (अधिनियम के अधीन देय कर के स्थान पर) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन और तद्धीन बनाए नियमों के अधीन तिमाही की शुरूआत से प्रतिकर के रूप में एकमुश्त संदाय करने का विकल्प देता हूं और घोषणा करता हूं कि मैं नियम 47 के उप–नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट _____ श्रेणी में आता हूं क्योंकि ईंट भट्ठे की क्षमता _____ घोड़ी की है।

स्थान.....

तारीख.....

ईंट भट्ठा मालिक के हस्ताक्षर।

अभिस्वीकृति

मैसर्ज _____ [टी. आई.एन./जी.आर.एन.(यदि कोई है] धारक स्वत्वधारी/सहभागीदार/प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक श्री..... से हिमाचल प्रदेश मू.प.क. अधिनियम, 2005 की धारा 7 या 16(2) के अधीन संदेय उपधारणात्मक/एकमुश्त कर के लिए विकल्प प्राप्त किया ।

निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में
पदनाम

स्थान.....

तारीख.....

(3) उप–नियम (2) के अधीन ईंट भट्ठा मालिक द्वारा किए गए विकल्प का प्रयोग उसके द्वारा क्रियाशील समस्त ईंट भट्ठों पर लागू होगा और इस नियम के उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर अपने समस्त ईंट भट्ठों के लिए एकमुश्त संदाय करेगा।

(4) इस नियम के अधीन प्रत्येक ईंट भट्ठा मालिक, प्रतिवर्ष, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर तीस दिन के भीतर प्ररूप मू.प.क.–15–घ में विवरणी दाखिल करेगा।

(5) ईंट भट्ठे की क्षमता के सत्यापन के प्रयोजन के लिए इसकी प्रास्थिति– क्या इसमें कार्य किया गया है, कार्य नहीं हो रहा या बन्द है– और भट्ठे के स्थान पर ईंटों का स्टाक, एक मुश्त संदाय करने के लिए दायी किसी स्वामी के ईंट भट्ठे का, कोई अधिकारी जो आबकारी एवं कराधान निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, निरीक्षण कर सकेगा।

(6) (क) आगामी सम्पूर्ण वर्ष के लिए बन्द होने के लिए आयियत होने किसी ईंट भट्ठे की दशा में, उसका स्वामी जो एकमुश्त का संदाय करने के लिए दायी है समुचित निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे बन्द होने के 10 दिन पूर्व लिखित में सूचित करेगा और भट्ठे के स्थान पर इटों के स्टाक की घोषणा करेगा। ईंट भट्ठा आगामी वर्ष से केवल तभी प्रवर्ग–डी में रखा जाएगा यदि स्थल पर समस्त प्रकार

की ईंटों का शुरूआती स्टाक उस दिन पांच लाख ईंटों से अधिक न हो और भट्ठा सम्पूर्ण वर्ष कार्यरत न रहा हो ।

(ख) यदि ईंट भट्ठा मालिक खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट रीति में भट्ठे के बंद होने के बारे में सूचना देने में असफल रहता है, यह समझा जाएगा कि ईंट भट्ठा सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

(7) वर्ष के एक भाग के लिए ईंट भट्ठे का प्रचालन होते हुए भी, स्वामी उस पर पूरे वर्ष के लिए एकमुश्त संदाय के लिए दायी होगा, सिवाय इसके कि कोई स्वामी जो प्रथम बार एकमुश्त के संदाय के लिए विकल्प देता है, महीने के प्रारम्भ में एकमुश्त संदाय करने के लिए दायी होगा, जिसमें वह अपने विकल्प का प्रयोग करता है और विकल्प का प्रयोग करने से पहले उस अवधि के लिए प्रथम बार, विधि के सामान्य उपबन्धों के अधीन वह कर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

47. लॉटरी व्यौहारियों की बाबत एकमुश्त स्कीम.—(1) निदेशक, राज्य लॉटरी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत लाटरी टिकटों के क्रय या विक्रय के कारबार में लगा हुआ प्रत्येक व्यवहारी (इस नियम में एतद्द्वारा "लाटरी व्यौहारी" कहा गया है) धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन और नियम 45 के उपबन्धों और इस नियम के अध्यधीन, उसके विकल्प पर, निम्नलिखित सारणी में दी गई दरों पर एकमुश्त संदत्त करेगा, अर्थात्:–

सारणी

क्रम संख्या	लॉटरी की किस्म	एकमुश्त संदेय रकम
1.	दैनिक लॉटरी	50,000 रुपए प्रति ड्रॉ
2.	साप्ताहिक लॉटरी	2.5 लाख रुपए प्रति ड्रॉ
3	मसिक लॉटरी	10 लाख रुपए प्रति ड्रॉ
4.	उत्सव लॉटरी	10 लाख रुपए प्रति ड्रॉ
5.	तत्काल लॉटरी	10 लाख रुपए प्रति ड्रॉ

(2) एकमुश्त संदाय करने के लिए विकल्प देने वाला लॉटरी व्यौहारी निम्नलिखित प्ररूप में, एकमुश्त संदाय करने के लिए अनुज्ञात करने हेतु आवेदन देगा।

आवेदन का प्ररूप

सेवा में

निर्धारण प्राधिकारी

——— जिला ———

विषय.–हि.प्र. मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन समझौते (प्रशमन) द्वारा एकमुश्त संदाय करने का विकल्प।

श्रीमान जी,

मैं ——————————— (नाम), आयु _____(वर्ष), पुत्र श्री ——— निवासी गांव ———————, तहसील ——————— मैसर्ज ——————— होल्डिंग टी आई एन/जी.आर.एन. धारक——————— (स्थान) ——————— जिला ——————— में स्थित कारबार परिसर का स्वत्वधारी/ भागीदार/प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक हूं ———————(स्थान) में स्थित.....जिला में लाटरी व्यौहारी हूं ..... से कारबार कर रहा हूं एतद्द्वारा (इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के स्थान पर) धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन और तद्धीन बनाए नियमों के अधीन लॉटरी टिकटों के विक्रय पर समझौते (प्रशमन) द्वारा एकमुश्त संदाय करने का विकल्प करता हूं और घोषणा करता हूं कि मैं निम्नलिखित प्रकार की लॉटरियों में व्यवहार कर रहा हूं, अर्थात्:–

क्रम संख्या	लॉटरी की किस्म	लॉटरी के निजी आपरेटर/राज्य का नाम

स्थान.....

तारीख.....



लॉटरी व्यौहारी के हस्ताक्षर।

अभिस्वीकृति

मैसर्ज ———— से प्राप्त विकल्प (टी आई एन/जी आर एन यदि कोई हो, सहित पूर्ण नाम और पता उल्लिखित करें) ।

स्थान.....

तारीख.....

निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में:
पदनाम:

(3) उप–नियम (2) में विवरणित रीति में लॉटरी व्यौहारी द्वारा विकल्प का प्रयोग करते हुए, समस्त राज्यों या लॉटरी के प्राईवेट आपरेटरों द्वारा प्रचालित लॉटरी की समस्त स्कीमों की बाबत जिसमें वह कारबार कर रहा है, का एकमुश्त संदाय करना होगा।

(4) एकमुश्त संदाय का विकल्प लॉटरी व्यौहारी द्वारा किसी भी समय प्रयोग किया जा सकेगा और विकल्प का प्रयोग करने के पश्चात् आगामी प्रथम ड्रा (लॉटरी) से यह प्रभावी होगा।

(5) प्रत्येक लॉटरी व्यौहारी प्ररूप मू.प.क.–15–उ में प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर मासिक विवरणी दाखिल करेगा।

48. संकर्म ठेकेदारों की बाबत एकमुश्त स्कीम.—(1) (वर्ग "ग" और "घ" में आने वाले) राज्य के भीतर कार्यों के निष्पादन में लगा हुआ प्रत्येक "लघु संकर्म ठेकेदार" (जिसे इस नियम में संकर्म ठेकेदार कहा गया है) धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन और नियम 45 के उपबन्धों और इस नियम के अध्यधीन, उसके विकल्प पर, संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल में सम्पत्ति के अन्तरण पर एकमुश्त संदाय (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) प्रशमन (समझौते) द्वारा, वित्तीय वर्ष के दौरान उसे अधिनिर्णित प्रत्येक संकर्म के निष्पादन के लिए कराधेय आवर्त प्रतिफल के चार प्रतिशत से संगणित किया जाएगा।

(2) एकमुश्त संदाय का विकल्प कर रहा संकर्म ठेकेदार, उसे अधिनिर्णित ठेके से तीस दिन के भीतर उप–नियम (1) के अधीन निम्न प्ररूप में उसके द्वारा संदाय करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन देगा, अर्थात्:–

आवेदन का प्ररूप

सेवा में

निर्धारण प्राधिकारी,
——— जिला ———

विषयः हि.प्र. मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन प्रशमन (समझौते) द्वारा एकमुश्त संदाय करने का विकल्प।

श्रीमान जी,

मैं ——————————— (नाम), आयु _____, (वर्ष), पुत्र श्री ——————— निवासी गांव ———————, तहसील ——————— मैसर्ज ——————— टी. आई. एन./जी.आर.एन. धारक_____ स्वत्वधारी/साझीदार/प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक हूं और ——————— से संकर्म संविदा निष्पादन का कारबार कर रहा हूं एतद्द्वारा हि.प्र. मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन और तद्धीन बनाए नियमों के अधीन समझौते द्वारा (अधिनियम के अधीन संदेय कर के बदले में) सम्पत्ति के माल के रूप में हस्तांतरण में अन्तर्वलित (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) नीचे दिए गए संकर्म संविदा के निष्पादन में, अर्थात्:–

ठेकेदार का नाम व पता	संविदा के अधि–निर्णय की संख्या और तारीख	संविदा के निष्पादन का स्थान	वृद्धि सहित संविदा की कुल कीमत	निष्पादन की अवधि

2. इसके संलग्नकों सहित संविदा या करार की प्रति, इस आवेदन के साथ संलग्न है।

स्थान .....

तारीख.....

संकर्म ठेकेदार के हस्ताक्षर।

अभिस्वीकृति

मैसर्ज ———————— (टी. आई. एन,/जी.आर.एन. यदि कोई हो, सहित पूर्ण नाम और पता वर्णित करे)।

स्थान .....
तारीख.....

निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में:
पदनाम:

(3) संकर्म ठेकेदार, एकमुश्त संदाय के विकल्प का प्रयोग करने के पश्चात् प्रदान की गई प्रत्येक संकर्म संविदा की बाबत उसे एकमुश्त संदाय करना पड़ेगा और ऐसे विकल्प के प्रयोग से पूर्व, उसे दी गई अन्य संविदाओं की बाबत, अधिनियम की धारा 6 के अधीन उसे कर का संदाय करना होगा।

(4) संकर्म ठेकेदार, द्वारा एकमुश्त संदाय के प्रत्याहरण का विकल्प, ऐसे प्रत्याहरण केवल पश्चात्वर्ती संकर्म संविदाओं को लागू होगा, परन्तु अन्य संविदाओं की बाबत, वह एकमुश्त का संदाय तब तक जारी रखेगा जब तक प्रत्येक संविदा पूर्ण नहीं हो जाती।

(5) संकर्म ठेकेदार प्ररूप मू.प.क.–15–च में त्रैमासिक विवरणी दाखिल करेगा ।

49. ग्राम उद्योगों की बाबत एकमुश्त स्कीम.—(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी जो ग्राम उद्योग इकाई चला रहा हो और उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश से उस रूप में रजिस्ट्रीकृत हो, धारा 7 या धारा 16 की उप–धारा (2) और इस अध्याय के

नियम 45 के उपबन्धों के अध्यधीन उसके विकल्प पर, निम्नलिखित सारणी में दी गई दरों पर एकमुश्त संदाय करेगा, अर्थात् :–

व्यौहारी जिसके पास वार्षिक आवर्त है	एकमुश्त संदेय
25 लाख रुपए तक	धारा 6 के अधीन अधिसूचित कर की दर का 25%
25 लाख रुपए से अधिक परन्तु 50 लाख रुपए तक	धारा 6 के अधीन अधिसूचित कर की दर का 50%

(2) एकमुश्त संदाय करने के लिए आवेदन निम्नलिखित प्ररूप पर किया जाएगा :–

आवेदन का प्ररूप

सेवा में

निर्धारण प्राधिकारी,

——— जिला ———

विषयः हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन प्रशमन (समझौते) द्वारा एकमुश्त के संदाय का विकल्प।

श्रीमान जी,

मैं———————————— (नाम), आयु _____(वर्ष) पुत्र श्री ———————— निवासी (पता), ———————— नगर, ———————— जिला ————————मैसर्ज ———————— स्थित———————— (स्थान), जिला———————— टी.आई. एन./ जी. आर.एन._____ धारक अनन्य रूप में मैसर्ज ———————— के नाम और रीति में स्वत्वधारी/ सांझीदार/कर्त्ता/प्रबन्धक/ निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो ———————— वस्तुएं बनाते और विक्रय करते हैं, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन और तद्धीन बनाए नियमों के अधीन

संदेय कर के बदले में एतद्द्वारा प्रशमन (समझौता) द्वारा एकमुश्त संदाय का विकल्प करते हैं।

(2) मैं निम्नलिखित वस्तुओं (माल) का कारबार कर रहा हूं:–

(3) मैं, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम,2005 के नियम 49 में यथापरिभाषित ग्राम उद्योग इकाई, उक्त पैरा (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं बनाने और विक्रय करने हेतु चला रहा हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर।

स्थान .....
तारीख.....

अभिस्वीकृति

मैसर्ज_____(टी.आई.एन./जी.आर.एन. यदि कोई है सहित पूर्ण नाम और पता उल्लिखित करें) से विकल्प प्राप्त किया।

निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में:
पदनाम:

स्थान .....
तारीख.....

(3) ग्रामोद्योग चलाने वाला व्यौहारी प्ररूप मू.प.क. 15–छ में त्रैमासिक विवरणी दाखिल करेगा।

(4) व्यौहारी जिसका वर्ष के दौरान कराधेय आवर्त 50 लाख रुपए से अधिक हो जाता है, अधिनियम के अधीन कर सदांय करेगा,–

(क) कराधेय आवर्त पर, 50 लाख रुपए तक, इस नियम के उप– नियम (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर ; और

(ख) कराधेय आवर्त के उस भाग पर जो पचास लाख रुपए से अधिक है धारा 6 के अधीन अधिसूचित सामान्य कर की दरों पर।

ऐसा व्यौहारी, समुचित निर्धारण प्राधिकारी को उस तारीख को जिसको उसका कराधेय आवर्त वर्ष के दौरान 50 लाख रुपए से अधिक हुआ है के बारे में भी सूचित करेगा और समुचित निर्धारण प्राधिकारी आगामी ठीक प्रथम अप्रैल से ऐसे व्यौहारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को मूल्य परिवर्धित कर व्यौहारी के प्रमाणपत्र में उपांतरित करेगा, और तब ऐसा व्यौहारी इस अध्याय के अधीन एकमुश्त संदेय करने के लिए पात्र नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण– इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए,–

(i) "ग्राम उद्योग" से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई उद्योग और छोटे सैक्टर में "ग्राम क्षेत्र" में स्थित, जो किसी वस्तु का उत्पाद करता है या उर्जा का उपयोग करते हुए या न करते हुए कोई सेवा करता है और जहां भूमि, भवन, पौधे और मशीनरी में प्रति कारीगर या कर्मकार पर कुल नियत पूंजी विनिधान (पचास) 50,000 रुपए से अधिक न हो, परन्तु ऐसा उद्योग इसके अन्तर्गत नहीं होगा, जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, अभिप्रेत है; और

(ii) "ग्रामीण क्षेत्र" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 2 के खण्ड (46) में यथा परिभाषित, कोई क्षेत्र अभिप्रेत है।

50. अन्य व्यवहारियों की बाबत एकमुश्त स्कीम.—(1) इस नियम में विनिर्दिष्ट कोई व्यौहारी, धारा 7 या धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन और इस नियम और नियम 45 के उपबन्धों के अध्यधीन, उसके विकल्प पर, निम्नलिखित एकमुश्त राशि का संदाय करेगा, अर्थात् :–

व्यौहारी जिसके पास वार्षिक आवर्त है।	एकमुश्त संदेय राशि
आठ लाख रुपए तक	3600 रुपए प्रतिवर्ष
आठ लाख रुपए से अधिक 14 लाख रुपए तक	8000 रुपए प्रतिवर्ष
14 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक	14,000 रुपए प्रतिवर्ष
20 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए तक	20,000 रुपए प्रतिवर्ष

(2) एकमुश्त राशि का संदाय करने के लिए आवेदन निम्नलिखित प्ररूप पर किया जाएगा :–

आवेदन का प्ररूप

सेवा में

निर्धारण प्राधिकारी,

——— जिला ———

विषयः हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 और धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन (प्रशमन) समझौते द्वारा एकमुश्त के संदाय का विकल्प।

श्रीमान जी,

मैं———————————— (नाम), आयु _____ (वर्ष) पुत्र श्री ————निवासी (पता), ———————— नगर, ———— जिला ———————— टी.आई. एन./जी.आर.एन. धारक———————— अनन्य रूप से मैसर्ज ———————— के नाम और रीति में स्वत्वधारी/सांझीदार/कर्त्ता/प्रबन्धक/निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो ———— वस्तुएं बनाते और विक्रय करते हैं।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 और धारा 16 की उप–धारा (2) और तद्धीन बनाए नियमों के अधीन संदेय कर के बदले में एतद्द्वारा (प्रशमन) समझौते द्वारा एकमुश्त संदाय का विकल्प करते हैं।

(2) मैं निम्नलिखित वस्तुओं (माल) का कारबार कर रहा हूं।

आवेदन करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्ष हैसियत।

स्थान.....

तारीख.....

अभिस्वीकृति

मैसर्ज———————— (टी.आई.एन./जी.आर.एन.) यदि कोई है सहित पूर्ण नाम और पता वर्णित करें।

निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में:
पदनाम:

स्थान.....
तारीख.....

(3) व्यौहारी जिसका वर्ष के दौरान कराधेय आवर्त 25 लाख रुपए से अधिक हो जाता है, अधिनियम के अधीन धारा 6 में विनिर्दिष्ट सामान्य दरों पर 25 लाख रुपए से अधिक होने वाले घटक आवर्त पर कर संदाय करेगा। ऐसा व्यौहारी समुचित निर्धारण प्राधिकारी को उस तारीख के बारे में जिसको उसका कराधेय आवर्त वर्ष के दौरान 25 लाख रुपए से अधिक हुआ है, सूचित करेगा। समुचित निर्धारण प्राधिकारी आगामी प्रथम अप्रैल से ऐसे व्यौहारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को मूल्य परिवर्धित कर (वैट) में व्यौहारी के प्रमाणपत्र को उपातंरित करेगा और तब वह इस अध्याय के अधीन एकमुश्त राशि संदेय करने के लिए पात्र नहीं रहेगा।

(4) व्यौहारी प्ररूप मू.प.क. 15–ए में त्रैमासिक विवरणी दाखिल करेगा और एकमुश्त राशि का, त्रैमासिक प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् 15 दिनों के भीतर संदाय करेगा।

अध्याय–7
लेखे रखना

51. व्यौहारी द्वारा लेखे रखना.—(1) निम्नलिखित लेखे, सामान्यत धारा 7 या धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन एक मुश्त राशि या उपधारणात्मक कर का संदेय करने वाले व्यौहारियों से अन्यथा, रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा रखे जाएंगे,–

(क) रोकड़ बही, दैनिक बही, खाता, बीजक बही और क्रय बाऊचर ;

(ख) कुल उत्पाद कर विनिर्दिष्ट करते हुए मासिक कर लेखे, कुल उत्पाद कर ऋण और कुल संदेय कर या अग्रनयन के लिए देय अधिक कर ऋण।

(ग) क्रय का ब्यौरा दर्शाते हुए क्रय अभिलेख, जिन पर कर का संदाय दिया गया है, कर का संदाय किए बिना किया गया क्रय, किसी छूट प्राप्त औद्योगिक इकाई से किए गए क्रय और राज्य के बाहर से किया गया क्रय। मूल कर बीजक क्रय के लिए जिन पर कर का संदाय कर दिया गया है और मूल्य परिवर्धित कर का संदाय किए बिना क्रम के लिए बनाए गए बीजक, तारीख और संख्यात्मक क्रम में रखे जाएंगे;

(घ) कर की विभिन्न दरों पर, जीरो रेटिड कराधेय विक्रयों और कर मुक्त विक्रयों पर राज्य में किए गए विक्रयों को पृथक दर्शाते हुए विक्रयों का अभिलेख, कराधेय विक्रयों से सम्बन्धित कर बीजकों की प्रतियां और कर मुक्त विक्रयों से सम्बंधित समस्त बीजक तारीख और संख्यात्मक क्रम में रखे जाएंगे;

(ङ) फुटकर काम हेतु भेजे गए माल सहित अन्तरराज्यिक विक्रयों अर्न्तराज्यिक माल के अन्तरण, वैधानिक घोषणाओं और ऐसे अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित, जो सुसंगत हो का अभिलेख ;

(च) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी कराधेय और कर मुक्त विक्रय कर रहा हो आगत कर ऋण संगणना का ब्यौरा ;

(छ) स्टाक प्राप्तियां और माल का परिदान और विनिर्माण अभिलेखों को दर्शाता हुआ स्टाक अभिलेख ;

(ज) जहां–जहां लागू है, आदेश, अभिलेख और परिदान चालान ;

(झ) वर्ष की समाप्ति पर व्यापार लेखा, तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखे सहित अन्तिम वार्षिक लेखे ;

(ञ) बैंक लेखे जिसके अन्तर्गत विवरणियां, चैक बुक, प्रतिपर्ण और वेतन पर्ची।

(2) व्यौहारी, अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप और कारबार की प्रकृति के अनुसार लेखे बहियां रखेगा परन्तु ये इस नियम में विनिर्दिष्ट समस्त सूचना विनिर्दिष्ट रखेंगे।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 17 में कर कटौती अपेक्षित है चाहे नकद द्वारा, समायोजन, लेखे से उधार द्वारा, देयों की वसूली या किसी अन्य रीति में, यथास्थिति संकर्म ठेकेदारों को, उसके सम्बन्ध में या संकर्म संविदा के निष्पादन या माल की आपूर्ति के लिए किए गए संदाय का लेखा रखेगा। प्रत्येक संकर्म संविदा या माल की आपूर्ति की संविदा और यथास्थिति, प्रत्येक ठेकेदार या पूर्तिकर्ता के अलग लेखे रखे जांएगे। ऐसा व्यक्ति, जब आबकारी एवं कराधान विभाग के किसी अन्य अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसके सम्मुख लेखे प्रस्तुत करेगा ।

52. कर बीजक में उल्लिखित की जाने वाली विशिष्टियां.—(1) सिवाय तब के जब बीजक कम्प्यूटर या अन्य इलैक्ट्रोनिक या यांत्रिक युक्ति द्वारा तैयार किए जाएं, कर बीजक सम्यक रूप से आबद्ध बीजक बही से जारी किए जाएंगे। ये कम से कम तीन प्रतियों में और क्रमवार क्रम संख्या में होने चाहिए।

(2) बीजक की सम्बन्धित प्रतियों पर प्रमुख रूप से ये शब्द लिखे जाएंगे। मूल प्रति पर यह टिप्पणी अंकित की जाएगी, "इस प्रति के विरुद्व रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को आगत कर प्रत्यय उपलब्ध है" और द्वितीय प्रति पर "यह प्रति धारक को आगत कर प्रत्यय के दावे के लिए हकदार नहीं बनाती है" टिप्पण लिखे जाएंगे। मूल प्रति क्रेता को जारी की जाएगी, द्वितीय प्रति माल के वहन के लिए होगी और अन्तिम प्रति विक्रेता द्वारा रखी जाएगी।

(3) शब्द मूल्य परिवर्धित कर (वैट) बीजक प्रमुख रूप से बीजक पर मुद्रित किए जाएंगे।

(4) कर बीजक जहां तक हो सके प्ररूप मू.प.क.–18 में होंगे ।

53. विशिष्टियां खुदरा बीजक में उल्लिखित होंगी.—(1) सिवाय तब के जब बीजक कम्प्यूटर या अन्य इलैक्ट्रोनिक या यांत्रिक युक्ति द्वारा तैयार किए जाएं, खुदरा बीजक सम्यक रूप से आबद्ध बीजक बही से जारी किए जाएंगे ये कम से कम दो प्रतियों में होने चाहिए।

(2) खुदरा बीजक की प्रथम प्रति माल के क्रेता को जारी की जाएगी। द्वितीय प्रति विक्रेता व्यौहारी द्वारा रखी जाएगी।

(3) खुदरा कर बीजक जहां तक हो सके प्ररूप मू.प.क.–19 में होगा।

54. नकद पत्रक (कैश मीमो) मे विशिष्टियां इत्यादि उल्लिखित की जाएगी.— सिवाय तब के जब नकद पत्रक या बिल कम्प्यूटर या अन्य इलैक्ट्रोनिक या यांत्रिक युक्ति द्वारा तैयार किए जाएं, नकद पत्रक या बिल सम्यक रूप से आबद्ध बीजक बही से जारी किए जाएंगे। व्यवहारी द्वारा या उसकी ओर से माल के विक्रय की बाबत जारी किए जाने वाले मीमो या बिल, एक संव्यवहार में 200 रुपए मूल्य से अधिक होने पर जहां तक हो सके प्ररूप मू.प.क.–20 में होंगे।

55. क्रेडिट/ऋण टिप्पण में उल्लिखित की जाने वाली विशिष्टियां इत्यादि.—(1) क्रेडिट/ऋण टिप्पण, कर बीजक बही से जारी की जाएंगी और इसमें निम्नलिखित सूचनाएं अन्तर्विष्ट होंगी–

(क) "क्रेडिट टिप्पण" या " ऋण टिप्पण" बीजक पर प्रमुख रूप से लिखा जाएगा;

(ख) उस व्यक्ति का नाम, पता और रजिस्ट्रेशन संख्या जिसे जारी किया गया ;

(ग) बीजक की तारीख और संख्या जिससे क्रेडिट या ऋण टिप्पण सम्बन्ध रखता है ;

(घ) ऋण या क्रेडिट टिप्पण जारी करने बारे संक्षिप्त कारण ; और

(ङ) माल की कीमत और कर परिमाण सहित जमा कर ली गई या विकलित रकम।

(2) टिप्पण में यथास्थिति, स्वत्वधारी या भागीदार या निदेशक द्वारा जारी करने की तारीख और हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे।

(3) खुदरा कर बीजक, जहां तक हो सके प्ररूप मू.प.क.–21 में होगा।

56. अभिलेख का इलैक्ट्रोनिक अनुरक्षण.—(1) व्यौहारी, आयुक्त या समुचित निर्धारण प्राधिकारी को, अनुसरण की जाने वाली प्रणाली के बारे में सूचित करने के पश्चात् नियम 52 से 54 के अधीन विहित कम्प्यूटर का प्रयोग करके इलैक्ट्रोनिकली पढ़े जाने वाले रूप विधान में समस्त या किन्हीं अभिलेखों, विवरणियों और बीजकों का इलैक्ट्रोनिकली अनुरक्षण या जेनरेट करेगा। जब कभी प्रणाली में बदलाव किए जाते हैं तो व्यौहारी 15 दिन के भीतर आयुक्त या समुचित निर्धारण प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(2) अभिलेखों और दस्तावेजों के प्रिंट आउट (हार्ड कॉपीज) प्रत्येक मास की समाप्ति पर लिए जाएंगे और हर किस्म के अभिलेख, विवरणियों और बीजकों को आबद्ध फोल्डरों में रखा जाएगा।

(3) व्यौहारी यह सुनिश्चित करेगा कि समुचित बैक–अप अभिलेख भी अनुरक्षित और परिरक्षित किए जाएंगे ताकि अपरिहार्य दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं के कारण विनाश की दशा में, युक्तियुक्त समय अवधि के भीतर सूचनाएं प्रत्यावर्तित की जा सकें। ऐसे समस्त अभिलेख, विवरणियां, बीजक और अन्य दस्तावेज (बैक–अप–अभिलेख सहित दोनों इलैक्ट्रोनिक और हार्ड कॉपियां) छः वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित की जाएगी और (वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से गणना करके उस वित्तीय वर्ष का अनुसरण करते हुए जिससे अभिलेख विवरणी, बीजक सम्बंधित हैं) या तब तक जब तक निर्धारण का निपटारा नहीं हो जाता, जो भी पहले हो।

(4) यह व्यौहारी का कर्त्तव्य होगा जो इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों का अनुरक्षण करता है कि लेखा प्रणाली द्वारा प्रारम्भ की अवस्था से समाप्ति तक और समुचित निर्धारण प्राधिकारी या किसी अन्य अधिकारी जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो को संचारण करके संव्यवहारों के प्रवाह और व्यवहार सहित हार्ड कापी में और/या इलैक्ट्रोनिकली पढ़े जाने वाले रूप विधान में सुसंगत अभिलेखों की मांग किए जाने पर प्रस्तुत करे।

(5) व्यौहारी, चाहे कागज या इलैक्ट्रोनिक पर लेखा अनुगमन और परस्पर सम्बद्धता और वित्तीय लेखे अभिलेख अभिन्यास, ऐसे अभिलेखों की नमूना प्रतियों सहित प्रत्येक क्षेत्र में डाटा (आंकड़े) कोष और अभिलेखों की कुल संख्या की व्यवस्था भी करेगा।

(6) यदि कोई व्यौहारी इस सुविधा का दुरुपयोग करता पाया जाता है या सूचना पर (पहुंच) एसेस की व्यवस्था नहीं कर रहा है या यदि जहां कोई अन्य तर्कपूर्ण कारण हो, तो आयुक्त या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे कारणों को अभिलिखित करने और ऐसे व्यक्ति द्वारा फर्क (अन्तर) यदि कोई हो, के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण को ध्यान में रखने के पश्चात्, किसी अभिलेख को इलैक्ट्रोनिकली अनुरक्षित करने या जेनरेट करने, विवरणियां या बीजक के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग करने से किसी व्यक्ति को प्रतिबद्ध कर सकेगा।

57. लेखा बहियों के अधिप्रमाणीकरण की रीति.—(1) समुचित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा करने पर व्यौहारी, अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए, अपने कारबार से सम्बन्धित कोई बही, दस्तावेज या लेखा उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(2) समुचित निर्धारण प्राधिकारी, जहां तक संभव हो, पूर्व सूचना पर व्यौहारी की लेखा बहियों का अधिप्रमाणीकरण करेगा।

(3) (क) समुचित निर्धारण प्राधिकारी, प्रत्येक बही, दस्तावेजों या लेखा में एक या अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर सहित मोहर लगाएगा, और उसके प्रथम पृष्ठ पर निम्न प्ररूप में प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगा, अर्थात्:—

"प्रमाणित किया जाता है कि बही/दस्तावेज/ लेखा जिसमें _____पृष्ठ अन्तर्विष्ट है और मैंने कार्यालय मोहर सहित पेज_____ और _____ पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

तारीख :

जिला:

समुचित निर्धारण प्राधिकारी
के हस्ताक्षर"।

(ख) निर्धारण प्राधिकारी, व्यौहारी की अलग-अलग फाइलों में उसके परिसर या लेखे या स्टाक के निरीक्षण के समय उपयोग के लिए ऐसे अधिप्रमाणीकरण का नियमित अभिलेख रखेगा।

(4) समुचित निर्धारण प्राधिकारी, व्यौहारी द्वारा धारा 32 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन अपेक्षित अनुरक्षित किए जाने वाले लेखों की सूची पर ऐसे अधिप्रमाणीकरण का टिप्पण देगा।

58. क्रास चैकिंग (पड़ताल) और सर्वेक्षण का अभिलेख.—समुचित निर्धारण प्राधिकारी, क्रास चैकिंग, (पड़ताल) सर्वेक्षण और लेखा बहियों के अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए जारी किए गए नोटिसों का एक अभिलेख रखेगा।

अध्याय–8

माल के वहन और परिवहन और अभिवहन में माल का निरीक्षण

59. माल का वहन और परिवहन.—(1) परिवहन कम्पनी या बुकिंग एजेंसी के किसी कर्मचारी सहित परिवाहक के माल का प्रत्येक वाहक या अभिकर्ता, माल की बाबत जिस पर विक्रय या क्रय अधिनियम के अधीन कराधेय है, परिवहन रसीद (पावती) के प्ररूप में अग्रेषण टिप्पण, मार्ग पत्रक प्रेषण रजिस्टर और परिदान रजिस्टर जो क्रमशः प्ररूप मू.प.क.–22, मू.प.क.–22–अ, मू.प.क. –22–आ मू.प.क. –22–इ और मू.प.क.–24 में होंगे, परिवहन के लिए वाहित, वितरित या प्राप्त ऐसे माल का सही अभिलेख रखेगा। ऐसा अभिलेख उसके द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित रखा जाएगा। वह इस नियम के उप–नियम (3) के खण्ड (ग) में वर्णित प्राधिकार पत्र अभिलेख में समरूप अवधि के लिए भी परिरक्षित करेगा।

(2) परिवहन प्राप्तियां और मार्ग पत्रक क्रमवार संख्याकिंत किए जाएंगे। क्रम संख्या 100,000 तक होगी तत्पश्चात् परिवहन प्राप्तियों और मार्ग पत्रक की नई शृंखला शुरु की जाएगी। परिवाहक द्वारा नई शृंखला के प्रयोग से पहले इसकी सूचना जिला के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या आबकारी एवं कराधान अधिकारी को दी जाएगी।

(3) माल का वाहक या परिवहन कम्पनी या बुकिंग एजेंसी का अभिकर्ता तब तक माल के किसी परेषण का परिवहन, बुकिंग के लिए स्वीकृत या निर्मुक्त नहीं करेगा, जिसका विक्रय या क्रय अधिनियम के अधीन कराधेय है, जब तक,–

(क) यथास्थिति, परेषण, क्रय बीजक की प्रति या विक्रय पत्रक या परिदान टिप्पण से समाविष्ट न हों ;

(ख) बुकिंग किए जाने के लिए आशयित परेषण से सम्बंधित विशिष्टियां प्ररूप मू.प.क.–22–अ में प्रेषण टिप्पण में भेजने वाले द्वारा दाखिल न कर दिए जाएं।

(ग) परेषिति से मुद्रांकित पृष्ठांकन वाली परिवहन प्राप्ति जो उसकी पूर्ण विशिष्टियां और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, यदि कोई हो को दर्शाते हुए;

(4) वाहन का चालक या प्रभारी व्यक्ति, ले जाए जाने वाले माल के प्रत्येक परेषण की बाबत हमेशा अपने साथ प्ररूप मू.प.क.–22–आ में मार्ग पत्रक की प्रति और प्ररूप मू.प.क.–22 में परिवहन रसीद (पावती) की प्रति भी रखेगा।

(5) जहां परेषित को, परेषण का परिदान परिवहन कम्पनी या बुकिंग एजेंसी की सहायता के बिना दिया जाता है, यान का स्वामी, चालक या प्रभारी व्यक्ति, रजिस्टर में प्ररूप मू.प.क.–22 में परेषणों की बाबत अभिलेख का अनुरक्षण करेगा।

60. रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों द्वारा प्राप्त या प्रेषित माल के लेखे.—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी सड़क द्वारा प्राप्त किए गए या प्रेषित माल का रजिस्टर में, जो क्रमशः प्ररूप मू.प.क.–24 और मू.प.क.–24–अ मे होगा का सही अभिलेख रखेगा।

(2) कोई व्यौहारी या उसकी तरफ से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति माल का परिदान नहीं ले सकेगा जिसका विक्रय या क्रय इस अधिनियम के अधीन कराधेय है या परिवहन कम्पनी या बुंकिग एजेंसी के अभिकर्ता सहित माल के वाहक को बुकिंग के लिए माल परिदत नहीं करेगा, जब तक कि –

(क) यथास्थिति, परेषण को समाविष्ट करते हुए क्रय बीजक, विक्रय बिल या परिदान टिप्पण की प्रति परिवाहक या उसके प्रतिनिधि को प्रस्तुत नहीं कर दी जाती;

(ख) बुकिंग किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां, प्ररूप मू.प. क.–22–अ में प्रेषण टिप्पण में प्रस्तुत नहीं कर दी जाती ;

(ग) व्यौहारी, जो बुकिंग के लिए माल का परिदान लेता है या माल परिदत करता है, के कब्जे में उसके द्वारा हस्ताक्षरित यथास्थिति परेषिति या (माल) भेजने वाला (परेषण) से सम्यक रूप से अनुप्रमाणित होना चाहिए; और

(घ) अधिनियम के अधीन, उसकी सम्पूर्ण विशिष्टियां और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या यदि कोई है दर्शाते हुए मुद्रांकित पृष्ठाकंन, परेषिति द्वारा, परिवहन प्राप्ति पर अभिलिखित की जाए ; और

61. परिदान टिप्पण, घोषणाएं, प्रतिभूति बंधपत्र और निजीबंधपत्र.—(1) धारा 34 की उप–धारा (2) और (4) में निर्दिष्ट परिदान टिप्पण और घोषणा, क्रमशः प्ररूप मू.प.क.–26 और मू.प.क.26–अ में होगी।

(2) धारा 34 की उप–धारा (4) के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट घोषणा, प्ररूप मू.प.क.–27 में होगी।

(3) धारा 34 की उप–धारा (6) के प्रयोजनों के लिए, माल का स्वामी या उसका प्रतिनिधि, मालयान या जलयान का चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति, माल के स्वामी की ओर से, प्रतिभूति देगा, या जैसा सम्बंधित अधिकारी निदेश दे। प्रतिभूति बंधपत्र और निजी बंधपत्र क्रमशः प्ररूप मू.प.क.–28 और मू.प.क. 28–अ पर होगा।

(4) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वैयक्तिक उपयोग के लिए माल के परिवहन की बाबत कोई घोषणा अपेक्षित नहीं है और ऐसा माल चैक पोस्ट/बैरियर या अन्य स्थान पर निरुद्ध नहीं किया जाएगा।

62. प्ररूप मू.प.क.–26 अ में घोषणाओं का मुद्रण अभिरक्षा जारी करना इत्यादि .— (1) प्ररूप मू.प.क. 26–अ में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से तीन प्रति प्रतियों में प्ररूप को मूल, "द्विप्रतिक" और "तीसरी प्रति" मुद्रित करवाया जाएगा और आयुक्त द्वारा समय–समय पर यथाअनुमोदित शृंखला की स्कीम को क्रम और रंग के अनुसार क्रम संख्यांकित किया जाएगा :

(2) कोई व्यौहारी जिसकी ओर से प्ररूप मू.प.क.–26–अ में एक घोषणा चैक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी को की जानी अपेक्षित है या अधिनियम की धारा 34 की उप–धारा (4) में निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, प्ररूप मू.प.क.–26–"अ" में घोषणा प्ररूप प्रदान करने के लिए समुचित निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसके स्पष्ट रूप से पहले से हस्तगत स्टाक और घोषणा प्ररूपों का ब्यौरा अपनी युक्तियुक्त मांग को तीन मास से अनधिक अवधि के लिए और वह तारीख जिसको और संख्या जिसमें, उसे घोषणा प्ररूप जारी किया गया था स्पष्ट रूप से दर्शाएगा :

परन्तु यह कि यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना अनिवार्य है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा, माल के यान या जलयान के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को चैकपोस्ट या बैरियर पर प्ररूप मू.प.क. 26–अ जारी किए जाने के लिए अनुज्ञात करेगा या रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों के किसी वर्ग को स्वयं द्वारा (इलैक्ट्रोनिकली या अन्यथा) मुद्रित प्ररूप मू.प.क. 26–अ का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

(3) यदि समुचित निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि व्यौहारी की अध्यपेक्षा वास्तविक और युक्तियुक्त है, तो वह सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किए जाने वाले ऐसे प्ररूप की कीमत के पूर्व संदाय पर या तो नकद रूप में या व्यौहारी द्वारा ऐसी कीमत सरकारी खजाने में जमा करवाने पर, जैसा वह उचित समझे से उतने घोषणा प्ररूप जारी कर सकेगा।

(4) व्यौहारी जिसे घोषणा प्ररूप जारी किए गए हैं, उसकी उचित अभिरक्षा और उपयोग के लिए जिम्मेदार होगा। यदि घोषणा प्ररूप चाहे खाली हों या संपूरित हों किसी व्यौहारी की अभिरक्षा में या अभिवहन में खो हो जाते हैं, तो वह उनके खो जाने की सूचना समुचित निर्धारण प्राधिकारी को देगा, जिससे उसने उन्हें प्राप्त किया है।

(5) उप–नियम–(5) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति पर, समुचित निर्धारण प्राधिकारी प्रत्येक खोए प्ररूप की बाबत, व्यौहारी को बुलाकर युक्तियुक्त प्रतिभूति देकर प्ररूप मू.प.क. 28–आ में उनके दुरुपयोग से रक्षोपाय के लिए समस्त खोए प्ररुपों की बाबत इक्ट्ठे या अलग–अलग क्षतिपूर्ति बंधपत्र देने को कहेगा।

(6) कोई व्यौहारी जिसे घोषणा प्ररूप जारी किया गया है किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं करेगा।

(7) किसी व्यौहारी द्वारा समुचित निर्धारण प्राधिकारी से, जिसकी उसके मूल कारबार के स्थान पर अधिकारिता हो, घोषणा प्ररूप अभिप्राप्त करके और जो उप–नियम (10) के उपबन्धों के अधीन गतकालिक (अप्रचलित) या अविधिमान्य घोषित न हुआ हो, कोई घोषणा जारी नहीं करेगा।

(8) उप–नियम (3) में निर्दिष्ट व्यौहारी, प्ररूप मू.प.क. 26–आ में रजिस्टर में घोषणा प्ररूपों का लेखा रखेगा।

(9) व्यौहारी, किसी निर्धारण प्राधिकारी या उसके अधीनस्थ उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखित में निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर विहित रजिस्टर प्रस्तुत करेगा।

(10) आयुक्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा प्ररूप की कतिपय शृंखलाओं, डिजाईनों या रंगों को अप्रचलित और अविधिमान्य कर सकेगा। समस्त व्यौहारी, घोषणा प्ररूप के ऐसे अप्रचलित और अविधिमान्य घोषित होने की तारीख को या पहले, समुचित निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप जो उनके कब्जे में हों अभ्यर्पित करेगें और विनिमय में ऐसे नए प्ररुप जो अप्रचलित और अविधिमान्य प्ररूपों के लिए प्रतिस्थापित हुए हैं प्राप्त करेंगे :

परन्तु यह कि व्यौहारी को तब तक नए प्ररूप जारी नहीं किए जाएंगे जब तक कि वह उसे जारी किए गए पुराने प्ररूपों का लेखा नहीं दे देता और वास्तविक हस्तगत बकाया यदि कोई हो समुचित निर्धारण प्राधिकारी को वापिस नहीं कर देता।

(11) उप–नियम (3) में निर्दिष्ट व्यौहारी, घोषणा प्ररूपों को जारी करने के लिए समुचित निर्धारण प्राधिकारी से मांग करने से पूर्व ऐसा व्यौहारी पूर्वतन जारी किए गए मू.प.क.–32–अ प्ररूप को अभिलेख पर्ची पर निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए उस प्राधिकारी को ब्यौरे देगा, अर्थात् :–

————————निर्धाारण प्राधिकारी ———————— चैक पोस्ट/बैरियर

द्वारा _____ को प्राप्त की गई मू.प.क.–26–अ प्ररूप की अभिलेख पर्ची

तारीख	मू.प.क. 26–अ प्रयुक्त संख्या	माल का स्वामी/ वाहक	माल की श्रेणी	मूल्य रुपए	व्यौहारी के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.
कुल					

(12) प्रत्येक व्यौहारी को प्ररूप मू.प.क. 26–अ का प्राप्त और जारी लेखा, समुचित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, प्ररूप मू.प.क. 26–इ में रखा जाएगा।

(13) अधिनियम की धारा 34 (4) के प्रयोजनों के लिए, चैक पोस्ट या बैरियर का प्रभारी अधिकारी, घोषणाओं की सत्यता और पूर्णता से सन्तुष्ट होने के पश्चात् चैक पोस्ट और बैरियर की शासकीय मुद्रा सहित प्राप्ति की तारीख दर्शाते हुए उन पर हस्ताक्षर और मुद्रा अंकित करेगा, और माल के यान या जलयान के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को घोषणा की द्विप्रतिक वापिस देगा। घोषणा की मूल प्रति सम्बंधित व्यौहारी के कारबार के मुख्य स्थान के जिला के समुचित निर्धारण प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी या अरिजस्ट्रीकृत व्यौहारी की बाबत यथास्थिति, प्ररुप मू.प.क. 26–ई, या मू.प.क. 25–उ में आवरण कथन के अन्तर्गत अग्रेषित की जाएगी। निर्धारण प्राधिकारी, प्ररूप मू.प.क. 26–ई और मू.प.क. 26–उ के अधीन प्राप्त हुए घोषणा प्ररूपों की वशिष्टियों की प्ररूप मू.प.क.–26–ऊ में व्यौहारीवार तैयार किए गए रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा।

(14) यदि कर का संदाय करने के लिए दायी कोई व्यौहारी, कारबार के प्रयोजन हेतु रखे गए माल का राज्य के बाहर से रेल सेवा, वायु सेवा, डाकखाना या

कोरियर द्वारा आयात करता है, वह या उसका एजेंट (अभिकर्ता) प्ररूप मू.प.क. 26–अ में निकटतम चैकपोस्ट या बैरियर, यदि कोई है, या समुचित निर्धारण प्राधिकारी या सर्कल के आबकारी एवं कराधान निरीक्षक को बीजक, परिदान टिप्पण, रेलवे रसीद या इस प्रकार के किसी दस्तावेज के अनुसार घोषणा करेगा :

परन्तु यह कि ऐसे माल की बाबत जो आयुक्त अधिसूचित कर सकेगा, प्ररूप मू.प.क.–26–अ में घोषणा अग्रिम में केवल समुचित निर्धारण प्राधिकारी या आबकारी एवं कराधान निरीक्षक को दी जाएगी।

(15) चैक पोस्ट/बैरियर का प्रभारी अधिकारी सुसंगत सूचना को कम्प्यूटर में दाखिल करेगा और क्रमानुसार संख्याकित कम्प्यूटरीकृत मुद्रित प्ररूप मू.प.क. –26–अ को द्विप्रति में जेनरेट करेगा। प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर प्रिंट आउट जारी करने के लिए, सेवा प्रभार के रूप में आयुक्त द्वारा समय–समय पर प्ररूप मू.प.क. –(वैट) 26–अ को नियत ऐसी रकम, माल के मालिक या भारसाधक व्यक्ति से प्रभारित करेगा।

(16) चैक पोस्ट/ बैरियर का प्रभारी अधिकारी प्ररूप मू.प.क. 26–अ में कम्प्यूटर जेनेरेटिड घोषणा की मूलपर्ण अपने पास रखेगा और सम्यक रूप से स्टांपित और हस्ताक्षरित को, माल के मालिक या भारसाधक व्यक्ति को वापस करेगा।

(17) आयुक्त, किसी व्यौहारी को खाली प्ररूप जारी करने उनके उपयोग, उपयोग के पश्चात समर्पण और उसके द्वारा उपयोग न किए गए प्ररूपों का अभ्यर्पण और उससे सम्बन्धित अभिलेख के रख–रखाव के लिए समय–समय पर विस्तृत निदेश जारी कर सकेगा।

62. निरुध किए गए माल की नीलामी.—धारा 34 की उप–धारा (8) या अधिनियम के अन्य उपबन्धों और इन नियमों के अधीन निरुध किए जाने के लिए आदिष्ट माल, परन्तु जो निर्मुक्त नहीं हुआ है, सार्वजनिक नीलामी में एतद्द्वारा निम्नलिखित उपबंधित प्रक्रिया अपनाकर बेचा जाएगा, अर्थात् :–

(i) माल के स्वामी का शास्ति के संदाय या अन्य देयों (कर सहित) के संदाय पर माल को पुनः अर्जित करने का प्रथम विकल्प होगा, जिसके लिए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला का आबकारी एवं कराधान प्रभारी अधिकारी या वह अधिकारी जो शास्ति या अन्य देय अधिरोपित करता है नोटिस जारी करके ऐसे व्यक्ति को बुला कर, ऐसे नोटिस की तारीख से 10 दिन के भीतर माल पुनः अर्जित करने

को कहेगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा (असफल रहने पर) ऐसा न करने पर माल को सार्वजनिक नीलामी के लिए रखा जाएगा ;

(ii) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला का आबकारी एवं कराधान प्रभारी अधिकारी, शास्ति अधिरोपित करने वाले अधिकारी और माल के निरुध करने वाले अधिकारी को समाविष्ट करके समिति द्वारा नीलामी का संचालन किया जाएगा;

(iii) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त और जिला का आबकारी एवं कराधान प्रभारी अधिकारी या शास्ति अधिरोपित करने वाले या माल निरुध करने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात्, कि विधि की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् भी माल निर्मुक्त नहीं हुआ है या माल विनश्वर प्रकृति का है और तुरंत निपटान की आवश्यकता है, नीलामी का संचालन किया जाएगा ;

(iv) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला का आबकारी एवं कराधान प्रभारी अधिकारी निरुध किए गए माल को एक विशिष्ट तारीख को नीलामी के लिए रखने के लिए नियत करेंगे और ऐसी तारीख का इस नियम के खण्ड (v) के अधीन व्यापक प्रचार किया जाएगा ;

(v) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला का आबकारी एवं कराधान प्रभारी अधिकारी, अपने कार्यालय के सूचनापट्ट पर निरुध किए गए माल की सूची और जिनका कि विक्रय किया जाना है और नोटिस में नीलामी का स्थान, दिन और समय निर्दिष्ट करेगा। नीलामी द्वारा विक्रय का संचालन किए जाने से पूर्व पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा। ऐसे नोटिस की प्रति और माल की सूची एक या अधिक सार्वजनिक स्थानों, चैक पोस्ट या बैरियरों और सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के आबकारी एवं कराधान प्रभारी अधिकारी और चैक पोस्ट या बैरियरों के प्रभारी अधिकारी जहां माल निरुध किया गया था, पर प्रदर्शित की जाएगी। नीलामी की सूचना की एक प्रति माल के स्वामी को भी भेजी जाएगी ;

(vi) नीलामी के प्रारम्भ से पूर्व, बोली देने के लिए आशयित बोलीदाता को माल के प्राक्कलित मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर अग्रिम धन जमा करवाना होगा ;

(vii) नीलामी की कार्रवाइयां लिखित में अभिलिखित की जाएगी ;

(viii) यदि नीलामी की रकम पचास हजार से अधिक हो जाती है, तो अन्तिम बोली, परिक्षेत्र (जोन) के प्रभारी उप–आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा अनुमोदित की जाएगी ;

(ix) नीलाम क्रेता, विक्रय के तुरंत पश्चात्, माल के विक्रय मूल्य का नकद संदाय करेगा और उसे माल के किसी भाग को ले जाने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उसका पूर्ण संदाय नही कर देता और खण्ड (viii) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विक्रय की पुष्टि नहीं हो जाती। जहां क्रेता बोली की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, माल का तत्क्षण नीलामी द्वारा पुनः विक्रय किया जाएगा और व्यतिक्रमी क्रेता द्वारा जमा की गई अग्रिम राशी सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई अग्रिम राशी बोली की समाप्ति के तुरंत पश्चात् उन्हें लौटा दी जाएगी; और

(x) उक्त कथित प्रक्रिया के अधीन रकम प्राप्त करने के पश्चात् माल का परिदान उचित पावती के अधीन किया जाएगा।

अध्याय–9

अपेक्षित निर्धारण, विवरणियों की छानबीन, निर्धारण, पुनः निर्धारण और गलतियों इत्यादि की परिशुद्धि

64. अपेक्षित निर्धारण की प्रक्रिया.—(1) धारा 16 के अधीन व्यौहारी द्वारा दाखिल की गई विवरणियां, उसमें विहित रीति में सम्यक रूप से अभिस्वीकृत की जाएगी, और जहां वित्तीय वर्ष से सम्बंधित समस्त विवरणियां दाखिल कर दी गई हैं और विशिष्टियां सारवान रूप से सम्पूर्ण हैं, तो व्यौहारी, उप–नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, उस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह कि जहां विवरणियां, विशिष्टतः सारवान रूप में पूर्ण नहीं हैं, व्यौहारी को नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर उसे पूर्ण करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा।

(2) धारा 16 की उप–धारा (1) के प्रयोजनों के लिए कोई विवरणी–

(i) सही मानी जाएगी, यदि इसका पाठ, व्यौहारी द्वारा अनुरक्षित लेखाओं के अनुरूप हो और लेखा पाठ में कोई प्रतिकूल सूचना आगामी वितीय वर्ष के 30 नवम्बर तक उपलब्ध न हो ; और

(ii) विशिष्टतः सारवान रूप में सम्पूर्ण मानी जाएगी यदि दी जाने वाली अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना इसमें अन्तर्विष्ट है, अंकगणितीय रूप से सही है और वैधानिक (कानूनी) या विहित सूचियों, दस्तावेजों और विवरणियों के अनुसार देय कर की सम्पूर्ण राशि के संदाय का साक्ष्य और व्यौहारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित है संलग्न हों :

परन्तु यह कि कोई विवरणी सही और पूर्ण नहीं मानी जाएगी यदि यह वैधानिक (कानूनी) या विहित सूचियों, दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों या घोषणाओं से संलग्न नहीं है या इनमें से कोई गलत है या समस्त विहित विशिष्टियां उपवर्णित नहीं है या हस्ताक्षरित नहीं है या अनुचित प्रकार से हस्ताक्षरित है और यदि कोई सूची दस्तावेज, प्रमाणपत्र या घोषणा जो हस्ताक्षरित नहीं है या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, इसे सूची या दस्तावेज, प्रमाणपत्र या घोषणा के रूप में नहीं माना जाएगा और संलग्न विवरणी को गलत और अधूरा भी माना जाएगा।

65. विवरणियों की अभिस्वीकृति को निर्धारण आदेश समझा जाना.—नियम 66 के उप–नियम (1) के अधीन संवीक्षा के लिए चयनित मामलों के सिवाए, समस्त अन्य मामले नियम 64 के उप–नियम (1) के अधीन कर के निर्धारण के लिए समझे जाएंगे और ऐसे मामलों की बाबत वार्षिक विवरणी की अभिस्वीकृति निर्धारण आदेश की प्रति समझी जाएगी :

परन्तु नियम 64 के उप–नियम (1) के परन्तुक के अधीन आने वाले मामलों की बाबत, समुचित निर्धारण प्राधिकारी उसको अपेक्षित दस्तावेज देने के पश्चात् और/या गणित सम्बन्धी भूल, यदि कोई है, सही कर दी गई है और देय कर, यदि कोई है, उसके परिणामस्वरूप संदत्त कर दिया गया है, आदेश पारित कर विशिष्ट सामग्री में सुसंगत विवरणी की पूर्णता के बारे में उसका समाधान अभिलिखित कर दिया है और ऐसे आदेश की प्रति का सम्बन्धित व्यौहारी को प्रतिदाय कर दिया है और तदुपरि नियम 64 के उपबन्ध तदानुसार लागू होंगे।

66. संवीक्षा के लिए मामलों का चयन.—नियम 64 के उप–नियम (1) के अधीन मामलों में से निम्नलिखित प्रवर्ग के मामले संवीक्षा के लिए लिए जाएंगे:–

(i) जिनका वर्ष में सकल आवर्त एक सौ लाख से अधिक है ;

(ii) जिनका वर्ष में आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रैडिट) का दावा चार लाख रुपए से अधिक है ;

(iii) जिनका वर्ष में प्रतिदाय का दावा पच्चास हजार रुपए से अधिक है;

(iv) जिनका वर्ष में अन्तर्राज्ययिक व्यापार और वाणिज्य या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र में माल के आयात के अनुक्रम में एक लाख रुपए से अधिक की बिक्री का दावा किया है ;

(v) औद्योगिक इकाईयों के मामलों में, जिन्होंने धारा–62 की उपधारा (5) के अधीन कोई रियायत प्राप्त कर रहे हैं ;

(vi) पिछले वर्ष की तुलना में कर के सकल आवर्त या संदाय में कमी आई कमी ;

(vii) विक्रय, क्रय के दावे या संव्यवहार का अन्य पक्ष के लेखों से माल का अन्तरण शाखा/परेषण से मेल नहीं कर रहा है;

(viii) अपवाद मामले जिसमें क्रय और विक्रय या आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) और उत्पाद कर (आउटपुट टैक्स) के बीच या स्टाक और विक्रय के बीच अनुपात, व्यापार या उद्योग में साधारण प्रवृत्ति का उपाय है ।

(ix) कर के अपवंचन के बारे परिनिश्चित आसूचना पर आधारित मामले ;

(x) आयुक्त द्वारा यदा–कदा चयनित मामले ;

(xi) किसी विशिष्ट व्यापार या व्यापारों के मामले जिन्हें आयुक्त चयनित करे; और

(xii) मामले जिनमें व्यौहारी सारवान विशिष्टियों में विवरणी (यां) को पूर्ण करने में असफल रहता है या उन्हें नोटिस की तारीख से 15 दिनों की

अधिकतम अवधि के भीतर ऐसा करने के दिए गए अवसर के पश्चात् सही करने में असफल रहता है ।

67. निर्धारण का नोटिस.—(1) समुचित निर्धारण प्राधिकारी, नियम–66 के अधीन संवीक्षा के लिए चयनित प्रत्येक मामले में, प्रत्येक मामला जिसमें विवरणी सही और पूर्ण नहीं है और अन्य मामलों में, जहां समुचित निर्धारण प्राधिकारी को, व्यौहारी की बाबत धारा 21 या 22 के अधीन निर्धारण करना आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह उसे प्ररूप भू.प.क.–29 में नोटिस तामिल करेगा :–

(क) अवधि या विवरणी की अवधि या अवधियां जिनकी बाबत निर्धारण प्रस्तावित है, का कथन करना ; और

(ख) उसके लेखों और अन्य दस्तावेजों की उसकी बहियों को प्रस्तुत करने हेतु बुलाना, जिन्हें ऐसा प्राधिकारी परीक्षण करने की इच्छा रखता हो, किसी आक्षेप सहित जिसे व्यौहारी प्रस्तुत करने की इच्छा और किसी साक्ष्य को जिसे वह उसके समर्थन में प्रस्तुत करने की इच्छा रखता हो, और वह साधरतणतया नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् ऐसे लेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए, 10 दिन से अन्यून की तारीख नियत करेगा और किसी आक्षेप पर विचार करेगा जो व्यौहारी ने प्रस्तुत किए हैं ।

(2) उप–नियम (1) के अधीन निर्धारण, नोटिस की तामील के पश्चात्, तीन मास के भीतर पूर्ण किया जाएगा ।

68. व्यौहारी के आक्षेप और साक्ष्य को अभिलिखित करना.—(1) कोई व्यौहारी जिसे नियम 67 के अधीन नोटिस की तामिल की गई है, तो वह व्यक्तिगत रूप में या अभिकर्ता के माध्यम से लिखित में आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा । ऐसे किसी आक्षेप की बाबत कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

(2) समुचित निर्धारण प्राधिकारी, उप–नियम (1) के अधीन किए गए आक्षेपों की बाबत ऐसी जांच करेगा, जैसी वह उचित समझे और उस पर निष्कर्ष अभिलिखित करेगा । वह एक निरीक्षक की भी प्रतिनियुक्त करेगा जिसे इस निमित व्यौहारी के आक्षेप अभिलिखित करेंगे के लिए प्राधिकृत किया गया है और उसके समर्थन में लाए गए किसी साक्ष्य को अभिलिखित करेगा ।

(3) समुचित निर्धारण प्राधिकारी, निर्धारण के प्रयोजन के लिए, या व्यौहारी द्वारा किए गए कारबार की नवीनतम स्थिति को अभिनिश्चित करने के लिए व्यौहारी

जिसका निर्धारण के अधीन अवधि के लिए सकल आवर्त पांच सौ लाख रूपए से अधिक है, के किन्हीं या समस्त स्थान (नों) का निरीक्षण करेगा, और वह ऐसे अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की सहायता से, जैसे वह आवश्यक समझे, समस्त कारबार क्रियाकलापों, प्रक्रिया लेखों, अभिलेखों, दस्तावेजों और निर्धारण कार्यवाहियों से सुसंगत अन्य बातों का निरीक्षण तथा परीक्षण कर सकेगा और यहां ऐसा निरीक्षण किया गया है, उसका दिन प्रतिदिन का अभिलेख रखेगा ।

69. कर का निर्धारण और शास्ति का अधिरोपण.—(1) व्यौहारी द्वारा किए गए किसी आक्षेप, उसके समर्थन में प्रस्तुत किए गए किसी साक्ष्य, नियम–67 के अधीन की गई जांच के परिणाम पर विचार करने के पश्चात् ,समुचित निर्धारण प्राधिकारी व्यौहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् कर की रकम का निर्धारण करेगा और शास्ति, यदि कोई है, अधिरोपित करेगा, जो व्यौहारी द्वारा नियम 67 के उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त की जाएगी ।

(2) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, संकर्म संविदा की दशा में, अधिनियम की धारा 2 के अधीन खण्ड (य घ) के अधीन व्यौहारी के "आवर्त" में सम्मिलित श्रम प्रभारों के लेखे में किसी राशि से अन्यथा श्रम प्रभारों के लिए समस्त राशि की कटौती करने के पश्चात् संकर्म ठेकेदार के "कराधेय आवर्त" पर कर का निर्धारण किया जाएगा जोकि प्रत्यक्षतः माल, सम्पत्ति जिसे संकर्म संविदा के निष्पादन में, चाहे माले के रूप में या किसी अन्य रूप में पारित किया गया है, से सम्बन्धित है :

परन्तु यह कि जहां श्रम प्रभार संकर्म ठेकदारों लेखों से अवधार्य नहीं है या संविदा की प्रकृति पर विचार करने पर अयुक्तियुक्त अत्यधिक मानी जा रही है, तो श्रम प्रभारों के लिए कटौती निर्धारण प्राधिकारी द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 2 मे विनिर्दिष्ट संविदा के प्रकार के लिए स्तम्भ (3) में विहित सीमा के अनुसार अनुज्ञात की जाएगी, अर्थातः–

सारणी

क्रम संख्या	संविदा का प्रकार	संविदा के मूल्य की प्रतिशतता पर श्रम प्रभार
1	2	3
1	संयन्त्र और मशीनरी को बनाना और लगाना	25
2	लोहे और स्टील के अवसंरचना कार्यों का बनाना और सृजन सहित लोहे द्रवसिज, परलाइन्ज इत्यादि का बनाना, आपूर्ति और परिनिर्माण	15

1	2	3
3	क्रेनन्ज और ज्वांएटस का बनाना और लगाना	15
4	ऐल्विेटर(लिफ्टस) ओर एस्केलेटर का बनाना और लगाना	15
5	रोलिंग शटर ओर कलैप्सेवल गेट्ज का बनाना और लगाना	15
6	सिविल संकर्म जैसे भवन, पुल, सड़कों/बांध, वैरेजिज, नहरों तथा डाइवर्जन का निर्माण ।	25
7	दरवाजों,दरवाजे के फ्रेम्ज, खिड़कियों के फ्रेम्ज और ग्रिल्ज का लगाना	20
8	टाईल, स्लैब्ज, पत्थरों और शीट्स की आपूर्ति करना और लगाना	20
9	डीप फ्रीजरज, कोल्ड स्टोरेज प्लॉट और डी–हुमीडोर सहित वातानुकूलन उपकरणों की आपूर्ति करना और लगाना	15
10	एयर कन्डीशनरज और एयर कूलरज की आपूर्ति करना और लगाना	15
11	विद्युत माल की आपूर्ति और फिटिंग करना, ट्रान्सफोरमरज सहित विद्युत उपकरणों की आपूर्ति करना और लगाना	15
12	फर्नीचर और फिक्सचरज की आपूर्ति करना और लगाना (फिक्सिंग) और भीतरी सज्जा और अभासी सिलिंग के लिए संविदा सहित पार्टिसन्ज	20
13	कैरिज पर रेलवे द्वारा आपूर्ति किए गए रेलवे केविन्ज और बैगन का निर्माण	20
14	मोटर यानों की बॉडिज का निर्माण या मौंटिंग और ट्रेलरज का निर्माण	20
15	पल्मविंग और ड्रेनेज या सिवेरज के लिए सनेटिरी फिटिंग	25
16	पाइपलाइन्ज, केवन्ज या कन्डक्टरज की भूमिगत या सतह पर लाइन बिछाना	30
17	टैक्सटाइल की ड्रांईग और प्रिंटिंग	30
18	माप मशीनों और माप पूलों की आपूर्ति और परिनिर्माण	15
19	पेन्टिग, पॉलिशिंग और वाइट बाशिंग	30
20	समस्त अन्य संविदाएं जो उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 19 में विनिर्दिष्ट नहीं है	25

परन्तु यह और कि निर्धारण प्राधिकारी श्रम प्रभारों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कटौती अनुज्ञात नहीं करेगा, जब तक कि संकर्म ठेकेदार इसके दावे को

विनिर्दिष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं करता है और जब तक कि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, प्रत्येक मामले में ऐसा दावा उचित और न्यायसंगत नहीं पाया जाता है ।

(3) निर्धारण का प्रत्येक आदेश लिखित में अभिलिखित किया जाएगा और जहां निर्धारण प्राधिकारी व्यौहारी की आवर्त में अवधारित अंक, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी में दिखाए अंको से भिन्न अभिनिर्धारित करता है, तो इसके लिए आदेश में कारणों को संक्षिप्त रूप में अभिकथित करेगा, परन्तु कारणों को अभिकथित करने में असफल रहने पर निर्धारण आदेश की विधि मान्यता प्रभावित नहीं होगी ।

(4) समुचित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित प्रत्येक निर्धारण आदेश व्यौहारी को संसूचित किया जाएगा और कर मांग नोटिस, यदि कोई हो, सहित उस निर्धारण आदेश की अनुप्रमाणित प्रति का उसे मुफ्त में प्रदाय किया जाएगा ।

70. कर मांग नोटिस.—(1) यदि नियम 69 के अधीन व्यौहारी द्वारा कोई रकम संदेय है, तो समुचित निर्धारण प्राधिकारी उसको प्ररूप मू.प.क.–30 में, तारीख को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस की तामील करेगा, जो कि नोटिस की तामील की तारीख से 15 दिन से कम और 30 दिन से अधिक नहीं होगी, जिसको या जिससे पूर्व ऐसा संदाय किया जाना है और वह ऐसी तारीख को या इससे पूर्व ऐसी तारीख नियत करेगा जिसे व्यौहारी ऐसे संदाय के साक्ष्य में प्राप्त किए गए चलान को प्रस्तुत करेगा ।

(2) जब चालान प्रस्तुत किया जाएगा, तो समुचित निर्धारण प्राधिकारी व्यौहारी की व्यक्तिक नस्ति में और प्ररूप मू.प.क.–17 में मांग और संग्रहण रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टी करेगा ।

71. मामले संस्थित और निर्धारण करने का रजिस्टर.—प्रत्येक निर्धारण प्राधिकारी प्ररूप मू.प.क. 31 में पेशी रजिस्टर और प्ररूप मू.प.क.–32 में निर्धारण रजिस्टर अनुरक्षित करेगा, जिसमें वह क्रमशः प्रत्येक संस्थित मामले और प्रत्येक निर्धारित मामले के व्यौरों की प्रविष्टि करेगा ।

72. कर का पुनर्निर्धारण और लिपिकीय या गणितीय या अन्य भूलों की परिशुद्धि.—(1) समुचित निर्धारण प्राधिकारी अधिनियम की धारा 23 (1) में विनिर्दिष्ट व्यौहारी को प्ररूप मू.प.क.–33 में नोटिस भेजेगा और उसको सुनने के पश्चात् और ऐसी जांच करके जैसी वह आवश्यक समझे, आवर्त पर संदेय कर को पुनर्निर्धारण करने की कार्यवाही कर सकेगा जो निर्धारण या बचे हुए निर्धारण के अन्तर्गत है

और शास्ति को अधिरोपित करने की कार्रवाई भी करेगा तथा अधिनियम के अधीन ब्याज वसूल करेगा ।

(2) निर्धारण प्राधिकारी, धारा 23 की उप–धारा (2) के अधीन या किसी अपीली प्राधिकारी या अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी या आयुक्त द्वारा, पारित किसी आदेश के अभिलेख से प्रकट किसी लिपिकीय या गणितीय भूल की परिशुद्धि कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी कोई परिशुद्धि जो कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य दायित्व की वृद्धि को प्रभावित करती है, नहीं की जाएगी, जब तक कि सम्बन्धित प्राधिकारी ने, सम्बन्धित व्यौहारी को, ऐसा करने का अपने आशय का नोटिस प्ररूप मू.प.क.–33 में नहीं दिया हो और उसको सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर अनुज्ञात न किया हो :

परन्तु यह और भी कि आयुक्त उसी रीति में, अधिनियम की धारा 47 के अधीन, अभिलेख में दृश्य किसी भूल की परिशुद्धि करेगा।

(3) किसी अतिरिक्त मांग के सृजन या परिशुद्धि के परिणाम–स्वरूप देय किसी प्रतिदाय को अधिनियम और इन नियमों के अधीन वसूलियों और प्रतिदाय के लिए उपबन्धित रीति में, यथास्थिति वसूल या अनुज्ञात किया जाएगा ।

73. निर्धारण प्राधिकारियों की अधिकारिता.—(1) जिला के प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या आबकारी एवं कराधान अधिकारी और अन्य आबकारी एवं कराधान अधिकारी, क्षेत्र के उप–आबकारी एवं कराधान आयुक्त के सम्पूर्ण नियन्त्रण के अध्यधीन, उनकी अपनी–अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर समस्त व्यौहारियों के सम्बन्ध में निर्धारण प्राधिकारी की शक्तियां प्रयोग करेंगे ।

(2) जिला के प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या आबकारी एवं कराधान अधिकारी इस निमित्त उसको किए गए आवेदन पर, आदेश द्वारा कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, उसके जिला में कार्यरत आबकारी एवं कराधान अधिकारी की नस्ति से किसी मामले को अपनी नस्ति में और विपर्ययेन अन्तरित कर सकेगा ।

(3) क्षेत्र का उप–आबकारी एवं कराधान आयुक्त स्वप्रेरणा से या इस निमित्त उसको किए गए आवेदन पर, लिखित में आदेश द्वारा उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर किसी मामले को एक निर्धारण प्राधिकारी से उसी जिला के अन्य निर्धारण प्राधिकारी को अन्तरित कर सकेगा:

परन्तु यह कि जहां ऐसे अन्तरण के लिए उप–नियम (1) के अधीन आवेदन किया गया है तब तक इस उप–नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं किया जाएगा जब तक कि उप–नियम (1) के अधीन किया गया पूर्ण आवेदन नामंजूर नहीं कर दिया जाता है ।

अध्याय–10

प्रतिदायों के लिए प्रक्रिया

74. प्रतिदाय के लिए आवेदन.—धारा 28 के अधीन अनुज्ञेय किसी रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन समुचित निर्धारण प्राधिकारी को किया जाएगा और आधारों (कारणों) से अन्तर्विष्ट होगा जिस पर प्रतिदाय का दावा किया गया है ।

75. प्रतिदाय की रकम का अवधारण और स्वीकृति.—(1) जब निर्धारण प्राधिकारी का लेखों की ऐसी संवीक्षा के पश्चात् समाधान हो जाता है और ऐसी जांचों जैसी वह आवश्यक समझे कि प्रतिदाय के लिए दावा अनुज्ञेय है, तो वह देय प्रतिदाय की रकम अवधारित करेगा और, यदि प्रतिदाय की जाने वाली रकम :

(i) दस हजार रूपए से अधिक नहीं है, तो स्वीकृत प्रतिदाय के आदेश अभिलिखित करेगा ;

(ii) दस हजार रूपए से अधिक किन्तु पच्चीस हजार रूपए से अधिक नहीं है, तो अपनी सिफारिशों सहित मामले का अभिलेख, आदेश के लिए, यथास्थिति सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को, प्रस्तुत करेगा ;

(iii) पच्चीस हजार रूपए से अधिक किन्तु पच्चास हजार रूपए से अधिक नहीं है तो अपनी सिफारिशों सहित मामले का अभिलेख सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी के माध्यम से, आदेश के लिए, यथास्थिति उप–आबकारी एवं कराधान आयुक्त या परिक्षेत्र के प्रभारी अन्य अधिकारी (उड़न दस्ते के सिवाए) को, प्रस्तुत किया जाएगा; और

(iv) पच्चास हजार रूपए से अधिक है, तो अपनी सिफारिशों सहित मामले का अभिलेख सम्बन्धित जिला और परिक्षेत्र के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से, आदेश के लिए, आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा ; और

निर्धारण प्राधिकारी खण्ड (ii), (iii) और (iv) में वर्णित स्वीकृत प्रतिदाय अपने–अपने खण्ड में केवल विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा किए गए आदेशों के अनुसार आदेश अभिलिखित करेगा ।

(2) जब किसी रकम के प्रतिदाय के लिए आदेश किया जाता है, तो जिला का प्रभारी अधिकारी–

(i) यदि व्यौहारी, ऐसी रकम जो व्यौहारी या अन्य व्यक्ति से देय किसी रकम की वसूली समायोजित करने के पश्चात् अतिशेष के लिए नकद में संदाय करने की इच्छा रखता हो प्ररूप मू.प.क.–34 में उसको प्रतिदाय संदाय आदेश जारी करेगा ;

(ii) यदि व्यौहारी, उसके द्वारा तत्पश्चात् संदेय किसी रकम के विरुद्ध समायोजन द्वारा संदाय की इच्छा रखता हो, तो जिला का प्रभारी अधिकारी या समूचित निर्धारण प्राधिकारी प्ररूप मू.प.क.–35 में, व्यौहारी को प्राधिकृत करते हुए, प्रतिदाय समायोजन आदेश जारी करेगा कि उस अवधि में, जिसके लिए विवरणी, ऐसे प्रतिदाय समायोजन आदेश के जारी करने के तत्पश्चात्, दाखिल की गई है या उसके द्वारा तत्पश्चात् संदाय किए जाने के लिए अवधारित किसी रकम से, उसके द्वारा संदेय रकम से प्रतिदाय की जाने वाली रकम की कटौती की जाएगी । समायोजन को अनुज्ञात करने के पश्चात्, यथास्थिति, जिला का प्रभारी अधिकारी या निर्धारण प्राधिकारी प्रतिदाय समायोजन आदेश को रद्द कर देगा ।

(3) जहां प्रतिदाय संदाय आदेश या प्रतिदाय समायोजन आदेश जारी है, ऐसे आदेश को जारी करने वाला प्राधिकारी उसमें विनिर्दिष्ट ऐसे प्रतिदाय पर धारा 19 के अधीन संदेय ब्याज, यदि कोई है, की स्वीकृति का आदेश साथ–साथ अभिलिखित करेगा, प्रतिदाय की रकम जिसका संदाय विलम्बित था, विलम्ब की अवधि जिसके लिए ऐसा ब्याज संदेय है और रकम राज्य सरकार द्वारा संदेय ब्याज की रकम और समरूप उस व्यौहारी को जिसको ब्याज संदेय है, संसूचित करेगा और आयुक्त को भी प्रतिदाय को अनुज्ञात करने में विलम्ब के लिए कारणों का संक्षिप्त में कथन करेगा । जहां इस नियम के अधीन विलम्बित प्रतिदाय पर ब्याज के संदाय के लिए आदेश किए गए हैं, तो मन्जूरी प्राधिकारी व्यौहारी को व्याज संदाय करने के आदेश जारी करेगा ।

76. समायोजन का दावा.—व्यौहारी, नियम 75 के अनुसार कटौती के लिए दावे के समर्थन में, उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आगामी विवरणी में प्रतिदाय समायोजन आदेश संलग्न करेगा ।

अध्याय–11

अपील और पुनरीक्षण

77. अपील प्रस्तुत करना या पुनरीक्षण के लिए आवेदन.—(1) धारा 45 के अधीन अपील का प्रत्येक ज्ञापन–

(क) (i) लिखित में होगा ; और

(ii) जब अपील धारा 45 (क) या (ख) के अधीन दाखिल की जाती है तो प्ररूप मू.प.क.–36 में होगी, और जब अपील धारा 45 (ग) में दाखिल की जाती है तो प्ररूप मू.प.क.–37 में होगी ;

(ख) यथा स्थिति, प्ररूप मू.प.क.–36 या प्ररूप मू.प.क.–37 में दी गई समस्त विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करना ;

(ग) अपील के संक्षिप्त किन्तु स्पष्टतया (साफ–साफ) उपवर्णित तथ्यों और आधारों के स्पष्ट विवरण अन्तर्विष्ट होंगे ;

(घ) संक्षेप में अनुतोष के लिए की गई प्रार्थना (अभियाचना) का कथन ;

(ङ) के साथ निम्नलिखित संलग्न करेगा––

(i) मूल आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है या उसकी अनुप्रमाणित प्रति जब तक कि ऐसा करने के लिए लोप या ऐसे आदेश को या प्रति प्रस्तुत करने में अपील प्राधिकारी के समाधान के लिए अपील के ज्ञापन को प्रस्तुत करने के समय पर स्पष्ट किया गया हो ; और

(ii) कर (संदेय ब्याज सहित) या शास्ति या दोनों के संदाय का सबूत, जब तक कि इन रकमों का संदाय करने की असमर्थता साबित नहीं हो जाती है और जब तक ऐसे प्रभाव की लिखित प्रार्थना अपील के ज्ञापन सहित प्रस्तुत नहीं की जाती है ;

(च) अपीलार्थी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त, यथास्थिति, प्ररूप मू.प.क. –36 में या प्ररूप मू.प.क.–37 में उपबन्धित रीति में सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया गया हो ।

(2) धारा 46 की उप–धारा (3) के अधीन पुनरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप मू.प.क.–38 में होगा ।

(3) इस नियम के खण्ड (च) के उप–खण्ड (ii) के उपबन्धों के सिवाए उप–नियम (1) के उपबन्ध पुनरीक्षण के लिए आवेदन को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तन सहित भी लागू होंगे ।

(4) उप नियम (1) के अधीन अपील का ज्ञापन या उप–नियम (2) के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन यथास्थिति, या तो अपीलार्थी या आवेदक द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उक्त प्राधिकारी को भेजा जाएगा ।

(5) अपील का ज्ञापन या पुनरीक्षण हेतु आवेदन मूल आदेश जिसके विरुद्ध यह किया गया है, या इसकी सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी, जब तक कि ऐसे आदेश या प्रति को प्रस्तुत करने का लोप (उपेक्षा) अपील या पुनरीक्षण के आवेदन को प्रस्तुत करने के समय पर अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के समाधान हेतु प्रति में स्पष्ट न किया हो ।

78. संक्षेपतः अस्वीकृति.—(1) यदि पुनरीक्षण हेतु ज्ञापन या अपील या आवेदन में नियम–77 के अधीन अपेक्षित किन्हीं विशिष्टियों के कथन को छोड़ दिया है या आदेश, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण किया गया है, या उसकी सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित प्रति, इसके साथ नहीं लगायी गई है, तो अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन संक्षेपतः अस्वीकृत किए जाएंगे :

परन्तु यह कि इस उप–नियम के अधीन पुनरीक्षण हेतु कोई अपील या आवेदन संक्षेपतः अस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी या आवेदक को, यथास्थिति, अपील का ज्ञापन या पुनरीक्षण हेतु आवेदन को संशोधित करने का अवसर नहीं दिया गया हो ।

(2) अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन उप–नियम (1) में उन विनिर्दिष्ट से अन्यथा आधारों पर भी, जिन्हें अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी पर्याप्त समझे

संक्षेपतः अस्वीकृत किए जाएंगे और जिन्हें अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा लघुकृत करके लेखबद्ध किया जाएगाः

परन्तु यह कि किसी अपील या इस उप–नियम के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन को संक्षेपतः अस्वीकार करने के आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी या आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

79. अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदनों की सुनवाई और उनका निपटाया जाना.—(1) यदि अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी अपील या नियम 78 के अधीन पुनरीक्षण हेतु आवेदन को अस्वीकार नहीं करता है, तो यह अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन को ग्रहण करेगा और इसकी सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा ।

(2) अपीलीय प्राधिकारी, प्राधिकारी या अधिकारी को जिसके आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, अपील के ज्ञापन की प्रति भेजेगा उससे अपनी टिप्पणी सहित आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का अभिलेख भेजने के लिए कहेगा।

(3) अधिकरण, अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (3) के अधीन इसको किए गए आवेदन की प्रति को आयुक्त को भेजेगा, जिसके आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु आवदेन प्रस्तुत किया गया है और अपनी टिप्पणी सहित मामले का अभिलेख मंगवाएगा ।

(4) (i) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलार्थी और प्राधिकारी या अधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध धारा 45 के अधीन अपील प्रस्तुत की गई है, को सुनवाई का नोटिस देगा । ऐसा नोटिस व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा भेजा जाएगा ।

(ii) अधिकरण आवेदक को जिसने अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (3) के अधीन आवेदन किया है और प्राधिकारी या अधिकारी जिसके आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, को सुनवाई का नोटिस देगा । ऐसा नोटिस व्यक्तिगत् रूप से परिदत्त किया जाएगा या डाक द्वारा भेजा जा सकेगा ।

(5) अपीलीय प्राधिकारी, उप–नियम (2) के अधीन प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणी पर विचार करने के पश्चात्, या यदि प्राधिकारी या अधिकारी अपने किसी अधीनस्थ के माध्यम से या राज्य सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से इस प्रकार की इच्छा रखने वाले और अपीलार्थी को या तो

वैयक्तिक रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी अपील का विनिश्चय करेगा ।

(6) अपीलीय प्राधिकारी, उप–नियम (5) के अधीन अपील का विनिश्चय करने से पूर्व, स्वंय ऐसी और जांच धारित करेगा या इसे प्राधिकारी या अधिकारी, जिनके विनिश्चय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, को इसे धारित करने के निदेश देगा या इस प्रयोजन के लिए इसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो उक्त अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी को आवश्यक प्रतीत होते हों, निदेश देगा ।

(7) अधिकरण, अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (3) के अधीन पुनरीक्षण हेतु ऐसे आवेदन पर किसी अभ्यावेदन जो आयुक्त की ओर से उसके अधीनस्थ के माध्यम से या राज्य सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, पर विचार करने के पश्चात् और आवेदक को या तो व्यक्तिगत् रूप में या सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, विनिश्चय करेगा ।

(8) उपरोक्त अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से किसी अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन की सुनवाई को, उसी दिन किसी अन्य समय को या किसी अन्य दिन को, किसी भी अवस्था में स्थगित कर सकेगा ।

(9) यदि सुनवाई के लिए नियत–तारीख तथा समय पर या किसी अन्य तारीख और समय जिसको सुनवाई स्थगित की गई है, अपीलार्थी या आवेदक उक्त प्राधिकारी के समक्ष या तो व्यक्तिगत् रूप में या अभिकर्ता के माध्यम से पेश नहीं होता है, तो उक्त प्राधिकारी, जैसा वह उचित समझे, यथास्थिति, अपील या पुनरीक्षण को खारिज कर सकेगा या इसका विनिश्चय एक पक्षीय कर सकेगा :

परन्तु यह कि यदि वह तारीख जिसको इस उप–नियम के अधीन, अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन खारिज या एकपक्षीय निर्णीत हुआ था, से तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, अपीलार्थी या आवेदक अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश को अपरस्त करने के लिए आवेदन करेगा और उक्त अधिकारी का समाधान हो जाता है कि सुनवाई की तारीख की सूचना उसको सम्यक रूप से तामील नहीं की गई थी या उसे पर्याप्त कारणो सें निवारित किया गया था जब, यथास्थिति, अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन सुनवाई के लिए पुकार हुई थी, तो उक्त प्राधिकारी ऐसे निबन्धनों पर जैसे वह उचित समझे खारिज या एकपक्षीय विनिश्चिय को अपरस्त करने के आदेश करेगा, और अपील या पुनरीक्षण के आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा ।

(10) अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी अपीलार्थी या पुनरीक्षण हेतु आवेदक को गैर–हाजिर होने या आदेशों का अनुपालन न करने के लिए खर्च भी अधिरोपित कर सकेगा ।

(11) अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदनों या क्रमशः प्ररूप मू.प.क.–39 और मू.प.क.–29–अ में स्वः प्रेरणा से पुनरीक्षण के लिए एक संस्थित रजिस्टर और निष्पादन रजिस्टर अनुरक्षित करेगा ।

(12) धारा 3 की उप–धारा (4) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन आयुक्त आवेदन पर तथा कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अपील को एक उप–आबकारी एवं कराधान आयुक्त से अन्य को अन्तरित कर सकेगा ।

80. आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण.—(1) जब आयुक्त धारा 46 की उप–धारा (1) के अधीन आदेश पारित करने का प्रस्ताव, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो वह ऐसे व्यक्ति या व्यौहारी को प्ररूप मू.प.क.–40 में नोटिस जारी करेगा और, यथास्थिति, निर्धारण प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी जिसके समक्ष उस धारा में निर्दिष्ट कार्यवाहियां लम्बित हैं या जिसके द्वारा उन्हें निपटाया जाना है या जिसके द्वारा उनमें आदेश किए जाने हैं । ऐसा नोटिस व्यक्तिगत् रूप में परिदत्त किया जाएगा या डाक द्वारा भेजा जाएगा ।

(2) आयुक्त अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (1) के अधीन, कोई अभ्यावेदन जो इस नियम के उप–नियम (1) के अधीन या तो व्यक्तिगत् रूप में या इसके किसी अधीनस्थ द्वारा या अधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाहियॉ लम्बित हैं या जिसके द्वारा इनका निपटारा किया गया हो या जिसके द्वारा इनमें कोई आदेश किया गया है, और व्यक्ति या व्यौहारी को या तो व्यक्तिगत रूप में या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, विचार करने के पश्चात् आदेश पारित करेगा ।

(3) नियम 79 के उप–नियम (7), (8) और (9) के उपबन्ध अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

81. आदेश और अपील या पुनरीक्षण का संसूचित किया जाना.—(1) अपील प्राधिकारी द्वारा नियम 78 के अधीन अपील के अन्तिम रूप से निपटान के प्रत्येक आदेश की प्रति या अपील को संक्षेपतः नामन्जूर करने के आदेश, यथास्थिति, अपीलार्थी और निर्धारण प्राधिकारी या सम्बन्धित अधिकारी को भेजे जाएंगे।

(2) अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (3) के अधीन पुनरीक्षण हेतु आवेदन को अन्तिम रूप से पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, आवेदक और निर्धारण प्राधिकारी या सम्बन्धित अधिकारी को भेजेगा ।

(3) अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा पारित प्रत्येक अन्तिम आदेश की एक प्रति, व्यक्ति को या व्यौहारी जिसके मामले में वही पारित किया गया है, और, यथास्थिति, निर्धारण प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या सम्बन्धित अधिकारी को भेजी जाएगी ।

(4) आदेश की प्रति उप–नियम (1), (2) या (3) के अधीन व्यक्तिगत् रूप में परिदत्त कर या डाक द्वारा भेज कर संसूचित की जाएगी ।

82. अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश का निष्पादन.—(1) यद्यपि धारा 45 के अधीन अपील में पारित आदेश आगे की कार्यवाहियों की विषय–वस्तु है जो निर्धारण प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के किसी आदेश के वर्जन या उपांतरित करने को प्रभावित करता है । ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी आदेश को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही करेगा, और निर्धारण प्राधिकारी या अन्य अधिकारी अतिरिक्त संदत्त रकम, को यथास्थिति, वसूल या प्रतिदाय या समायोजित करेगा । अतिरिक्त रकम का नियम 74 में यथा अधिकथित रीति में प्रतिदाय किया जाएगा ।

(2) उप–नियम (1) के उपबन्ध धारा 46 के अधीन पारित पुनरीक्षण आदेश को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

अध्याय–12

समनों का जारी करना, नोटिस की तामील, व्यौहारियों द्वारा अभिलेख का निरीक्षण और फीस इत्यादि

83. समनों को जारी करना.—निर्धारण, अपील और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा, किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए या उसके द्वारा दस्तावेज या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जारी किए जाने वाले समन प्ररूप मू.प.क. 41 में, जारी होंगे ।

84. नोटिस की तामील.— (1) अधिनियम या इन नियमों के अधीन नोटिस निम्नलिखित में से किसी एक रीति द्वारा तामील किए जाएंगे:–

(क) प्रेषिती को या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अभिकर्ता को या उसके द्वारा, कारबार के सम्बन्ध में जिसकी बाबत वह व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, नियमित नियोजित व्यक्ति को, या व्यौहारी के साथ निवास कर रहे उसके परिवार के किसी व्यस्क पुरुष सदस्य को नोटिस की प्रति को दस्ती परिदान करके ।

(ख) डाक द्वारा, परन्तु यह कि यदि उपरोक्त उक्त रीतियों में से किसी द्वारा किसी ऐसे नोटिस की तामील करने का प्रयास किया गया है, तो सम्बन्धित प्राधिकारी के पास विश्वास करने के युक्ति–युक्त आधार हैं कि प्रेषिती नोटिस की तामील से बच रहा है या किसी अन्य कारण से जो ऐसे प्राधिकारी की राय में पर्याप्त हैं कि नोटिस उपरोक्त वर्णित किन्हीं रीतियों द्वारा तामील नहीं की जा सकती है तो उक्त प्राधिकारी इसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् नोटिस को कारित करने के लिए उसकी प्रति को चिपका कर तामील की जाएगी–

(i) यदि प्रेषिती व्यौहारी है, तो व्यौहारी के कार्यालय या भवन जिसमें व्यौहारी का कार्यालय स्थित है के किसी सहजदृश्य भाग पर या व्यौहारी द्वारा उक्त प्राधिकारी को अन्तिमतः संसूचित कारबार के स्थान के सहजदृश्य भाग पर या ऐसे स्थान पर जहां व्यौहारी अन्तिमतः कारबार का संचालन कर रहा है, या

(ii) यदि प्रेषिती व्यौहारी नहीं है, तो उसके निवास या कार्यालय या भवन जिसमें उसका निवास या कार्यालय स्थित है, के किसी सहजदृश्य स्थान पर और ऐसी तामील वास्तव में ऐसी की गई समझी जाएगी, जैसे कि इसे प्रेषिती को व्यक्तिगत् तौर पर किया गया हो :

परन्तु यह और भी कि, जहां अधिकारी, जिसके अनुरोध पर नोटिस की तामील की गई है, का जांच करने पर समाधान हो जाता है कि उक्त ज्ञात कार्यालय, भवन, स्थान या निवास विद्यमान नहीं है या अनुमार्गणीय नहीं है, तो ऐसा अधिकारी लिखित में आदेश द्वारा अन्तिम पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन नोटिस की तामील की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा ।

(2) जब नोटिस की तामील करने वाला अधिकारी नोटिस की प्रति को व्यौहारी या प्रेषिती को व्यक्तिगत् रूप में या उसके अभिकर्ता को या उप–नियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किन्हीं व्यक्तियों को परिदत्त या निविदत्त करता है, तो वह व्यक्ति जिसे प्रति परिदत्त या निविदत्त की गई है, से मूल नोटिस पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्वीकृति के लिए हस्ताक्षर करवाने अपेक्षित होंगे । जब नोटिस की तामील उप–नियम (ख) के प्रथम परन्तुक के अनुसार उसकी प्रति को चिपका कर की जाती है तो इसकी तामील करने वाला अधिकारी इसकी मूल प्रति को उस प्राधिकारी को जिसने नोटिस जारी किया है, उस पर पृष्ठांकित या उससे संलग्नित रिर्पोट सहित, कथन करते हुए वापस करेगा, कि उसने प्रति चिपका कर, और परिस्थितियां, जिनके अधीन उसने ऐसा किया और नाम औरं पता या व्यक्ति, यदि कोई है, जिसके द्वारा प्रेषिती के कार्यालय या निवास या भवन जिसमें उसका कार्यालय या निवास स्थित है या उसके कारबार के स्थान की पहचान की गई थी और जिसकी उपस्थिति में प्रति चिपकाई गई थी । उक्त अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान भी प्राप्त करेगा जिसने प्रेषिती के निवास या कार्यालय या भवन या कारबार के स्थान की पहचान की है ।

(3) जब तामील डाक द्वारा की जाती है, तो नोटिस की तामील, समुचित तौर पर पता लिखकर और नोटिस तैयार करते हुए और इसे रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा, और जब तक कि विपर्यय साबित नहीं हो जाता है, तो तामील उस समय जिस में नोटिस डाक के सामान्य अनुक्रम में परिदत्त हुआ था तब से प्रभावी समझा जाएगा ।

85. व्यौहारियों द्वारा अभिलेख का निरीक्षण.—(1) प्रत्येक व्यौहारी के मामले में, समुचित निर्धारण प्राधिकारी दो नस्तियां नामतः 'व्यक्तिगत' नस्ति और 'गोपनीय नस्ति' अलग–अलग तैयार करेगा ।

(2) सम्बन्धित व्यौहारी या उसका अभिकर्ता दस रूपये के मूल्य की स्टाम्प न्यायालय फीस सहित लिखित आवेदन समुचित निर्धारण प्राधिकारी को करने पर अपनी 'व्यक्तिगत् नस्ति', के अभिलेख या नियमों के अधीन अनुरक्षित किसी रजिस्टर में उससे सम्बन्धित किन्हीं प्रविष्टियों का निरीक्षण कर सकेगा । प्रत्येक अभिलेख या रजिस्टर के निरीक्षण हेतु एक अलग आवेदन किया जाएगा ।

(3) आवेदन पर संदत्त दस रूपए की न्यायालय फीस सिर्फ निरीक्षण के एक घण्टे के लिए होगी । प्रत्येक पश्चात्वर्ती घण्टे या घण्टे के भाग हेतु, अतिरिक्त दस रुपये की स्टाम्प न्यायालय फीस का पूर्व संदाय करके प्रतिदाय किया जाएगा । आगामी कार्य दिवस पर अधूरे निरीक्षण के अनुसरण के लिए किसी नए आवेदन की मांग नहीं की जाएगी ।

(4) यदि किसी पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित दस्तावेज का निरीक्षण करना है, तो प्रति आवेदन बीस रूपये के मूल्य की स्टाम्प न्यायालय फीस के रूप में गवेषणा फीस प्रभारित की जाएगी ।

(5) उप नियम (2) के अधीन किसी दस्तावेज के निरीक्षण के हकदार व्यक्ति को उसकी प्रति, उसके द्वारा निम्नलिखित मापमान के मूल्य की स्टाम्प न्यायालय फीस लगे इस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायालय फीस के रूप में प्रभारों के संदाय करने पर, प्रदान की जाएगी :–

(क) रजिस्टर में प्रत्येक प्रविष्टी हेतु दस रुपए;

(ख) निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक नोटिस या समन हेतु दस रूपए ;

(ग) प्रत्येक विवरणी या इन नियमों के अधीन धारित किसी जांच में अभिलिखित कथन या कोई अन्य दस्तावेज जिसकी प्रतियां इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय है, हेतु बीस रुपए प्रति पृष्ठ ;

(घ) कर के निर्धारण के प्रत्येक प्रतिकूल आदेश हेतु पांच रूपए ; और

(ड.) निर्धारण के प्रत्येक अन्य आदेश हेतु दस रुपए ; और

(6) यदि दस्तावेज जिसकी प्रति, उप–नियम (5) के अधीन प्रदान की जानी है, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित है, प्रति आवेदन बीस रुपए मूल्य के स्टाम्प न्यायालय फीस के रूप में गवेषणा फीस प्रभारित की जाएगी ।

(7) उप–नियम (5) के अधीन प्रदान की जाने वाली प्रति समुचित निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय में तैयार की जाएगी।

(8) उप–नियम (2) से (7) के उपबन्ध अपील और पुनरीक्षण प्राधिकारियों के कार्यालय के अभिलेखों के निरीक्षण के लिए और उनकी प्रतियों को प्रदान करने के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

86. कतिपय मामलों के लिए फीस.—निम्नलिखित फीस स्टाम्प न्यायालय फीस के रूप में संदेय होगी :—

क्रम संख्या 1	दस्तावेजों की प्रकृति 2	स्टाम्प न्यायालय फीस का मूल्य 3
1	(क) धारा 45(1)(क) के अधीन अपील का ज्ञापन	बीस रुपए
	(ख) धारा 45(1)(ख) और (ग) के अधीन अपील का ज्ञापन	पच्चास रूपए
	(ग) धारा 46(3) के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन	एक सौ रुपए
	(घ) धारा 47 के अधीन अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए आवेदन	बीस रुपए
2	निर्धारिती या व्यौहारी या अभिकर्ता के वकील या सम्बन्धी या नियमित या पूर्णकालिक कर्मचारी द्वारा वकालतनामा, जब अधिकरण, आयुक्त और आयुक्त की पंक्ति से नीचे के किसी अधिकारी के सम्मुख दाखिल किया जाए	पांच रुपए
3	(क) अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों के स्थगन लिए आवेदन	पांच रुपए
	(ख) अपील इत्यादि के पुनः स्थापन के लिए आवेदन	बीस रुपए
4	(क) अधिनियम या किसी अन्य दस्तावेज के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की प्रति	प्रत्येक पृष्ठ या उसके भाग के दो रुपए
	(ख) आवश्यक प्रतियों के लिए आवेदन	उपरोक्त 4(क) में संदेय फीस का दो गुना (प्रतियां आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो दिनों के भीतर जारी की जाएंगी)
5	संशोधन या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन	पच्चीस रुपए

1	2	3
6	कर इत्यादि की मांग की किस्तों को प्रदान करने या किसी मांग के संदाय के स्थगन या कर इत्यादि की मांग पर रोक के लिए आवेदन	दस रुपए
7	आस्थगन प्रमाणपत्र, छूट प्रमाण पत्र या अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्रमाणपत्र के लिए आवेदन	पच्चीस रुपए
8	अधिनियम के अधीन वैधानिक प्ररूपों के लिए आवेदन	शून्य
9	उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 8 और नियम 86 के अधीन न आने वाले किसी अन्य दस्तावेज के लिए आवेदन	पांच रुपए

अध्याय–13

87. अधिनियम के अधीन प्रशासन का अधीक्षण और नियन्त्रण.—(1) प्रकीर्ण आयुक्त, प्रशासन का अधीक्षण और अधिनियम के अधीन उद्गृहित कर का संग्रहण करेगा और अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन उसकी सहायता करने को नियुक्त समस्त अधिकारियों को नियन्त्रित करेगा ।

(2) आयुक्त के नियन्त्रण के अध्यधीन, परिक्षेत्र का प्रभारी उप–आबकारी एवं कराधान आयुक्त उसके अधीनस्थ और जिलों में तथा उसकी अधिकारिता के अन्तर्गत क्षेत्र में तैनात समस्त अन्य अधिकारियों को नियन्त्रित करेगा ।

(3) आयुक्त और परिक्षेत्र के प्रभारी उप–आबकारी एवं कराधान आयुक्त, जिला के प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या के नियन्त्रण और निदेश के अध्यधीन आबकारी एवं कराधान अधिकारी अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के कर्त्तव्यों से प्रभारित हैं ।

(4) धारा 3 की उपधारा (4) और धारा 46 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन आयुक्त, स्वप्रेरणा से या आवेदन पर कारणों को लिखित में अभिलिखित करके धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने को नियुक्त किसी निर्धारण प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर निर्धारण या पुनरीक्षण के लिए किसी अन्य निर्धारण या ऐसे पुनरीक्षण प्राधिकारी को अन्तरित कर सकेगा और अन्तरण के आदेश से प्रभावित आवेदक या सम्बन्धित प्राधिकारियों को संसूचित करेगा ।

88. नेमी (नैत्येक) कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन.—निर्धारण प्राधिकारी लिखित में आदेश द्वारा, उसके अधीनस्थ और उसके अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन प्राप्तियों, नोटिस और चालान को तैयार करने और हस्ताक्षरित करने से सम्बन्धित ऐसी शक्तियों के रूप में इन नियमों के अधीन ऐसे प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने को साधारणतया प्राधिकृत या किसी विशिष्ट मामले में प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

89. समय का विस्तारण करने की शक्ति.—जहां इन नियमों में कतिपय कार्य करने के लिए समय विहित है, तो समुचित निर्धारण प्राधिकारी, विशेष कारणों को लिखित में अभिलिखित करके उस अवधि का समय–समय पर विस्तार कर सकेगा।

90. निःशक्तता के अन्तर्गत व्यक्ति द्वारा कारबार का स्वाधिकृत.—कोई स्वामी, जो निःशक्तता के अन्तर्गत है, की ओर से, कारबार को कार्यान्वित करने वाला न्यासी, संरक्षक या प्रबन्धक (चाहे न्यायालय द्वारा या अन्यथा नियुक्त हो), या प्रतिपाल्य अधिकरण (कोर्ट आफॅ वार्ड्स) ऐसे कारबार की बाबत अधिनियम और इन नियमों द्वारा अधिरोपित समस्त बाध्यताओं का, उसी विस्तार तक अनुपालन करने के लिए दायी होगा, जहां तक कि स्वामी, यदि वह निःशक्तता के अन्तर्गत नहीं होता और कारबार को स्वयं कार्यान्वित करता तो दायी होता ।

91. किसी न्यायालय के नियन्त्रण के अधीन कारबार का संपदा का भागरूप होना.—भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधीन (महाप्रशासक) प्रशासनिक जनरल, शासकीय न्यासी (आफिशियल ट्रस्टी) और प्रशासक का निष्पादक, न्यायालय के आदेश द्वारा उसके नियन्त्रणाधीन किसी कारबार में लगा हुआ है किसी सम्पदा का भागरूप है ऐसे कारबार की बाबत उसी विस्तार तक जैसे कि वह स्वयं कारबार का मालिक हो, अधिनियम और इन नियमों द्वारा अधिरोपित समस्त बाध्याताओं को पूरा करने का दायी होगा। और अधिनियम और इन नियमों के अधीन उस अवधि के लिए जिस दौरान वह उसके नियन्त्रण में रहा है, के लिए भी कोई कर, शास्ति या ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

92. निर्धारण, अपील या पुनरीक्षण के आदेश की प्रतियां देना.—(1) समुचित निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, नियम 70 में यथा विहित नोटिस की प्रति सहित निर्धारण आदेश की प्रमाणित प्रति व्यौहारी को दी जाएगी।

(2) अपील या पुनरीक्षण में तत्काल आदेश पारित होते ही, यथास्थिति, सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा, इसकी प्रमाणित प्रति अपीलार्थी या आवेदक को दी जाएगी।

अध्याय–14

आस्थगन और छूट

93. विक्रय कर प्रोत्साहन की अनवसित अवधि के लिए प्रोत्साहनों की शर्तें.—धारा 62 की उप–धारा (5) के प्रयोजनों के लिए छूट या आस्थगन की शर्तें वही होंगी जो अधिनियम के प्रारम्भ पर निरसित अधिनियम के अधीन विद्यमान है:

परन्तु यह कि जहाँ कोई व्यौहारी (औद्योगिक इकाई) निरसित अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर से आंशिक छूट का प्रोत्साहन प्राप्त कर रहा है, तो ऐसा व्यौहारी, प्रोत्साहन की अनवसित अवधि के लिए, ऐसे व्यौहारी द्वारा विनिर्मित माल के विक्रय पर हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अधीन अधिसूचित या विनिर्दिष्ट कर की दर का 25 प्रतिशत की दर से कर का संदाय करने का हकदार होगा :

परन्तु यह कि ऐसा व्यौहारी, उसके द्वारा क्रय माल पर किसी आगत कर प्रत्यय का, हकदार नहीं होगा ।

94. प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाईयों द्वारा बीजक जारी करना.—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई औद्योगिक इकाई जो छूट की प्रसुविधा प्राप्त कर रही है, फुटकर बीजक जारी करेगी और कोई औद्योगिक इकाई जो आस्थगन की प्रसुविधा प्राप्त कर रही है, उसके द्वारा विक्रीत माल की बाबत कर बीजक जारी करेगी ।

95. निर्धारण इत्यादि.—औद्योगिक इकाई कर के संदाय से या कर का आस्थगित संदाय करने से छूट की प्रसुविधा प्राप्त कर रही है अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों द्वारा शास्ति होगी। अतिरिक्त मांग, यदि कोई अधिनियम या इन नियमों के अधीन, सृजित होती है, तो अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार संदत्त की जाएंगी ।

अनुसूची

आगत कर निर्वाधित माल

धारा 11(8) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी निम्नलिखित माल के क्रय पर संदत्त कर की बाबत आगत कर प्रत्यय हेतु अर्हित नहीं होगा, अर्थात्:–

क्रम संख्या 1	माल का विवरण 2
1	वाणिज्यिक यानों, दुपहिया, तीन पहिया सहित ओटोमोबाईल और उनकी मुरम्मत और अनुरक्षण हेतु कल–पूर्जे, जब तक व्यौहारी ऐसे ओटोमोबाइलज या कल–पूर्जो के संव्यवहार के कारबार में है ।
2	केक, बिस्कुट और कन्फेक्शनरी, स्वीटस और स्वीट मीट सहित खाने के स्थानों में विक्रीत और तैयार किए गए खाद्य और पेय वस्तुएं।
3	समस्त विद्युत या इलैक्ट्रोनिक माल और एयर–कन्डीशनरज, एयर कूलरज, टेलीफोनज, फैक्स, मशीने, अनुलिपि (डुप्लीकेटिंग) मशीने, फोटोकोपियर और स्कैनरज, उनके भाग और उपसाधान सहित साधित्र, विक्रय या विनिर्माण, प्रसंस्करण, पैकिंग में प्रयोग से अन्यथा और वह जिन्हें संगणना करने, कर बीजक, विक्रय बिलों, प्रतिभूति जारी करने और भण्डारण सूचना हेतु उपयोग करना है ।
4	पैट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन इन्धन,द्रव, पैट्रोलियम गैस और संघनन प्राकृतिक गैस, जब तक व्यौहारी व्यक्ति ऐसे उत्पादों को विक्रीत करने के कारबार में है और अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (3) के द्वितीय परन्तुक के अध्यधीन है ।
5	फर्नीचर, विद्युत फिक्सचर और फिटिंग सहित फर्नीचर फिक्सचर, कार्यालय उपकरण और भवन सामग्री जब तक व्यौहारी ऐसे माल के संव्यवहार के कारबार में है ।
6	मिट्टी हटाने वाले उपकरण जैसे कि बुल्डोजर, जेसीबीज तथा प्रोकलेन इत्यादि, जब तक व्यौहारी ऐसे माल के संव्यवहार के कारबार में है ।
7	लाईम,लाइम–स्टोन, कलींकर और डोलोमाइट ।
8	काष्ठ (टिम्बर) ।

परिशिष्ट

प्ररूप

मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप–1

[नियम 3(1) देखें]

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 14 के अधीन मूल्य परिवर्धित / साधारण रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन

सेवा में

निर्धारण अधिकारी
जिला .....

मैं / हम ..... स्वामी / प्रबन्धक (सम्यक् रूप से प्राधिकृत) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के भागीदार (ओं) कर्ता / कम्पनी / सोसाइटी / व्यक्तियों के संगम / क्लब के कारबार / कार्यकलापों का प्रबंध करने वाले प्रधान अधिकारी / विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में सम्यक् रूप में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, कारबार जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, उक्त कारबार के निमित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन एतद्द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करते हैं जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण फीस एक सौ रूपए ट्रेजरी चालान संख्या.....तारीख.....को संदत्त किए जा चुके हैं ।

1. नाम और कारबार का अभिनामः

2. कारबार का मुख्य स्थान और संपर्क पता:

कारबार का मुख्य स्थान	
पता	फोन
शहर	फैक्स
जिला	ई–मेल

3. आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कारबार का स्थायी लेखा संख्या
(पैन)

4. कारबार का गठन, जो लागू हो **पर** (√) का निशान लगाएं

स्वत्वधारिता	प्राइवेट लिमिटड कम्पनी	व्यक्तियों का संगम	सरकारी निगम / बोर्ड
भागीदार	पब्लिक लिमिटड कम्पनी	क्लब	*
हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	सहकारी सोसाइटी	सरकारी	

*(यदि दिए गए विवरण इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं तो विनिर्दिष्ट किए जांए)

5. कारबार का स्वरूप , (√)जो लागू हो

विनिर्माण	पट्टे पर	दूरसंचार	स्टोन क्रशर
थोक कारबार	खानपान (खाद्य वस्तु सेवा)	हलवाई / ढाबा / तन्दूर लोह / चाट सेवा	अन्य
परचून विक्रय कारबार	खनन	ईंट भट्टा स्वामी	
संकर्म संविदाकारी	ऊर्जा उत्पाद या वितरण	लाटरी व्यौहारी	

6. मुख्य वस्तुएं जिसमें कारबार किया जा रहा है ।

7. ई.ए.सी. (आर्थिक क्रिया कलाप संहिता)

8. कर के संदाय के दायित्व उपगत करने का आधार आयात:
(√)जो लागू हो निर्यात:
.....रूपए से अनधिक विक्रय
धारा 14(2) के अधीन
रजिस्ट्रीकरण

9. दायित्व की तारीख

दिवस			मास			वर्ष			
		-			-				

10. कारबार में हित रखने वाले व्यक्तियों के बैंक खाते(तों) के ब्यौरे :

बैंक का नाम और पता	लेखा का प्रकार	लेखा संख्या

11. कारबार में हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा स्थावर संपत्तियों में पूर्णतः या भागतः स्वामित्व का ब्यौरा :

क्रम संख्या	स्वामी का नाम	संपत्ति का विवरण	जहां संपत्ति स्थित है का पता	लगभग मूल्य	शेयर प्रतिशतता

12. लिपि जिसमें लेखा पुस्तकें अनुरक्षित की गई हैं

13. उपाबन्ध–1 के अनुसार स्वत्वधारी, प्रत्येक भागीदार या सदस्य हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के कर्ता और प्रत्येक निदेशक (प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के मामले में) का नाम, पता और अन्य ब्यौरे संलग्न हैं ।

14. भागीदारी विलेख / संगम का ज्ञापन और संगम का अनुच्छेद, संगम की नियमावली / अन्य करार / दस्तावेज की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न है (हैं) ।

15. कारबार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा उपाबंध–II के अनुसार संलग्न है ।

16. विनिर्माण, दूर संचार तन्त्र, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन या वितरण या अन्य बिजली के द्वारा उपयोग या माल को पैक करने और पूंजीमाल के रूप में उपयोग के लिए क्रय किए जाने के लिए अपेक्षित माल की सूची उपाबन्ध-III के अनुसार संलग्न है ।

17. उपाबन्ध -IV के अनुसार दी गई प्रतिभूति का ब्यौरा संलग्न है ।

18. स्वत्वधारी, प्रत्येक भागीदार, हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कर्ता और प्रत्येक निदेशक (प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी की दशा में) इत्यादि का पासपोर्ट साईज का (स्वतः हस्ताक्षरित) फोटोग्राफ नीचे चिपकाया गया है:

नाम
हैसियत

नाम
हैसियत

नाम
हैसियत

और प्रत्येक सम्बद्व व्यक्ति का एक ऐसा (स्वतः हस्ताक्षरित) फोटोग्राफ संलग्न है ।

सत्यापन

मैं / हम ..... एतद्द्वारा सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ / करते हैं कि इस आवेदन में अन्तर्विष्ट सूचना, इसके साथ संलग्न उपाबन्धों सहित, मेरी / हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है ।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर .....

हैसियत .....

पूरा नाम .....

घोषणा

(i) मैं / हम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 और हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के उपबंधों का पालन करने का वचन देता हूं / देते हैं।

(ii) मेरे / हमारे कारबार के नाम से साइन बोर्ड सभी कारबार परिसरों पर पहले ही प्रदर्शित किया जा चुका है ।

(iii) उक्त कारबार की बाबत लेखे की बहियां अनुरक्षित की जा रही है और उक्त कारबार परिसर में प्राप्त होंगी ।

स्थान: हस्ताक्षर .....

तारीख: हैसियत .....

पूरा नाम .....

(भागीदारी कारबार के मामले में अन्य भागीदारों के हस्ताक्षर)

(1) स्थान ..... हस्ताक्षर .....(2) स्थान ..... हस्ताक्षर .....

पूरा नाम ..... पूरा नाम .....

तारीख हैसियत तारीख हैसियत

(3) स्थान ..... हस्ताक्षर .....(4) स्थान ..... हस्ताक्षर .....

पूरा नाम ..... पूरा नाम .....

तारीख हैसियत तारीख हैसियत

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

अभिस्वीकृति प्राप्ति संख्या.....तारीख.....सर्कल संख्या.....

उपाबन्ध–I

(मू0प0 कर प्ररूप–1 के साथ संलग्न किया जाना है)

स्वत्वधारी, प्रबंधक (सम्यक् रूप में प्राधिकृत) प्रत्येक भागीदार (भागीदारी कारबार की दशा में) / निदेशक(निजी कम्पनी की दशा में) पृथक रूप से हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के कर्ता के बारे में सूचना ।

1. पूरा नाम(बड़े अक्षरों में) _____
2. पिता का नाम(बड़े अक्षरों में) _____
3. हैसियत _____
4. कारबार में हित का परिमाण _____
5. स्थायी पता गृह संख्या.....गांव / नगर / शहर .....

   तहसील ..... जिला .....

   राज्य ..... पिन कोड.....

   वर्तमान पता गृह संख्या ..... गांव / नगर / शहर .....

   तहसील ..... जिला .....

   राज्य ..... पिन कोड .....

7. स्वामित्वाधीन समस्त स्थावर संपत्तियों का ब्यौरा :

क्रम संख्या	जहां संपत्ति स्थित है का पूरा पता	लगभग मूल्य	शेयर का परिमाण

8. अन्य कारबार की विशिष्टियां जिसमें व्यक्ति का हित है :

क्रम संख्या	जहां संपति स्थित है का पूरा पता	लगभग मूल्य	शेयर का परिमाण

सत्यापन

उपर्युक्त ब्यौरे मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है ।

स्थान .....

सम्बद्ध व्यक्ति के हस्ताक्षर।

तारीख.....

उपाबन्ध–2

(मू0प0 कर प्ररूप–1 के साथ संलग्न किया जाना है)

कारवार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा

क्रम संख्या	पूर्ण पता	परिसरों, कारखाना / गोदाम / कार्यालय / विक्रय निर्गम / किसी अन्य का उपयोग (विनिर्दिष्ट किए जांए)	टेलीफोन नम्बर

सत्यापन

उपर्युक्त ब्यौरे मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि जब कभी भी इस उपाबंध में उपबधिंत सूचना में कोई परिवर्तन होगा तो मैं समुचित निर्धारण प्राधिकारी को सूचित करूंगा।

स्थान ——————————

तारीख ——————————

1. हस्ताक्षर .....
   पूरा नाम ——————————
   हैसियत ——————————
2. ——————————
3. ——————————

उपाबंध–3

(मू0प0 कर प्ररूप–1 के साथ संलग्न किया जाना है)

विनिर्माण, दूरसंचार, विद्युत के उत्पादन और वितरण या ऊर्जा के अन्य स्वरूप, माल को पैक करने और पूंजीमाल के रूप में उपयोग करने के लिए क्रय किए जाने के लिए अपेक्षित माल की सूची ।

क्रम संख्या	उपयोजन जिसके लिए अपेक्षित है	माल का वर्णन
1	2	3
1.	माल के विनिर्माण में उपयोग करने के लिए	
2.	दूरसंचार तन्त्र में उपयोग के लिए	
3.	विद्युत के उत्पादन या वितरण या किसी अन्य ऊर्जा के स्वरूप के उपयोग के लिए	
4.	यथास्थिति, उपर्युक्त 1 से 3 क्रम संख्या की प्रविष्टियों के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट माल पैक करने के उपयोग के लिए	
5.	पूंजी माल के रूप में उपयोग करने के लिए	

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

हैसियत.....

उपाबंध–4

(मू0प0 कर प्ररूप–1 के साथ संलग्न किया जाना है)

(दी गई प्रतिभूति का ब्यौरा)

क्रम संख्या	प्रतिभूति की किस्म	प्रतिभू का नाम (यदि लागू हो)	रकम	कारबार का नाम और(टी.आई.एन) कर पहचान संख्या जिसमें प्रतिभू का हित है	(बैंक गारंटी की दशा में) अवसान की तारीख

सत्यापन

उपर्युक्त ब्यौरे मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस उपाबंध में उपबंधित सूचना में जब कभी भी परिवर्तन होगा तो मैं इसकी सूचना समुचित निर्धारण प्राधिकारी को दूंगा ।

स्थान _____

तारीख _____

1. हस्ताक्षर .....
   पूरा नाम _____
   हैसियत _____

उपाबंध–5

(मू0प0 कर प्ररूप–1 के साथ संलग्न किया जाना है)

31–03–2005 को (पूंजी माल के अतिरिक्त) माल के स्टाक का ब्यौरा

1. 31–03–2005 को स्टाक का कुल मूल्य रुपए_____

2. उपर्युक्त (1) में माल का मूल्य जो उसी रूप में पड़ा है जिसमें वह खरीदा गया था। रुपए_____

3. (विनिर्माण समुत्थान के मामले में) प्रसंस्करण में माल सहित विनिर्मित किए गए माल का मूल्य। रुपए_____

4. उपर्युक्त (2) को माल का अवशिष्ट मूल्य :

31–3–2005 को माल के स्टाक का मूल्यः रुपए.....

राज्य के भीतर खरीदे गए माल का मूल्य					राज्य के बाहर से खरीदे गए माल का मूल्य
कर संदत्त माल			कर मुक्त माल	कराधेय माल कर संदाय के बिना खरीदा गया माल	
कर की दर	माल का मूल्य रुपए	मूल्य में कर तत्व रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
कुल जोड़					

5. उपर्युक्त (3) पर माल के विनिर्माण में उपयोग किए माल का अवशिष्ट मूल्य :

कुल मूल्य : रुपए					
राज्य के भीतर खरीदे गए माल का मूल्य : रुपए					
कर संदत माल			कर मूक्त माल	कराधेय माल (कर के संदाय के बिना खरीदा गया)	राज्य के बाहर से खरीदे गए माल का मूल्य
कर की दर	माल का मूल्य रुपए	मूल्य में कर तत्व रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
कुल जोड़					

सत्यापन

उपर्युक्त ब्यौरे मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

स्थान ——————

1. हस्ताक्षर .....
   हैसियत
   पूरा नाम ——————

तारीख ——————

मू0प0 कर प्ररूप –2

[(हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का नियम 3 (2) और 33 (1) और 37 (1) देखें]

चालान

मूल	तृतीय
द्विप्रतिक	चतुर्थ

खजाना/उप–खजाना/शाखा या भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पटियाला .... में कर संदत्त करने का बीजक और हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन जमा किए गए लेखा शीर्षक "0040 सेल्ज टैक्स–रसीप्ट ।"(0040 विक्रय कर–प्राप्तियां)

जिला:															सर्कल		

अवधि जिससे			/			/	2	0			तक			/			/	2	0		

संदाय की अन्तिम तिथि			/			/	2	0			

1. जिसके द्वारा पेश किए गए																						

2. व्यौहारी/व्यक्ति का नाम																						

3. पूरा पता :																						

कर पहचान संख्या (टी.आई.एन.)											

राज्य मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम से 102–प्राप्तियां :

01—स्वैच्छिक मूल्य परिवर्धित कर		रुपए
02 – क्रय कर		रुपए
03 -- धारा 17 के अधीन कटौती किया गया कर		रुपए
04 – अतिरिक्त मांग -----		रुपए
05 -- धारा के अधीन शास्ति		रुपए
06 –ब्याज		रुपए
07 ----------की बाबत अन्य संदाय		रुपए
अंको में कुल जोड़:		रुपए
शब्दों में कुल जोड़:		रुपए

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दी गई विशिष्टियां सही हैं ।

जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर

निर्धारण प्राधिकारी (मुद्रा सहित)

तारीख: | | | / | | | / | 2 | 0 | | |

खजाना में उपयोग के लिए

रुपए.....की राशि प्राप्त की		
और लेखा "0040–मूल्य परिवर्धित कर–102 राज्य मूल्य परिवर्धित कर के अधीन जमा की गई		
खजाना लेखाकार		

कोषाधिकारी / उप–कोषाधिकारी / प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक/
प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

खजाना की मोहर

पाद टिप्पण:

"मूल" : कोषाधिकारी द्वारा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त और जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को भेजी जानी है

"द्विप्रतिक": खजाना में रखी जानी है ।

"तृतीय": संदाय करने वाले व्यक्ति को वापस भेजी जानी है ।

"चतुर्थ" : संदाय करने वाले व्यक्ति को वापस भेजी जानी है ।

मू0 प0 कर प्ररूप –3

ऋण शोधक्षम प्रतिभू के साथ वैयक्तिक बंध–पत्र

[नियम 4(1)(ख) देखें]

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अधीन; निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष..... सर्किल ..... जिला ..... हिमाचल प्रदेश

संख्या..... 200 .....

मैसर्ज/----------याची

बनाम

निर्धारण प्राधिकारी के माध्यम से

हिमाचल प्रदेश राज्य

यह सबको ज्ञात हो कि मैं / हम ..... पूरा नाम ..... पूरा पता ..... करदाता पहचान संख्या.....(यदि कोई हो) हिमाचल प्रदेश सरकार के (जिसे इसमें इसके पश्चात सरकार कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरूद्ध नहीं है) .....रूपए) की रकम जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त राशि कहा गया है" सरकार को संदाय करने के लिए वचनबद्ध और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हूं । यह संदाय पूर्णता और सही रूप में करने के लिए मैं / हम / मुझे / हमें / हमारे वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और विधिक प्रतिनिधियों को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं / हैं ।

यह कि उपर्युक्त आबद्धकर से समुचित निर्धारण प्राधिकारी ..... जिला ..... हिमाचल प्रदेश द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उक्त राशि की प्रतिभूति देना अपेक्षित है,...

(क) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है) के अधीन उसके / उनके द्वारा कर, ब्याज या

शास्ति की बाबत देय किसी रकम के संदाय को उपबंधित समय के भीतर और विहित रीति में सुनिश्चित करने के लिए , और

(ख) सरकार को सभी हानियों, लागतों या व्ययों जिन्हें उपर्युक्त आबद्धकर (मर्यादित) को त्रुटि, चूक या असफलता या दिवालियापन के कारण सरकार को किसी प्रकार से भोगना, संपोषित या संदाय करना पडता है या उसके या उनके लिए या अधीन काम कर रहे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उपर्युक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी रीति में और उप बंधित या विहित समय में उक्त राशि के संदाय की प्रतिपूर्ति करना

अब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र की शर्तें ऐसी है कि यदि उपर्युक्त आबद्धकर (मर्यादित) उसके/उनके वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और विधिक प्रतिनिधियों या उसके/उनके अधीन या के लिए कार्य कर रहा कोई अन्य व्यक्ति ,–

(क) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन देय पूरी रकम उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन ऐसी रीति में और उपबंधित या विहित अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा मांग पर संदाय करेगा, ऐसी मांग लिखित में होगी और उपर्युक्त आबद्धकर (मर्यादित) उसके/उनके वारिसों निष्पादकों, प्रशासकों और विधिक प्रतिनिधियों या उसके/उनके अधीन या के लिए कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी रीति में और उपबंधित या विहित अवधि के भीतर तामील की जानी है, और

(ख) हर समय, सरकार को प्रत्येक हानि लागतों और व्ययों की क्षतिपूर्ति करेगा और से बचाएगा जिसके लिए उपर्युक्त आबद्धकर को या उसके/उनके अधीन या के लिए कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन कारित कारणों द्वारा देय किसी राशि को संदाय करने के लिए किसी भी समय या इसके पश्चात् की किसी समय अवधि के लिए दायी ठहराया गया है या जाएगा या जा सकता है ,

तो यह बाध्यता शून्य हो जाएगी और कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा वह पूर्ण रूप में प्रवृत्त और प्रभाव में होगी और रहेगी और एतद् द्वारा आगे करार किया जाता है कि अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपर्युक्त आबद्धकर की मृत्यु / विभाजन / विछिन्नता / विघटन / परिसमापन या दायित्व की अन्तिम समाप्ति की दशा में(क) उपर्युक्त आबद्धकर द्वारा देय किसी राशि की वसूली के लिए या (ख) किसी हानि, लागत या व्यय जो उपर्युक्त आबद्धकर, उसके / उनके वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और विधिक प्रतिनिधियों के दिवालिएपन पर अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन और जिसका उपर्युक्त आबद्धकर की मृत्यु / विभाजन / विछिन्नता / विघटन / परिसमापन या अन्तिम समाप्ति या उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके / उनके दायित्व को संपोषित, उपगत किए जाने के लिए उपलब्ध न होने पर उपर्युक्त आबद्धकर का यह बंध पत्र उपरोक्त निर्धारण प्राधिकारी के पास रहेगा :

परन्तु यह और भी कि अधिनियम के अधीन देय किसी राशि या उपर्युक्त हानि या नुकसान की वसूली के लिए किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार इस बंध पत्र के अधीन देय रकम को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने की हकदार होगी ।

इसके साक्ष्य स्वरूप उक्त ——————(पूरा नाम) ने आज—————— के दिन ——————उसके / उनके हस्ताक्षर कर लिए हैं और उपर्युक्त नामित द्वारा इसमें नीचे लिखे साक्षियों की उपस्थिति में परिदत्त कर दिए है

हस्ताक्षर_____

साक्षी

हैसियत——————————

1. (पूरा नाम)——————

2. (पूरा नाम) ——————

हम (1) ———————————————————————

(2) ———————————————————————

(प्रतिभू का पूरा नाम और पता)

एतद्द्वारा स्वयं को उपर्युक्त आबद्धकर के लिए प्रतिभू घोषित करते हैं और यह गारंटी देते हैं कि वह/वे वह सब करेंगें और पालन करेंगे जैसा उसने/उन्होंने करने और पालन करने का वचन दिया है और उसके/उनके उसमें त्रुटि, चूक या असफल होने की दशा में , हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सरकार" कहा गया है और इसके अंतर्गत पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी हैं जब तक कि ऐसा संदर्भ में अपवर्जित या उसके विरूद्ध नहीं है).....रूपए (केवल.....रूपए) की रकम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राशि कहा गया है) जिसमें उपर्युक्त आबद्धकर ने स्वंय को या ऐसी अन्य न्यूनतम राशि जैसी निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त समझी जाए या हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आबद्धकर द्वारा देय किसी राशि की वसूली और असंदत्त शेष और किसी हानि, नुकसानी, लागत या व्ययों की वसूली जिसे ऐसी त्रुटि , चूक या असफलता के कारणों द्वारा सरकार को संपोषित,उपगत या संदत्त करना पड सकेगा , को समहृत करने के लिए हम स्वयं को संयुक्त रूप में या पृथकतः आबद्ध करते हैं ।

हम आगे करार करते हैं कि सरकार, सरकार के किन्हीं अन्य अधिकारों या उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त रकम को हम से संयुक्त रूप में और पृथक्तः भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी ।

और हम यह भी करार करते हैं कि इस प्रतिभूत्व को, सिवाय समुचित निर्धारण प्राधिकारी को लिखित में छह कलेण्डर मास पूर्व उसके ऐसा करने के आशय का भविष्यलक्षी रूप में नोटिस नहीं देते, हम में से कोई भी इसे समाप्त करने के लिए स्वतन्त्र नहीं होगा और आबद्धकर की ओर से इस बारे में समस्त कृत्य, त्रुटि, चूक, असफलताएं और दिवालिएपन छह मास की

उक्त अवधि के अवसान पर भी इस बंध–पत्र के अधीन हम संयुक्त और पृथकरूप से दायी रहेंगे ।

साक्षियों की उपस्थिति में
प्रति–भू के हस्ताक्षर

1. साक्षी:

हस्ताक्षर _____

(पूरा नाम)_____

(पूरा पता) _____

_____

2. हस्ताक्षर _____

(पूरा नाम)_____

(पूरा पता)_____

_____

1. हस्ताक्षर _____

(पूरा नाम) _____

स्थायी पता _____

2. हस्ताक्षर _____

(पूरा नाम) _____

स्थायी पता _____

_____

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और की ओर से संविधान के अनुच्छेद 299(1) की अनुपालना में स्वीकार किया जाता है ।

की उपस्थिति में

1.

2.

अधिकारी का नाम और पदनाम।

मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप –4

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (साधारण / मूल्य परिवर्धित कर रजिस्ट्रीकरण)
[नियम 5(1) देखें]

टी.आई.एन. (करदाता पहचान संख्या)

आवेदक के फोटो का चिपकाने के लिए स्थान ।

जिला:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्ज ..... के रूप में जाना जाने वाला कारबार जिसका कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश में ..... शहर / गांव ..... डाकखाना ..... तहसील ..... जिला में स्थित है, को हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर की धारा 14 की उप–धारा (1) / (2) के अधीन व्यौहारी / व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है ।

2. कारबार और कारबार का अतिरिक्त स्थान,---

(i)		(ii)	
(iii)		(iv)	

3. विवरणियां देने और कर संदाय करने की कालिक अवधि :

4. दायित्व की तारीख

दिन	मास	वर्ष

विधि मान्यता की तारीख

दिन	मास	वर्ष

निर्धारण प्राधिकारी की मोहर

(हस्ताक्षर) .....
निर्धारण प्राधिकारी
जिला .....

तारीख.....

टिप्पण.— इस प्रमाण पत्र को कारबार के मुख्य स्थान पर रखा जाएगा और इसकी अधिप्रमाणित प्रति कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान पर रखी जाएगी । इसे अधिनियम और नियमों के अधीन प्राधिकार का निष्पादन करने वाले किसी व्यक्ति के मांगने पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

(अ) **अनुज्ञात माल का वर्ग :--**

क्रम संख्या	प्रयोजन जिसके लिए अनुज्ञात किया	माल का वर्णन
1.	**पुनः विक्रय के लिए**	
2.	माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए	
3.	दूरसंचाार तंत्र में उपयोग के लिए	
4.	विद्युत के उत्पादन या वितरण में या ऊर्जा के किसी रूप में उपयोग के लिए	
5.	उपर्युक्त क्रम संख्या 2 से 4 तक प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माल की पैंकिंग के रूप में उपयोग के लिए	
6.	पूंजी माल के रूप में उपयोग के लिए	

निर्धारण प्राधिकारी

(आ) नवीकरण की विशिष्टियां

नवीकरण की तारीख	अवधि जिसके लिए नवीकृत किया गया		निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर	से	तक	

(इ) प्रतिभूति की विशिष्टियां

प्रतिभूति का स्वरूप	रकम रुपए	बैंक / डाकघर / प्रतिभू का नाम और पता

मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप –5

[नियम 8(1) देखें]

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 14(1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों का रजिस्टर

रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों की जिला ———————————— की सूची

क्रम संख्या	व्यौहारी का नाम और पता	स्वत्वधारी / भागीदार इत्यादि का नाम और पता	आर्थिक क्रियाकलाप संहित
1	2	3	4

मुख्य कार्यालय और शाखाओं का पता	दायित्व की तारीख	करदाता पहचान संख्या की विशिष्टियां			
		संख्या	जारी करने की तारीख	विधि मान्यता की तारीख	रद्दकरण की तारीख
5	6	7	8	9	10

प्रतिभूति का ब्यौरा			हस्ताक्षर	
प्रतिभूति का स्वरूप	बैंक / डाकखाना / प्रतिभू की विशिष्टियां	रकम	सम्बन्धित कर्मचारी	सम्बद्ध निर्धारण प्राधिकारी
11	12	13	14	15

मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप –6

[नियम 8(2) देखें]

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 14(2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का रजिस्टर

रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की सूची जिला———————— की सूची

क्रम संख्या	व्यौहारी का नाम और पता	स्वत्वधारी / भागीदार इत्यादि का नाम और पता	आर्थिक क्रियाकलाप संहित
1	2	3	4

मुख्य कार्यालय और शाखाओं का पता	दायित्व की तारीख	कर दाता पहचान संख्या की विशिष्टियां			
		संख्या	जारी करने की तारीख	विधि मान्यता की तारीख	रद्दकरण की तारीख
5	6	7	8	9	10

प्रतिभूति का ब्यौरा			हस्ताक्षर	
प्रतिभूति का स्वरूप	बैंक / डाकखाना / प्रतिभू की विशिष्टियां	रकम	सम्बन्धित कर्मचारी	सम्बद्ध निर्धारण प्राधिकारी
11	12	13	14	15

मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप–7

क्षतिपूर्ति बंध–पत्र

[नियम 25(1) देखें]

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 25(1) के अधीन, निर्धारण प्राधिकारी ..... सर्कल(वृत्त) ..... जिला हिमाचल प्रदेश के समक्ष

संख्या..... 200 .....

मैसर्ज----------याची

बनाम

निर्धारण प्राधिकारी ----------द्वारा

हिमाचल प्रदेश राज्य

यह सबको ज्ञात हो कि मैं / हम .....(व्यौहारी का पूरा पता)..... हिमाचल प्रदेश राज्य में (जिसे इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी कहा गया है) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन करदाता पहचान संख्या (रजिस्ट्रीकरण संख्या).....तारीख..... को रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी / व्यौहारी हूं / हैं और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है) के प्रति..... रूपए (.....रूपए) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राशि कहा गया है) को सरकार को मांग पर जिसके लिए संदाय किया जाएगा और वास्तव में किया जाना है के लिए मैं / हम वचनबद्ध और आबद्ध हूँ / हैं, इसके संदाय करने के लिए मैं स्वयं / हमारे को और मेरे / हमारे वारिसों, निष्पादको, प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों और इन विलेखों द्वारा आस्तियों और क्रियाकलापों पर तत्समय नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति को भी आबद्ध करता हूँ

आज ---------- के दिन ----------

---------- दो हजार और ----------

---------- को हस्ताक्षरित

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 25 के उप–नियम (1) द्वारा अपेक्षित है कि मूल कर बीजक के गुम, नष्ट या विकृत होने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी समुचित निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन करेगा और उसके साथ विक्रेता व्यौहारी द्वारा जारी किए गए कर बीजक की द्विप्रतिक प्रति संलग्न करेगा और समुचित निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे बीजक के अधीन दावाकृत आगत कर प्रत्यय की रकम के समान राशि के लिए क्षतिपूर्ति बंध–पत्र देना अपेक्षित होगा ;

और जहां बाध्यताधारी व्यौहारी है जिसे मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप में क्रम संख्या.....तारीख.....को कर बीजक .....(विक्रेता व्यौहारी का नाम और पता) द्वारा जारी किया गया था ;

और बाध्यताधारी ने , मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप.....में जिसकी क्रम संख्या..... तारीख .....थी को.....(विक्रेता व्यौहारी का नाम और पता) द्वारा जारी किया गया था । उक्त कर बीजक को गुम / नष्ट / विकृत कर दिया है।

और उपर्युक्त लिखित बंध–पत्र की शर्त यह भी है कि सरकार द्वारा उठाई गई हानि की दशा में (जिसकी बाबत सरकार या उस प्रयोजन के लिए नियुक्त प्राधिकारी का विनिश्चय बाध्यताधारी पर अन्तिम और बाध्य होगा), उपरोक्त प्ररूप के दुरूपयोग के परिणाम स्वरूप सरकार की मांग पर उक्त..... रुपए (.....रुपए (शब्दों में)) की राशि को बिना आपत्ति के संदाय करेगा और अन्यथा क्षतिपूर्ति करेगा और सरकार को अहानिकर रखेगा और सरकार द्वारा ऐसे दुरूपयोग के परिणामस्वरूप उपगत सभी दायित्वों से क्षतिपूरित करेगा, तब से उपर्युक्त लिखित बंध–पत्र अमान्य और निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु अन्यथा पूर्णरूप में प्रवृत, प्रभावित और प्रभावोत्पादक रहेगा । बाध्यताधारी इसमें निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्तियों के बंधक / प्रभार की उक्त राशि के संदाय के लिए बंधक / प्रभार के उचित विलेख के निष्पादन द्वारा वचनबद्ध है ;

अनुसूची

(बंधक / प्रभारित संपत्तियों का ब्यौरा दें)

_____

_____

ये विलेख इस बात के साक्षी हैं कि इसके अधीन बाध्यताधारी का दायित्व सरकार की किसी प्रविरिति ,कृत्य या लोप या सरकार द्वारा किसी समय स्वीकृत या दर्शित अनुग्रह के कारण हासित या उन्मोचित नहीं होगा ।

इन विलेखों पर प्रभारीय स्टाम्प शुल्क यदि कोई है , को सरकार देने का करार / करती है।

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी ने इन विलेखों का निष्पादन उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा तारीख.....मास और वर्ष को उपर्युक्त विलेख में लिख दिया है और

1._____

2._____

की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर कर लिए हैं

(बाध्यताधारी के हस्ताक्षर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की ओर से और के लिए सम्यक् रूप में प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम द्वारा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की और से बंध–पत्र निम्न की उपस्थिति में स्वीकार किया जाता है–

1._____

2._____

(अधिकारी का नाम और पदनाम)

मु.प.क. प्ररूप –8

[नियम 27(1) देखें]

नैमित्तिक व्यापारी द्वारा अनुज्ञा के लिए आवेदन

सेवा में

निर्धारण प्राधिकारी

वृत्तः

1	कारबार की विशिष्टियां									
1.1	आवेदक का पूरा नाम और पिता का नाम									
1.2	व्यापार का नाम (यदि उपर्युक्त से भिन्न है)									
1.3	कारबार का मूल स्थान									
		पिन								राज्य
		दूरभाष								
		फैक्स								
		ई.मेल पताः								
1.3.1	हिमाचल प्रदेश में कारबार का स्थान, यदि कोई हो ।									
1.3.2	कारबार का स्थान जहां से हिमाचल प्रदेश को माल लाया जाना प्रस्तावित है ।									
1.4	टिन (टि.आई.एन) यदि कोई (है) हो									
1.5	पैन संख्या यदि कोई है									
1.6	1.3 में वर्णित से अन्यथा, अन्य राज्य में वैट रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि कोई है ।									
1.7	पहचान का सबूत यदि उपर्युक्त क्रम संख्या (स्तम्भ 1.4 से 1.6 विद्यमान नहीं है)									
2	कारबार विषय की विशिष्टियां जिनके लिए इस प्ररूप में आवेदन किया गया है									
(क)	कारबार इवेन्ट का स्वरूप									
(ख)	प्रारम्भ की तारीख			/			/	2	0			ता. मा. वर्ष

(ग)	समाप्ति की तारीख			/			/	2	0			ता. मा. वर्ष		
(घ)	अवस्थिति (पता)													
(ङ)	विक्रय किए जाने के लिए प्रस्तावित माल का विवरण (माल की सूची संलग्न करें ,यदि आवश्यक हो)													
(च)	इवेन्ट के स्थान पर विक्रय के लिए लाए जाने वाले प्रस्तावित माल का मूल्य													
(छ)	प्रत्याशित कुल विक्रय (रूपए)													
(ज)	प्रत्याशित कर दायित्व (रूपए)													
(झ)	विक्रय बिल बहियां (अधिप्रमाणीकरण के लिए)	बहियों की संख्या										पूर्व प्रकाशित क्रम संख्या		
(ञ)	लेखा बहियां (अधिप्रमाणीकरण के लिए)													
3.	स्थानीय पत्राचार पता													
(क)	स्थानीय सम्पर्क (पता)													
		पिन										क्षेत्र		
		दूरभाष												
		फैक्स												
(ख)	स्थानीय संदर्भ, यदि कोई है													
(ग)	इवेन्ट आयोजक का नाम और स्थाई पता													
(घ)	इवेन्ट आयोजक का, संदाय के प्रमाण सहित, यदि कोई हो पुष्टीकरण पत्र संलग्न करें													
(ङ)	अवस्थान के स्वत्वधारी का नाम और पता													
(च)	अवस्थान के स्वत्वधारी का पुष्टीकरण पत्र या संदाय का प्रमाण यदि कोई है, संलग्न करें													
4	फीस के संदाय का विवरण (ब्यौरा)													
टी.आर.	सख्या		तारीख				रकम							
5.	प्रतिभूति का विवरण (ब्यौरा)													

घोषणा: मै सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप मे दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है ।

नाम	पदनाम	
हस्ताक्षर	तारीख (ता0मा0वर्ष)	

कार्यालय प्रयोग हेतु

आवेदन की प्राप्ति की तारीख						
अनुज्ञा प्रमाण पत्र नम्बर और तारीख						
प्रतिभूति ब्यौरे						
कर संदाय के ब्यौरे						
निर्धारण की तारीख						
अतिरिक्त कर मांग, यदि कोई है						
अतिरिक्त कर मांग की प्राप्ति	लिखित (जो लागू है उन पर निशान लगाएं)		टी.आर.		डिमांड ड्राफ्ट	बैंकर का चैक
	लिखित संख्या					
	रकम					
	प्राप्ति की तारीख					
अनुज्ञात किया प्रतिदाय, यदि कोई है						
प्रतिदाय ब्यौरे						
कर समाशोधन प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख	लिखित संख्या		तारीख		रकम	

मू. प. क. प्ररूप –9
(नियम 29 देखें)
नैमित्तिक व्यौहारी को अनुज्ञा

अनुज्ञा प्रमाणपत्र संख्या :

1. मैसर्ज.....जिसका.....पर मुख्य कारबार का स्थान है, को हिमाचल प्रदेश में कराधेय माल का विक्रय और क्रय करने के लिए कारबार इवेन्ट संचालित करने के लिए एतद् द्वारा अनुज्ञात किया जाता है ।
2. यह अनुज्ञा.....से..... तक या कारबार इवेन्ट की समाप्ति पर, जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य है ।
3. नैमित्तिक व्यौहारी निम्नलिखित मदों में व्यौहार करेगा

   .....

4. नैमित्तिक कारबार इवेन्ट का स्थान..... पर स्थित होगा ।
5. उपर्युक्त कथित स्थान के अतिरिक्त नैमित्तिक कारबार विषय निम्नलिखित पर संचालित किया जाएगा :
   (क) .....
   (ख) .....
6. नैमित्तिक व्यापारी ने नकद / बैंक गारंटी के रूप में.....रूपए के लिए प्रत्याभूति दी हैं और इस बैंक प्रत्याभूति का.....तक मूल्य है ।
7. नैमित्तिक व्यापारी को.....(तारीखों) को कर का संदाय करना होगा और निम्नलिखित व्यक्ति / व्यक्तियों ऐसे दायित्व का निर्वहन करेंगे :

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	हैसियत	पूरा पता

निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय स्टांप / मुद्रा सहित) ।

शर्तें: 1. यह प्रमाणपत्र कारबार इवेन्ट के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

2. प्रमाणपत्र, स्तम्भ–2 में वर्णित उक्त तारीख को स्वतः रद्द हो जाएगा जब तक कि इसे बढ़ाया न गया हो ।

3. माल, केवल अधिप्रमाणीकृत विक्रय बिल पर बेचा जाएगा ।

4. नैमित्तिक व्यापारी, निर्धारण प्राधिकारी को तत्काल सूचित करेगा यदि नैमित्तक कारबार इस प्रमाण–पत्र की वैद्यता की अन्तिम तारीख से पूर्व बन्द हो जाता है और यदि वह ऐसा कारबार इवेन्ट बढ़ाना चाहता है तो वह उक्त को कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व अग्रिम में सूचित करेगा ।

5. कर दायित्व विवरणी, प्ररूप वैट–X मे दाखिल की जाएगी ।

6. क्रय, विक्रय और अविक्रीत स्टाक की विवरणी भी कारबार इवेन्ट को बन्द करने के समय प्रस्तुत की जाएगी ।

7. नैमित्तिक व्यापारी, अपने अविक्रीत स्टाफ की बाबत, अन्तिम चैक पोस्ट या बैरियर पर रिपोर्ट करेगा ।

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

मू.प.क. वैट प्ररूप –10
[नियम 33(1) देखें]

नैमित्तिक व्यापारी द्वारा विक्रयों, क्रयों और कर दायित्व का विवरणी

स्थान _____ जिला _____

टिन (टी.आई.एन.) संख्या, यदि कोई है,

अनुज्ञा प्रमाण–पत्र संख्या

तारीख / / 20

नाम _____ 1

पता _____ 2

कारबार के अतिरिक्त स्थान का पता (यदि कोई है) 3

(अ)

(आ)

नैमित्तिक कारबार इवेन्ट का स्वरूप _____ 4

कारबार विषय की अवस्थिति _____ 5

व्यापार की अवधि से / / 20 से / / 20

	नैमित्तिक व्यापार के प्रारम्भ के समय आरम्भिक स्टाक :	रुपए	6
जोड़ें	क्रय जिस पर क्रय कर उद्गृहीत किया जाएगा:	रुपए	7
जोडे	क्रय जिस पर वैट (मूल्य परिवर्धित कर) सदेय है :	रुपए	8
	तत्पश्चात आयतित स्टाक :	रुपए	9
	कुल स्टाक:	रुपए	10

	सकल विक्रय:	रुपए	11
घटाकर	कर मुक्त माल का विक्रय	रुपए	12
	अतिशेष	रुपए	13
	माल का विक्रय जिस पर मूल्य परिवर्धित कर (वैट) सदेय है:	रुपए	14

माल का क्रय मूल्य जिस पर क्रय कर संदेय है:	रुपए	15
सकल कराधेय आवर्त(14+15) कर की दर अनुसार अवशिष्ट दें ।	रुपए	16
कुल कर दायित्व	रुपए	17
बंद स्टाक(10+14+15)	रुपए	18
निक्षिप्त प्रतिभूति की रकम	रुपए	19
अतिशेष संदेय कर (17-18)	रुपए	20
प्रतिदाय (19-17)	रुपए	21

घोषणा

मैं.....एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है और इसमें कुछ भी छिपाया नही गया है ।

तारीख

		/			/	2	0		

हस्ताक्षर
और निर्धारण प्राधिकारी की मोहर

संलग्नक:1. मूल अनुज्ञा प्रमाण पत्र
2. लेखा बही (बहियां)
3. अविक्रीत(अनसोल्ड) स्टाक का विवरण
4. नकद / बैंक प्रत्याभूति (गारन्टी) की मूल रसीद ।

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

1. मैने कर दायित्व विवरण का परीक्षण कर लिया है और उसको स्वीकार करता हूं ।

या

2. नैमित्तिक व्यापारी द्वारा दिए गए कर दायित्व विवरणी का परीक्षण किया गया और कर दायित्व निम्न ढंग से अवधारित किया गया :

	नैमित्तिक व्यापार के प्रारम्भ के समय आरम्भिक स्टाक	रुपए
जोड़ें	क्रय जिस पर क्रय कर उदग्रहणीय है:	रुपए

जोड़ें	क्रय जिस पर मूल्य परिवर्धित कर (वैट) संदेय है :	रुपए
	तत्पश्चात् आयातित स्टाकः	रुपए
	कुल स्टाकः	रुपए

	सकल विक्रयः	रुपए
घटाकर	कर मुक्त माल का विक्रयः	रुपए
	अतिशेषः	रुपए
	माल का विक्रय जिस पर मूल्य परिवर्धित कर(वैट) संदेय हैः	रुपए
	माल का क्रय मूल्य जिस पर क्रय कर संदेय हैः	रुपए
	कुल कराधेय आवर्त (कर की दर अनुसार अवशिष्ट दें)	रुपए
	कुल कर दायित्व	रुपए
	बन्द स्टाकः	रुपए
	निक्षिप्त प्रतिभूति की रकम	रुपए
	अतिशेष देय कर	रुपए
	प्रतिदाय(रिफंड)(18–16)	रुपए

तारीख

		/			/	2	0		

निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

संलग्नकः कर मांग सूचना और चालान ।

प्ररूप मू.प.क.वैट–11
[नियम 33(4) देखें]
नैमित्तिक व्यापारी के लिए अनापति प्रमाण पत्र

जिला	
अनुज्ञा प्रमाण पत्र संख्या	

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्ज ..... जिसे ..... से ..... तक कारबार इवेन्ट संचालन करने के लिए अनुज्ञा दी गई थी उस उक्त नैमित्तिक व्यापारी ने.....(तारीख, मास और वर्ष) को नैमित्तिक कारबार इवेन्ट समाप्त कर दिया है और अधोहस्ताक्षरित द्वारा निर्धारित कर और शास्ति, यदि कोई है, को .....(तारीख) को जमा कर दिया है ।

नीचे सूचीबद्ध माल का हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर वाहित किया जाना अनुमत है ।

क्रम संख्या	वस्तु नाम	मूल्य	टिप्पणियां

समुचित निर्धारण प्राधिकारी के
हस्ताक्षर
(कार्यालय स्टाप और मोहर सहित)

तारीख | | | / | | | / | 2 | 0 | | | **(तारीख–मास–वर्ष)**

प्ररूप मू.प.क.वैट–12

[नियम 38(1) और (2) देखें]

संकर्म संविदाकार या उप–संविदाकार के साथ संविदी द्वारा की गई संविदा की विशिष्टियां देने हेतु प्ररूप और कर कटौती संख्या के लिए आवेदन

सेवा में

निर्धारण प्राधिकारी,
..... वृत्त (सर्किल), जिला.....

मैं / हम ..... संविदियों / संविदाकारों निम्नलिखित विशिष्टियों सहित संविदाकारों / उप संविदाकारों के साथ नीचे दिए गए ब्यौरेनुसार संकर्म संविदा (संविदाएं) करते हैं:––

1. संविदाकारी का परिचय

नाम									मैसर्ज										
पता															संविदा संख्या				
कटौती संख्या																			

* (संविदी के रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी होने की दशा में भरा जाएगा)

2. संकर्म संविदा (संविदाएं) करने के ब्यौरे

क्रम संख्या	संविदाकार (संविदाकारों) उप–संविदाकार का नाम और पूरा पता	टिन (यदि कोई हो।)	संख्या, तारीख और नाम यदि कोई है और संकर्म का स्वरूप	संकर्म संविदा का कुल मूल्य और अधिनिर्णय की तारीख		इस आवेदन के करने तक संविदाकार / उप–संविदाकार को कोई रकम यदि संदत्त की गई है		स्तम्भ संख्या (7) और (8) में संदाय से कटौती और संदत्त की गई रकम (ब्यौरा दें)
				कुल मूल्य	अधि–निर्णय की तारीख	तारीख	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			कुल					

3. मैं/हम एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं कि मैं /हम/मुझे/हमें यह सूचना देने के लिए प्राधिकृत किया गया है और यह कि इसकी समस्त विषय–वस्तु सत्य, सही और पूर्ण है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

4. मैं/हम एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 17 के अधीन कर की कटौती समर्थ बनाने के लिए नियम 38 के उप–नियम (2) के अधीन कर कटौती संख्या के लिए भी आवेदन करता हूँ/करते हैं।

स्थान:
तारीख: [संविदी के हस्ताक्षर]

सेवा में

निर्धारण प्राधिकारी,
———————— वृत्त (सर्कल), ———————— जिला

(निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय उपयोग हेतु)	
(1)कार्यालय अभिलेख/कम्प्यूटर में आंकडे(डाटा) प्रविष्टि की तारीख :	
(2) तारीख दर्ज करने वाले पदधारी के (नाम सहित) हस्ताक्षर:	
(3) निर्धारण प्राधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर: [नाम और पदनाम की स्टांप (मोहर) लगाएं]	

अभिस्वीकृति

अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित तारीख को इस विवरणी की मूल प्रति प्राप्त करने की अभिस्वीकृति देता है :–

(1) विवरणी प्राप्त करने की तारीख (2){ आवती लिपिक का नाम और पदनाम के सहित हस्ताक्षर और मोहर}

पाद टिप्पण: यह संविदी द्वारा संविदाकार के समुचित निर्धारण प्राधिकारी को दिया जाएगा।

प्ररूप मू.प.क.वैट--13
[नियम 38(5) देखें]
संविदी द्वारा दी जाने वाली विवरणी का प्ररूप

तारीख-- मास – वर्ष

को समाप्त तिमाही के लिए विवरणी की मूल / द्विप्रतिक

1. संविदी का परिचय

नाम	मैसर्ज										
पता									सम्पर्क संख्या		
कटौती संख्या											

* (संविदी का रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी होने की दशा में भरा जाएगा)

2. संकर्म संविदा (संविदाओं),जिसके / जिनके विरुद्ध संदाय किए गए है, कर कटौती योग्य, की कटौती कर दी गई है और संदत्त कर दिया है, के ब्यौरे :

क्रम संख्या	संविदाकार (संविदाकारों) का नाम व पूर्ण पता	टिन (टी. आई. एन.) यदि कोई है	संख्या , तारीख और नाम, यदि कोई है, और संकर्म संविदा का स्वरूप जिसके विरुद्ध अवधि के दौरान संदाए किए गए है	संकर्म संविदा का कुल मूल्य	संविदाकार को संदत्त की गई राशि		स्तम्भ (5) में कुल मूल्य की .....दर पर अवधि के दौरान कटौती योग्य रकम
					विवरणी अवधि के दौरान	आनुक्रमिक (प्रगामी)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				कुल			

अवधि के दौरान प्रत्येक मास काटे गए और संदत्त किए गए कर की रकम							अवधि तक संदत्त
प्रथम मास		द्वितीय मास		तृतीय मास		कुल संदत्त	
काटे गए	संदत्त	काटे गए	संदत्त	काटे गए	संदत्त		
(9)	(9.1)	(10)	(10.1)	(11)	(11.1)		

(यदि स्थान अपर्याप्त हो तो, अतिरिक्त प्रविष्टियों के लिए पृथक पन्ना संलग्न करें)

3. अवधि के दौरान जमा किए गये कर के ब्यौरे

क्रम संख्या	खजाने का नाम जहां पर कर जमा किया गया है या बैंक का नाम जहां से मांग देय ड्राफ्ट / संदाय आदेश निकाला गया है	खजाना रसीद(टी0आर0) डी0डी0 / पी0ओ0				कार्यालय उपयोग के लिए	
		लिखत की किस्म	संख्या	तारीख	रकम	डी0सी0आर0 संख्या	तारीख
	कुल						

घोषणा

मैं,.....(नाम, साफ़ अक्षरों में,) एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मुझे इस विवरणी को देने के लिए अधिकृत किया है और इसकी समस्त विषय–वस्तु सत्य, सही और पूर्ण है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

स्थानः
तारीख (संविदी के हस्ताक्षर)

निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय में प्रयोग हेतु)	
(1)कार्यालय अभिलेख /कम्प्युटर में आंकड़े (डाटा) प्रविष्टि की तारीख	
(2) डाटा प्रविष्टि दर्ज करने वाले पदधारी का (नाम सहित)हस्ताक्षर	
निर्धारण प्राधिकारी का तारीख सहित हस्ताक्षर (नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)	

अभिस्वीकृति

अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित तारीख को इस विवरणी की मूल प्रति प्राप्त करने की अभिस्वीकृति देता है :

(1) विवरणी की प्राप्ति की तारीख: **(2) [आवती लिपिक के नाम और पदनाम की मोहर सहित हस्ताक्षर]**

प्ररूप मू.प.क. वैट–14

[नियम 39(1) देखें]

दैनिक वसूली रजिस्टर

क्रम संख्या	तारीख	व्यौहारी / व्यक्ति का नाम व पता	टिन, (टि.आई. एन) यदि कोई है	खजाना चालान संख्या और तारीख और अवधि जिससे संदाय सम्बन्धित है	*के मद्दे वसूली*		
					मूल्य परिवर्धित कर (वैट) का स्वैच्छिक संदाय	क्रय कर	धारा 17 के अधीन काटा गया कर
1	2	3	4		5	6	7

जारी.....

अतिरिक्त मांग	शास्ति	ब्याज	फीस	प्रशमन धन	कुल	व्यवहार करने वाले के हस्ताक्षर
8	9	10	11	12	13	14

टिप्पण:— 1. प्रत्येक दिन के लिए क्रम संख्या 01 से आरम्भ होना चाहिए।

2. दिन की समाप्ति पर रजिस्टर, जिलों के प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

3. प्रत्येक मास की समाप्ति पर जिला के प्रभारी अधिकारी द्वारा अन्त में एक समाधान(सुलह) प्रमाण–पत्र अभिलिखित किया जाएगा ।

प्ररूप मू.प.क. वैट–15

[नियम 17(7) और 40(1) देखें]

तारीख मास वर्ष

को समाप्त मास / तिमाही के लिए विवरण

1. व्यौहारी की पहचान

कारबार का नाम और अभिनाम	मैसर्ज		
पता		सम्पर्क संख्या	
कर दाता की पहचान संख्या		आर्थिक (क्रियाकलाप) कोड	
आयकर अधिनियम के अधीन स्थायी लेखा संख्या			
आयकर निर्धारण का वृत और स्थान :			

2. कुल आवर्त, कुल आवर्त से कटौतियां, विक्रयों का कराधेय आवर्त और कर की संगणना ।

[अधिनियम की धाराएं 2(य ड़) 6 और 9 देखें]

	(क) विवरण	(ख) माल का मूल्य	(ग) विवरणी से संलग्न सूचियॉं
2अ.	(1) विवरणी अवधि के दौरान विक्रीत माल के लिए प्राप्त और प्राप्य विक्रय मूल्य		
	(2) विक्रय से अन्यथा राज्य के भीतर या बाहर भेजे गए माल का मूल्य		
2आ.	कुल आवर्त [(1) +(2)]		
2इ.	**कुल आवर्त से कटौतियां [धारा 6(3)]**		
(1)	धारा 9 के अधीन कर मुक्त माल का विक्रय		एल.एस-I
(2)	अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय		
(3)	भारत में आयात के अनुक्रम में विक्रय		
(4)	भारत से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय		
(5)	राज्य के बाहर खरीदे माल का राज्य से बाहर विक्रय		
(6)	विक्रय के रूप में से अन्यथा भेजे गए माल का मूल्य		
	(i) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में		
	(ii) भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के अनुक्रम में		
	(iii) स्थानीय अभिकर्ताओं को (रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी) विक्रय हेतु		
(7)	कुल जोड़ (1) से (5)		

2(ई)	विक्रय का कराधेय आवत [2आ(ख)-2इ(7)(ख)]				
2उ.	(क)कर की दर के अनुसार 2 ई का अवशिष्ट	(ख) माल की वापिसी का प्रभाव और [एल.एस-10]	(ग) कुल कराधेय आवर्त [(क)+(ख)]	(घ) कर की दर	(ङ) कर रकम [(ग)+(घ)]
(1)				1 प्रतिशत	
(2)				4 प्रतिशत	
(3)				12.5 प्रतिशत	
(4)				20 प्रतिशत	
(5)				0 प्रतिशत	
(6)	कुल कर राशि				

3. माल का क्रय आयात और प्राप्ति और राज्य में किए गए क्रयों पर संदत्त कर की रकम की संगणना

3अ	(क) विवरण	(ख) विवरणी से संलग्न सूची	(ग) राशि	(घ) 31 मार्च की विवरणी के साथ दिया जाने वाला पिछले (लास्ट) 31 मार्च तक का स्टाक
	कुल कीमत / माल का मूल्य, --			
(1)	कर बीजक पर राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से किया गया क्रय (आगत कर प्रत्यय के लिए वांछनीय पूंजी माल सहित)	एल0पी 0 -1		
(2)	कर बीजक के बिना अन्य व्यौहारियों से किया गया क्रय			
(3)	अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किया गया क्रय			
(4)	भारत में आयात के अनुक्रम में किया गया क्रय			
(5)	भारत से बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया गया क्रय			
(6)	राज्य के भीतर आयातित			

(7)	राज्य से बाहर, विक्रय के लिए राज्य से बाहर किया गया क्रय			
(8)	राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से विक्रय के लिए प्राप्त			
(9)	राज्य से बाहर व्यौहारियों से विक्रय के लिए प्राप्त			
(10)	कुल [(1) से (9)]			

3आ	(क) कर की दर के अनुसार 3 अ(9) का अवशिष्ट	(ख) वापसी माल और कीमत का प्रभाव (एल.पी.2)	(ग) कुल कराधेय क्रय [(क) +/- (ख)]	(घ) कर की दर	(ङ) संदत्त कर की रकम [(ग) x (घ)]
(1)				1 प्रतिशत	
(2)				4 प्रतिशत	
(3)				12.5 प्रतिशत	
(4)				प्रतिशत	
(5)	क्रयों पर संदत्त कुल कर की रकम				

4. विक्रय या क्रयों पर उद्ग्रहित कुल कर

(1)	विक्रयों पर कर [2उ(6)]	
(2)	क्रय कर 11(4)(घ) पृष्ठ 3	
(3)	**कुल कर** [(1) + (2)]	

5. आगत कर प्रत्यय की संगणना (धारा 11 देखें)

(1)	राज्य में किए गए क्रयों पर संदत्त कर [3आ(5)ङ)]	
(2)	कम संदत्त कर जो आगत कर का भाग नहीं है [10इ(3)छ पृष्ठ 3]	
(3)	आगत कर प्रत्यय[(1)-(2)]	

6. संदेय या समायोज्य कर (धारा 12 देखें)

(1)	संदेय कर [4(3)-5(3)]	
(2)	धारा 12(2) के अधीन समायोजित आगत कर प्रत्यय की रकम	
(3)	धारा 12(3) के अधीन समायोजित आगत कर प्रत्यय की रकम	
(4)	उपरोक्त (2) या (3) के पश्चात् अतिरिक्त अग्रनयन	

तारीख

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

7. जमा किए गए कर के ब्यौरे :

क्रम संख्या	खजाने का नाम जहां पर कर जमा किया गया है या बैंक जिससे मांगदेय ड्राफ्ट / संदाय आदेश / क्रास चैक लिखा है		खजाना रसीद			कार्यालय उपयोग हेतु	
	खजाना / बैंक	लिखत की किस्म	संख्या	तारीख	रकम	डी.सी. आर. संख्या	तारीख
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							
(6)	------- (संविदी द्वारा)						
(7)	पिछली विवरणी से अग्रनीत अतिरिक्त संदत्त किया गया						
(8)	कुल[(1) to (7)]						

8. सरकारी प्राधिकार के अधीन मुद्रित प्ररूपों का लेखा निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना अपेक्षित है ।

क्रम संख्या	प्ररूप की किस्म	विवरणी अवधि के आरम्भ में प्रारम्भिक स्टॉक	विवरणी अवधि के दौरान खाली प्राप्त या अधिप्रमाणित प्ररूप	विवरणी अवधि के दौरान उपयोग में लाए गए प्ररूपों की संख्या	संव्यवहार जिसके लिए प्ररूप उपयोग किए गए हैं, की कुल रकम
(1)					
(2)	विक्रय कर 26–अ बाहर				

(3)	वैट				
(4)	इ				
(5)	उ-I				
(6)	उ -II				
(7)	ऊ				
(8)	ऐ				

9. अन्य व्यौहारियों से प्राप्त विवरणी के साथ दी गई कानूनी घोषणाएं और प्रमाणपत्र

क्रम संख्या	प्ररूप की किस्म	दिए गए प्ररूपों की संख्या	संव्यवहारों, जिनके लिए प्ररूप दिए गए हैं, की कुल रकम		क्रम संख्या	प्ररूप की किस्म	दिए गए प्ररूपों की संख्या	संव्यवहारों की कुल रकम, जिनके लिए प्ररूप दिए गए हैं
(1)	विक्रय कर 26–अ बाहर				(5)	उ-1		
(2)	वैट				(6)	उ-11		
(3)	इ				(7)	ऊ		
(4)	ई				(8)	ऐ		

घोषणा

मैं———————————— (नाम साफ अक्षरों में), एतद् द्वारा, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मुझे इस विवरणी को देने के लिए प्राधिकृत किया गया है और इसकी समस्त विषय–वस्तु सारणी 10 और 11 सहित, सूचियां, विवरणियां, घोषणाएं, प्रमाण–पत्र और इससे संलग्न या इसके साथ दाखिल किए गए अन्य दस्तावेज सत्य, सही और पूर्ण हैं और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है ।

स्थान:
तारीख:

[हस्ताक्षर]

हैसियत: आवेदन पर निशान (√) लगाएं [कर्त्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडेन्ट), सचिव, प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी]

(निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय उपयोग हेतु)

(1) वैट रजिस्टर / कम्प्यूटर में आंकडे (डाटा) दर्ज करने की तारीख :

(2) आंकडा (डाटा) दर्ज करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर :
(नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)

(3) निर्धारण प्राधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर :

---

1. विवरणी में अधिनियम की धाराओं या अनुसूचियों का सन्दर्भ संकेत सूचक है और व्यापक नहीं है ।

2. व्यौहारी, जिसने कर अवधि के दौरान सारणी 10 या 11 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में माल के साथ व्यवहार नहीं किया है, को विवरणी का अगला पृष्ठ भरने की आवश्यकता नहीं है।

10. कर बीजक पर रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से राज्य में क्रय किए गए माल की बाबत संदत्त कर की संगणना परन्तु जो आगत कर प्रत्यय का भाग नहीं बनेगा (धारा 11 देखें)

कतिपय माल के क्रय की बाबत जिन परिस्थितियों में कर संदत्त किया गया है, आगत कर प्रत्यय का भाग नहीं बनेगा	**क्रय मूल्य**
(क)	**(ख)**
अ. कर बीजक पर रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से यथा क्रय किया गया वर्णित के सिवाए समस्त माल जब,—	
(1) दूर–संचार नेटवर्क, या विद्युत उत्पादन और वितरण या विद्युत (पावर) के अन्य रूप में उपयोग की गई हो ;	
(2) उनके क्रय पर कर 4 प्रतिशत की दर या कम दर संदत्त किया गया हो परन्तु ऐसा माल विक्रय के रूप में से अन्यथा व्ययनित किया गया है और	
(3) धारा 9 के अधीन कर मुक्त घोषित माल के बनाने या पैक करने में उपयोग किया गया हो (सिवाए तब के जब ऐसा माल भारत से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रीत किया हो) : (4) कारबार के बंद करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के	

रद्दककरण के दिन, चाहे क्रय किए गए रूप में या विनिर्मित या प्रसंस्कृत रूप में, स्टाक में छोड़ा गया हो । (5) धारा 11 (6)(ग) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में बनाए गए	
(6) धारा 11 (6) (घ) और (ङ) के अन्तर्गत आने वाले	
(7) धारा 11(6)(ञ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया	
(8) कर बीजक उपलब्ध नहीं है या जारी नहीं किया गया है या जारी किया गया मूल कर बीजक, प्रभारित कर के पृथक ब्यौरे नहीं दर्शा रहा है	
आ. कुल जोड़ [(1) से (8)]	

इ. विभिन्न दरों पर आगत कर की संगणना	(ग)	(घ)	(ङ.)	(च)	(छ)	कुल जोड़ (ग) से (छ) (ज)
(1) कर दर के अनुसार अ(ख) का अवशिष्ट						
(2) कर की दर	1%	4%	12.5%	%	%	
(3) आगत कर का आरक्षित रखा जाना [(1) x (2)]						

टिप्पण.— जहां राज्य में क्रय किए गए किसी माल का उपयोग किया जाता है या उपरोक्त प्रविष्टि अ के विरूद्व स्तम्भ (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में भागतः और अन्यथा आगतः व्ययन किया जाता है तो ऐसे माल के क्रय मूल्य की संगणना यथाअनुपात की जाएगी ।

11. क्रय कर [धारा 6(1) (ख) और 8 देखें].

परिस्थितियां जिनमें क्रय कर उद्गृहित किया गया		विभिन्न दरों पर कराधेय माल का क्रय मूल्य	कर की दर	क्रय कर
(क)		(ख)	(ग)	(घ)
(1)	अधिनियम की अनुसूची "इ" में विनिर्दिष्ट माल का आवर्त			

(2)	राज्य में बिना कर के संदाय के क्रय किए गए कराधेय माल का आवर्त जब ऐसा माल या उससे विनिर्मित माल या तो राज्य से बाहर निर्यात किया गया है या (सिवाए तब के जब भारत के बाहर से निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया गया है) इस प्रकार से उपयोग या व्ययनित किया गया है कि राज्य का कोई कर या केन्द्रीय विक्रय कर देय नहीं है	(i)			
		(ii)			
(3)	**कुल जोड़ (1) + (2)**				

टिप्पण.––जहां राज्य में क्रय किए गए किसी माल का उपयोग किया जाता है या उपरोक्त क्रम संख्या (2) की प्रविष्टि के विरुद्ध स्तम्भ (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में भागतः और अन्यथा भागतः व्ययन किया जाता है, तो ऐसे माल पर उद्गृहित क्रय कर की संगणना अनुपाततः की जाएगी ।

स्थानः

तारीखः [हस्ताक्षर]

हैसियतः आवेदन पर निशान (√) लगाएं [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडैन्ट), सचिव, प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी]

अभिस्वीकृति

मैसर्ज ..... से टी0 आई0 एन0 प्ररूप मू.प.क. (वैट)–15 में _____ समाप्त होने वाले मास/तिमाही के लिए, प्ररूप एल0एस0–2 में सूची के साथ विवरणी प्राप्त हुई है ।

निर्धारण प्राधिकारी/
आबकारी एवं कराधान निरीक्षक
(जब जिला मुख्यालय से बाहर वृत में तैनात हो)
———— वृत, जिला————

(मोहर)

तारीख————

प्ररूप एल0 एस0–1

(नियम 41 देखें)

(मू.प.क.वैट–15 देखें)

विवरणी के साथ दिए जाने वाले विक्रयों की सूची

तारीख-- मास – वर्ष

को समाप्त होने वाले तिमाही हेतु

1.	**कारबार की विशिष्टियां**			
1.1	आवेदक का पूरा नाम (मैसर्ज)			
1.2	आवेदक का पता			
		पिन		
		दूरभाष	फैक्स	
1.3	टि0 आई0 एन0			

2. विवरणी दाखिल करने वाले व्यौहारी द्वारा किए गए विक्रयों का ब्यौरा

क्रम संख्या	ग्राहक का नाम	ग्राहक का पता	टी0आई0एन0	कर अवधि के दौरान विक्रय मूल्य	कर अवधि के दौरान वैट
कुल जोड़					

घोषणा: मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास से इस प्ररूप पर दी गयी सूचना सत्य और सही है ।

स्थान:

तारीख: [हस्ताक्षर]

हैसियत: आवेदन पर (√) का निशान लगाएं [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रजीडैन्ट), सचिव, प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी]

पाद टिप्पण:—इस प्ररूप में समान्त कर अवधि के लिए ब्यौरा (संव्यवहारनुसार से अन्यथा) केवल पक्षकार–अनुसार दिए जाएं ।

प्ररूप एल0 पी0–1

(नियम 41 देखें)

(मू.प.क. वैट–15 देखें)

विवरणी के साथ दिए जाने वाले क्रयों की सूची

तारीख-- मास – वर्ष

को समाप्त मास / तिमाही के लिए :

1.	**कारबार की विशिष्टियां**	
1.1	आवेदक का पूरा नाम (मैसर्ज)	
1.2	आवेदक का पता	
		पिन
		दूरभाष फैक्स
1.3	टि0 आई0 एन0	

2.	**विवरणी दाखिल करने वाले व्यौहारी द्वारा किए गए क्रयों का ब्यौरा**				
क्रम संख्या	विक्रेता का नाम	विक्रेता का पता	टी0आई0एन0	कर अवधि के दौरान क्रयों का मूल्य	कर अवधि के दौरान वैट
कुल					

घोषणा: मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप में दी गई सूचना मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास से सत्य और सही है ।

स्थान:

तारीख: [हस्ताक्षर]

स्थिति: आवेदन पर (√)का निशान लगाएं [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडैन्ट) सचिव, प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी]

पाद टिप्पण.—इस प्ररूप में समान्त कर अवधि के लिए ब्यौरे (संव्यवहारनुसार से अन्यथा) केवल पक्षकार–अनुसार दिए जाएं ।

प्ररूप मू.प.क. वैट–15–अ
[नियम 40 (5) देखें]

तारीख		मास		वर्ष			

को समाप्त वर्ष के लिए विवरण

1. व्यौहारी की पहचान

कारबार का नाम और अभिनाम	मैसर्ज		
पता		सम्पर्क संख्या	
कर देने वाले की पहचान संख्या		आर्थिक क्रियाकलाप कोड	
आयकर अधिनियम के अधीन स्थायी लेखा संख्या			
आय कर निर्धारण का वृत और स्थान:			

2. कुल आवर्त्त, विक्रय के कुल आवर्त्त कराधेय आवर्त्त से कटौती और कर की संगणना (अधिनियम की धाराएं 2 (यङ) 6 और 9 देखें)

		(क) विवरण	(ख) माल का मूल्य	(ग) विवरणी से संलग्न सूचियां
2 अ	(1)	विवरणी अवधि के दौरान विक्रीत माल के लिए प्राप्त और प्राप्य विक्रय मूल्य		
	(2)	विक्रय से अन्यथा राज्य के भीतर और बाहर भेजे गए माल का मूल्य		
2 आ		सकल आवर्त्त [(1)+(2)]		
2 इ		सकल आवर्त्त से कटौती [धारा 6 (3)]		
(1)		धारा 9 के अधीन कर मुक्त माल का विक्रय		एल.एम.–1
(2)		अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय		
(3)		भारत में आयात के अनुक्रम में विक्रय		
(4)		भारत से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय		

(5)		राज्य के बाहर से क्रय किए गए माल का राज्य के बाहर विक्रय		
(6)		विक्रय से अन्यथा भेजे गए माल का मूल्य :–		
		(i) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में		
		(ii) भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर से निर्यात के अनुक्रम में		
		(iii) विक्रय के लिए स्थानीय अभिकर्ताओं (रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों) को		
(7)		(1) से (5) का कुल जोड़		

2 ई विक्रय का कराधेय आवर्त्त [2 आ (ख)– 2इ (7) (ख)]

2 उ	(क) कर की दर के अनुसार 2 ई का अवशिष्ट	(ख) माल की वापसी का प्रभाव और तीव्रता में कमी (डिएसकेलेशन) [एल.एस.–10]	(ग) कुल कराधेय आवर्त्त [(क)+(ख)]	(घ) कर की दर	(ङ) कर रकम [(ग)x(घ)]
(1)				1 प्रतिशत	
(2)				4 प्रतिशत	
(3)				12.5 प्रतिशत	
(4)				20 प्रतिशत	
(5)				%	
(6)	कुल कर रकम				

3. माल का क्रय, आयात और प्राप्ति और राज्य में किए गए क्रयों पर संदत्त कर की रकम की संगणना।

3 अ.	(क) विवरण	(ख) विवरण से संलग्न सूची	(ग) राशि	(घ) 31 मार्च को विवरणी के साथ दिया जाने वाला पिछले 31 मार्च तक का स्टाक
(1)	कुल कीमत / माल का मूल्य कर बीजक पर राज्य में	एल0पी0–1		

	रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से किया गया क्रय (आगत कर प्रत्यय के लिए वांछनीय पूँजी माल सहित)			
(2)	कर बीजक के बिना अन्य व्यौहारियों से किया गया क्रय			
(3)	अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किया गया क्रय			
(4)	भारत के भीतर आयात के अनुक्रम में किया गया क्रय			
(5)	भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया गया क्रय			
(6)	राज्य में आयातित			
(7)	राज्य से बाहर विक्रय के लिए राज्य से बाहर किया गया क्रय			
(8)	राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से विक्रय हेतु प्राप्त			
(9)	राज्य के बाहर व्यौहारियों से विक्रय हेतु प्राप्त			
(10)	कुल जोड़ [(1)से (9)]			

3 आ	(क) कर की दर के अनुसार 3 अ (9) का अवशिष्ट	(ख) वापसी माल का प्रभाव और उसकी कीमत [एल.पी.2]	(ग) कुल कराधेय क्रय [(क)+(ख)]	(घ) कर की दर	(ङ) संदत्त कर की रकम [(ग)x(घ)]
(1)				1 प्रतिशत	
(2)				4 प्रतिशत	
(3)				12.5 प्रतिशत	

(4)				%	
(5)	क्रयों पर संदत्त कुल कर की रकम				

4. विक्रयों या क्रयों पर उद्‌गृहित करों का योग(कुल)

(1)	विक्रय पर कर [2उ (6)]	
(2)	क्रय कर 11 (4) घ पृष्ठ–3	
(3)	कुल कर [(1)+ (2)]	

5. आगत कर प्रत्यय की संगणना (धारा 11 देखें)

(1)	राज्य में किए गए क्रयों पर संदत्त कर [3 आ (5) ङ)]	
(2)	कम संदत्त कर, आगत कर का भाग नहीं है [10इ (3) छ पृष्ठ 3]	
(3)	आगत कर प्रत्यय [(1)-(2)]	

6. संदेय या समायोज्य कर (धारा 12 देखें)

(1)	संदेय कर [4 (3)-5 (3)]	
(2)	धारा 12 (2) के अधीन समायोजित आगत कर प्रत्यय की रकम (राशि)	
(3)	धारा 12 (3) के अधीन समायोजित आगत कर प्रत्यय की रकम (राशि)	
(4)	उपरोक्त (2) या (3) के पश्चात् अतिरिक्त अग्रनयन	

तारीख :

[प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर]

7. जमा किए गए कर का ब्यौरा

क्र0 सं0	खजाने का नाम जहां पर कर जमा किया गया है या बैंक जहां से मांगदेय ड्राफ्ट, संदाय आदेश / क्रॉस चैक निकाला गया है		खजाना रसीद			कार्यालय उपयोग हेतु	
	खजाना / बैंक	लिखत की किस्म	संख्या	तारीख	रकम (राशि)	डी.सी. आर. संख्या	तारीख
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							
(6)	(संविदी द्वारा)						
(7)	पिछली विवरणी से अग्रनीत अतिरिक्त संदत्त किया गया						
(8)	कुल जोड़ [(1)से (7)]						

8. सरकारी प्राधिकार के अधीन मुद्रित प्ररूपों का लेखा निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना अपेक्षित है।

क्र. सं0	प्ररूप की किस्म	विवरणी अवधि के आरम्भ का प्रारम्भिक स्टाक	विवरणी अवधि के दौरान खाली प्राप्त या अधिप्रमाणित प्ररूप	विवरणी अवधि के दौरान प्रयुक्त प्ररूपों की संख्या	संव्यवहारों की कुल रकम जिसके लिए प्ररूप प्रयुक्त किए गए हैं
(1)					
(2)	विक्रय कर 26–अ (बाहर)				

(3)	वैट मू. प.क.				
(4)	इ				
(5)	उ-I				
(6)	उ-II				
(7)	ऊ				
(8)	ऐ				

9. अन्य व्यौहारियों से प्राप्त विवरणी के साथ दी गई कानूनी घोषणा और प्रमाणपत्र

क्रम संख्या	प्ररूप की किस्म	दिए गए प्ररूपों की संख्या	संव्यवहारों की कुल रकम जिसके लिए प्ररूप दिए गए हैं
(1)	विक्रय कर 26–अ (बाहर)		
(2)	मू.प.क. (वैट)		
(3)	इ		
(4)	ई		

क्रम संख्या	प्ररूप की किस्म	दिए गए प्ररूपों की संख्या	संव्यवहारों की कुल रकम जिसके लिए प्ररूप दिए गए हैं
(5)	उ–I		
(6)	उ–II		
(7)	ऊ		
(8)	ऐ		

घोषणाः

मैं.....(नाम साफ अक्षरों में) एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मुझे इस विवरणी को देने के लिए प्राधिकृत किया गया है और इसकी समस्त विषय–वस्तु सारणी 10 और 11 सहित, सूचियां, विवरणियां,

घोषणाएं, प्रमाणपत्र और इससे संलग्न या इसके साथ फाईल (दाखिल) किए गए अन्य दस्तावेज सत्य, सही और पूर्ण हैं और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान :

तारीखः [हस्ताक्षर]

हैसियत : आवेदन पर निशान (√) लगाएं [कर्ता स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडैन्ट) सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अधिकारी]

(निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय में उपयोग हेतु)

(1) वैट रजिस्टर /कम्प्यूटर में आंकड़े (डाटा) दर्ज करने की तारीख :

(2) आंकड़ा (डाटा) दर्ज करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर (नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)

(3) निर्धारण प्राधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर :

---

1. विवरणी में अधिनियम की धाराओं या अनुसूचियों का सन्दर्भ संकेत सूचक है और व्यापक नहीं है।

2. व्यौहारी, जिसने, कर अवधि के दौरान सारणी 10 या 11 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में माल के साथ व्यवहार नहीं किया है को, विवरणी का अगला पृष्ठ भरने की आवश्यकता नहीं है।

10. कर बीजक पर रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से राज्य में क्रय किए गए माल की बाबत संदत्त कर की संगणना परन्तु जो आगत कर प्रत्यय का भाग नहीं बनेगा (धारा 11 देखें)।

कतिपय माल के क्रय की बाबत जिन परिस्थितियों में कर संदत्त किया गया है, आगत कर प्रत्यय का भाग नहीं बनेगा	क्रय मूल्य
(क)	(ख)
अ. कर बीजक पर रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से यथा क्रय किया गया वर्णित के सिवाय समस्त माल जब,–	
(1) दूर संचार नेटवर्क या विद्युत उत्पादन और वितरण या विद्युत (पावर) के अन्य रुप में उपयोग किया गया हो।	
(2) उनके क्रय पर कर 4 प्रतिशत की दर या कम दर पर संदत्त किया गया हो परन्तु ऐसा माल विक्रय के रुप से अन्यथा व्ययनित किया गया हो और	
(3) धारा 9 के अधीन कर मुक्त घोषित माल के बनाने या पैक करने में उपयोग किया गया हो (सिवाय तब के जब ऐसा माल भारत से बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रीत किया हो)	
(4) कारबार के बन्द करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्दकरण के दिन, चाहे क्रय किए गए रुप में या विनिर्मित या प्रसंस्कृत रुप में, स्टाक में छोड़ा गया हो	
(5) धारा 11 (6) (ग) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में बनाए गए	
(6) धारा 11 (6) (घ) और (ङ) के अन्तर्गत आने वाले	
(7) धारा 11 (6) ञ में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया	
(8) कर बीजक उपलब्ध नहीं है या जारी नहीं किया गया है या जारी किया गया मूल कर बीजक, प्रभारित कर के पृथक ब्यौरे नहीं दर्शा रहा है।	
आ. कुल जोड़ [(1) से (8)]	

इ. विभिन्न दरों पर आगत कर की संगणना	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	कुल जोड़(ग) से (छ)
(1) कर दर के अनुसार अ (ख) का अवशिष्ट						(ज)
(2) कर की दर	1%	4%	12.5%	%	%	
(3) आगत कर का आरक्षित रखा जाना [(1) x (2)]						

टिप्पण.–जहां राज्य में क्रय किए गए किसी माल का उपयोग किया जाता है या उपरोक्त प्रविष्टि अ क विरुद्ध स्तम्भ (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में भागतः और अन्यथा भागतः व्ययन किया जाता है तो ऐसे माल के क्रय मूल्य की संगणना यथाअनुपात की जाएगी।

11. क्रय कर (धारा 6 (1) (ख) और (8) देखें)

परिस्थितियां जिनमें क्रय कर उदगृहित किया गया		विभिन्न दरों पर करादेय माल का क्रय मूल्य	कर की दर	क्रय कर
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(1)	अधिनियम की अनुसूची "इ" में विनिर्दिष्ट माल का आवर्त			
(2)	राज्य में बिना कर के संदाय के क्रय किए गए कराधेय माल का आवर्त जब ऐसा माल या उससे विनिर्मित माल या तो राज्य से बाहर निर्यात किया गया है या सिवाय तब के जब भारत के बाहर से निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया गया है इस प्रकार से उपयोग या व्ययनित किया गया है कि राज्य को कोई कर या केन्द्रीय विक्रय कर देय नहीं है	(i) (ii)		
3.	कुल जोड़ [(1)+(2)]			

टिप्पण.––जहां राज्य में क्रय किए गए किसी माल का उपयोग किया जाता है या उपरोक्त क्रम संख्या (2) की प्रविष्टि के विरुद्ध स्तम्भ (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में भागतः और अन्यथा भागतः व्ययन किया जाता है, तो ऐसे माल पर उदगृहित क्रय कर की संगणना अनुपाततः की जाएगी।

स्थानः
तारीखः

हस्ताक्षर,

हैसियतः आवेदन पर (√) निशान लगाएं [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडैन्ट) सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अधिकारी]

प्ररूप मू.प.क. वैट 15–अ

[नियम 40 (6) देखें]

धारा 16 (2) के अधीन प्रशमन द्वारा एकमुश्त राशि का संदाय करने वाले व्यौहारी से अन्यथा रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा दी गई वार्षिक वस्तुअनुसार कर विवरणी का प्ररूप

तारीख मास वर्ष

को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिए विवरणी की मूल/दूसरी प्रति

1. व्यौहारी की पहचान

कारबार का नाम और अभिनाम	मैसर्ज											
पता								सम्पर्क संख्या				
टी.आईएन.									आर्थिक क्रियाकलाप कोड			

2. पूरे कर की दर से राज्य में प्रथम बार विक्रीत माल का विक्रय

क्रम संख्या	वस्तु का विवरण	अनुसूची–II के अनुसार कोड	कराधेय आवर्त	कर की दर के अनुसार कराधेय आवर्त का अवशिष्ट			
				की दर से %	की दर से %	की दर से %	की दर से %
		कुल					

घोषणा :

मैं ..... (साफ अक्षरों में नाम) एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मुझे इस विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और यह कि इसकी समस्त विषय–वस्तु सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(हस्ताक्षर)

स्थान:
तारीख :

हैसियत : आवेदन पर (√) का निशान लगाएं [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडैन्ट), सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अधिकारी]

(निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय में उपयोग हेतु)

(1) कार्यालय अभिलेख / कम्प्यूटर में आंकड़ा (डाटा) दर्ज करने की तारीख

(2) आंकड़ा (डाटा) दर्ज करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर (नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)

(3) निर्धारण प्राधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर
(नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)

अभिस्वीकृति

मैसर्ज.....

टी.आई.एन..... से..... को समाप्त होने वाली तिमाही / वर्ष के लिए प्ररूप मू.प.क.वैट–15–आ में विवरणी प्राप्त की गई।

निर्धारण प्राधिकारी /
आबकारी एवं कराधान निरीक्षक
(जब जिला मुख्यालय से बाहर (वृत्त)
सर्किल में तैनात हो)

.....(वृत्त) सर्किल जिला.....

(मोहर)

प्ररूप मू.प.क.वैट 15–इ
(नियम 42/43 देखें)

धारा 20 के उपबन्धों के उल्लंघन में वसूल किए गए कर की विवरणी

तारीख मास वर्ष

को समाप्त मास हेतु

1.	व्यौहारी का नाम	
2.	टी.आई. एन. यदि कोई है	
3.	एकत्रित कर की कुल रकम (राशि)	रुपए
4.	खजाना चालान / चैक / ड्राफ्ट द्वारा संदत्त रकम	संख्या तारीख
5.	देय अतिशेष / अतिरिक्त संदत्त, यदि कोई है।	रूपए

मैं.....सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इस विवरणी के साथ दी गई विशिष्टियां और विवरण मेरी जानकारी और विश्वास से सत्य और पूर्ण हैं और इस में कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

व्यौहारी या प्राधिकृत
अभिकर्त्ता के पूरे हस्ताक्षर

स्थानः

तारीखः

हैसियत : जो लागू हैं पर (√) का निशान लगाएं [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडैन्ट), सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अधिकारी

.....

(निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय उपयोग हेतु)

(1) वैट रजिस्टर / कम्प्यूटर में आंकड़े (डाटा) दर्ज करने की तारीख :

(2) आंकड़े (डाटा) दर्ज करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर :

(नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)

(3) निर्धारण प्राधिकारी के ... तारीख सहित हस्ताक्षर

.....

अभिस्वीकृति

मैसर्ज .....टी.आई.एन. ..... से.....मास के लिए धारा 20 के अधीन संदेय कर प्ररूप मू.प.क. वैट–15–इ में विवरणी एल.एस.–2 प्ररूप में सूची सहित प्राप्त किया गया।

निर्धारण प्राधिकारी /
आबकारी एवं कराधान निरीक्षक,
(जब जिला मुख्यालय से बाहर (वृत)
सर्किल में तैनात हो)

.....सर्किल जिला.....

(मोहर)

तारीख:

प्ररूप एल.एस.–3

(मू.प.क. वैट–15–इ देखें)

व्यक्तियों की सूची जिनसे धारा 20 के उपबन्धों के उल्लंघन में कर वसूल किया गया

तारीख मास वर्ष

को समाप्त मास के लिए

1.	व्यौहारी का नाम और पूरा पता	
2.	टी. आई. एन., यदि कोई है	

क्रम संख्या	जिससे कर वसूल किया गया का नाम और पूरा पता	फुटकर बीजक / कैश मैमो / तारीख सहित बिल संख्या	विक्रीत माल का विवरण
1	2	3	4

विक्रीत माल का मूल्य	विधि के अधीन वसूल किया जाने वाला कर	वसूल किया गया कर	अतिरिक्त वसूल की गई राशि
5	6	7	8

व्यौहारी या प्राधिकृत अभिकर्ता के पूरे हस्ताक्षर

स्थानः
तारीखः

हैसियतः जो लागू है पर (√) का निशान लगाएं [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान(प्रेजीडैन्ट), सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अधिकारी]

प्ररूप मू.प.क वैट 15–ई
[धारा 46 (4) देखें]

ईट भट्ठा मालिक द्वारा दी जाने वाली विवरणी का प्ररूप

तारीख मास वर्ष

को समाप्त तिमाही के लिए विवरणी की मूल / दूसरी प्रति

1. व्यौहारी की पहचान

कारबार का नाम और अभिनाम	मैसर्ज		
पता		सम्पर्क संख्या	
टी.आई.एन		आर्थिक क्रियाकलाप कोड	

2.

भट्ठा (भट्ठों) का प्रवर्ग और क्षमता, संदेय एकमुश्त राशि और वर्ष के दौरान विकल्प की दशा में, और वर्ष के दौरान नए भट्ठा (भट्ठों) का जोड़ा जाना. मास जिससे एकमुश्त राशि देय है	भट्ठा संख्या	प्रवर्ग	घोड़ियों की संख्या	देय एकमुश्त राशि	मास जिसमें एकमुश्त राशि देय है
प्रथम भट्ठा					
द्वितीय भट्ठा					
तृतीय भट्ठा					
चतुर्थ भट्ठा					
		कुल			

3. जमा किए गए कर का ब्यौरा

क्रम संख्या	खजाने का नाम जहां कर जमा किया गया है या बैंक जिससे मांगदेय ड्राफ्ट / संदाय आदेश निकाला (ड्रॉ) किया गया है	खजाना रसीद (टी.आर. / डी. डी / पी.ओ.				कार्यालय उपयोग हेतु	
		लिखत की किस्म	संख्या	तारीख	रकम	डी.सी. आर. संख्या	तारीख
	पिछली विवरणी से अग्रनीत अतिरिक्त संदाय						
	कुल						

4. सरकारी प्राधिकाए के अधीन मुद्रित प्ररूपों का लेखा

क्रम संख्या	प्ररूप की किस्म	विवरणी अवधि के आरम्भ में प्रारम्भिक स्टाक	विवरणी अवधि के दौरान प्राप्त खाली या अधिप्रमाणित प्ररूप	विवरणी अवधि के दौरान प्रयुक्त प्ररूप	
				संख्या	संव्यवहारों की कुल रकम जिनके लिए प्ररूप प्रयुक्त किए गए हैं
(1)	इ				

5. "इ" प्ररूपों के विरुद्ध अन्तर्राज्यिक व्यापार के अनुक्रम में क्रय किए गए माल का कुल मूल्य

	सूची एल.पी.–1 संलगित है

घोषणा :

मैं ..... (नाम साफ अक्षरों में) एतद्द्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मुझे इस विवरणी को देने के लिए प्राधिकृत किया गया है और इसकी समस्त विषय–वस्तु सहित सारणी, सूचियां, विवरणियां, घोषणाएं प्रमाणपत्र और इससे संलग्न या इसके साथ फाईल किए गए अन्य दस्तावेज सत्य, सही और पूर्ण हैं और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

[हस्ताक्षर]

स्थान :
तारीख :

हैसियतः जो लागू है पर (√) निशान लगाएं [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडैन्ट) सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अधिकारी]

.....

(निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय में उपयोग हेतु)

(1) कम्प्यूटर में आंकड़े दर्ज करने की तारीख :

(2) आंकड़े (डाटा) दर्ज करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर :
(नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)

(3) निर्धारण प्राधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर :
(नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)

.....

अभिस्वीकृति

मैसर्ज ..... (टी.आई.एन.)करदाता पहचान संख्या _____
से _____ मास के लिए धारा 20 के अधीन संदेय कर की प्ररूप मू.प.क. वैट–15–ई में विवरणी प्ररूप एल.एस.–2 में सूची सहित प्राप्त की गई।

निर्धारण प्राधिकारी / आबकारी एवं कराधान निरीक्षक
(जब जिला मुख्यालय से बाहर सर्किल में तैनात हो)
..... सर्किल जिला

(मोहर)

तारीख :

प्ररूप मू.प.क. वैट 15–उ
[नियम 47 (5) देखें]

लॉटरी व्यौहारी द्वारा दी जाने वाली विवरणी का प्ररूप

तारीख मास वर्ष

को समाप्त तिमाही के लिए विवरणी की मूल / दूसरी प्रति

1. व्यौहारी की पहचान

कारबार का नाम और अभिनाम												मैसर्ज						
पता												सम्पर्क संख्या						
(टी.आई.एन) करदाता पहचान संख्या												आर्थिक क्रियाकलाप कोड						

2. कर अवधि के दौरान ड्रॉ निकालने के ब्यौरे और उस पर संदेय कर—

क्रम संख्या	व्यौहारी की किस्म	कर अवधि के दौरान ड्रॉ निकालने की संख्या	कर अवधि के दौरान प्रत्येक निकाले गए ड्रॉ की बाबत संदेय एकमुश्त कर
(1)	दैनिक लॉटरी		
(2)	साप्ताहिक लॉटरी		
(3)	मासिक लॉटरी		
(4)	उत्सव लॉटरी		
(5)	तत्काल लॉटरी		

कुल संदेय कर =
संदत्त =

टिप्पण.—प्रत्येक किस्म के निकाले गए ड्रॉ के तारीखवार ब्यौरे उपाबंध (उपाबन्धों) के अनुसार पृथकतः संलग्न किए जाएं।

3. सरकारी प्राधिकार के अधीन मुद्रित प्ररूपों का लेखा या निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना अपेक्षित है।

क्रम संख्या	प्ररूप की किस्म	विवरणी अवधि के आरम्भ में प्रारम्भिक स्टाक	विवरणी अवधि के दौरान प्राप्त खाली या अधिप्रमाणित प्ररूप	विवरणी अवधि के दौरान प्रयुक्त प्ररूपों की संख्या	विवरणी अवधि की समाप्ति पर स्टाक में प्ररूपों की संख्या
(1)	(वैट) मू.प.क.				
(2)	इ				

4. क्रय किए गए माल का कुल मूल्य

	एल. पी. सूची –1 संलग्न है

घोषणा :

मैं ..... (नाम साफ अक्षरों में) एतद्द्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मुझे इस विवरणी को देने के लिए प्राधिकृत किया गया है और इसकी समस्त विषय वस्तु–सूचियां, विवरणियां, घोषणाएं, इससे उपाबद्ध या इसके साथ फाईल किए गए प्रमाणपत्र सत्य, सही और पूर्ण हैं और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

[हस्ताक्षर]

स्थान :

तारीख :

हैसियतः जो लागू है (√) का निशान लगाएं [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडैन्ट) सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अधिकारी]

.....

(निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय में उपयोग हेतु)

(1) वैट 17 रजिस्टर/कम्प्यूटर में आंकड़े (डाटा) दर्ज करने की तारीख :

(2) आंकड़े (डाटा) दर्ज करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर :

(नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)

.....

अभिस्वीकृति

मैसर्ज .....से टी.आई.एन. _____धारा 20 के अधीन ..... मास के लिए संदेय कर की प्ररूप एल.एस–2 में सूची सहित, प्ररूप मू.प.क. वैट–15–ई में विवरणी प्राप्त की गई।

निर्धारण प्राधिकारी/
आबकारी एवं कराधान निरीक्षक
(जब जिला मुख्यालय से बाहर
सर्किल में तैनात हो)

.....सर्किल जिला.....

(मोहर)

तारीख :

प्ररूप वैट–15–उ में विवरणी का उपाबंध

_____ से _____ अवधि के दौरान दैनिक / साप्ताहिक / मासिक /

त्यौहार और तत्काल निकाले गए ड्रॉ के तारीखवार ब्यौरे

क्र. सं.	ड्रॉ निकालने की तारीख	ड्रॉ के आयोजक (आयोजकों) का नाम	तारीख को निकाले गए ड्रॉ की संख्या	प्रति ड्रॉ एकमुश्त राशि की दर	संदेय कर	संदेय की तारीख		बैंक के नाम सहित टी.आर. संख्या या डी. डी. संख्या	डी.सी. आर. संख्या और तारीख (कार्यालय द्वारा भरी जाएगी)
						देय	वास्तविक		
				कुल					

घोषणा :

मैं ..... (नाम साफ अक्षरों में) एतद्द्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मुझे इस उपाबंध को हस्ताक्षरित करने के लिए प्राधिकृत किया है और इसमें दिए गए ब्यौरे सही और सत्य हैं।

[हस्ताक्षर]

स्थान :
तारीख :

हैसियतः जो लागू है (√) का निशान लगाएं [कर्ता, स्वत्वधारी,भागीदार, निदेशक, प्रधान(प्रेजीडैन्ट), सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अधिकारी]

टिप्पणः––प्रत्येक प्रकार के ड्रॉ के लिए पृथक विवरणियां संलग्न की जाएं।

व्यौहारी या उसके प्राधिकृत
अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :
तारीख :

प्ररूप मू.प.क.–15–ऊ

[नियम 48 (6) देखें]

धारा 16 (2) के अधीन संकर्म ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली विवरणी का प्ररूप

तारीख मास वर्ष

को समाप्त तिमाही के लिए दिवरणी की मूल/ द्विप्रतिक प्रति

1. व्यौहारी की पहचान

कारबार का नाम और अभिनाम		मैसर्ज		
पता			सम्पर्क संख्या	
टी.आई.एन.		आर्थिक क्रियाकलाप कोड		

2. संकर्म संविदा के निष्पादन और एकमुश्त संदेय राशि की संगणना के ब्यौरे

क्र. सं.	संख्या, तारीख और नाम यदि कोई है, और कर अवधि के दौरान निष्पादन के अधीन संकर्म संविदा का स्वरुप	संविदी/ (संविदियों) का नाम और पूरा पता	संकर्म संविदा का कुल मूल्य	प्राप्य रकम (राशि)		(ङ) के द्वारा____ दर पर संदेय एकमुश्त राशि
				कर विवरणी अवधि के दौरान	प्रगामी (आनुक्रमिक)	
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
			कुल			

3. उपरोक्त 2 में संविदाओं की बाबत संविदी (संविदियों) द्वारा स्रोत पर काटे गए कर के ब्यौरे :

संविदी का नाम	खजाने का नाम	खजाना रसीद संख्या	तारीख	रकम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
		कुल		

4. संदेय कर [2 (छ) -3 (ङ)] | रुपए

5. जमा किए गए कर का ब्यौरा

क्रम संख्या	खजाने का नाम जहां कर जमा किया गया है और बैंक जहां से मांगदेय ड्राफ्ट / संदाय आदेश ड्रॉ किया है	खजाना रसीद (टी.आर.) / डी.डी. / पी.ओ.				कार्यालय उपयोग हेतु	
		लिखत की किस्म	संख्या	तारीख	रकम	डी.सी आर. संख्या	तारीख
	पिछली विवरणी से अग्रनीत अतिरिक्त संदत्त किया गया						
	कुल						

तारीख : [प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर]

6. राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों से क्रय किए गए माल का मूल्य

	एल.पी.–I संलग्न है

7. सरकारी प्राधिकार के अधीन मुद्रित प्ररूपों का लेखा/निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना अपेक्षित है।

क्र. सं.	प्ररूप की किस्म	विवरणी अवधि के आरम्भ में प्रारम्भिक स्टाक	विवरणी अवधि के दौरान प्राप्त खाली या अधिप्रमाणित प्ररूप	विवरणी अवधि के दौरान प्रयुक्त प्ररूपों की संख्या	संव्यवहारों की कुल रकम जिनके लिए प्ररूप उपयोग किए गए हैं
(1)	(वैट)मू.प.क.				
(2)	इ				
(3)	ऊ				

7. अन्य व्यौहारियों से प्राप्त विवरणी के साथ दी गई कानूनी घोषणा और प्रमाणपत्र।

क्रम संख्या	प्ररूप की किस्म	दिए गए प्ररूपों की संख्या	संव्यवहारों की कुल रकम जिनके लिए प्ररूप दिए गए हैं
(1)	(वैट)मू.प.क.		
(2)	इ		
(3)	ई		

घोषणा :

मैं ..... (नाम साफ अक्षरों में) एतद्द्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मुझे इस विवरणी को देने के लिए प्राधिकृत किया गया है और इसकी समस्त विषय–वस्तु सारणी सूचियों सहित, विवरणियां, घोषणाएं, प्रमाणपत्र सहित और इससे संलग्न या इसके साथ फाईल किए गए अन्य दस्तावेज सत्य, सही और पूर्ण हैं और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

[हस्ताक्षर]

स्थान :

तारीख :

हैसियतः जो लागू है (√) का निशान लगाएं [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडैन्ट) सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अधिकारी]

.....

(निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय में उपयोग हेतु)

(1) कम्प्यूटर में आंकड़े (डाटा) दर्ज करने की तारीख :

(2) आंकड़े (डाटा) दर्ज करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर :

(नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)

(3) निर्धारण प्राधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर

(नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)

.....

अभिस्वीकृति

मैसर्ज.....से (टी.आई.एन.)

करदाता पहचान संख्या_____ धारा 20 के अधीन _____

मास के लिए संदेय कर की विवरणी प्ररूप वैट–15–ऊ में प्ररूप एल.पी.–I में सूची सहित प्राप्त की गई।

निर्धारण प्राधिकारी /
आबकारी एवं कराधान निरीक्षक
(जब जिला मुख्यालय से बाहर
सर्किल में तैनात हो)

..... सर्किल जिला.....

(मोहर)

तारीख :

प्ररूप मू.प.क. वैट–15–ए
[नियम 50 (4) देखें]

धारा 16 (2) के अधीन एकमुश्त राशि का संदाय करने वाले फुटकर– विक्रय व्यौहारी द्वारा दी जाने वाली विवरणी का प्ररूप

तारीख मास वर्ष

को समाप्त तिमाही के लिए विवरणी की मूल / द्विप्रतिक प्रति

1. व्यौहारी की पहचान

कारबार का नाम और अभिनाम											मैसर्ज						
पता												सम्पर्क संख्या					
(टी.आई.एन.) करदाता पहचान संख्या											आर्थिक क्रियाकलाप कोड						

2. विवरणी अवधि के दौरान कराधेय माल के विक्रयों पर संदेय एकमुश्त राशि

क्रयों की रीति	माल का क्रय मूल्य				माल का विक्रय मूल्य (25 प्रतिशत बढ़ाया गया क्रय मूल्य)		1.5 प्रतिशत की दर से संदेय कुल एकमुश्त राशि या प्रत्येक एक लाख रुपए या भाग के लिए रुपए 1500	विवरणी से संलग्न सूची
	1 प्रतिशत की दर से	4 प्रतिशत की दर से	12.5 प्रतिशत की दर से	की दर से				
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)
राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से								
अन्तर्राज्यिक व्यापार के अनुक्रम में								

3. जमा किए गए कर के ब्यौरे :

क्र. सं.	खजाने का नाम जहां पर कर जमा किया गया या बैंक जहां से मांगदेय ड्राफ्ट / संदाय आदेश ड्रॉ किया गया	खजाना रसीद (टी.आर.) / डी.डी. / पी. ओ.				कार्यालय उपयोग हेतु	
		लिखत की किस्म	संख्या	तारीख	रकम (राशि)	डी.सी. आर. संख्या	तारीख
	पिछली विवरणी से अग्रनीत अतिरिक्त संदत्त						
	कुल						

4. सरकारी प्राधिकार के अधीन मुद्रित प्ररूपों का लेखा निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना अपेक्षित है।

	प्ररूप की किस्म	विवरणी अवधि के आरम्भ में प्रारम्भिक स्टाक	विवरणी अवधि के दौरान प्राप्त खाली या अधिप्रमाणित प्ररूप	विवरणी अवधि के दौरान उपयोग प्ररूपों की संख्या	संव्यवहारों की कुल रकम जिसके लिए प्ररूप उपयोग किए गए हैं
(1)	(वैट) मू.प.क.				
(2)	इ				
(3)	ऊ				

5. विवरणी के साथ प्ररूप ई या प्ररूप ऊ में दी गई कानूनी घोषणाएं और संव्यवहारों की रकम जिसके लिए प्ररूप दिए गए हैं।

प्ररूपों की संख्या	/	
संव्यवहारों की रकम		

घोषणा

मैं,..... (नाम साफ अक्षरों में) एतद्द्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मुझे इस विवरणी को देने के लिए प्राधिकृत किया गया है और इसकी समस्त विषय–वस्तु, सारणियों सूचियां, विवरणियों घोषणाओं, प्रमाणपत्र सहित और इससे संलग्न या इसके साथ फाईल किए गए अन्य दस्तावेज सत्य, सही और पूर्ण हैं और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान : [हस्ताक्षर]

तारीख :

हैसियत: जो लागू है (√) का निशान लगाएं [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडैन्ट), सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अधिकारी]

.....

(निर्धारण प्राधिकारी के कार्यालय में उपयोग हेतु)

(1) कम्प्यूटर में आंकड़े (डाटा) दर्ज करने की तारीख :

(2) आंकड़े (डाटा) दर्ज करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर :
(नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)

(3) निर्धारण प्राधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर :
(नाम और पदनाम की मोहर लगाएं)

.....

अभिस्वीकृति

मैसर्ज ..... से (टी.आई.एन.) करदाता पहचान संख्या _____ प्ररूप वैट–15–ऐं में _____ तिमाही के लिए विवरणी प्राप्त की गई ।

निर्धारण प्राधिकारी /
आबकारी एवं कराधान निरीक्षक
(जब जिला मुख्यालय से बाहर
सर्किल में तैनात हो)
..... सर्किल , जिला .....
(मोहर)

तारीख :

प्ररूप मू.प.क. वैट–16
[नियम 2 (ख) देखें]

.....के समक्ष

विषय में :

_____ व्यौहारी / आवेदक
बनाम

_____ (आदेश पारित करने वाले पदधारी का पदनाम)

यह सब को ज्ञात हो कि मैं / हम .....

पुत्र श्री ..... निवासी .....

एतद्द्वारा श्री ..... को उपरोक्त उल्लिखित मामले में, निम्नलिखित समस्त कार्यों, विलेखों एवं बातों या इनमें से किसी कार्य को करने के लिए मेरा / हमारा अभिकर्ता नियुक्त करते हैं, अर्थात् :–

(i) कार्य करने के लिए व्यौहारी को व्यपदेशित करने के लिए और उपरोक्त उल्लिखित मामले में ..... प्राधिकारी (प्राधिकारी का नाम) के समक्ष पेश होने, अभिवचन करने, जिसके द्वारा इसे प्रथम बार / अपील / पुनरीक्षण में, इसकी प्रगति के किसी भी प्रक्रम (अवस्था) में सुनवाई की जा सकेगी, जब तक कि इसका अन्तिम रुप से निपटारा / विनिश्चय नहीं हो जाता;

(ii) अपीलें / पुनर्विलोकन / पुनरीक्षण / प्रत्याक्षेप और अभिवचन करने, प्रत्याहृत करने या समझौता करने और शपथ–पत्र या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जो इसके सभी चरणों, अपील / पुनर्विलोकन / पुनरीक्षण में, उक्त मामलों के अभियोजन के लिए आवश्यक या उचित समझे जाएं; और

(iii) कथित (उक्त) मामले में स्थगन नोटिस और अतिरिक्त नोटिस प्राप्त करने और अभिस्वीकृति देने और अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यौहारी के अभिलेख का निरीक्षण सहित अन्य समस्त कार्यों और बातों को करने के लिए जिन्हें कि मामले के अभियोजन के लिए किया जाना आवश्यक हो, करेगा।

और मैं / हम एतद्द्वारा सहमति देते हैं कि मेरे / हमारे उक्त अभिकर्ता द्वारा विधिपूर्वक किए गए समस्त कार्यों, विलेखों और बातों को मेरे / हमारे द्वारा किया गया समझा जाएगा और मेरा / हमारा उक्त अभिकर्ता, एतद्द्वारा दी गई शक्तियों के फलस्वरुप मेरे / हमारे लिए जो कुछ भी विधिपूर्वक करे या करवाए मैं / हम समस्त का समाधान एवम पुष्टि करने का वचन देते हैं।

इसके साक्ष्यस्वरूप मै / हम_____ तारीख _____ 200 को इस पर अपने–अपने हस्ताक्षर करते हैं।

व्यौहारी का पूरा नाम और हस्ताक्षर
(टी.आई.एन.)करदाता पहचान संख्या.....
पूरा पता.....

स्वीकृतः

अभिकर्ता का पूरा नाम,
पता और हस्ताक्षर

प्ररूप मू.प.क. वैट–17
(नियम 42 देखें)
मांग और संग्रह रजिस्टर

जिला

व्यौहारी का नाम :

पता

करदाता पहचान संख्या (टी.आई.एन.)

	धारा 16 के अधीन संगृहीत / संदत्त रकम								
वित्तीय वर्ष	के मद्दे संदत्त रकम	प्रथम तिमाही			टी.आर. संख्या और तारीख	द्वितीय तिमाही			टी.आर. संख्या और तारीख
		अप्रैल	मई	जून		जुलाई	अगस्त	सितम्बर	
		रूपए	रूपए	रूपए		रूपए	रूपए	रूपए	
1	2	3(क)	(ख)	(ग)	4	5(क)	(ख)	(ग)	6
	मूल्य परिवर्धित कर								
	क्रय कर								
	ब्याज								
	शास्ति								
	प्रशमन धन								
	अन्य								

										धारा 21 या 22 के अधीन निर्धारित रकम		
तृतीय तिमाही			टी. आर. सख्या और तारीख मई	चतुर्थ तिमाही			टी.आर. संख्या और तारीख	कुल (3+5+7+9)	कुल निर्धारित मांग	वसूलनीय अतिशेष माग	टी.आर. सख्या और तारीख	निर्धारण प्राधिकारी के आद्यक्षर
अक्तुबर रुपए	नवम्बर रुपए	दिसम्बर रुपए		जनवरी रुपए	फरवरी रुपए	मार्च रुपए		रुपए	रुपए	रुपए		
7 (क)	(ख)	(ग)	8	9 (क)	(ख)	(ग)	10	11	12	13	14	15

प्ररूप मू.प.क. वैट–18
नियम 52 (4) देखें

कर बीजक

क्रेता के लिए
परिवाहक की प्रति
विक्रेता की प्रति

नामः

पता :

दूरभाष संख्या		फैक्स संख्या		ई मेल संख्या
क्रम संख्या			तारीख	
			पिन	
		से विधिमान्य		

क्रेता की विशिष्टियां:

नामः

पताः

(टी.आई.एन.) करदाता पहचान संख्या

क्रम संख्या	मात्रा	माल का विवरण	प्रति यूनिट	माल का मूल्य			
				1%	4%	12.5%	कुल
1.							
2.							
3.							
1 से 3 का जोड़ (वस्तुओं की मू.प.क. (वैट) के बिना कीमत)							
मूल्य परिविर्धत कर							
कुल कीमत (वस्तुओं की कीमत + मू.प. क. (वैट))							
जी.आर.संख्या							
परिवहन कम्पनी का नाम और पता							

व्यौहारी या प्राधिकृत अभिकर्ता
के हस्ताक्षर (मोहर सहित)

हैसियत : जो लागू है पर (√) का निशान लगाएं । [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडैन्ट) , सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अधिकारी]

प्ररूप मू.प.क. वैट–19

नियम 53 (3) देखें

फुटकर बीजक

क्रेता के लिए
विक्रेता की प्रति

नामः

पता

दूरभाष संख्या	फैक्स संख्या	ई मेल पता

क्रम संख्या			तारीख	
			करदाता पहचान संख्या (टी.आई. एन)	
		से विधिमान्य		

क्रेता की विशिष्टियां:

नामः

पताः

(टी.आई.एन.) करदाता पहचान संख्या

क्रम संख्या	मात्रा	माल का विवरण	प्रति यूनिट कीमत	माल का मूल्य			
				1%	4%	12.5%	कुल
1.							
2.							
3.							
1 से 3 का जोड़ (माल की वैट के बिना कीमत)							
मूल्य परिवर्धित कर							
कुल कीमत (माल की कीमत + वैट)							
जी.आर.संख्या							
परिवहन कम्पनी का नाम और पता							

व्यौहारी या प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

(मोहर सहित)

हैसियत : जो लागू है पर (√) का निशान लगाएं । [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडैन्ट) सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेंट)]

प्ररूप मू.प.क. वैट–20

नियम 54 देखें

कैश मैमो

क्रेता के लिए
विक्रेता की प्रति

नामः

पता

दूरभाष संख्या	फैक्स संख्या	ई मेल पता

क्रम संख्या			तारीख										
			करदाता पहचान संख्या (टी.आई.एन)										
		से विधिमान्य											

क्रेता की विशिष्टियां:

नाम:	
पता:	

करदाता पहचान संख्या (टी.आई.एन.)

क्रम संख्या	मात्रा	माल का विवरण	प्रति ईकाई (यूनिट) कीमत	माल का मूल्य			
				की दर से	की दर से	की दर से	कुल
1.							
2.							
3.							
कुल 1 से 3							
कर							
कुल कीमत (माल का मुल्य + कर)							

जी. आर.संख्या				
परिवहन कम्पनी का नाम और पता				

व्यौहारी या प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

हैसियतः जो लागू है पर (√) का निशान लगाएं । [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडैन्ट) सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेंट)]

प्ररूप मू.प.क. वैट–21

नियम 55 (3) देखें

प्रत्यय / विकलन नोट

क्रेता के लिए
विक्रेता की प्रति

नामः

पता

दूरभाष संख्या	फैक्स संख्या	ई मेल पता

क्रम संख्या			तारीख	
			करदाता पहचान संख्या (टी.आई.एन)	
		से विधिमान्य		

क्रेता की विशिष्टियांः

नामः

पताः

करदाता पहचान संख्या (टी.आई.एन.)

3. विशिष्टियां:

क्रम संख्या	से सम्बन्धित प्रत्यय नोट / विकलन नोट		जारी करने के लिए संक्षिप्त कारण	प्रति ईकाई (यूनिट) कीमत	मात्रा	माल का मूल्य		रकम (राशि)	
	बीजक संख्या और तारीख	रकम रुपए		रुपए		की दर से रुपए	की दर स रुपए	जमा की गई (+) रुपए	विकसित (-) रुपए
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)
1.									
2.									
1 से 2 का जोड़ (माल का मूल्य[(छ) + (ज)]									
मूल्य परिवर्धित कर									
कुल प्रभार्य कीमत (माल का मूल्य वैट)									
(ग) और (छ). ( ) के मध्यअन्तर									
जी. आर. संख्या, जहां कहीं लागू हो									
परिवहन कम्पनी का नाम और पता									
पूर्ववर्तीकर / फुटकर बीजक संख्या और तारीख जो एतद्द्वारा (ज) या (झ) द्वारा उपातंरित									
अन्य स्पष्टीकरण									

व्यौहारी या प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

हैसियत : जो लागू है पर (√) का निशान लगाएं । [कर्ता, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रधान (प्रेजीडैन्ट) सचिव, प्रबन्धक, प्राधिकृत अभिकर्ता]

मू0प0 कर प्ररूप –22

[नियम 59 देखें]

परिवहन रसीद

.....से.....को.....से परिदान.....
पर परिदान..... प्रेषक का पूर्ण पता.....
टी.आई.एन. (कर दाता पहचान संख्या).....

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005

_____

_____

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 _____
करदाता पहचान संख्या (टिन)_____
प्रेषिती का पूर्ण पता_____

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005_____
केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 _____

पैक करने की संख्या	पैक करने का ढंग	अन्तर्वस्तुएं जैसी घोषित की गई	मूल्य	निजी चिन्ह, यदि कोई हो
1	2	3	4	5

भार		दर	कुल भाड़ा	संदत्त भाड़ा / सदंय भाड़ा	टिप्पणियां
वास्तविक	प्रभारित		रूपए पैसे		
6	7	8	9	10	11

प्रबंधक / बुकिंग क्लर्क के हस्ताक्षर.
परिवहन कम्पनी / बुकिंग एजेंसी का नाम

मू0प0कर प्ररूप –22–अ

[नियम 59(1), 60(2)(ख) देखें]

अग्रेषण टिप्पण

सेवा में

प्रबंधक/प्रभारी,
परिवहन कम्पनी/बुकिंग एजेंसी का नाम

कृपया निम्नवर्णित प्राप्त करें और यथा निम्न प्रेषित..... को सड़क द्वारा अग्रेषित करें :—

जिसके द्वारा प्रेषित किया गया		**जिसको प्रेषित किया गया**		
नाम	पता	नाम	पता	स्थान
1	2	3	4	5

माल की प्रकृति	वस्तुओं की संख्या	मूल्य	विवरण और निजी चिन्ह	**प्रेषक का भार** क्विंटल	कि.ग्रा.
6	7	8	9	10	

मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरा समाधान हो गया है कि मेरे द्वारा प्रेषित माल का विवरण/चिन्ह और भार या मात्रा, को इस अग्रेषण टिप्पण में सही प्रकार से प्रविष्ट किया गया है ।

प्रेषक या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख.....

पता:.....

जारी.....

परिवाहक द्वारा भरा जाने वाला

वास्तविक भार	प्रभारित भार	वस्तुओं की संख्या	परिवहन रसीद संख्या	तारीख
11	12	13	14	15

प्रबंधक / बुकिंग क्लर्क के हस्ताक्षर
परिवहन कंपनी / बुकिंग एजेंसी का नाम

मू0प0कर प्ररूप –22–आ

[नियम 59(1) देखें]

मार्ग पत्रक

यान संख्या _____ चालक का नाम _____

स्वामी _____ से _____ तक

क्रम संख्या	परिवहन रसीद संख्या	गंतव्य स्थान	अंतर्वस्तुएं
1	2	3	4

भार क्विंटल	कि.ग्रा.	संदत्त भाड़ा रूपए	पैसे	संदेय भाड़ा रूपए	पैसे	पूर्व भाड़ा रूपए	पैसे	टिप्पणी
5		6		7		8		9

चालक के हस्ताक्षर

बुकिंग क्लर्क के हस्ताक्षर

लदाई क्लर्क के हस्ताक्षर

मू0प0कर प्ररूप –22–इ

[नियम 59(1) देखें]

प्रेषण रजिस्टर (परिवाहकों द्वारा बनाए रखे जाने वाला)

तारीख	से	तक	पैकेजों की संख्या, पैंकिंग के ढंग सहित	माल की प्रकृति
1	2	3	4	5

माल का मूल्य	हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 / केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन करदाता पहचान संख्या के साथ प्रेषक का नाम और पूरा पता	हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 / केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन करदाता पहचान संख्या के साथ प्रेषिती का नाम और पूरा पता
6	7	8

परिवहन रसीद संख्या	चालान संख्या	यान संख्या	प्रभारित भाड़ा	माल के संचालन की तारीख	टिप्पणियां
9	10	11	12	13	14

मू0प0कर प्ररूप –23

[नियम 59(3)(ग) देखें]

आवक बिल्टी रजिस्टर (व्यौहारी द्वारा बनाए रखे जाने वाला)

टी.पी.टी. आर. / पी.आर. आर. संख्या	तारीख के साथ बीजक संख्या	माल की प्रकृति	माल का मूल्य	यान संख्या
1	2	3	4	5

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 / केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन करदाता पहचान संख्या के साथ प्रेषिती का नाम और पूरा पता	से	पैकिंग के ढंग सहित, पैकेजों की संख्या	वास्तविक भार	प्रभारित किया गया भार	दर
6	7	8	9	10	11

माल की प्राप्ति की तारीख	संदत्त भाड़ा	परिवहन कम्पनी का नाम	परिवहन कम्पनी के कर्मचारी के हस्ताक्षर मोहर के साथ	टिप्पणियां
12	13	14	15	16

मू0प0कर प्ररूप –23–अ
नियम 59(3)(ग) देखें

जावक बिल्टी रजिस्टर (व्यौहारी द्वारा बनाए रखे जाने वाला)

टी.पी.टी. आर. / पी.आर. आर. संख्या	तारीख के साथ बीजक की संख्या	माल की प्रकृति	माल का मूल्य	यान संख्या
1	2	3	4	5

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 / केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन करदाता पहचान संख्या के साथ प्रेषिती का नाम और पूरा पता	को	पैकिंग के ढंग सहित, पैकेजों की संख्या	वास्तविक भार	प्रभारित किया गया भार	दर
6	7	8	9	10	11

माल के प्रेषण की तारीख	संदत्त भाडा	परिवहन कम्पनी का नाम	परिवहन कम्पनी के कर्मचारी के हस्ताक्षर मोहर के साथ	टिप्पणियां
12	13	14	15	16

मू0प0 कर प्ररूप –24

[नियम 59 (1) देखें]

परिवाहकों (ट्रान्सपोर्टज) द्वारा बनाया रखे जाने वाला परिदान रजिस्टर

क्रम संख्या	परिदान की तारीख	परिवहन का स्टेशन	परिवहन रसीद संख्या	परिवहन कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 / केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन करदाता पहचान संख्या के साथ प्रेषक का नाम और पूरा पता	हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 / केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन करदाता पहचान संख्या के साथ प्रेषिती का नाम और पूरा पता	पैकिंग के ढंग सहित, पैकेजों की संख्या
6	7	8

माल की प्रकृति	माल का मूल्य	प्रभारित भाड़ा	कमीशन	कुल	प्रेषिती / माल का परिदान लेने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, हस्ताक्षर और पूरा पता	तारीख, जिसको परिवाहक द्वारा प्रेषिती के बिल्टी रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए
9	10	11		12	13	14

मू0 प0 कर प्ररूप –25
[नियम 60 (2) (घ) देखें],

आवक बिल्टी रजिस्टर (व्यौहारी द्वारा बनाए रखे जाने वाला)

टी.पी.टी.आर. / पी.आर.आर. संख्या	तारीख के साथ बीजक संख्या	माल की प्रकृति	माल का मूल्य	यान / वैगन संख्या
1	2	3	4	5

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 / केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन करदाता पहचान संख्या के साथ प्रेषिती का नाम और पूरा पता	से	पैकेजों की संख्या, पैकिंग के ढंग सहित
6	7	8

वास्तविक भार	प्रभारित किया गया भार	दर	भाड़ा संदत्त संदेय	माल प्राप्ति की तारीख	परिवहन कम्पनी का नाम
9	10	11	12	13	14

परिवहन कम्पनी के कर्मचारी के मोहर सहित हस्ताक्षर	टिप्पणियां
15	16

मू0 प0 कर प्ररूप –25–अ

[नियम 60 (2) (घ) देखें]

जावक बिल्टी रजिस्टर (व्यौहारी द्वारा बनाए रखे जाने वाला)

टी.पी.टी.आर./ पी. आर.आर. संख्या	तारीख के साथ बीजक संख्या	माल की प्रकृति	माल का मूल्य	यान/वैगन संख्या
1	2	3	4	5

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005/ केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन करदाता पहचान संख्या सहित प्रेषिती का नाम और पूरा पता	से	पैकेजों की संख्या, पैकिंग के ढंग सहित	वास्तविक भार	प्रभारित किया गया भार	दर
6	7	8	9	10	11

भाड़ा संदत्र संदेय	माल के प्रेषण की तारीख	परिवहन कम्पनी का नाम	परिवहन कम्पनी के कर्मचारी के हस्ताक्षर मोहर के साथ	टिप्पणियां
12	13	14	15	16

मू0 प0 कर प्ररूप–26

[नियम 61 (1) देखें]

1. प्रेषक का नाम और पूरा पता	
2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन प्रेषक की करदाता पहचान संख्या, यदि कोई हो ।	
3. प्रेषिती का नाम और पूरा पता	
4. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 / केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन, प्रेषिती की करदाता पहचान संख्या, यदि कोई हो ।	
5. प्रेषण का स्थान	
6. गंतव्य का स्थान	
7. माल का विवरण	
8. परिमाण (भार)	
9. लगभग मूल्य	
10. यान संख्या	

चैक पोस्ट / बैरियर का नाम _____

तारीख _____

माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति
के हस्ताक्षर या निशान अंगूठा

तारीख _____

मू0 प0 कर प्ररूप--26—अ

[नियम 62 (2) देखें]

घोषणा

एफ.टी.	एन.टी.	जी.सी

मूल प्रति
दूसरी प्रति
तीसरी प्रति

आई.एम.	ई.एक्स	आर.ई.

1. प्ररूप संख्या	नाम .....
2. प्रेषक	पूरा पता ..... करदाता पहचान संख्या ..... (मू0 प0 कर / के0 ..... वि0 कर) .....
3. से प्रेषित :	स्थान .....
4. प्रेषिति	नाम ..... पूरा पता ..... करदाता पहचान संख्या (मू0 प0 क / के0 वि0 क)
5. माल का गंतव्य	
6. यान संख्या ..... परिवहन कम्पनी का नाम	
7. माल का मूल्य ———रूपये माल रसीद सं.	

8. माल का विवरण (बहुत बिलो की दशा में प्रतिपर्ण पर विवरण दें)

बिल संख्या	तारीख	माल का संकलित मूल्य रूपये पैसे	माल का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4

पड़ताल के पश्चात चैकपोस्ट / बैरियर के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर, रटैंप के साथ चैक पोस्ट / बैरियर का नाम	माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या निशान अंगूठा, नाम और पता

तारीख _____ तारीख _____

टिप्पण.––1. चैक पोस्ट या बैरियर पर माल का वहन करने वाले व्यक्ति के पास भार लादने का पूरा बिल होना चाहिए ।

2. कृपया प्रतिपर्ण पर अनुदेश देखें ।

बिल संख्या	बिल की तारीख	माल का मूल्य	माल का संक्षिप्त विवरण
माल का कुल मूल्यः			

अनुदेश

क. के.वि.क. / मू.प. कर करदाता करदाता पहचान संख्या भरने हेतु दिशानिर्देश ! 1. यदि अरजिस्ट्रीकृत व्यौहारी है ; 2. यदि रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किया है ; 3. यदि रजिस्ट्रीकृत है	जिला.....मू.एन.आर.–रिक्त जिला.....ए.एफ.आर.–रिक्त जिला संख्या.....
ख. जहां लागू हो (√) करें ;	
एफ.टी. = व्यापार के लिए माल ! एन.टी. = माल जो व्यापार के लिए नहीं है ! जी.सी. = सरकारी माल	आई.एम. = आयातित माल ! ई.एक्स. = निर्यातित माल ! आर.ई. = माल, जिसकी पुनः प्रविष्टी की गई हो !

मू0 प0 कर प्ररूप–26–आ

[नियम 62 (8) देखें]

उस व्यौहारी द्वारा बनाए रखे जाने वाला रजिस्टर जिसने निर्धारण प्राधिकारी से मू0 प0 कर प्ररूप –26–अ में घोषणा अभिप्राप्त की है ।

रसीद की विशिष्टियां				उपयोग की विशिष्टियां						
तारीख	कुल संख्या	क्रम संख्या ––से–– तक		तारीख	प्रयोग किए गए प्ररूप की क्रम संख्या	माल का विवरण	परिमाण	बिल / कैश मैमो / चालान संख्या और तारीख	माल का मूल्य	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मू0 प0 कर प्ररूप –26–इ

[नियम 62 (12) देखें],

निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बनाए रखे जाने वाले घोषणा प्ररूपो की प्राप्ति और जारी करने का रजिस्टर

प्ररूपों की रसीद			क्रम संख्या	
तारीख	पत्र, जिसके अधीन प्राप्त किया की संख्या और तारीख के साथ प्राधिकारी जिससे प्राप्त किया	प्ररूपों की कुल संख्या	से	तक
1	2	3	4	5

प्ररूप जारी करना				क्रम संख्या	
तारीख	व्यौहारी, जिसको जारी किया गया, का नाम और पता	करदाता पहचान संख्या, यदि कोई हो	जारी किए गए प्ररूपों की संख्या	से	तक
6	7	8	9	10	11

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	प्ररूपों की कीमत की रसीद संख्या और तारीख	निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणियां
12	13	14	15

मू0 प0 कर प्ररूप –26–ई

[नियम 62 (2) और (13) देखें],

.....(चैक पोस्ट/बैरियर का नाम) पर, रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों के बारे में प्राप्त किए गए मू0 प0 कर प्ररूप –26–अ के ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण ।

तारीख	क्रम संख्या	यान संख्या जिसमें माल का परिवहन किया	मू0 प0 कर – 26–अ घोषणा प्ररूप संख्या	माल का निर्यात/आयात करने वाले व्यौहारी का नाम
1	2	3	4	5

माल का मूल्य	डयूटी पर आबकारी और कराधान निरीक्षक के अद्याक्षर	मू. प. क. प्ररूप–2 –अ की पृष्ठ संख्या, जहां प्रविष्टि की गई है	मू0 प0 कर प्ररूप 26–अ में प्रविष्टियों को दर्ज करने वाले लिपिक के अद्याक्षर
6	7	8	9

चैक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी
अधिकारी के हस्ताक्षर

संख्या _____ तारीख _____

----------मू0 प0 कर 26–अ प्ररूपों के साथ आबकारी एवं कराधान आयुक्त/जिला के प्रभारी आबकारी और कराधान अधिकारी को अग्रेषित ।

चैक पोस्ट या बैरियर के
प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर ।

टिप्पणी.––1. इस प्ररूप में स्तम्भ 1 से 7 को, चैक पोस्ट या बैरियर पर ड्यूटी पर आबकारी और कराधान निरीक्षक द्वारा तत्काल पूर्ण किया जाएगा, और स्तम्भ 8 तथा 9 को, जिला कार्यालय में संबद्ध लिपिक द्वारा पूर्ण किया जाएगा ।

2. प्रत्येक सप्ताह के अन्त में संबधित आबकारी और कराधान निरीक्षक द्वारा संक्षिप्त सार की प्रति तैयार की जाएगी और प्रभारी अधिकारी संबन्धित सप्ताह के दौरान बैरियर पर प्राप्त मू0 प0 कर प्ररूप 26–अ की असल प्रतियों के साथ उसे, उस जिला के सहायक आबकारी और कराधान आयुक्त/आबकारी और कराधान अधिकारी को अग्रेषित करेगा जिसमें सम्बद्ध व्यौहारी रजिस्ट्रीकृत है ।

मू0 प0 कर प्ररूप –26–उ

[नियम 62 (13)देखें]

————————(चैक पोस्ट / बैरियर का नाम) पर अरजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों के बारे में प्राप्त किए गए मू0 प0 कर प्ररूप 26–अ के ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण ।

तारीख	क्रम संख्या	यान संख्या जिसमें माल का परिवहन किया गया	मू0 प0 कर प्ररूप 26–अ प्ररूप संख्या	माल का निर्यात / आयात करने वाले व्यौहारी का नाम
1	2	3	4	5

माल का मूल्य	ड्यूटी पर आबकारी और कराधान निरीक्षक के अद्याक्षर	मू.प.क. प्ररुप–26–अ की पृष्ठ संख्या, जहां प्रविष्टि की गई है ।	मू0 प0 कर प्ररूप –26–अ की प्रविष्टियां करने वाले लिपिक के अद्याक्षर
6	7	8	9

चैक पोस्ट या बैरियर के
प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर ।

संख्या..... तारीख.....

————————मू0 प0 कर प्ररूप–26–अ के साथ सहायक आबकारी और कराधान आयुक्त / जिला के प्रभारी आबकारी और कराधान अधिकारी को अग्रेषित ।

चैक पोस्ट या बैरियर के
प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर।

टिप्पणी.—1. इस प्ररूप में स्तम्भ 1 से 7 को, चैक पोस्ट या बैरियर पर ड्यूटी पर आबकारी और कराधान निरीक्षक द्वारा तुरन्त पूर्ण किया जाएगा, और स्तम्भ 8 और 9 को, जिला कार्यालय में संबद्ध लिपिक द्वारा पूर्ण किया जाएगा ।

2. प्रत्येक सप्ताह के अन्त में, संबद्ध आबकारी और कराधान निरीक्षक द्वारा संक्षिप्त सार की प्रति तैयार की जाएगी और प्रभारी अधिकारी सम्बन्धित सप्ताह के दौरान बैरियर पर प्राप्त मू0 प0 कर प्ररूप–26–अ की असल प्रतियों के साथ उसे, उस जिला के सहायक आबकारी और कराधान आयुक्त / आबकारी और कराधान अधिकारी को अग्रेषित करेगा जिसमें सम्बद्ध व्यौहारी रजिस्ट्रीकृत करने योग्य है ।

मू0 प0 कर प्ररूप–26–ऊ

[नियम 62 (13) देखें],

जिला में व्यौहारी–वार बनाए रखे जाने वाला रजिस्टर

व्यौहारी का नाम

करदाता पहचान संख्या

कर संख्या	चैक पोस्ट / बैरियर का नाम जिससे मू0 प0 कर प्ररूप 26–अ प्राप्त किया	घोषणा प्ररूप की क्रम संख्या	माल का मूल्य
1	2	3	4

निर्धारण का वर्ष	संबद्ध निर्धारण अधिकारी को प्ररूपों को सौंपने की तारीख	स्तम्भ संख्या 6 द्वारा प्ररूप प्राप्त करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर
5	6	7

मू0प0कर प्ररूप.–27
[नियम 61(2) देखें]

(अभिवहन पर्ची)

चैक पोस्ट / बैरियर का नाम _____

1. प्रवेश के चैक पोस्ट / बैरियर पर माल के पहुंचने की तारीख और समय	
2. माल के प्रभारी व्यक्ति का नाम	
3. माल के स्वामी का नाम और पता	
4. स्थान का नाम जहां से माल प्रेषित किया गया	
5. स्थान के स्वामी का नाम और पता	
6. माल का विवरण	
7. माल की मात्रा / पैकेजों की संख्या	
8. माल का मूल्य	
9. माल का गन्तब्य	
10. यान संख्या	
11. हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र से अंततः बाहर जाने वाले माल की दशा में, बाहर के चैक पोस्ट / बैरियर का नाम	
12. हिमाचल प्रदेश राज्य में माल के प्रवेश के स्थान पर चैक पोस्ट / बैरियर प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर	
13. तारीख और समय जब माल स्तम्भ (11) में निर्दिष्ट निकास चैक पोस्ट / बैरियर पर पहुंचा	
14. निकास चैक पोस्ट / बैरियर के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा	
15. टिप्पणियां	

माल परिवहन करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या निशान अंगूठा ।

मू0प0कर प्ररूप–28

[नियम 61(3) देखें]

माल के स्वामी / चालक यां माल यान या जलयान के अन्य प्रभारी व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला प्रतिभूति बंध–पत्र

चैक पोस्ट या बैरियर के प्रभारी अधिकारी या हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 की उप–धारा (6) के अधीन सशक्त अधिकारी के समक्ष

200..... की संख्या.....

याची

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रत्यार्थी

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और उसके पद–उत्तरवर्ती और समनुदेशिति के पक्ष में निष्पादित प्रतिभूति बंधपत्र :

यह कि चैकपोस्ट / बैरियर का प्रभारी अधिकारी (चैक पोस्ट या बैरियर का नाम) या धारा 34 की उप–धारा (6) के अधीन सशक्त अधिकारी ने माल के स्वामी / चालक या माल यान या जलयान के प्रभारी अन्य व्यक्ति को पर्याप्त प्रतिभूति देने के निदेश दिए थे और ऐसे निदेश के अनुसरण में, मैं / हम एतद्द्वारा वैयक्तिक रूप में वचन देते हैं और मैं स्वंय / हमारे को, मेरे / हमारे वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों को हिमाचल प्रदेश सरकार को.....रुपए (.....रुपए) की राशि और नीचे उपाबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट बंधक संपत्तियों के प्रभार की राशि.....रूपए (..... रूपए) के संदाय के लिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से आबद्ध है और प्रसंविदा कि यदि शास्ति या अन्य देय रकम जो धारा 34 के अधीन संदत्त की गई है तो यह बंध–पत्र अमान्य और निष्क्रिय हो जाएगा अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभाव में रहेगा ।

इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने / हमने आज..... के दिन.....200 को अपने अपने हस्ताक्षर और मुद्रा अंकित कर दी है ।

साक्षी:

1. .....
   हस्ताक्षर
   पूरा पता.....

2. हस्ताक्षर.....
   पूरा पता .....

हस्ताक्षर .....

टिप्पण.—प्रतिभूति बंध–पत्र.....मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प के साथ चिपकाया जाएगा जब प्रतिभूत रकम 1,000 रूपए से अनधिक हो और जब प्रतिभूत रकम 1000 से अधिक है तो..... के न्यायिकेतर स्टाम्प..... मूल्य के होंगे।

मू0प0कर प्ररूप.–28–अ

[नियम 61(3) देखें]

वैयक्तिक / प्रतिभूति बन्धपत्र

वैयक्तिक बन्ध–पत्र माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि, चालक या माल यान या जलयान के भार साधक अन्य व्यक्ति द्वारा माल के स्वामी की ओर से निष्पादित किया जाएगा ।

चैक पोस्ट या बैरियर के भार साधक अधिकारी या हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 की उप–धारा (6) के अधीन सशक्त अधिकारी के समक्ष ।

संख्या 200

बनाम

हिमाचल प्रदेश सरकार -------- *प्रत्यार्थी*

यह सबको ज्ञात हो कि मैं / हम ..... (पूरा नाम)..... रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या, यदि कोई है, मैं / हम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के प्रति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सरकार" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति जब तक कि इसके अन्तर्गत उसके पद के उत्तराधिकारी और समुनुदेशिती के सन्दर्भ में अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है..... रुपए (रकम अंकों में और रकम शब्दों में भी लिखी जाएगी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त राशि" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की रकम, जिसके लिए संदाय की मांग की गई है, का सरकार को संदत्त करने और संदाय करने को बचनबद्ध हूं । मैं / हम स्वंय / अपने–आप / मेरे / हमारे उत्तराधिकारी निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधियों को इस विलेख द्वारा आबद्ध करता हूँ ।

उक्त आबद्धकर से विक्रय कर चैक पोस्ट / बैरियर ..... के प्रभारी अधिकारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी / सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी ..... द्वारा लिखित में, उस / उन द्वारा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है) के अधीन संदेय कर, अधिभार, ब्याज, शास्ति के समुचित संदाय सुनिश्चित् करने को प्रतिभूति के प्रयोजन के लिए उक्त राशि के लिए प्रतिभूति देने और समस्त हानि, लागत या खर्चे, जो सरकार किसी भी रूप से वहन करे या उठाए, या कमीशन, व्यतिक्रम या उपरोक्त आबद्धकर के दिवालिएपन के कारण संदत्त करना या उसके / उनके अधीन या के लिए कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसे समय पर जैसी उक्त अधिनियम द्वारा उपबन्धित या के अधीन विहित

है, ऐसे कर, प्रभार, ब्याज या शास्ति को, के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति के रूप में संदत्त करना पड़ता है ।

अतः उपरोक्त लिखित बन्ध–पत्र की शर्त ऐसी है कि उपरोक्त आबद्धकर अपने/उनके वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा मांग पर ऐसी रीति में और उक्त अधिनियम द्वारा उपबन्धित या विहित समय पर उक्त अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदेय कर, प्रभार, ब्याज या शास्ति की पूर्ण राशि उसके/उनके अधीन या के लिए कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि संदत्त करते हैं ; ऐसी मांग लिखित में और उपरोक्त आबद्धकर व्यक्ति उसके/उनके वारिस, निष्पादकों, प्रशासकों और उक्त अधिनियम द्वारा उपबन्धित या विहित रीति में उसके/उनके अधीन या के लिए कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों को तामिल की जाएगी, और समस्त समय पर भी सरकार को समस्त या प्रत्येक हानि, लागत या खर्चे से क्षतिपूर्ति करते हुए और नुकसान से बचाते हुए, जो इसमें इसके पश्चात् किसी भी समय या समयों पर हुआ है या होगा या उस अवधि के दौरान जिसमें उक्त आबद्धकर उक्त अधिनियम के अधीन कर, अधिभार, ब्याज या शास्ति संदत्त करने के लिए दायी ठहराया जाता है, उक्त आबद्धकर या उस/उनके अधीन या के लिए कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी कार्य, लोप, व्यतिक्रम, असफलता या दिवालिएपन के कारण कारित हुआ, तब यह बाध्यता शून्य और किसी प्रभाव की नहीं होगी अन्यथा वह पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहेगी और इसके अतिरिक्त एतद्द्वारा करार किया जाता है कि आबद्धकर की अधिनियम या तद्धीन विहित नियमों के अधीन मृत्यु/विभाजन/विच्छिन्नता/विघटन/परिसमापन या दायित्व की अन्तिम समाप्ति की दशा में, यह बन्ध–पत्र पूर्वोक्त घटनाओं में से किसी एक के घटित होने से एक वर्ष के लिए कोई कर, अधिभार, ब्याज या शास्ति जो उपर्युक्त आबद्धकर द्वारा संदेय हो या कोई हानि, खर्च, ब्याज जो उक्त आबद्धकर के कार्य, लोप, व्यतिक्रम,असफलता, दिवालिएपन या उपरोक्त आबद्धकर के वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और विधिक प्रतिनिधियों के उसके/उनके अधीन या के लिए कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के कारण सरकार द्वारा उठाए गए, सम्मिलित किए गए या संदत्त किए गए, की वसूली के लिए विक्रय कर और जो उक्त आबद्धकर की मृत्यु/विभाजन/विच्छिनता/ विघटन/परिसमापन या उक्त अधिनियम या तद्धीन विहित नियमों के अधीनं उसके/उनके दायित्व की अन्तिम समाप्ति के पश्चात् तक भी उपलब्ध न होने पर उपर्युक्त आबद्धकर का यह बन्ध–पत्र उपरोक्त चैकपोस्ट/बैरियर के प्रभारी अधिकारी या आबकारी एवं कराधान अधिकारी/सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी के पास ही रहेगा :

परन्तु सदैव ही यथा पूर्वोक्त कर, अधिभार, ब्याज, शास्ति, हानि या नुकसान के लिए किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार इस बन्ध–पत्र के अधीन संदेय रकम को भू–राजस्व के बकाया के रूप में, या उक्त अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित जुर्माने को, वसूल करने के लिए मुक्त होगी

इसके साक्ष्य स्वरूप उक्त .....(पूरा नाम) ने इस.....दिन..... को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उपर्युक्त नामित द्वारा.....की उपस्थिति में परिदत्त कर दी है..... हस्ताक्षर..... हैसियत

साक्षी:

1. _____
(पते सहित हस्ताक्षर)

2. _____
(पते सहित हस्ताक्षर)

प्रतिभू–बन्ध–पत्र

हम (1)_____

(2)_____

(प्रतिभू का नाम और पूरा पता)

उपरोक्त आबद्धकर के लिए स्वयं एतद्द्वारा घोषित करते हैं और प्रत्याभूति देते हैं कि उसने/उन्होंने उपरोक्त करने और पालन करने को वचनबद्ध किए समस्त कार्य वह/वे करेगा/करेंगे और पालन करेगा /करेंगे और उसके/उनके लोप, व्यतिक्रम या इसमें असफल होने की दशा में, हम अपने आप को हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है) को एतद्द्वारा समपहृत करने के लिए संयुक्तः और पृथकतः आबद्ध करते हैं और इसके अन्तर्गत उनके पद के उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है.....रूपए (रकम अंको मे, रकम शब्दों में भी दी जाएगी) जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त रकम" कहा गया है, जिसमें उपरोक्त आबद्ध ने स्वंय को आबद्ध किया है या अन्य ऐसी कमतर राशि जैसी चैक पोस्ट/बैरीयर के भारसाधक अधिकारी, आबकारी एवं कराधान अधिकारी/ सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी लिखित में उपरोक्त आबद्धकर द्वारा संदेय कर, अधिभार, ब्याज या शास्ति की किसी रकम को वसूल करना पर्याप्त समझा जाएगा और उपरोक्त आबद्धकर और शेष असंदत्त संदेय कर, अधिभार, ब्याज या शास्ति की रकम और किसी हानि, नुकसान,

लागत या खर्चे जिसे सरकार अविरत, उपगत या ऐसे कारणों से जिनसे ऐसा, लोप, व्यतिक्रम या असफलता द्वारा संदत्त किया है, को भी वसूल करेगी;

और हम करार करते हैं कि सरकार के किन्हीं अन्य अधिकारों या उपचारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हम से, उक्त राशि को भू–राजस्व के बकाया के रूप में और/या मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माना, संयुक्तः और पृथकतः वसूल कर सकता है;

और हम यह भी करार करते हैं कि हम में से कोई भी, इस बन्ध–पत्र को चैकपोस्ट/बैरियर के भार साधक अधिकारी, आबकारी एवं कराधान अधिकारी/सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी को इस आशय का लिखित में छः कलैण्डर मास का पूर्ण नोटिस देने के सिवाए, समाप्त करने को स्वतन्त्र नहीं होंगे ; इसलिए बन्धपत्र के अधीन हमारे संयुक्तः और पृथक दायित्व, उपरोक्त आबद्धकर की ओर से समस्त कृत्य, त्रुटि, चूक, असफलता और दिवालिएपन की बाबत, छः मास की उक्त अवधि के अवसान तक, निरन्तर रहेंगे ।

साक्षी की उपस्थिति में प्रतिभू के हस्ताक्षर

(1) _____

(साक्षी का नाम और पूरा पता)

(2) _____(हस्ताक्षर)

वर्तमान पता:

हस्ताक्षर _____

स्थाई पता _____

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और की ओर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 (1) की अनुपालना में स्वीकार किया जाता है ।

1.

2.

अधिकारी का नाम और पदनाम

मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप–28–आ

{ नियम 62 (5) देखें }

क्षतिपूर्ति बंध–पत्र

यह सबको ज्ञात हो कि मैं / हम ----------

(व्यौहारी का पूरा पता) ----------

हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन करदाता पहचान संख्या----------तारीख----------

के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी या व्यौहारी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी कहा गया है) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के प्रति (जिसे इसके पश्चात् सरकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) रूपये ----------(रूपये शब्दों में) (जिसे इसके पश्चात् "उक्त राशि" कहा गया है) की रकम, जिसके लिए संदाय की मांग की गई है, का सरकार को संदत्त करने और संदाय करने को वचनबद्ध हूं । मैं / हम स्वयं / अपने आप / मेरे / हमारे उत्तराधिकारियों / निष्पादकों, प्रशासकों और विधिक प्रतिनिधियों को इस प्रस्तुति द्वारा आवद्ध करता हूं ।

वर्ष दो हजार----------के----------माह के ------ दिवस को हस्ताक्षरित ।

यह कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित नियम, 2005 के नियम 62 के उपनियम (5) की अपेक्षा है कि रिक्त अथवा पूर्ण घोषणा प्रारूप जब वह व्यौहारी की परिरक्षा या पारगमन में खो जाए तो उसे समुचित निर्धारण प्राधिकारी, जिससे उक्त प्ररूप प्राप्त किया था, को क्षतिपूर्ति बंध–पत्र देना होगा ;

और यह कि बाध्यताधारी इसमें वह व्यौहारी है जिसे मूल्य परिवर्धित कर 26–अ प्ररूप जारी किया गया था ;

*जो उसे ———————— द्वारा जारी किया गया था (प्राधिकारी का नाम और पदनाम) अब ऊपरलिखित बंध–पत्र की शर्त यह है कि यदि प्ररूप के दुरूपयोग से सरकार (जिसके सम्बन्ध में सरकार या इस प्रयोजन के लिए नियोजित प्राधिकारी का निर्णय बाध्यताधारी पर अंतिम और बाध्य होगा) की कोई क्षति होती है तो सरकार की मांग और बिना आपत्ति के रूपये ————————की राशि (रूपये शब्दों में) बाध्यताधारी संदत्त करेगा अन्यथा क्षतिपूर्ति और सरकार को अनिष्ट शून्य रखेगा और ऐसे प्ररूप के दुरूपयोग के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा उपगत किए सभी दायित्वों से क्षतिपूर्ति करेगा तब ऊपरलिखित बंध–पत्र अवैध और प्रभावहीन लेकिन अन्यथा पूर्ण प्रभाव और क्षमता का होगा । बाध्यताधारी उक्त राशि के संदाय के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों को, उसके अधीन बंधक/भार के निष्पादन के उचित विलेख द्वारा लिखित बंधक/भार का, आगे वचन देता है ;

अनुसूची

(बंधक/भारित सम्पत्तियों का ब्यौरा दें)

और यह विलेख साक्ष्य भी देतें हैं कि इसमें बाध्यताधारी का दायित्व, किसी प्रविरति कार्य या सरकार के लोप या अनुज्ञेय किसी समय के लिए अथवा सरकार द्वारा दर्शित उदारता के कारण, हासित या उन्मोचित नहीं होगा ।

इन विलेखों पर यदि कोई स्टाम्प शुल्क प्रभारित हो, तो उसे सरकार वहन करने का करार करती है ।

इसके साक्ष्यस्वरूप बाध्यताधारी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और ------दिन----------मास ----------वर्ष को ऊपरलिखित की उपस्थिति में इन विलेखों को अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि से निष्पादित करवा दिया है।

1.....

2.....

(बाध्यताधारी के हस्ताक्षर)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की ओर से और के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 (1) के अनुसरण में सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से और के लिए स्वीकार किया ।

की उपस्थिति में

3.———————————

4.———————————

(अधिकारी का नाम / पदनाम एवं हस्ताक्षर)

मू0 प0 कर प्ररूप–29
[नियम 67 देखें]

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 21 और 32 के अधीन नोटिस

मामला संख्या [ ] तारीख [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

वृत्त [ ] जिला [ ]

सेवा में,

_____
_____
_____

करदाता पहचान संख्या [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

क्योंकि.....

(क) आप _____ जिला के _____ करदाता पहचान संख्या के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी ने----------20---के--दिवस को समाप्त होने वाले वर्ष / तिमाही / मास की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) मेरा समाधान नहीं हुआ है कि ---------- के-------दिवस को समाप्त होने वाले वर्ष / तिमाही / मास के लिए आपके द्वारा दाखिल की गई विवरणी सही और पूर्ण है । आपका मामला हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 66 के अधीन छानबीन के लिए चयनित किया गया है और ऊपर वर्णित अवधि के बारे में, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 21 की उप–धारा (3) के अधीन एक निर्धारण करना मुझे आवश्यक प्रतीत होता है ।

(ग) मेरा, उस सूचना से जो मेरे कब्जे में आई है से समाधान हो गया है कि आप ----------से प्रारम्भ होने और ---------- को समाप्त होने वाली अवधि के विषय में, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन कर संदत्त करने के दायी हैं, किन्तु आप जानबूझकर उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने में असफल रहे हैं और ऊपर वर्णित अवधि तथा सभी पश्चात्वर्ती अवधियों के बारे में, उक्त अधिनियम

की धारा 21 की उप–धारा (7) के अधीन एक निर्धारण करना मुझे आवश्यक प्रतीत होता है ।

आप को एतद्द्वारा व्यक्तिगत या अभिकर्ता द्वारा _____स्थान पर _____ (तारीख) ----------(समय) पर उपस्थित होने के निदेश दिए जाते हैं और उक्त समय और स्थान पर ऐसे निर्धारण के प्रयोजन के लिए निम्न विनिर्दिष्ट लेखे और दस्तावेज, किसी आक्षेप के साथ जिसे आप करना चाहते हैं और कोई साक्ष्य जो आप उसके समर्थन में देना चाहते हैं उसको प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवाएगा और उस तारीख को कारण बताएगा कि क्यों न 15 प्रतिशत से कम किन्तु मूल्य परिवर्धित कर या कर की रकम के डेढ गुना से अधिक न हो, की शास्ति, उक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (7) के अधीन अधिरोपित की जाए ।

इस नोटिस के पालन में आप के असफल रहने की दशा में, मैं, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 21 के अधीन आप को और निर्देश दिए बिना अपनी सर्वोत्तम जानकारी के साथ निर्धारण करने को अग्रसर होऊंगा ।

(हस्ताक्षर _____
निर्धारण प्राधिकारी
_____जिला,

(निर्धारण प्राधिकारी की मुद्रा)

तारीख _____

अपेक्षित लेखों और दस्तावेजों की विशिष्टियां

(1)	(3)
(2)	(4)

धारा 12 की उप–धारा (2) और (3) द्वारा यथा अपेक्षित विवरणी को प्रस्तुत करने में बिना किसी पर्याप्त कारण के असफल रहने पर या मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने पर व्यौहारी अधिनियम की धारा 35 के अधीन अभियोजन के लिए दायी होगा ।

मू0 प0 कर प्ररूप –30

[नियम 70 (1) देखें]

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 21 के अधीन " कर मांग नोटिस'

निर्धारण प्राधिकारी कार्यालय

वृत्तः _____ जिलाः _____

निपटान संख्याः _____ तारीखः _____

सेवा में,

.....

.....

.....

करदाता पहचान संख्याः _____

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ---------- वर्ष / तिमाही / मास के लिए आपका कराधेय आवर्त के लिए हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन, कर और शास्ति का निर्धारण दिया गया है, और जो अधिनियम की धारा 19 के अधीन प्रोद्भूत ब्याज की रकम को सम्मिलित करके, यथा निम्नलिखित है :–

1.	अवधारित कराधेय आवर्त	रुपये
2.	निर्धारित कर	रुपये
3.	पहले ही संदत्त कर घटाकर	रुपये
4.	देय अतिशेष	रुपये
5.	धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति	रुपये
6.	उद्भूत ब्याज	रुपये
7.	शुद्ध देय रकम (4+5+6)	रुपये

1. आपको एतद्द्वारा, ---------- (तारीख) पर या से समुचित सरकारी खज़ाना में ----------रुपये----------(शब्दों में) की राशि संदत्त करने और ऊपर उक्त तारीख पर या से पूर्व इस कार्यालय में आवश्यक खजाना रसीद प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है, ऐसा न होने पर आप अधिनियम के अधीन शास्ति संदत्त करने और अन्य कार्रवाई हेतु जिम्मेदार होंगे ; और उक्त राशि आपसे भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी ।

2. इस प्रयोजन के लिए मू0 प0 कर0 प्ररूप–2 में चालान संलग्न है ।

(निर्धारण प्राधिकारी की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)_____
निर्धारण प्राधिकारी
_____ जिला

तारीखः _____

मू0 प0 कर प्ररूप–31
[नियम 71 देखें]

पेशी रजिस्टर

	से		तक की अवधि

निर्धारण प्राधिकारी का नाम

अधिकारिता का क्षेत्र

संस्थित करने की क्रम सं0	नोटिस जारी करने की तारीख	व्यौहारी का नाम और पता	करदाता पहचान संख्या, यदि कोई हो
1	2	3	4

अंतिम आदेश की तारीख	अंतिम आदेश का सार	निर्धारण प्राधिकारी के अद्याक्षर	टिप्पणियां
5	6	7	8

मू0 प0 कर प्ररूप–32

[नियम 71 देखें]

निर्धारण और मांग वसूली का रजिस्टर

निर्धारण प्राधिकारी का नाम _____ से _____ तक की अवधि

अधिकारिता का क्षेत्र _____

क्रम सं0	व्यौहारी का नाम और पता	करदाता पहचान संख्या यदि कोई है	निर्धारण, अतिरिक्त मांग और मांग नोटिस की विशिष्टियां				
			निर्धारण आदेश की तारीख	निर्धारित कर रूपये	अधिरोपित शास्ति रूपये	उद्भूत ब्याज	मांग नोटिस की तारीख / संदाय की तारीख
1	2	3	4(क)	(ख)	(ग)	(घ)	5

खजाना रसीद के साथ अतिरिक्त मांग और ब्याज की वसूली			वसूल न की गई अतिरिक्त मांग आदि हेतु कार्रवाई				टिप्पणी और निर्धारण प्राधिकारी के अद्यहस्ताक्षर
कर रू0	शास्ति रू0	ब्याज रू0	धारा 21 (9) के अधीन	धारा 15 के अधीन	धारा 27 के अधीन	धारा 25 के अधीन	
6	7	8	9(क)	(ख)	(ग)	(घ)	10

मू0 प0 कर प्ररूप–33

[नियम 72(1) देखें]

पुनःनिर्धारण का नोटिस

मामला सं0 _____ तारीख _____

वृत्तः _____ जिला _____

सेवा में,

_____

_____

_____

करदाता पहचान संख्या _____

क्योंकि, मेरे कब्जे में आई निश्चित सूचना के परिणामस्वरूप, मेरे पास विश्वास करने के कारण हैं कि ————————को समाप्त होने वाली ————————कर अवधि का, कर के लिए निर्धारणीय आपके व्यवसाय की आवर्त कम निर्धारित की गई है / कर के उद्ग्रहण से बच गई है ।

इसलिए मैं, उक्त अवधि के लिए आवर्त, जो कम निर्धारित की गई है / कर के उद्ग्रहण से बच निकली है, के पुनःनिर्धारण का प्रस्ताव करता हूं ।

मैं, एतद्द्वारा, आपको इस नोटिस की तामील के ————————दिन के भीतर, आपसे कारण दर्शित करने की अपेक्षा करता हूं कि क्यों न आपके मामले में अनुध्यात कार्रवाई की जाए ।

(हस्ताक्षर _____

निर्धारण प्राधिकारी

————————जिला

निर्धारण प्राधिकारी की मुद्रा

व्यक्ति, जिसको नोटिस जारी किया गया है की करदाता पहचान संख्या के साथ उसके व्यवसाय की प्रकृति सहित, नाम और पता ।

मू0 प0 कर प्ररूप–34

[नियम 75 (2) (i) देखें]

प्रतिदाय संदाय आदेश

क्रम संख्या :

स्थान जिला:

करदाता पहचान संख्या: तारीख:

व्यौहारी का नाम

पता

आवेदन की तारीख

समय से तक

प्रतिदाय की रकम

प्रतिदाय के संदाय की देय तारीख

धारा 28 (2) के अधीन देय ब्याज, यदि कोई हो. :

प्रतिदाय के संदाय के लिए अनुमोदित रुपये

अनुमोदन की तारीख

नियम 75 (1) के अधीन मंजूरी की तारीख

इस आदेश के फलस्वरूप उपलब्ध प्रतिदेय की कुल रकम रुपये

निर्धारण प्राधिकारी

तारीख / / 20 जिला

मुद्रा

मू0 प0 कर प्ररूप–35

[नियम 75 (2) (ii) देखें]

प्रतिदाय समायोजन आदेश

प्रतिदाय समायोजन आदेश क्रम संख्या:

स्थान _____ जिला _____

व्यौहारी का नाम
फर्म का पता

करदाता पहचान संख्या _____ तारीख _____

प्रतिदाय के लिए अनुमोदित सकल रकम _____ रुपये

इस आदेश के अनुरूप समायोजन के लिए अनुमोदित रकम _____ रुपये

अनुमोदन की तारीख _____

विवरणी जिसमें समायोजन अनुमत किया गया _____

विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख _____

प्रतिदाय समायोजन आदेश की विधिमान्यता _____

निर्धारण प्राधिकारी,

तारीख _____ जिला _____

(मुद्रा)

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

प्राधिकृत किए गए प्रतिदाय का पुष्टीकरण
अनुमोदन की तारीख ----------
रकम ----------रुपये--------

प्रतिदाय संदाय आदेश _____
तारीख _____
रकम ----------रुपये
प्रतिदाय आदेश की तारीख

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त /
प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी,
जिला----------

निर्धारण प्राधिकारी

मू0 प0 कर–36

[नियम 77(1) (क) (ii) देखें]

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धाराओं 30 (क) और (ख) के अधीन, प्राधिकरण से अन्यथा अपील प्राधिकारियों को अपील के ज्ञापन का प्रारूप

(न्यायालय फीस स्टैंप हेतु स्थान)

चिपकाई गई न्यायालय फीस का मूल्य

समक्ष

(अपील प्राधिकारी)

मैसर्ज

अपीलार्थी

बनाम

प्रत्यार्थी

1	निर्धारण का वर्ष		
2	जिला जिसमें निर्धारण किया गया		
3	विवाद में आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी		
4	जिसके विरूद्ध अपील की गई, उस आदेश को पारित करने की तारीख		
5	पता जिस पर अपीलार्थी(यों) को नोटिस भेजा जा सके		
6	पता जिस पर प्रत्यार्थी को नोटिस भेजा जा सके		
7	अपील में दावा की गई राहत		
	(क)	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अवधारित आवर्त	
	(ख)	यदि आवर्त विवादित है :–	

		(i)	विवादित आवर्त और	
		(ii)	विवादित आवर्त, पर कर	
	(ग)	यदि कर की दर विवादित है:–		
		(i)	अन्तर्वलित आर्वत, और	
		(ii)	विवादित कर की रकम	
	(घ)	यदि ओदश या शास्ति विवादित है:–		
		(i)	धारा जिसके अधीन शास्ति अधिरोपित की गई ।	
		(ii)	विवादित शास्ति की रकम ; और	
		(iii)	विवाद में आगत कर प्रत्यय की रकम	
	(ड.)	दावा किया गया कोई अन्य अनुतोष		
8.	क्या निर्धारण प्राधिकारी द्वारा की गई अतिरिक्त मांग (अर्थात् कर, शास्ति या ब्याज) सरकारी खजाना में निक्षेप की गई या नहीं ?		खजाना रसीद संख्या	
			तारीख	
9.	अपील के आधार (यहां पूर्ण दें)			

अपीलार्थी (यों) या
उसके / उनके सम्यक् रूप से
प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन :–

मैं / हम----------, उपरोक्त अपील में नामित अपीलार्थी, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं / करते हैं कि अपील में उपरोक्त पैरा 1 से ---------तक जो कथित है, मेरी / हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से सत है ।

(20----------के ---------दिन को सत्यापित)

अपीलार्थी / (यों) या
उसके / उनके सम्यक् रूप से
प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पण :–

(1) अपील मानक वाटर मार्क (जलांक) जुडीशियल कागज पर 'लिखी जाएगी

और इस प्ररूप में दी गई सभी विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए तीन प्रतियों में भरी जाएगी ।

(2) इस पर ----------रूपये मूल्य की स्टांप न्यायालय फीस लगेगी, तथ्यों का स्पष्ट कथन और संक्षेपताः किन्तु स्पष्टतः उपवर्णित अपील के आधार अंतर्विष्ट होंगे तथा प्रार्थना की गई राहत भी प्रमिततः कथित की जाएगी ।

(3) इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे :–

(क) आदेश, जिसके विरुद्ध यह की गई है की सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित प्रति, जब तक कि ऐसा करने या ऐसा आदेश अथवा प्रति प्रस्तुत करने से लोप को, अपीली प्राधिकारी का समाधान होने पर, अपील के ज्ञापन के प्रस्तुतिकरण के समय स्पष्ट न किया गया हो और

(ख) कर (संदेय ब्याज को सम्मिलित करके) या शास्ति अथवा दोनों के संदाय का साक्ष्य, जब तक कि इन रकमों का संदाय करने की

और जब तक कि अपील के ज्ञापन के साथ इस प्रभाव की लिखित प्रार्थना प्रस्तुत न की गई हो ।

(4) यह अपीलार्थी (यों) या उसके / उनके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी ।

* कृपया, प्राधिकारी, जिसके समक्ष अपील प्रस्तुत की जानी है का पदनाम उपदर्शित करें ।

** कृपया अपीली प्राधिकारी का स्थान, जहां उसका कार्यालय न्यायालय स्थित

है, उपदर्शित करें ।

मू0 प0 कर प्ररूप –37
[नियम 77(1) (क)(ii)देखें]

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 30 (ग) के अधीन प्राधिकरण के लिए अपील के ज्ञापन का प्ररूप :–

(स्टांप न्यायालय फीस हेतु स्थान)

चिपकाई गई स्टांप न्यायालय फीस का मूल्य

संख्या:----------,200

समक्ष

(अपील प्राधिकारी)

मै0

अपीलार्थी (यों)

बनाम

प्रत्यर्थी

1.	मूल, आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी का पदनाम		
2.	निर्धारण का वर्ष		
3.	आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को पारित करने वाले प्राधिकारी का पदनाम		
4.	कम संख्या 3 पर संसूचना अथवा आदेश की तारीख		
5.	पता जिस पर अपीलार्थी (यों) को नोटिस भेजा जा सके		
6.	अपील में दावा की गई राहत		
	(क)	मूल आदेश द्वारा अवधारित आवर्त	

	(ख)	आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है द्वारा अवधारित आवर्त		
	(ग)	यदि आवर्त विवादित है :–		
		(i)	विवादित आवर्त और	
		(ii)	विवादित आवर्त पर कर	
	(घ)	यदि कर की दर विवादित है:–		
		(i)	अन्तर्वलित आवर्त ; और	
		(ii)	विवादित कर की रकम	
	(ङ)	यदि शास्ति का आदेश विवादित है		
		(i)	मूल आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति ; और	
		(ii)	आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है द्वारा अवधारित शास्ति	
	(च)	यदि आगत कर प्रत्यय विवादित है :–		
		(i)	मूल आदेश द्वारा अवधारित आगत कर प्रत्यय	
		(ii)	आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, द्वारा अवधारित आगत कर प्रत्यय !	
	(छ)	दावा की गई कोई अन्य राहत :–		
8.	अपीलार्थी ने निर्धारित कर, अधिरोपित शास्ति और प्रोद्भूत ब्याज संदत्त कर दिया है ।		खजाना रसीद संख्या	
			तारीख	/ / 20

9	अपील के आधार (यहां पूर्ण दें)	

अपीलार्थी (यों) या
उसके / उनके सम्यक् रूप से
प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन :–

मैं / हम----------, उपरोक्त अपील में नामित अपीलार्थी एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि अपील के, उपर कथित पैरा 1 से --------तक मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के कारण सही हैं ।

(20,----------के ----------दिन को सत्यापित

रसीद संख्या: _____

तारीख ----------

प्राप्तकर्ता अधिकारी / कर्मचारी

अभिस्वीकृती

----------जिला के मैसर्ज----------

(करदाता पहचान संख्या, यदि कोई हो)_____ उसमें वर्णित संलग्नकों सहित अपील प्राप्त की /

स्थान ----------

तारीख.....

प्राप्तकर्ता अधिकारी / कर्मचारी

मू0 प0 कर प्ररूप –38
[नियम 77(2)देखें]

धारा 46(3) के अधीन पुनरीक्षण हेतु आवेदन का प्ररूप

(स्टांप न्यायालय फीस हेतु स्थान)

चिपकाई गई स्टांप न्यायालय फीस का मूल्य

संख्या————200————

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के समक्ष

मैसर्ज

आवेदक

बनाम

प्रत्यर्थी

1.	निर्धारण का वर्ष		
2.	जिला जिसमें निर्धारण किया गया था ।		
3.	आदेश, जिसका पुनरीक्षण चाहा गया है, को पारित करने की तारीख		
4.	पता जिस पर आवेदक (कों) को नोटिस भेजा जा सके ;		
5.	पता जिस पर प्रत्यार्थी (यों) को नोटिस भेजा जा सके ;		
6.	पुनरीक्षण में दावा की गई राहत		
	(क)	यदि आवर्त विवादित है ;	
	(i)	विवादित आवर्त	
	(ii)	विवादित आवर्त पर कर ;	

	(ख)	यदि कर विवादित है :–		
		(i)	अन्तर्वलित आवर्त ;	
		(ii)	विवादित आवर्त पर कर ;	
	(ग)	यदि शास्ति का आदेश विवादित है ;		
		(i)	धारा जिसके अधीन शास्ति अधिरोपित की गई :–	
		(ii)	विवाद में शास्ति की रकम ;	
	(घ)	यदि आगत कर प्रत्यय विवादित है :–		
		(i)	आवर्त, जिस पर आगत कर प्रत्यय विवादित है ;	
		(ii)	विवादित आगत कर प्रत्यय की रकम ;	
	(ड.)	दावा की गई कोई अन्य राहत ;		
8.	आवेदक ने, पुनरीक्षण के अधीन आदेश द्वारा अवधारित कर, अधिरोपित शास्ति और प्रोद्भूत ब्याज संदत्त कर दिया है ।		खजाना रसीद संख्या	
			तारीख	/ / / 2 0
9.	पुनरीक्षण के आधार :– (क) अनौचित्यों, (ख) अवैधताएं (यहां पूर्ण दें)			

आवेदकों के हस्ताक्षर

सत्यापन :–

मैं / हम ----------, उपरोक्त आवेदन में नामित आवेदक, एतद्द्वारा, घोषणा करते हैं कि पुनरीक्षण के आवेदन में जो भी उपर कथित पैरा 1 से ----------है, मेरे / हमारे और विश्वास से सत्य है ।

(20,----------के ----------दिन को सत्यापित)

आवेदक / (कों) या
उसके / उनके प्राधिकृत
अभिकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पण :–

(1) पुनरीक्षण हेतु आवेदन मानक वाटर मार्क (जलांक) जुडीशिअल कागज पर लिखा जाएगा और इस प्ररूप में दी गई सभी विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए तीन प्रतियों में भरा जाएगा ।

(2) इस पर ----------रूपये मूल्य की स्टांप न्यायालय फीस होंगी, तथ्यों का स्पष्ट कथन और संक्षेपतः किन्तु स्पष्टतः उपवर्णित अपील के आधार अंतर्विष्ट होंगे तथा प्रार्थना की गई राहत भी प्रमिततः कथित की जाएगी ।

(3) इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे :–

(क) मूल आदेश जिसके विरूद्ध यह किया गया है की सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित प्रति, जब तक कि ऐसा करने या ऐसा आदेश अथवा प्रति प्रस्तुत करने से लोप को, प्राधिकरण का समाधान होने पर, पुनरीक्षण के लिए आवेदन के प्रस्तुतिकरण के समय स्पष्ट न किया गया हो ।

(ख) कर (संदेय ब्याज को सम्मिलित करके) या शास्ति अथवा दोनों के संदाय का साक्ष्य ।

(4) यह आवेदक या उसके / उनके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा ।

(संबद्ध प्राधिकारी के कार्यालय में प्रयोग हेतु).

रसीद संख्या. _____

सरकारी मुद्रा

तारीख: _____

प्राप्तकर्ता अधिकारी / कर्मचारी

अभिस्वीकृति

----------जिला के मैसर्ज---------- (कर पहचान संख्या यदि कोई हो) ----------उसमें वर्णित संलग्नकों सहित अपील प्राप्त की ।

स्थान: .....

तारीख: ----------

प्राप्तकर्ता अधिकारी / कर्मचारी

मू0 प0 कर प्ररूप –39
[नियम 79 (10)देखें]

अपील / आवेदन / पुनरीक्षण संस्थित करने का रजिस्टर

		/			2	0					से

		/			/	2	0				तक की अवधि

प्राधिकारी का नाम
अधिकारिता का क्षेत्र

संस्थित करने की क्रम संख्या	संस्थित करने की तारीख	अपील, आवेदन पुनरीक्षण	अन्तर्वलित कर / शास्ति की रकम	अपील / आवेदन / पुनरीक्षण का नाम
1	2	3	4	5

आदेश की तारीख	परिणाम		निपटान संख्या	टिप्पणियां
	क्या स्वीकृत, अस्वीकृत, प्रतिप्रेषित या पुनरीक्षित है ।	रकम		
	रुपए	रुपये		
6	7	8	9	10

मू0 प0 कर प्रारूप–39–अ

[नियम 79(10)देखें]

अपीलों/आवेदनों/पुनरीक्षणों का निपटान रजिस्टर

अवधि से ☐☐/☐☐/2☐☐ तक ☐☐/☐☐/2☐☐

प्राधिकारी का नाम

अधिकारिता का क्षेत्र

निपटान संख्या	निपटान की तारीख	अपील/आवेदन/पुनरीक्षण की संख्या	करदाता पहचान संख्या	संस्थित करने की तारीख
1	2	3	4	5

अपील/आवेदन/पुनरीक्षण का अभिनाम	आदेश, क्या स्वीकृत/अस्वीकृत/प्रतिप्रेषित् किये गए	अतिरिक्त मांग	प्रति या आदेश को जारी करने की तारीख	हस्ताक्षर
6	7	8	9	10

मू0 प0 कर प्रारूप–40

[नियम 80(1)देखें]

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अधीन

नोटिस

आयुक्त के समक्षः हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन

मामला संख्याः ☐ वर्ष ☐☐☐☐☐☐☐

सेवा में,

करदाता पहचान संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

चूंकि :–

1. (क) आप, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन अरजिस्ट्रीकृत / रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी हैं ;

(ख) ––––––अवधि / मामला जो निर्धारण प्राधिकारी, जिला––––––––––––––के पास लम्बित है / ––––––––––(किसी अन्य अधिकारी का पदनाम) द्वारा निपटा दिया गया है और ऐसे प्राधिकारी / अधिकारी ने उसमें –––––––– तारीख को आदेश किया है ।

(ग) उपरोक्त कार्यवाहियों / उपरोक्त आदेश और उनसे संबद्ध अन्य कार्यवाहियों की वैधता और औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के लिए उसका अभिलेख मंगवाया गया था तथा यह पाया गया है कि :--

(ध्यान में आई अवैधता और अनौचित्य की सूची)

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त कार्यवाहियां या आदेश वैध और उचित प्रतीत नहीं होता और इस प्रकार उसे अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (1) के अधीन पुनरीक्षित किया जाना अपेक्षित है ।

3. अतः, इसलिए, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 31 (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त विषय में कार्रवाई करना कार्यवाहियों / आदेश के संबन्ध में और समुचित पारिणामिक आदेश पारित करना प्रस्तावित है । तथापि धारा 46 (1) के अधीन आदेश पारित करने से पूर्व, आपको एतद्द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है और व्यक्तिगत रूप में या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ---------- बजे, ----------को ----------जगह स्थित मेरे कार्यालय में उपस्थित होने और वहां कोई आक्षेप करने, जिसे आप इस निमित करने की वांछा करें कि क्यों न उपरोक्त अधिनियम की धारा 46 के अधीन समुचित आदेश पारित किया जाना चाहिए, का निदेश दिया जाता है ।

4. इस नोटिस का अनुपालन करने में आपके असफल रहने की दशा में, मैं आपको और निर्देश दिए बिना यथा उपरोक्त आदेश पारित करने के लिए अग्रसर होऊंगा ।

मुद्रा :

हस्ताक्षर ----------
आयुक्त, हिमाचल प्रदेश

आवश्यक कार्यवाही हेतु ---------- निर्धारण प्राधिकारी को प्रति प्रेषित ।

आयुक्त, हिमाचल प्रदेश

जो लागू न हो उसे काट दें ।

मू0 प0 कर प्ररूप –41
[नियम 83 देखें]

व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने और/या दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समन

मामला संख्या _____ वर्ष _____

सेवा में,

_____

_____

_____

1. ----------पुत्र श्री---------- से संबन्धित मामले के बारे में, जो अब मेरे समक्ष लम्बित है, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन जांच के लिए साक्ष्य देने हेतु आपकी उपस्थिति आवश्यक है/निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं । आपको एतद्द्वारा ---------- दिन को ----------बजे (पूर्वाहन/अपराहन समय) ---------- (स्थान) पर मेरे समक्ष :

उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाने और जब तक मेरे द्वारा अनुज्ञात न किया जाए, नहीं जाने के लिए आदेश दिया जाता है ।

2. आपके आहार भत्ता (डाईट मनी) और यात्रा व्यय की------- रुपये की राशि जमा खाते में पड़ी है और यथासमय आपको संदत्त की जाएगी ।

3. यथास्थिति, उपस्थित होने और साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत करवाने में, विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना असफल रहना, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 16, नियम 12 के उपबंधो के अधीन दण्डनीय है । ----------के ----------दिन को मेरे हस्ताक्षर से प्रदत्त किया गया ।

(हस्ताक्षर).....

पदनाम.....

(मुद्रा)
तारीख

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(5)-4/2005 dated 2nd December, 2005, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 2nd December, 2005

No. EXN-F(5)-4/2005.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred on him by section 64 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the said Act, namely:—

CHAPTER-1

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005;

(*b*) "agent" means a person authorised in writing in **Form VAT-XVI** by a dealer to appear on his behalf before any officer empowered under the Act to carry out the purposes of the Act, being,—

(*i*) a relative of the dealer; or

(*ii*) a person in the regular and whole-time employ of the dealer; or

(*iii*) a person who has been enrolled as Chartered Accountant in the register of Accountants maintained by the Union Government under the Auditor's Certificate Rules, 1932; or

(*iv*) a person who possesses a degree in commerce, law, economics or banking, including higher auditing, conferred by any Indian University

incorporated by law for the time being in force or any foreign University duly approved in this behalf by the State Government;

(*c*) "Appropriate Assessing Authority" in respect of any particular dealer means the Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer, within whose jurisdiction the dealer's place of business is situated, or if the dealer has more than one place of business in Himachal Pradesh, the Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer within whose jurisdiction the principal place of business in Himachal Pradesh of such business is situated, or such other person as may be appointed under section 3 of the Act and authorised by the State Government to make assessment in respect of such dealer within the meaning of clause (c) of section 2 of the Act;

(*d*) "appropriate Government Treasury" means a Treasury or Sub-Treasury of Government or a branch of the State Bank of India or a branch of the State Bank of Patiala situated in the district, in which the dealer concerned has his place of business or the principal place of business in Himachal Pradesh if the business is carried on at more than one place in the State;

Explanation.—The branch of the State Bank of Patiala, shall be deemed to be the appropriate Government Treasury only (*a*) if the State Government has so authorised the Bank, and (*b*) in relation to dealers, where there is no Treasury or Sub-Treasury of Government or a branch of the State Bank of India;

(*e*) "Assistant Excise and Taxation Commissioner" means the person appointed by that designation by the State Government under section 3 of the Act to assist the Commissioner;

(*f*) "bricks" means mud bricks baked in a kiln and includes roofing tiles made from mud;

(*g*) "charge code" means the number assigned by the Commissioner to a circle of assessments;

(*h*) "Form 'C'" means the form 'C' prescribed under the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957;

(*i*) "Excise and Taxation Officer" means the person appointed by that designation by the State Government under section 3 of the Act to assist the Commissioner;

(*j*) "Form" means a form appended to these rules;

(*k*) "month" means a calendar month;

(*l*) "section" means a section of the Act;

(*m*) "small works contractor" means a Class "C" or a Class "D" works contractor who is qualified to offer tender or bid for works upto twenty five lakh rupees and six lakh rupees respectively; and

(n) "tax fraction" means any fraction calculated in accordance with the formula:

$$\frac{S \times R}{R+100}$$

Where S is sale price of the taxable goods and R is the rate of VAT or TOT as the case may be.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

REGISTRATION, NOMINATION OF HEAD OFFICE AND TAXABLE QUANTUM FOR CERTAIN DEALER

3. Application for registration.—(1) The application for registration under section 14 shall be made to the appropriate Assessing Authority in Form VAT-I and shall be signed in the case of a—

(*i*) proprietorship, by the proprietor of the business;

(*ii*) partnership, by all the partners;

(*iii*) Hindu Joint Family business, by the Manager or Karta of the Hindu Joint Family;

(*iv*) company incorporated under the Companies Act, 1956, or under any other law, by the Chairman, Managing Director or the Principal Officer managing the business;

(*v*) society, by the Chairman, secretary or an officer managing the business;

(*vi*) club or an association of persons, by the person managing the affairs of the club or the association, duly authorised by the members in this behalf; and

(*vii*) Government Department, by the Head of Department or any other officer or officers duly authorised in writing by him.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by a deposit receipt, in **Form VAT-II** of a fee of one hundred rupees in the appropriate Government Treasury.

(3) The application for obtaining a general registration certificate shall also be made in Form VAT-I by a dealer who opts to pay tax under section 9 or under sub-section (2) of section 16 and the words application for "GENERAL REGISTRATION" shall be conspicuously mentioned therein.

4. Security.— (1) The security or additional security required to be furnished under section 15 for registration may be in the following forms, namely: -

(*a*) cash deposit or Post Office Saving Account or Scheduled Bank's Saving Bank Account Pass Book or fixed deposit receipt duly pledged to the Assessing Authority or bank guarantee from a Scheduled bank;

or

(*b*) personal bond with two solvent sureties to the satisfaction of the appropriate Assessing Authority and executed in **Form VAT-III** on a non-judicial paper of the appropriate value.

(2) The security furnished under sub-rule (1) shall be maintained in full so long as the registration certificate continues to be in force. If the amount of security already determined is rendered inadequate, the Assessing Authority may at any time and for sufficient reasons demand additional security.

(3) Where the security or additional security furnished by a person is in the form of Bank Guarantee, the person furnishing such guarantee shall get the same re-validated atleast thirty days before the date of its expiry.

(4) Where the security or additional security furnished by a person is in the form of a surety bond and the surety becomes insolvent or is otherwise incapacitated or dies or withdraws, the person shall, within fifteen days of the occurrence of any of these events, inform the authority granting the registration, and shall within thirty days of such occurrence, furnish a fresh security or additional security for the like amount.

(5) In the event of default in payment of any tax, interest or penalty due, the security or additional security furnished by the dealer under sub-rule (1) shall be liable to

forfeiture and adjustment, by the Assessing Authority, towards recovery of such tax, interest or penalty after intimation to him and the deficiency in the amount of security or additional security shall be made up by the dealer within a period of thirty days from the date of such intimation.

5. Certificate of registration.— (1) When the appropriate Assessing Authority, after making such enquiry as it may consider necessary, is satisfied that the application is in order and the applicant has fulfilled the requirements of the provisions of the Act and these rules, it may register such dealer or such person and issue him a certificate of registration in Form VAT-IV (specifying clearly the certificate of registration issued to dealer paying lumpsum as "GENERAL REGISTRATION" and in case of a dealer paying Value Added Tax as "VAT REGISTRATION") which shall be valid either from the date of receipt of the application under sub-rule (1) of rule 3 or from the commencement of the liability to pay tax, whichever is later, but in case of registration under sub-section (2) of section 14 the certificate of registration shall be valid from the date of its grant.

(2) The registration certificate shall specify the following, amongst other particulars:—

(*a*) the location of the business and of any branch of the business;

(*b*) the nature of the business;

(*c*) the tax or the return period; and

(*d*) the intervals at which the tax shall be payable.

(3) As far as may be consistent with the Act and the rules, the particulars referred to in clauses (*b*) and (*c*) of sub-rule (2) of this rule shall be described in the registration certificate in the same terms as are used by the dealer or the person in his application form.

(4) Every Value Added Tax (VAT) registration certificate shall bear a unique number to be known as 'the Taxpayer's Identification Number' (hereinafter referred as "TIN") consisting of 11 digit numerals, wherein,—

(*a*) the first two digits will represent 'the State Code' as used by the Union Ministry of Home Affairs;

(*b*) the next two digits will represent 'the Charge Code';

(*c*) the next four digits will represent 'the Registration Number' proper;

(*d*) the next one digit will represent 'the Act Identification Code', namely, the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (or the Central Sales Tax Act, 1956); and

(*e*) the last two digits will represent the 'Check Code', as follows: —

ILLUSTRATION: STRUCTURE OF THE 11 DIGIT TAX PAYERS IDENTIFICATION NUMBER

State Code		Charge Code		Registration Number				Act Identification Code	Check Code	
0	2	0	1	0	0	0	1	1	1	0

(5) The certificate of registration shall be kept at the principal place of business and an attested copy of it shall also be kept at each of the additional places of business to which it relates.

(6) Notwithstanding anything contained in this rule, a dealer opting to pay tax under section 9 or 16(2) shall be allotted a general registration number and the certificate or registration shall specify at the top "GENERAL REGISTRATION CERTIFICATE".

6. Furnishing attested copy of certificate of registration. – The appropriate Assessing Authority shall, on payment of a fee of rupees fifty per copy, furnish the registered dealer with an attested copy of the certificate of registration for every additional place of business enumerated therein.

7. Issue of duplicate copy of certificate of registration. – The registered dealer may, on an application, and after the deposit of a fee of fifty rupees in the appropriate Government Treasury, obtain from the appropriate Assessing Authority, a duplicate copy of a certificate of registration issued to him which has been lost, destroyed, defaced or mutilated.

8. Maintenance of register of registered dealers.– (1) The name and other particulars of business of every dealer registered under sub-section (1) of section 14, shall be entered in a register in **Form VAT-V** in the first instance.

(2) The name and other particulars of business of every person registered under sub-section (2) of section 14 shall be entered in a register in **Form VAT –VI.**

9. Replacement of certificate of registration under section 14(2). – Any dealer who is registered under sub-section (2) of section 14 for the purpose of establishing his business, shall apply for the replacement of his certificate of his registration within 30

days of the establishment of business and shall also surrender his existing certificate of registration to the appropriate Assessing Authority. The certificate of registration shall be replaced by the appropriate Assessing Authority from the date of commencement of business by issuing the certificate of registration under sub-section (1) of section 14 and by cancelling the existing certificate of registration, whereafter the entry in register in **Form VAT-VI** shall be omitted and necessary entry in register in **Form VAT-V** shall be made simultaneously by the Assessing Authority.

10. Amendment etc. of certificates of registration. — (1) Every dealer shall, by making an application in this behalf, furnish the information under sub-section (6) of section 14 to the appropriate Assessing Authority within 30 days of the occurrence of any contingency specified therein or on acquiring the ownership of the business by transfer under clause (*a*) of the said sub-section or in the event of any change in the partnership:

Provided that where the amendment of registration certificate relates to any additional place of business located outside the jurisdiction of the appropriate Assessing Authority, the information about such amendments shall also be forwarded to the authority within whose jurisdiction such additional place of business is located.

(2) When any dealer furnishes the information under sub-rule (1), he shall also send his certificate of registration to the appropriate Assessing Authority, who may amend or replace or cancel the certificate of registration, as the case may be, which shall be deemed to have been amended or replaced, or cancelled, as the case may be on the date of receipt of information from the dealer by the Assessing Authority.

(3) The Appropriate Assessing Authority shall make necessary entries of amendments or replacements or cancellation of registration certificates, as the case may be, in the registers in **Form VAT-V** or **VAT-VI**, as the case may be.

(4) Any dealer who has been issued a "GENERAL REGISTRATION CERTIFICATE" may at any time apply to the appropriate Assessing Authority for conversion of his certificate of registration into Value Added Tax registration. The said authority shall amend the "GENERAL REGISTRATION CERTIFICATE" of such dealer so as to make the amendment to be effective from the first day of the following quarter or month accordingly as such dealer has been paying the tax.

11. Cancellation of certificate of registration under section 14(6). — (1) Every registered dealer making an application for cancellation of certificate of registration shall, besides surrendering the registration certificate and attested copies thereof, if any, to the Appropriate Assessing Authority and also submit alongwith the application the following documents, namely: —

(*a*) unused statutory forms;

(*b*) return, if any, due for submission on the date of application;

(*c*) a statement showing the value of goods imported or manufactured by him during the immediately preceding two years; and

(*d*) a statement of closing stock;

(2) (*a*) Every dealer whose registration certificate has been cancelled, shall, within fifteen days of the date of service of the notice given in this behalf, also furnish such other information or document as may be required by the Appropriate Assessing Authority.

(*b*) In case the dealer fails to surrender unused statutory forms within the stipulated period such forms shall be declared obsolete through a public notice published in the Official Gazette.

(3) The particulars of all certificates of registration cancelled under the Act shall be notified by the Appropriate Assessing Authority in the Official Gazette, as soon as possible.

(4) The Appropriate Assessing Authority shall pass necessary orders of cancellation of certificate of registration within sixty days from the receipt of application and a copy of the order of cancellation shall be issued and served upon the dealer or other person, as the case may be, within fifteen days of the date of order of cancellation of certificate of registration.

(5) Except as provided in rule 12, the cancellation of registration certificate shall take effect from the date of order of cancellation or the date of notification issued, as the case may be in this behalf, by the assessing authority, whichever is later.

12. Cancellation of certificate of registration as per section 4.— (1) When the Appropriate Assessing Authority is satisfied that the gross turnover of any dealer registered under section 14 has, for three successive years, failed to exceed the taxable quantum, it shall forward to the Commissioner a list giving the particulars of such dealers whose certificates of registration may be cancelled by the last day of June or the last day of December in each year, and the orders of such cancellation shall come into effect from the last day of September next following or from the last day of March next following respectively and the liability of the dealer to pay tax under sub-section (6) of section 4 shall cease with effect from the said date.

(2) The particulars of all registration certificates cancelled under the Act shall be notified by the authority cancelling the registration certificates in the Official Gazette as soon as possible thereafter.

13. Surrender of cancelled certificate of registration.-- Every registered dealer or his legal representative whose certificate of registration has been cancelled, either *suo motu* by the Appropriate Assessing Authority or on dealer's legal representative's application under clause (*b*) or under clause (*c*), of sub-section (6) of section 14 shall surrender his certificate of registration to the Appropriate Assessing Authority for destruction, within 15 days of the date of service of the notice issued in this behalf.

14. Renewal of certificate of registration.—The certificate of registration granted to a dealer shall be renewed by the appropriate Assessing Authority, on application from the dealer, after such period from the date of its grant as the Commissioner, may, by order, direct and on payment of the fee of one hundred rupees into the Government treasury.

15. Nomination of principal place of business in the case of a dealer having more places of business than one.—(1) Where a dealer has within Himachal Pradesh more than one place of business (hereinafter referred to as "branches") he shall nominate one of such branches, in which business is done, as the principal place of the business for the purpose of this rule:

Provided that if the dealer fails to nominate one of the branches to be the principal place of business the appropriate Assessing Authority may nominate one of such branches to be the principal place of business for the purpose of this rule.

(2) All applications (including application for grant of registration), returns (including the turnover of all branches) or statements required under the Act or these rules shall be submitted in respect of all the branches jointly by the person-in-charge of the principal place of business to the appropriate Assessing Authority. The person-in-charge of each branch shall also, at all reasonable times and on demand by any officer not below the rank of an Excise and Taxation Inspector furnish the name and address of the principal place of business and intimate whether or not returns of turnover of his branch have been despatched to such principal place of business.

(3) The turnover for the whole business shall be the aggregate of the turnover of all the branches.

(4) All notices and orders under the Act or these rules to be issued to or served on, shall be issued and served on the person-in-charge of the principal place of business nominated under sub-rule (1):

Provided that the notice and order may, in case of inspection of business premises and accounts, be served by any Assessing Authority on any branch also.

(5) A notice or order, issued to or served on the person-in-charge of such principal place of business, shall be deemed to have been issued to and served on all branches of the dealer concerned.

16. Taxable quantum for registration of certain dealers.– In relation to a dealer,—

(*a*) who resides outside the State but delivers any goods for sale in the State or purchases any goods in the State; and

(*b*) who purchases the goods specified in Schedule 'C', the taxable quantum hall be rupee 1/-.

CHAPTER-III

DETERMINATION OF TAXABLE TURNOVER, INPUT TAX CREDIT AND CALCULATION OF NET TAX PAYABLE

17. Deductions from gross turnover. — (1) In calculating his taxable turnover, a registered dealer may deduct from his gross turnover,—

(*i*) turnover of sales of goods declared tax free under section 9 of the Act;

(*ii*) turnover of sales of goods made—

(*a*) outside the State;

(*b*) in the course of *inter-State* trade or commerce;

(*c*) in the course of import of goods into India; and

(*d*) export of goods out of the territory of India under section 58 of the Act;

(*iii*) amount charged separately as interest in the case of a hire-purchase transaction or the ***amount charged as interest under*** any system of payment by instalments;

(*iv*) sale price of taxable goods where such sale was cancelled:

Provided that the deduction under this clause shall be claimed only if the person is in possession of all copies of tax invoice or retail invoice, as the case may be;

(*v*) sale price, in respect of any goods returned within a period of six months:

Provided that the dealer shall claim the deduction under this clause only on the basis of debit note issued by the purchaser for the goods returned;

(*vi*) amount allowed as cash discount provided such discount is in accordance with regular trade practice;

(*vii*) turnover of sales of goods to the following for their bonafide use subject to the production of certificate by appending the same with the return in Form VAT-XV:—

(1) United Nations Organisation and its constituent agencies like:

(i) UNDP
(ii) UNESCO
(iii) UNFPA
(iv) UNHCR
(v) UNICEF
(vi) UNIDO
(vii) UNICEF
(viii) WFAO
(ix) WHO
(x) ILO

(2) Diplomatic Missions.

Certificate

Certified that we have purchased following goods from M/s..... holding Registration Certificate No. ..... under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 for our bonafide consumption:—

Sr.No.	Description of goods	Purchase value of goods	No. & Date of cash memo or retail invoice issued
1	2	3	4

Place:
Date:

Signature of the purchaser with full address and seal.

Explanation. — For the purpose of this sub-rule the turnover of the goods sent on consignment basis or branch transfer basis shall be excluded from the dealer's gross turnover.

(2) The deduction referred to in clauses (*i*) to (*vii*) of sub-rule (1), shall be claimed in the tax period in which the event occurs:

Provided that if the turnover of the period is less than the claim, then the balance of such deduction shall be claimed in the subsequent tax period(s).

(3) The provisions of clauses (i) to (vii) of sub-rule (1) shall also apply for the determination of taxable turnover of purchases for levy of purchase tax under clause (b) sub-section (1) of section 6 of the Act to the extent applicable.

(4) (*a*) The value of the goods involved in the execution of a works contract shall be determined by taking into account the value of the entire works contract and deducting there from the components of payment made towards labour and services, including:

(*i*) labour charges for execution of the works;

(*ii*) amount paid to a sub-contractor for labour and services;

(*iii*) charges for planning, designing and architects fee;

(*iv*) charges for obtaining for hire, machinery and tools used for the execution of the works contract;

(*v*) cost of consumables, such as, water, electricity and fuel, used in the execution of the works contract, the property in which is not transferred in the course of execution of a works contract;

(*vi*) cost of establishment of the contractor to the extent it is relatable to supply of labour and services;

(*vii*) other similar expenses relatable to supply of labour and services;

(*viii*) profit earned by the contractor to the extent it is relatable to supply of labour and services;

(b) The amounts deductible under these heads shall be determined in the light of the facts of each particular case on the basis of the material produced by the contractor.

(5) The sale price of the goods sold by the commission agent on behalf of his principal, registered under the Act, shall be added in the taxable turnover of the agent.

18. Classification of taxable turnover according to rate of tax.— Every registered dealer shall classify his taxable turnover of sale or purchases, determined in accordance with the provisions of the Act and the rules, on the basis of rate of tax specified in the Schedule(s) appended to the Act or as notified by the Government.

19. Calculation of tax on taxable turnover.— Every registered dealer other than a registered person shall calculate tax payable on taxable turnover of sales by applying the rate of tax specified in the Schedule(s) appended to the Act or as notified by the Government.

20. Conditions for input tax credit.— (1) The input tax credit under section 11 shall be available to a registered dealer, if such dealer has,—

(a) in his possession the original VAT invoice, issued to him by a dealer, from whom purchase of such goods has been effected, wherein tax has been separately charged; and

(b) maintained proper accounts recording therein, in chronological order, all purchases of goods eligible for input tax credit and all adjustments thereto;

(2) No input tax credit shall be available in respect of the goods specified in the Schedule appended to these rules.

21. Calculation of input tax credit.— Subject to provisions of rules 22 and 23, a registered dealer (including the dealer falling under the Special Economic Zones or Software Technology Parks) shall be entitled to input tax credit of whole of the input tax paid on purchases of goods during the tax/ return period after reducing therefrom reverse input tax credit:

Provided that in respect of goods specified in second proviso to sub-section (3) and sub-section (4) of section 11 of the Act, input tax credit shall be availed only to the extent by which the amount of tax paid in the State exceeds four percent:

Provided further that the purchase tax paid under section 6 of the Act shall be considered as input tax credit for the purpose of subsequent sale in the hands of same person.

22. Input tax credit where identification of goods is possible.— Where a registered dealer has used the goods purchased partially for taxable sales and maintained commodity-wise account of his purchases and their use in manufacture or sales, and

correlates such purchases with sale of taxable goods, the input tax credit for the tax/ return period shall be an amount of value added tax paid or payable on such purchases as reduced by the reverse input tax credit:

Provided that in respect of goods specified in sub-section (4) of section 11 of the Act, input tax credit shall be availed only to the extent by which the amount of tax paid in the State exceeds four percent, and the amount calculated above shall be reduced by a sum calculated in accordance with the following formula:

$$\frac{P \times 4}{100}$$

Where "P" is purchase price, excluding the tax amount, representing the sum in respect the goods that are dispatched in a manner referred to above.

23. Input tax credit where identification of goods is not possible.— Where a registered dealer has used the goods purchased partially for taxable sales and is unable to maintain accounts as provided in rule 20 and the sale by him includes sale of tax free goods and taxable goods and/or branch or consignment transfers, then it shall be presumed that goods so purchased during the tax period have been used in the proportion of turnover of sales of tax free goods, taxable goods and branch or consignment transfers respectively of the tax period and the input tax credit shall be calculated and claimed in that proportion accordingly.

24. Input tax credit on stock held at the commencement of the Act.— (1) Subject to provisions of sub-section (2) of section 62 input tax credit on goods, other than capital goods, held in stock, by a registered dealer, under the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (hereinafter referred to as the repealed Act), at the commencement of the Act, shall be available subject to the following conditions, namely: —

(*a*) the registered dealer has submitted to the appropriate Assessing Authority,—

(*i*) statement of such goods, within ***four months*** of the commencement of the Act in the form as may be notified by the Commissioner, making therein a claim of input tax credit only for that amount which has been charged separately or the price has been shown as inclusive of tax on the invoices; and

(*ii*) proper certificate(s) in **Form ST-XXV** prescribed under the repealed Act proving specifically the amount of tax paid.

(*b*) The registered dealer shall retain documents/ evidence relating to the claim of input tax credit for a period of five years from the date of commencement of the Act and shall provide such document(s)/ evidence to the appropriate Assessing Authority or any other officer appointed under sub-section (1) of section 3 for scrutiny as and when required:

Provided that in respect of goods transferred on consignment or branch transfer basis, the input tax credit shall be allowed only to the extent by which the amount of value added tax paid in the State exceeds four percent.

(2) The Appropriate Assessing Authority or the officer appointed under sub-section (1) of section 3 of the Act shall verify the claim made under clause (*a*) of sub-rule (1) and within ***thirty days*** of its filing, determine the amount of input tax credit available to the registered dealer. Such credit shall then be availed of by the claimant proportionately over a period of one year beginning after ***five*** months from the date of commencement of the Act.

(3) No input tax credit shall be admissible in respect of the goods which were purchased from the industrial units exempted from the payment of tax under the repealed Act.

25. Input tax credit on duplicate tax invoice.— (1) In case the original tax invoice has been lost, destroyed or mutilated, a registered dealer shall make an application to the appropriate Assessing Authority and attach alongwith the same a duplicate copy of tax invoice issued to him by the selling registered dealer and furnish an Indemnity Bond in **Form VAT-VII** for the amount equal to the amount of input tax credit claimed under such invoice.

(2) On receipt of such application, the appropriate Assessing Authority shall cross-check the transaction, and after being satisfied about the genuineness of the transaction, allow the claim by an order passed in this regard.

(3) The registered dealer shall avail of the input tax credit only after receipt of the order specified in sub-rule (2).

26. Net tax payable.– After determination of output tax liability and input tax credit, the registered dealer shall calculate his net tax liability for the tax/return period in accordance with the provisions of section 12.

CHAPTER – IV

DEALERS ENGAGED IN CASUAL BUSINESS

27. Application for grant of permission.— (1) A casual dealer shall apply in Form VAT-VIII to the appropriate Assessing Authority and pay into Government treasury a non-refundable fee of one hundred rupees by means of a challan in Form VAT-II and append the treasury receipt with his application.

(2) The casual dealer alongwith the application in Form VAT-VIII furnish to the appropriate Assessing Authority sale bill book(s) and account books for authentication and shall append the list of commodities to be sold.

(3) The casual dealer may withdraw his application any time before the date of commencement of casual business.

28. Security.— (1) The appropriate Assessing Authority on receipt of the application under rule 27 shall, keeping in view the quantum of business undertaken or likely to be undertaken, determine the amount of security which shall not exceed one lakh rupees.

(2) Every casual dealer shall furnish the security for the amount determined under sub-rule (1) which shall be in the form of bank guarantee from a local Scheduled Bank or a demand draft in favour of the Appropriate Assessing Authority.

(3) The appropriate Assessing Authority at any stage during the currency of the casual business event may, demand additional security, if he is satisfied that the security already obtained is inadequate:

Provided that the total amount of security including the additional security shall not exceed rupees one lakh.

29. Grant of permission.—When the appropriate Assessing Authority is satisfied that the application, in Form VAT-VIII, is complete in all respects and the security has been furnished under sub-rule (1) of rule 28, it shall grant permission to the casual dealer in Form VAT-IX, which shall be in triplicate. The first two copies shall be given to the casual dealer. Such authority shall enter the particulars of such permission in a register to be maintained for the purpose:

Provided that if the said authority is not satisfied that the particulars contained in the application are correct and complete or that the casual dealer has not furnished the security he shall, after affording an opportunity of being heard, reject the application for reasons to be recorded in writing.

30. Import of goods by the casual dealer.— (1) A casual dealer who brings goods from outside the State shall report to the first check post or barrier on entry into the State and furnish second copy of the certificate in **Form VAT-IX** issued by the Appropriate Assessing Authority and shall declare his goods in **Form VAT- XXVI-A.**

(2) The casual dealer referred to in sub-rule (1) shall furnish details of such goods to the Appropriate Assessing Authority/ Excise and Taxation Officer incharge of the nearest check-post before the commencement of the casual business event. The details of the goods imported during the currency of the said business event shall also be furnished to the Appropriate Assessing Authority forthwith.

31. Extension of period of casual business event or opening of new outlet.— If the casual dealer intends to extend the period of conducting the casual business event or intends to open a new outlet, he shall inform the Appropriate Assessing Authority, in writing, in this behalf atleast three working days in advance and such authority, on receipt of such information and after satisfying itself as to the genuineness of the request may extend the period of permission for conducting casual business event and incorporate the fact of extending the period, and /or opening the new outlet in **Form VAT-IX:**

Provided that while extending the period of permission or allowing opening of a new outlet, the Appropriate Assessing Authority may review the security already furnished.

32. Mode of payment of tax.— Subject to provisions of sub-rule (4) of rule 33, a casual dealer shall, on the conclusion of the business, deposit the amount of tax due in the appropriate Government treasury by a challan in **Form VAT-II** on the conclusion of the business:

Provided that if the period of casual business event exceeds seven days, the amount of tax shall be deposited weekly on the first working day after the close of the week and final instalment immediately on the conclusion of the casual business event, whichever is earlier.

33. Procedure after closure of casual business event and finalization of tax liability.– (1) The casual dealer shall furnish to the appropriate Assessing Authority a statement showing the details of sales and purchases and tax liability in **Form VAT-X** immediately after the conclusion of the casual business event. He shall also append the details of unsold goods and shall produce account books before Appropriate Assessing Authority for determining the final tax liability.

(2) The Appropriate Assessing Authority may, on the date of receipt of statement in **Form VAT-X** or on the next working day, examine the account books of the casual dealer immediately and shall determine the final tax liability of the casual dealer and require him to deposit immediately the amount of tax so determined.

(3) Where a casual dealer fails to discharge his tax liability as determined by the appropriate Assessing Authority, the same shall be recovered out of the security furnished by the casual dealer. Any amount remaining unrecovered shall be recoverable under the provisions of the Act and these rules.

(4) After satisfying itself that the casual dealer has discharged his tax liability, the Appropriate Assessing Authority shall release the security if nothing is due, and issue him a clearance certificate in **Form VAT-XI** (in triplicate) and he shall be given the first and the second copies thereof. The dealer shall deposit the second copy at the last check-post or barrier while leaving the State.

34. I etention of goods of casual dealer.— If a casual dealer fails to discharge his tax liability under rule 33, the goods, if any, being transported by him shall be detained and put to auction, if required, in accordance with the procedure laid down in ***rule 62***.

35. Failure to seek permission.— If a casual dealer fails to apply for permission under rule 27 or contravenes any provision of the rules 27 to 34 he shall be afforded an opportunity of being heard in the matter before taking final action.

CHAPTER-V

PAYMENT OF TAX AND RETURNS

36. Payment of tax and other dues.— (1) A dealer, all partners in a partnership, all members in a society or association or club and all persons forming a business concern shall be jointly and severally responsible for making payment of the tax, penalty, interest or any amount due under the Act or these rules.

(2) Every dealer liable to pay,—

(*i*) a lumpsum, by way of composition, under section 7 or sub-section (2) of section 16 and

(*ii*) tax under sub-section (4) of section 16 of the Act shall pay such lumpsum and the tax before filing the return.

(3) Any other amount due under the Act shall be paid in accordance with such directions as may be issued by the Appropriate Assessing Authority.

37. Mode of payment of tax etc.— (1) Any amount payable by a dealer in respect of tax, interest, penalty, composition money, registration fee or any other liability or amount due under the Act or these rules shall be paid into Appropriate Government treasury. No payment of any such amount, shall be accepted at the office of the Assistant

Excise and Taxation Commissioner, or the Excise and Taxation Officer-in-charge of a district except through a Bank Draft or crossed cheque payable at a local Scheduled Bank in favour of the Assessing Authority.

(2) All payments under the Act shall be made by a Challan in **Form VAT- II,** obtainable free of charge at the District Excise and Taxation Office and its sub-offices.

(3) Challan shall be filled up in quadruplicate. The copy of the challan marked as "Duplicate" shall be retained by the treasury, the copy marked as "Original" shall be sent by the Treasury Officer to the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer-in-charge of the district and the copies marked as "Triplicate" and "Quadruplicate" shall be returned to the person making payment, duly signed, in proof of payment. The "Triplicate" copy or the challan shall be furnished by the person making the payment to the Assessing Authority alongwith the return or application.

38. Deduction of tax from the bills/invoices of work contractor.— (1) Every person entering into a contract with a works contractor or a works contractor entering into contract with a sub-contractor for transfer of property in goods in execution of a works contract shall furnish to the appropriate Assessing Authority, particulars of such ***contract*** in **Form VAT-XII** within a period of thirty days of such contracts.

(2) Every person entering into a contract with a works contractor or a works contractor entering into contract with a sub-contractor for transfer of property in goods involved in execution of a works contract and liable for deduction of tax under section 17 shall make an application to the Appropriate Assessing Authority in **Form VAT-XII** for allotment of tax deduction number. If the application is complete in all respects, the Appropriate Assessing Authority shall, within seven days from receipt of such application, allot a tax deduction number to the applicant.

(3) . For the purpose of section 17, every person in a department of any Government, a corporation, Government undertaking, a co-operative society, a local body, a trust or a private or public limited company or any other concern responsible for making any payment or discharge of any liability on account of valuable consideration payable for the transfer of property in goods, whether as goods or in some other form, involved in the execution of works contract or for carrying out any works, shall, at the time of,—

(*i*) payment thereof in cash or by issue of a cheque or bank draft or any other mode; or

(*ii*) credit of such sum to the account of the works contractor; or

(*iii*) discharging liability on account of the said valuable consideration to the works contractor,

deduct an amount equal to 2 percentum of such sum towards the tax under section 17 of the Act.

(4) The deduction under sub-rule (1) shall be made from all payments being made in respect of all works contract executed, whether in part or in full.

(5) The amount, which any person is required to deduct in a month under the foregoing sub-rules, shall be paid by him within fifteen days of the close of each month into the Appropriate Government Treasury by a challan in **Form VAT-II** separately for each work contractor. The person making the payment shall append the "Quadruplicate" copy of the challan to the return in **Form VAT-XIII** which shall be furnished by him to the appropriate Assessing Authority within thirty days of the expiry of each quarter in respect of the deduction made by him during the immediately preceding quarter, and shall also furnish the "Triplicate" copy to the works contractor concerned as a certificate of tax deduction and payment, who shall append it to his return in **Form VAT-XV** or, as the case may be, in **Form VAT-XV-F**, in case he has opted to pay a lumpsum, by way of composition, in lieu of the amount of tax payable under the Act. A return which is unsigned or not accompanied by the appropriate copy of the challan shall be treated to be no return.

(6) The works contractor to whom a certificate of tax deduction and payment referred to in sub-rule (5) has been furnished shall, subject to verification of genuineness and correctness of the certificate, be entitled to deduct the amount shown in it from the gross amount of tax due from him for the period specified in the certificate and shall pay the balance in the manner laid down in rule 37.

39. Maintenance of daily collection register and reconciliation of payment. – (1) There shall be maintained in each district a Daily Collection Register in **Form VAT-XIV** in which shall be recorded the particulars of every challan received in proof of payment of tax or penalty or any other amount due under the Act as made by a dealer or other person.

(2) Every Treasury Officer shall, within the first week of each month, send to the district Excise and Taxation Office, a statement of the amounts credited in the treasury under the Act and these rules during the preceding month.

(3) The Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer incharge of each district shall, in the first week of each month, prepare a statement showing collection of various amounts paid under the Act or these rules and shall forward it to the Treasury Officer of his district for verification. If any discrepancy is discovered at the time of verification the officer incharge of the district shall arrange necessary reconciliation with the Treasury.

40. Period of returns.— (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), every registered dealer shall furnish self-assessed return in **Form VAT-XV** quarterly within thirty days from the expiry of each quarter of a financial year:

Provided that every registered dealer whose gross turnover during the preceding financial year was rupees five crores or more shall furnish the return monthly within thirty days from the expiry of each month of a financial year.

(2) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1), the Appropriate Assessing Authority may, for reasons to be recorded in writing, fix monthly returns for any dealer and such order shall remain in force until revised by the Assessing Authority.

(3) The dealer for whom monthly return period has been fixed under sub-rule (2) shall furnish a self-assessed return in **Form VAT–XV** for each month, within thirty days from the close of each month.

(4) The return in **Form VAT-XV** shall be sent to the appropriate Assessing Authority or the circle Excise and Taxation Inspector posted for Value Added Tax work at places other than the district headquarters, together with the treasury or bank receipt in proof of payment of the tax due. The original copy of the return shall be retained in the office and the duplicate copy shall be returned to the dealer after acknowledging the same by signing and affixing the dated official stamp and the inward number.

(5) Every registered dealer shall also furnish an annual return for the preceding year in **Form VAT-XV-A** on or before 31st October next. The annual return shall be accompanied by—

(*i*) a copy of final accounts including balance sheet as at the end of the year, profit and loss-*cum*-manufacturing/ trading account for the year; and

(*ii*) a statement reconciling the difference, if any, between such accounts and the turnover reported in the annual return,

and verified in the following manner:—

"I/We, ... son of S/Shri..... hereby declare that the above statement of accounts for the year ended on 31st March, ... in respect of M/s..... .....is true and correct and is based on the regular books of account maintained for the year and nothing has been concealed therefrom.

Signature of the dealer with status

Date: .....
Place: .....

(6) Every return, which is required to be furnished under these rules, shall be incomplete unless accompanied with lists, statements, declarations certificates and documents mentioned therein or which are required to be filed with the return under these rules. The return shall be signed by Karta in case of an Hindu Undivided Family, proprietor in case of a proprietorship concern, a partner in case of a partnership firm, or a whole time employee authorised by Karta, proprietor or partner, as the case may be, in writing in this behalf, head of the department or an officer authorised by him in case of a Government department and chairman, director, secretary or principal officer in case of a society or a company. A return, which is unsigned or is signed by any other person, shall be treated as no return. An authorised signatory alone shall sign each list and statement accompanying the return. Any list or statement, which is unsigned or is not signed by an authorised signatory, shall be treated as no list or statement.

41. List of sales and purchases.— Every registered dealer shall append to his return the lists of sales and the lists of purchases in Form LS-I and LP-I as specified in return in Form VAT-XV.

42. Maintenance of demand and collection register.— Every Assessing Authority shall maintain a Demand and Collection register in Form VAT-XVII showing the payment of tax, penalty, interest, lumpsum by way of composition, other amount, input tax credit carried over by dealers in his jurisdiction.

43. Returns etc. by dealers making unauthorised collection.— Any dealer who has made un authorised collection of tax shall be required under section 20 to pay the amount so collected into the Government treasury and shall furnish a return in **Form VAT-XV-C** which shall be accompanied by a receipt in **Form VAT-II** from such treasury showing the payment of such amount and a list in **Form L.S.-III** within 10 days of the close of each month unless otherwise directed by the Appropriate Assessing Authority.

44. Scrutiny of returns, inspection and audit of returns, accounts, etc.— *(1) The Appropriate Assessing Authority shall scrutinize every return of a dealer filed under section 16 of the Act. If any mistake is detected in the return upon such scrutiny and the person is found to have paid less tax than that payable as per such return, such authority shall serve a notice upon the dealer concerned directing him to rectify the same and to pay the amount of tax less paid, alongwith the interest payable under section 19 of the Act and produce the treasury receipt(s) before him, within the time specified in the said notice:*

Provided that if the dealer is found to have paid tax or interest in excess of the amount payable according to such return, the said authority shall inform the same to the dealer by sending a notice within one month of completion of such scrutiny.

(2) If upon receipt of the notice referred to in the sub-rule (1), the dealer complies with the direction made in such notice and furnishes proof of such compliance

including furnishing of a copy of the treasury receipt, the Assessing Authority shall make a record of the same and close the scrutiny. If the dealer does not comply with such directions or expresses his disagreement in writing, adducing reasons for such disagreement with the directions made in such notice, the Assessing Authority, unless he accepts such reasons as correct and justified, shall refer the matter to the Assistant Excise and Taxation Commissioner or other officer incharge of the district within a fortnight, recommending initiation of audit under section 61 of the Act, in respect of such dealer.

(3) For the purposes of audit of returns, annual statement and accounts, the Commissioner or the appropriate Assessing Authority or any other officer appointed under sub-section (1) of section 3 may require any dealer to produce evidence for verification of correctness of any return and any other additional information(s) as may be considered necessary.

(4) The Commissioner shall select, on the basis of the parameters laid down, a certain number of persons in the manner laid down under sub-rule (2) for audit under section 61, either mechanically or with the use of computers:

Provided that the Commissioner may, upon receipt of information or otherwise, select those persons for audit, who, according to him, are required to be audited.

(5) The audit shall be performed by the designated officers as a team. Such a team may consist of one or more Excise and Taxation Officer, Assistant Excise and Taxation Commissioner or Deputy Excise and Taxation Commissioner, as the Commissioner may deem fit.

(6) For the purpose of audit of returns, annual statement and accounts, the notice shall clearly state the period(s), the date, time and place fixed for such audit. The notice shall provide a period of not less than 10 days for production of account books as specified in the notice.

(7) A person who has been served a notice under sub-rule (2) shall produce on the specified date and time account books as specified in the notice. The audit shall, as far as possible, be conducted on the business premises of the dealer.

(8) During the course of the audit, the officer or authority referred to in sub-rule (1) may require the dealer to afford him the necessary facility to inspect/ verify the account books for the period in the notice. The dealer shall also provide his explanation to the queries asked by such officer or authority.

CHAPTER VI

LUMPSUM (IN PAYMENT OF TAX) BY WAY OF COMPOSITION

45. Lumpsum by way of composition.— (1) A registered dealer (other than the dealer who imports the goods from outside the State and the dealer dealing in medicines) shall have the option to pay presumptive lumpsum tax by way of composition under section 7 or sub-section (2) of section 16, and shall pay such tax in the manner as prescribed in this chapter.

(2) Such payment (hereinafter called "the lumpsum") shall be deemed to be tax for the purpose of application of provisions relating to assessment, use of declaration forms, maintenance of record relating to such forms, levy of interest, imposition of penalties for contraventions and offences against provisions of the Act, and recovery of outstanding dues.

(3) The application, in the prescribed form, offering to pay the lumpsum shall be made to the Appropriate Assessing Authority and signed by a person eligible to make an application for registration under the Act. The Appropriate Assessing Authority shall scrutinise the application filed by the dealer and the option shall become operative w.e.f. 1st day of the month following the day on which such option is filed if it is correct and complete. On receipt of the application, such authority shall ascertain that it is complete and its contents are correct, and thereafter allow the applicant to make payment of the lumpsum.

(4) The dealer exercising such option under sub-rule (2) shall be deemed to have been allowed to make payment of the lumpsum w.e.f. the beginning of the month following the date of application. In case, the appropriate Assessing Authority finds the option incomplete it shall allow the dealer to complete the same by affording an opportunity of being heard.

(5) A dealer paying lumpsum shall pay the lumpsum in equal quarterly instalments payable within thirty days of the expiry of each quarter and shall, in proof of the payment so made, furnish to the appropriate Assessing Authority, a treasury receipt.

(6) The dealer opting to pay the lumpsum shall not issue a tax invoice under section 30 and the input tax credit in respect of goods purchased from such dealer shall be nil, and such dealer shall also not be entitled to claim any input tax credit on the purchase of goods made by him.

(7) The dealer opting to pay lumpsum shall be entitled to charge tax as may be prescribed.

(8) Notwithstanding anything contained in this Chapter, the State Government may at any time withdraw the facility of making payment of the lumpsum from any or all class(s) of dealers.

46. Lumpsum scheme in respect of brick- kiln owners.— (1) A brick-kiln owner (including a lessee of a brick-kiln) shall, under sub-section (2) of section 16 and subject to the provisions of rule 45 and this rule, at his option, pay a lumpsum by way of composition, in lieu of tax payable under the Act, at the rates given in the following Table: —

TABLE

Sl. No.	*Capacity of kiln*	*Category*	*Lumpsum amount payable per annum when a kiln is designated to be fired at one place*
1.	*Brick-kiln of capacity of more than 33 number of Ghori*	*A*	*Rs.1,93,600/- plus Rs. 6,800/- per additional Ghori above 33 Ghori*
2.	*Brick-kiln of capacity of 28 to 33 number of Ghori*	*A*	*Rs. 1,93,600*
3.	*Brick-kiln of capacity of 22 to 27 number of Ghori*	*B*	*Rs. 1,51,250*
4.	*Brick-kiln of capacity of below 22 number of Ghori*	*C*	*Rs. 1,21,000*
5.	*Brick-kiln not fired during the year ending 30th September in which stock in and outside the kiln as on 1st October last does not exceed five lakhs bricks of all categories.*	*D*	*Rs. 30,250*

Note.— If a kiln is designated to be fired at two places, the rate of lumpsum payable by the owner of such kiln shall be double of the aforesaid rates.

Explanation.—For the purpose of this rule, "Ghori" means a vertical column of bricks of width equalling the length of a brick separated from the next similar vertical column by a distance of about 4" to 5" and "number of ghori" means the number of vertical columns of bricks capable of being accommodated between the inner and outer wall of the vessel of a brick-kiln over its full width.

(2) A brick-kiln owner may at any time exercise his option to pay lumpsum in lieu of tax in the following form: —

FORM OF APPLICATION

To

The Assessing Authority,
.....District .....

Subject:— Option to pay the lumpsum by way of composition under sub-section (2) of section 16 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

I..... (name), aged..... (years), son of Shri ..... resident of village/town ..... District ..... proprietor/ partner/ manager/ managing director of M/s.....holding TIN/GRN.....owner of brick kiln situated at ..... (Place), District ....., do hereby opt to pay lump sum (in lieu of tax payable under the Act) by way of composition under sub-section (2) of section 16 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 and the rules framed thereunder with effect from the beginning of the quarter and declare that I fall in category ..... as specified in sub-rule (1) of rule 47 as the brick-kiln is of the capacity of .... number of ghori.

Place .....
Date .....

Signature of brick-kiln owner.

ACKNOWLEDGEMENT

Received option from Shri .....Proprietor/Partner/ Manager/ Managing Director of M/s..... holding TIN/GRN (if any) for presumptive/lumpsum tax payable under section 7 or 16(2) of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

Place ..... *Signature of Assessing Authority*

Date..... *Name in CAPITALS*

Designation

(3) The option exercised by the brick-kiln owner under sub-rule (2) shall cover all brick-kilns operated by him and the owner shall pay lumpsum for all his brick-kilns at the rates specified in sub-rule (1) of this rule.

(4) Every brick-kiln owner under this rule shall furnish a return in **Form VAT-XV-D** annually within thirty days of the close of the each quarter.

(5) For the purpose of verification of capacity of a brick-kiln, its status whether it is being worked, fired or closed and the stock of bricks at the site of the kiln site, any officer not below the rank of an Excise and Taxation Inspector may inspect brick- kiln(s) of an owner liable to pay lumpsum.

(6) (*a*) In case a brick-kiln is intended to be closed for the next whole year beginning 1st October, the owner thereof who is liable to pay the lumpsum shall inform the Appropriate Assessing Authority, in writing, atleast ten days before such closure and declare the stock of bricks at the site of the kiln. The brick-kiln shall be placed in category D from the next year only if the opening stock of all types of bricks at the sight of the kiln on that day does not exceed five lakh bricks and the kiln is not fired throughout that year.

(*b*) If the brick-kiln owner fails to furnish information about closure of a kiln in the manner specified in clause (*a*), it shall be presumed that the brick-kiln has been functioning normally.

(7) Notwithstanding the operation of a brick-kiln for a part of the year the owner thereof shall be liable to make payment of lumpsum for the whole year except that an owner who opts for payment of lumpsum for the first time shall be liable to pay lumpsum from the beginning of the month in which he exercises his option and for the period before exercising the option for the first time, he shall be liable to pay tax under the usual provisions of law.

47. Lumpsum scheme in respect of lottery dealer.—(1) Every dealer (duly authorised by the Director, State Lotteries) engaged in the business of purchase or sale of lottery tickets (hereinafter in this rule called the "lottery dealer") shall, under sub-section (2) of section 16 and subject to the provisions of rule 45 and this rule, at his option, pay the lumpsum, at the rates given in the following Table:—

TABLE

Sl. No.	*Type of lottery*	*Lumpsum amount payable*
1.	*Daily Lottery*	*Rs. 50,000 per draw*
2.	*Weekly Lottery*	*Rs. 2.5 lakhs per draw*
3.	*Monthly Lottery*	*Rs. 10 lakhs per draw*
4.	*Festival Lottery*	*Rs. 10 lakhs per draw*
5.	*Instant Lottery*	*Rs. 10 lakhs per draw*

(2) The lottery dealer opting to pay lumpsum shall make an application in the following form for allowing him to pay the lumpsum :—

FORM OF APPLICATION

To

The Assessing Authority,
..... District .....

Subject.—Option to pay the lumpsum by way of composition under sub-section (2) of section 16 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

Sir,

I, ... (name), aged .....(years), son of Shri..... resident of village ....., tehsil ....., Proprietor/ partner/ Manager/ Managing Director of M/s..... holding TIN/***GRN*** ..... in respect of business premises situated ..... at (place), district ....., am a lottery dealer doing the business with effect from..... do hereby opt to pay the lumpsum (in lieu of tax payable under the Act) by way of composition under sub-section (2) of section 16, and the rules framed thereunder on the sale of lottery tickets and declare that I shall be dealing in the following type of lotteries :—

Sl. No.	Type of Lottery	Name of the State/ Private operator of lottery

Place .....

Signature of lottery dealer.

Date .....

ACKNOWLEDGEMENT

Received option from M/s.....
(mention complete name and address with TIN/***GRN***, if any.)

Place .....

Signature of Assessing Authority

Date.....

Name in CAPITALS

Designation

(3) The lottery dealer exercising the option in the manner stated in sub-rule (2) shall have to opt to pay the lumpsum in respect of all the schemes of lotteries operated by all the States or private operators of lotteries, in which he is doing business.

(4) The option to pay the lumpsum may be exercised by a lottery dealer at any time and it shall take effect from the next first draw after exercising the option.

(5) Every lottery dealer shall furnish a return in **Form VAT-XV-E** monthly within fifteen-days of the close of the each quarter.

48. Lumpsum scheme in respect of works contractors.—(1) Every "small works contractor" (falling in category 'C' and 'D') engaged in the business of execution of the works within the State (hereinafter in this rule called "the works contractor") shall, under sub-section (2) of section 16 and subject to the provisions of rule 45 and this rule, at his option, pay the lumpsum on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of the works contract, by way of composition calculated at 4 percent of the taxable turnover for execution of each works contract awarded to him during a financial year.

(2) The works contractor opting to pay the lumpsum shall, within thirty days of award of the contract to him, make an application for allowing him to make payment under sub-rule (1) in the following form :—

FORM OF APPLICATION

To

The Assessing Authority,
.....District .....

Subject:— Option to pay the lumpsum by way of composition under sub-section (2) of section 16 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

Sir,

I, ... (name), aged .....(years), son of Shri ..... resident of village....., tehsil....., Proprietor/ partner/ manager/ managing director of M/s ..... holding TIN/***GRN*** ..... and doing business of execution of works contracts with effect from ..... do hereby opt to pay lumpsum (in lieu of tax payable under t' . Act) by way of composition under sub-section (2) of section 16 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 and rule framed

thereunder on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of the works contracts given below:—

Name and address of the contractee	No. and date of award of contract	Place of execution of contract	Total cost of the contract (with escalation) Rs.	Period of execution

2. A copy of the contract or agreement alongwith its enclosures is appended to this application.

Signature of works contractor.

Place .....
Date .....

ACKNOWLEDGEMENT

Received option from M/s.....
(mention complete name and address with TIN/***GRN,*** if any.)

Place ..... Signature of Assessing Authority

Date..... Name in CAPITALS

Designation

(3) The works contractor shall have to pay the lumpsum in respect of every works contract awarded to him after the exercise of option to pay the lumpsum and, in respect of other contracts awarded to him prior to exercise of such option, he shall pay tax under section 6 of the Act.

(4) The withdrawal of option to pay the lumpsum by the works contractor shall apply only to the works contracts awarded to him subsequent to such withdrawal, but in respect of other contracts he shall continue to pay the lumpsum till the completion of each of contract.

(5) The works contractor shall file a quarterly return in Form VAT-XV-F.

49. Lumpsum scheme in respect of village industries.— (1) Any registered dealer running a village industrial unit and registered as such with the Department of Industries, Himachal Pradesh, shall, under section 7 or sub-section (2) of section 16 and subject to the provisions of rule 45 of this chapter, at his option, pay the lumpsum, at the rates given in the following table, namely:—

Dealer having annual turnover	*Lumpsum payable*
Upto Rs. 25 lakhs	@ 25% of the rate of tax notified under section 6.
Above Rs. 25 lakhs but upto Rs. 50 lakhs	@ 50% of the rate of tax notified under section 6.

(2) The application to pay the lumpsum shall be made on the following form: -

FORM OF APPLICATION

To

The Assessing Authority,
.....District .....

Subject:— Option to pay the lumpsum by way of composition under sub-section (2) of section 16 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

Sir,

*I .....(name), aged ..... (Years), son of Shri..... resident of ..... (Address), town: ....., District: ....., * proprietor/ partner/ karta/ manager/ director/ authorised signatory of business of manufacturing and selling ..... goods exclusively in the name and style of M/s....., situated at..... (Place), District: .....holding TIN/GRN .....do hereby opt to pay lumpsum by way of composition in lieu of the tax payable under sub-section (2) of section 16 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 and the rules framed thereunder.*

2. I am doing the business in the following goods:—

3. I am running a village industrial units as defined in rule 49 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 for manufacture and sale of goods specified in para (2) ibid.

Place .....

Signature of applicant.

Date.....

ACKNOWLEDGEMENT

Received option from M/s .....
(mention complete name and address with TIN/GRN,, if any.)

Place..... ***Signature of Assessing Authority***

Date..... ***Name in CAPITALS***

Designation

(3) The dealer running a village industry shall file an quarterly return in Form VAT-XV-G.

(4) The dealer whose taxable turnover during a year exceeds fifty lakh rupees shall pay the tax under the Act,—

(*a*) at the rates specified in sub-rule (1) of this rule on the taxable turnover upto fifty lakh rupees; and

(*b*) at the normal rates of tax notified under section 6 on that part of taxable turnover which exceeds fifty lakh rupees.

Such dealer shall also inform the Appropriate Assessing Authority about the date on which his taxable turnover exceeded fifty lakh rupees during the year, and the Assessing Authority shall with effect from the 1st day of April next modify the certificate of registration of such dealer into a certificate of a VAT dealer, and thereupon such dealer shall cease to be eligible for making payment of lumpsum under this Chapter.

Explanation.— For the purpose of this sub-rule,--

(*i*) "Village Industry" means any industry notified by the State Government and located in "rural area" in tiny sector which produces any goods or renders any services with or without the use of power and in which the total fixed capital investment in land, building, plant and machinery per head of an artisan or a worker does not exceed Rs. 50,000/-, but shall not include an industry which is specified by the State Government in the Schedule; and

(*ii*) "Rural Area" means an area, as defined in clause (46) of section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.

50. Lumpsum scheme in respect of other dealers.— (1) Any dealer specified in this rule shall, under section 7 or under sub-section (2) of section 16 and subject to the provisions of rule 45 and this rule, at his option, shall pay the following lumpsum, namely:—

Dealer having annual turnover	*Lumpsum payable*
Upto Rs. 8 lakhs	*Rs. 3,600/- per annum*
Above Rs. 8 lakhs upto Rs. 14 lakhs	*Rs. 8,000/- per annum*
Above Rs. 14 lakhs and upto Rs. 20 lakhs	*Rs. 14,000/- per annum*
Above Rs. 20 lakhs and upto Rs. 25 lakhs	*Rs. 20,000/- per annum*

(2) The application to pay the lumpsum shall be made on the following form:—

FORM OF APPLICATION

To

The Assessing Authority,
.....District .....

Subject:— Option to pay the lumpsum by way of composition under section 7 and sub-section (2) of section 16 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

Sir,

*I.....(name), aged ..... (Years), son of Shri..... ..... resident of ..... (Address), town: ....., District: ....., * proprietor/ partner/ karta/ manager/ director/ authorised signatory of business of making and selling ..... goods exclusively in the name and style of M/s..... ....., situated at ..... (Place), District: ..... holding TIN/GRN..... do hereby opt to pay lumpsum by way of composition in lieu of the tax payable under section 7 and sub-section (2) of section 16 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 and rules framed thereunder.*

2. I am doing the business in the following goods:—

Place.....
Date.....

Signature of the person making the application
Status .....

ACKNOWLEDGEMENT

Received option from M/s .....
(mention complete name and address with TIN/GRN, if any.)

Place ***Signature of Assessing Authority***

Date ***Name in CAPITALS***

Designation

(3) The dealer whose taxable turnover in a year exceeds twenty five lakh rupees, shall pay the tax under the Act at the normal rates specified in section 6 on the component turnover exceeding 25 lakhs rupees. Such dealer shall also inform the Appropriate Assessing Authority about the date on which his taxable turnover exceeds 25 lakhs rupees during the year. The Assessing Authority shall w.e.f. the 1st of April next modify the certificate of registration of such dealer into the certificate of a VAT dealer and thereupon he shall seize to be eligible for payment of lumpsum under this chapter.

(4) The dealer shall file a quarterly return in Form VAT-XV-H and make payment of the lumpsum quarterly within fifteen days after the close of the each quarter.

CHAPTER-VII

MAINTENANCE OF ACCOUNTS

51. Maintenance of accounts by a dealer.— (1) The following accounts shall normally be maintained by a registered dealer other than the dealers paying presumptive tax or lumpsum under section 7 or sub-section (2) of section 16,—

(*a*) cash book, day book, ledger, invoice books and purchase vouchers;

(*b*) a monthly tax account specifying total output tax, total input tax credit and net tax payable or the excess tax credit due for carry forward;

(*c*) purchase records, showing details of purchases on which tax has been paid, purchases made without payment of tax, purchases made from an exempted industrial unit and purchases made from outside the State. Original tax invoices for purchases on which tax has been paid and invoices for purchases made without payment of value added tax shall also be retained in date and numerical order;

(*d*) sales records showing separately sales made in the State at different rates of tax, zero rated taxable sales, and tax-free sales. Copies of tax invoices related

to taxable sales and invoices related to tax free sales shall all be retained in date and numerical order;

(e) ***record of inter-State sales, inter-State transfers of goods, including that of goods sent for job work, supported by statutory declarations and such other evidence as may be relevant;***

(f) details of input tax credit calculations where the registered dealer is making both taxable and tax-free sales;

(g) stock records showing stock receipts and deliveries of goods and manufacturing records;

(h) order records and delivery challans, wherever applicable;

(i) final annual accounts including trading account, balance sheet and profit and loss account at the end of the year;

(j) bank records, including statements, cheque books counterfoils and pay-in-slips.

(2) A dealer may maintain account books as per his requirement and nature of business but these shall contain all the information specified in this rule.

(3) Every person who is required to deduct tax under section 17, shall keep account of the payments made, whether by cash, adjustment, credit to the account, recovery of dues or in any other manner, to the works contractors in relation to or for the execution of the works contract(s) or the supply of goods, as the case may be. The accounts shall be kept separately in respect of each works contract or the contract for the supply of goods and each contractor or supplier, as the case may be. Such person shall, when required by any other officer of the Excise and Taxation Department not below the rank of an Excise and Taxation Inspector produce the accounts before him.

52. Particulars to be mentioned in tax invoice.— (1) A tax invoice shall be issued from duly bound invoice book except when invoices are prepared on computer or any other electronic or mechanical device. It shall be atleast in triplicate and contain consecutive serial number.

(2) The respective copies of the invoice shall bear these words prominently. The original copy shall carry the note, "Input Tax Credit is available to a registered dealer against this copy" and the second copy shall carry the note. "This copy does not entitle the holder to claim input tax credit". The original copy shall be issued to the purchaser, the second copy shall be for transportation of the goods and the last copy shall be retained by the seller.

(3) The words VAT invoice shall be prominently printed on the invoice.

(4) The tax invoice shall, as far as may be, in *Form VAT-XVIII.*

53. Particulars to be mentioned in a retail invoice.— (1) A retail invoice shall be issued from duly bound invoice book except when the invoices are prepared on computer or any other electronic or mechanical device. It shall be atleast in duplicate.

(2) The first copy of a retail invoice shall be issued to the purchaser of goods. The second copy shall be retained by the selling dealer.

(3) The retail tax invoice shall, as far as may be, in **Form VAT-XIX.**

54. Particulars etc. to be mentioned in cash memo.— A cash memo or a bill shall be issued from the duly bound invoice book except when the cash memo or bill is prepared on computer or any other electronic or mechanical device. The cash memo or bill to be issued by the dealer in respect of goods sold by him or on his behalf exceeding Rs. 200/-, in value in any one transaction shall, as far as may be, in **Form VAT-XX.**

55. Particulars etc. to be mentioned in Credit/ Debit Note.– (1) A credit/ debit note shall be issued from the tax invoice book and shall contain the following information:—

(*a*) words 'credit note' or 'debit note' shall be written on the invoice prominently;
(*b*) the name, address and registration number of the person to whom issued;
(*c*) date and number of invoice to which credit or debit note relates;
(*d*) brief reasons about issuance of debit or credit note; and
(*e*) the value of goods and the amount credited or debited alongwith tax effect.

(2) The note shall carry the date of issue and signature of proprietor or partner or director as the case may be.

(3) The retail tax invoice shall, as far as may be, in **Form VAT-XXI.**

56. Electronic maintenance of record.—(1) A dealer may electronically maintain or generate all or any of the records, returns and invoices prescribed under rules 52 to rule 54, using a computer, in electronically readable format after informing the Commissioner or Appropriate Assessing Authority about the system to be followed. Whenever changes are made in the system the dealer shall inform the Commissioner or the appropriate Assessing Authority within fifteen days.

(2) The printout (hard copies) of records and documents shall be taken out at the end of each month and kept in bound folders, separately for each type of record, returns and invoices.

(3) The dealer shall ensure that proper back-up records are also maintained and preserved so that in the event of destruction due to unavoidable accidents or natural

calamities, the information can be restored within reasonable period of time. All such records, returns, invoices and other documents (both electronic and hard copy, including back-up records) shall be preserved and retained for a period of six years (counted from the first day of the financial year following the financial year to which a record, return, invoice pertains) or until the assessment becomes final, whichever is later.

(4) It shall be the duty of a dealer, who maintains electronic records, to produce on demand, the relevant records, in hard copy and/ or in the electronically readable format alongwith the flow and treatment of transactions through accounting system, from the stage of initiation to closure and storage to the Appropriate Assessing Authority or any other officer not below the rank of Excise and Taxation Officer.

(5) The dealer shall also provide account of the audit trail and inter-linkages, whether paper or electronic, and the financial accounts record layout, data dictionary and total number of records in each field alongwith sample copies of such records.

(6) In case any dealer is found to be misusing this facility or not providing access to the information or if there are any other cogent reasons, the Commissioner or any other officer, duly authorised by him, not below the rank of Excise and Taxation Officer may, after recording such reasons and after taking into consideration the explanation tendered by the person regarding the discrepancies, if any, prohibit a person from electronically maintaining or generating any records, returns or invoices using computer.

57. Manner of authentication of accounts books.— (1) A dealer when required by the Appropriate Assessing Authority shall produce any book, document or account relating to his business before it for the purpose of authentication.

(2) The Appropriate Assessing Authority shall, as far as possible, with prior notice, authenticate the books of accounts of the dealer.

(3) (*a*) The Appropriate Assessing Authority shall append his signatures alongwith his seal at one or more places in each of the books, documents or account and record a certificate in the following form at the opening page thereof:—

"Certified that the book/document/account contains— pages and I have put my signatures alongwith the official seal at pages..... and .....

Date.....
District .....

Signature of the Appropriate
Assessing Authority."

(*b*) The Assessing Authority shall keep a regular record of such authentication in the respective file of the dealer for utilization at the time of inspection of his premises or accounts or stocks.

(4) The Appropriate Assessing Authority shall make note of such authentication on the list of accounts required to be maintained under clause (*b*) of sub-section (2) of section 32 by the dealer.

58. Record of cross checking and survey.— The appropriate Assessing Authority shall keep a record of the notices issued for the purpose of cross checking, survey and authentication of account books.

CHAPTER-VIII

CARRIAGE AND TRANSPORT OF GOODS AND INSPECTION OF GOODS IN TRANSIT

59. Carriage and transport of goods.— (1) Every carrier of goods or agent of a transporter including an employee of a transport company or booking agency shall in respect of goods sale or purchase whereof is taxable under the Act, maintain true record of such goods, transported, delivered or received for transport in the forms or transport receipt, forwarding note way-bill, despatch register and delivery register which shall, as far as may be in **Forms VAT-XXII, VAT-XXII-A, VAT-XXII-B, VAT-XXII-C** and **VAT-XXIV** respectively. Such record shall be preserved by him for a period of five years. He shall also preserve in record the letters of authority mentioned in clause (*c*) of sub-rule (3) of this rule for a similar period.

(2) Transport receipts and way-bills shall be serially numbered in a consecutive order. The serial number shall be upto 1,00,000 whereafter a fresh series of transport receipts and Way-bill, shall start, intimation thereof shall be given by the transporter to the Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer of the district before bringing the fresh series in use.

(3) No carrier of goods or agent of a transport company or booking agency shall transport, accept for booking or release any consignment of goods the sale or purchase of which is taxable under the Act, unless,—

(*a*) the consignment is covered by a copy of purchase invoice or sale bill or delivery note as the case may be;

(*b*) the particulars regarding consignment intended to be booked are furnished in the forwarding note in **Form VAT- XXII-A** by the consignor;

(*c*) the transport receipt bears stamped endorsement from the consignee indicating his full particulars and registration certificate number, if any.

(4) The driver or the person-in-charge of a vehicle shall always carry with him a copy of Way-bill in Form VAT-XXII-B or a copy of the transport receipt in Form VAT-XXII in respect of each consignment of goods shall also be carried.

(5) Where delivery of consignment is given to the consignee without the aid of Transport Company or booking agency, the owner, driver or the person-in-charge of the vehicle shall maintain the record regarding delivery of consignments in a register in Form VAT- XXII.

60. Accounts of goods received or despatched by registered dealers.— (1) Every registered dealer shall maintain true record of goods received or goods despatched by road in a register which shall be in Form VAT-XXIV and VAT XXIV-A respectively.

(2) No dealer or any person acting on his behalf shall take delivery of goods, the sale or purchase of which is taxable under the Act, or deliver the goods for booking to a carrier of goods including an agent of a transport company or booking agency, unless,—

(*a*) a copy of the purchase invoice, sale bill or delivery note, as the case may be, covering the consignment is furnished to the transporter or his representative;

(*b*) particulars of consignment intended to be booked are furnished in the forwarding note in Form VAT-XXII-A;

(*c*) the agent who takes delivery or delivers goods for booking is in possession of a letter of authority bearing his signatures duly attested from the consignee or consignor, as the case may be; and

(*d*) stamped endorsement indicating his full particulars and registration certificate number under the Act, if any, is recorded on the transport receipts by the consignee.

61. Delivery note, declarations, surety bond and personal bond.— (1) The delivery note and the declaration referred to in sub-section (2) and (4) of section 34 shall be in Form VAT-XXVI and VAT-XXVI-A respectively.

(2) The declaration referred to in the first proviso to sub-section (4) of section 34 shall be in Form VAT- XXVII.

(3) For purposes of sub-section (6) of section 34, the owner of goods or his representative, the driver or other person-in-charge of the goods vehicle or vessel on behalf

of the owner of the goods, shall furnish security, or execute a bond with or without sureties as the officer concerned shall direct. The security bond and the personal bond shall be in Forms VAT-XXVIII and VAT-XXVIII-A respectively.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, no declaration shall be required in respect of the transport of goods meant for personal use and such goods shall not be detained at the check-post/ barrier or other place.

62. Printing, custody, issue etc. of declarations in Form VAT- XXVI-A. – (1) The Form VAT-XXVI-A shall be printed by the State Government in triplicate specifically indicating the form as "Original", "Duplicate" and "Triplicate" and shall be serially numbered according to the scheme of series, number and colour as approved by the Commissioner from time to time.

(2) Any dealer, on whose behalf a declaration in Form VAT-XXVI-A is required to be furnished before the officer in-charge of the check-post or barrier or is required to be produced before any other officer referred to in sub-section (4) of section 34 of the Act, shall apply to the Appropriate Assessing Authority for the grant of declaration forms in Form VAT-XXVI-A stating clearly his reasonable demand for a period of not more than three months disclosing stock and details of declaration forms already in hand and also the date on which and the number in which he was last issued the declaration form:

Provided that if the Commissioner is satisfied that it is necessary so to do, he may, by order in writing, allow the Form VAT-XXVI-A to be issued at the check post or barrier to the owner or person incharge of a goods vehicle or vessel or allow any class of registered dealers to make use of Form VAT-XXVI-A printed (electronically or otherwise) by himself.

(3) If the appropriate Assessing Authority is satisfied that the requisition of the dealer is genuine and reasonable, he may issue him as many declaration forms as he may deem fit on prior payment of price of such forms, to be fixed by Government from time to time, either in cash or on deposit of such price by the dealer in the Government treasury.

(4) The dealer to whom the declaration forms have been issued shall be responsible for their proper custody and use. If a declaration form, whether blank or completed is lost either from the custody of any dealer or in transit, he shall report the loss to the appropriate Assessing Authority from whom he obtained it.

(5) On receipt of report referred to in sub-rule (5), the appropriate Assessing authority shall call upon the dealer to furnish a reasonable security by way of an indemnity bond in Form VAT-XXVIII-B in respect of each lost form separately or in respect of all the lost forms collectively to safeguard against the misuse of the same.

(6) No dealer to whom a declaration form has been issued shall transfer the same to another person.

(7) No dealer shall furnish or issue any declaration except in a declaration form obtained by him from the Appropriate Assessing Authority having jurisdiction over his principal place of business and not declared obsolete or invalid under the provisions of sub-rule (10).

(8) The dealer referred to in sub-rule (3) shall maintain accounts of the declaration forms in a register in Form VAT- XXVI-B.

(9) The dealer shall produce the register prescribed in sub-rule (8) on demand by any Assessing Authority or any other officer subordinate to him and duly authorised by him in writing for inspection.

(10) The Commissioner may, by notification in the Official Gazette, declare certain series, designs or colour of declaration form as obsolete and invalid. All the dealers shall, on or before the date from which the declaration forms are so declared obsolete and invalid surrender to the appropriate Assessing Authority all such forms which may be in their possession and obtain in exchange such new forms as may be substituted for the forms declared obsolete and invalid:

Provided that new forms shall not be issued to a dealer until he has rendered account of the old forms issued to him and actually returned the balance in hand, if any, to the appropriate Assessing Authority.

(11) Before a dealer referred to in sub-rule (3) makes demand to the Appropriate Assessing Authority for further issue of declaration forms, such dealer shall furnish to that authority the details of the **VAT- XXXII-A** form previously issued, on the record slip containing the following particulars:—

RECORD SLIP OF FORMS VAT XXVI-A RECEIVED ON..... FROM THE ASSESSING AUTHORITY...../CHECK POST/ BARRIER.

Date	VAT XXVI-A No. used	Owner/Carrier of goods	Class of goods	Value Rs.	Signature of the dealer
1	2	3	4	5	6
Total					

(12) The account of the Forms VAT-XXVI-A received and issued to each dealer shall be maintained by the appropriate Assessing Authority in Form VAT-XXVI-C.

(13) For the purposes of section 34 (4) of the Act, the Officer-in-Charge of the check post or barrier will, after satisfying himself about the correctness and completeness of the declarations, sign and stamp them, showing the date of receipt, with his official seal of the check post or the barrier and return duplicate copy of the declaration to the owner or person incharge of the goods vehicle or vessel. The original copy of the declaration shall be forwarded to the appropriate Assessing Authority of the district, in which the dealer concerned has the principal place of business, under a covering statement in **Form VAT-XXVI-D**, or **VAT-XXV-E** in respect of a registered dealer or an un-registered dealer, as the case may be. The Assessing Authority shall cause to be entered the particulars of the declaration forms, received under Forms VAT-XXVI-D and VAT-XXVI-E, in a register to be prepared dealer-wise in Form VAT-XXVI-F.

(14) In case any dealer liable to pay tax is importing goods meant for the purpose of business from outside the State by Rail, Air, Post office or Courier, he or his agent shall file declaration in Form VAT-XXVI-A with the nearest check post or barrier, if any, or appropriate Assessing Authority or the Excise and Taxation Inspector of the circle as per invoice, delivery note, railway receipt, or any document of this nature:

Provided that in respect of such goods as the Commissioner may specify, the declaration in Form VAT XXVI-A shall be furnished in advance only to the appropriate Assessing Authority or the Excise and Taxation Inspector.

(15) The officer in-charge of the check-post/ barrier shall enter the relevant information in the computer and generate serially numbered computerized printouts of Form VAT-XXVI-A, in duplicate. The officer in-charge, shall charge such sum as may be fixed by the Commissioner from time to time as service charge for issuing the computer printouts of Form VAT-XXVI-A from the owner or person in-charge of the goods.

(16) The officer in-charge of the check-post/ barrier shall retain the original foil of the computer generated declaration in Form VAT-XXVI-A and shall return duly stamped and signed to the owner or person in-charge of the goods.

(17) The Commissioner may issue from time to time detailed instructions for issue of blank forms to any dealer, their use, submission after use and surrender of unused forms by him and maintenance of record in relation thereto.

63. Auction of detained goods.— The goods ordered to be detained under sub-section (8) of section 34 or other provisions of the Act and these rules but which have not been released shall be sold in public auction after following the procedure hereinafter provided:—

(*i*) the owner of the goods shall have the first choice to re-acquire the goods on payment of penalty or other dues (including tax) for which the Assistant

Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer in-charge of the district or the officer who impose the penalty or the other dues, shall issue a notice calling upon such person to re-acquire the goods within 10 days of the date of issue of such notice and on such person's failure to do so the goods shall be put to public auction;

(*ii*) the auction shall be conducted by a committee comprising of Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer incharge of the district, the officer imposing the penalty and the officer detaining the goods;

(*iii*) the auction shall be conducted after the Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer incharge of the district or the officer imposing penalty or detaining the goods has certified that the goods have not been released even after the process of law has been completed or the goods are of perishable nature and need immediate disposal;

(*iv*) the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer incharge of the district may fix a particular date for putting the goods detained to auction and such date shall be widely publicized under clause (v) of this rule;

(*v*) the Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer incharge of the district shall cause to be published on the notice-board of his office a list of the goods detained and intended to be sold and the notice shall specify the place, day and time of auction. A notice of fifteen days shall be given before the auction sale is to be conducted. A copy of such notice and list of goods shall also be displayed at one or more public places, Check-posts or Barriers and office of the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer incharge of the district and the Officer incharge of the Check-posts or Barriers at which the goods were detained. A copy of the auction notice shall also be sent to the owner of the goods;

(*vi*) the intending bidders shall deposit the earnest money equivalent to a sum amounting to ten percent of the estimated value of the goods before the commencement of the auction;

(*vii*) the auction proceedings shall be recorded in writing;

(*viii*) the final bid shall be approved by the Deputy Excise and Taxation Commissioner incharge of the Zone, if the auction money exceeds Rupees fifty thousand;

(*ix*) the auction-purchaser shall pay the sale value of the goods in cash immediately after the sale and he will not be permitted to carry away any part of the goods until he has paid for the same in full and until the sale has been confirmed by the Authority specified in clause (*viii*). Where the purchaser fails to pay the bid money, the goods shall be resold by auction at once and earnest money deposited by the defaulting purchaser shall be forfeited to the Government. The earnest money deposited by the unsuccessful bidders shall be refunded to them immediately after the auction is over;

(*x*) after receiving the amount under the above said procedure the goods shall be delivered under proper receipt.

CHAPTER-IX

DEEMED ASSESSMENT, SCRUTINY OF RETURNS, ASSESSMENT, RE-ASSESSMENT AND RECTIFICATION OF MISTAKES ETC.

64. Procedure of deemed assessment.— (1) The returns furnished by a dealer under section 16 shall be duly acknowledged in the manner prescribed therefor, and where all the returns relating to a financial year have been filed and are complete in material particulars, the dealer shall, subject to the provisions of sub-rule (2), be deemed to have been assessed for that year:

Provided that where the returns are not complete in material particulars, the dealer shall be given an opportunity to complete the same within thirty days of service of the notice.

(2) For the purposes of sub-section (1) of section 16 a return shall be deemed to be —

(*i*) correct, if its version conforms to that of the accounts maintained by the dealer and the account version cannot be impeached by any adverse information, to the contrary, available on record till ***30th November*** of the following financial year; and

(*ii*) complete, in material particulars if it contains the entire information required to be furnished therein, is correct arithmetically and is accompanied by the statutory or prescribed lists, documents and proof of payment of the full amount of tax due according to the returns and is duly signed by the dealer:

Provided that no return shall be deemed to be correct and complete if it is either not accompanied by the statutory or prescribed lists, documents, certificates or declarations or

any of these are incorrect or do not set out all the prescribed particulars or are not signed or are improperly signed and if, any list, document, certificate or declaration which is unsigned or not signed by an authorised signatory, it shall be treated as no list or document, certificate or declaration and the accompanying return shall also be treated to be incorrect and incomplete.

65. Acknowledgement of returns to be deemed assessment order.— Save the cases selected for scrutiny under sub-rule (1) of rule 66 all other cases shall be deemed to have been assessed to tax under sub- rule (1) of rule 64 and in respect of such cases acknowledgement of the annual return shall be deemed to be the copy of the assessment order:

Provided that in respect of cases covered under the proviso to sub-rule (1) of rule 64, the appropriate Assessing Authority shall, after the required documents have been furnished to him and/ or arithmetical mistake, if any, has been corrected and tax due, if any, as a result thereof has been paid, pass an order recording his satisfaction about the completeness of the relevant returns in material particular and supply a copy of such order to the dealer concerned, and thereupon the provisions of rule 64 shall apply accordingly.

66. Selection of cases for scrutiny.— The following categories of cases, from the cases under sub-rule (1) of rule 64 may be taken up for scrutiny:—

(*i*) gross turnover exceeding one hundred lakh rupees in a year;

(*ii*) claim of input tax credit exceeding four lakhs rupees in a year;

(*iii*) claim of refund exceeding fifty thousand rupees in a year;

(*iv*) claim of sales made in the course of *inter-State* trade and commerce or in the course of export of goods out of the territory of India or in the course of import of goods into the territory of India exceeding one lakh rupees in a year;

(*v*) cases of industrial units availing any concession under sub-section (5) of section 62;

(*vi*) fall in gross turnover or payment of tax compared to last year;

(*vii*) claim of sale, purchase or branch/ consignment transfer of goods not matching with the accounts of the other party to the transaction;

(*viii*) exception cases ir which ratio between purchases and sales or between input tax credit and output tax or between stocks and sales is way out of the general trend in the trade or industry;

(*ix*) cases based on definite intelligence about evasion of tax;

(*x*) cases selected at random by the Commissioner;

(*xi*) cases of any particular trade or trades which the Commissioner may select; and

(*xii*) cases in which the dealer fails to complete the return(s) in material particulars or fails to correct the same after being given an opportunity to do so within maximum period of fifteen days from the date of notice.

67. Notice of assessment. — (1) The appropriate Assessing Authority shall, in each case selected for scrutiny under rule 66, every case where the returns are not correct and complete and in other cases where it appears to the Appropriate Assessing Authority to be necessary to make an assessment under section 21 or 22 in respect of a dealer, he shall serve a notice in **Form VAT-XXIX** upon him: —

(*a*) stating the period or the return period or periods in respect of which assessment is proposed; and

(*b*) calling upon him to produce his books of accounts and other documents, which such authority wishes to examine, together with any objection which the dealer may wish to prefer and any evidence which he may wish to produce in support thereof,

and he shall fix a date, ordinarily not less than 10 days after the date of the service of the notice for producing such accounts and documents and for considering any objection which the dealer may prefer.

(2) The assessments under sub-rule (1) shall be completed within three months after service of the notice.

68, Recording of dealer's objection and evidence.—(1) A dealer who has been served with a notice under rule 67, may prefer an objection in writing personally or through an agent. No fee shall be payable in respect of any such objection.

(2) The Appropriate Assessing Authority may make such enquiries, in respect of the objections made under sub-rule (1), as it may deem fit and record a finding thereon. It may also depute an Inspector who has been authorised in this behalf to record the dealer's objection and to record any evidence brought in support thereof.

(3) The Appropriate Assessing Authority may, for the purpose of assessment, or for ascertaining the latest position of business done by the dealer visit any or all

place(s) of business of a dealer whose gross turnover for the period under assessment exceeds five hundred lakh rupees, and it may inspect and examine with the assistance of such other officers or officials as it considers necessary all business activities, processes, accounts, records, documents and other things relevant to the assessment proceedings and where such visits are made, a day-to-day record of the same shall be kept.

69. Assessment of tax and imposition of penalty.—(1) After considering any objection made by the dealer, any evidence produced in support thereof, the outcome of enquiries made under rule 67 the appropriate Assessing Authority after giving the dealer an opportunity of being heard, shall assess the amount of tax and impose penalty, if any, to be paid by the dealer within the period specified in sub-rule (2) of rule 67.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, in case of a works contract, tax shall be assessed on the "taxable turnover" of the works contractor after deducting all sums towards labour charges, other than any sum on account of labour charges includible in the "turnover" of a dealer under clause (*zd*) of section 2 of the Act, which are directly related with the goods, property in which has passed in the execution of works contract, whether as goods or in some other form:

Provided that where the labour charges are not determinable from the accounts of the works contractors, or are considered un-reasonably high considering the nature of the contract, the deductions towards labour charges shall be allowed by the Assessing Authority according to the limits prescribed in column (3) for the type of contract specified in column 2 of the Table given below: —

TABLE

Sl. No.	Type of contract	Labour charges at percentage of the value of the contract
1	2	3
1.	Fabrication and installation of plant and machinery.	25
2.	Fabrication and creation of structural works of iron and steel including fabrication, supply and errection of iron trusses, purlines etc.	15
3.	Fabrication and installation of cranes and joints	15
4.	Fabrication and installation of elevators (lifts) and escalators.	15
5.	Fabrication and installation of rolling shutters and collapsible gates	15
6.	Civil works like constructions of building, bridges, roads/dams, barrages, canal and diversions.	25

7.	Installation of doors, door frames, windows frames and grills.	20
8.	Supply and fixing of tiles, slabs, stones and sheets.	20
9.	Supply and installation of air conditioning equipments including deeps freezers, cold storage plant and dee-humidore.	15
10.	Supply and installation of air conditioners and air coolers.	15
11.	Supply and fitting of electrical goods, supply and installation of electrical equipments including transformers.	15
12.	Supply and fixing of furniture's and fixtures, partitions including contracts for interior decoration and false ceiling.	20
13.	Construction of Railway coaches and wagons on under carriages supplied by railway.	20
14.	Construction or mounting of bodies of motor vehicles and constructions of trailers.	20
15.	Sanitary fitting for plumbing and drainages or sewerage.	25
16.	Laying under ground or surface pipe lines, cables or conductors .	30
17.	Dying and printing of textiles	30
18.	Supply and erection of weighing machines and weigh bridges.	15
19.	Painting polishing and white washing	30
20.	All other contracts not specified from serial No. 1 to 19 above:	25

Provided further that the Assessing Authority shall not allow any deduction towards labour charges unless the works contractor has specifically preferred the claim therefor and unless such claim is found by the Assessing Authority to be proper and justified in each case.

(3) Every order of assessment shall be recorded in writing and where the Assessing Authority determines the turnover of a dealer at a figure different from that shown in the return submitted under the provisions of these Rules, the order shall state briefly the reasons therefor, but a failure to state reasons shall not effect the validity of the assessment order.

(4) Every assessment order recorded by the appropriate Assessing Authority shall be communicated to the dealer and a certified copy of the same assessment order, alongwith Tax Demand Notice, if any, shall be supplied to him free of cost.

70. Tax demand notice.—(1) If any sum is payable by the dealer under rule 69, the appropriate Assessing Authority shall serve a notice in **Form VAT-XXX** upon him specifying the date, not less than fifteen days and not more than thirty days from the date of the service of the notice, on or before which payment shall be made and he shall also fix a date, on or before which the dealer shall furnish the receipted challan in proof of such payment.

(2) When the challan is produced, the appropriate Assessing Authority shall make the necessary entry in the personal file of the dealer and the Demand and Collection register in **Form VAT-XVII.**

71. Register of institution and assessment of cases.— Every Assessing Authority shall maintain a Peshi register in **Form VAT-XXXI** and an Assessment register in **Form VAT-XXXII** in which he shall enter the details of each case instituted and each case assessed respectively.

72. Re-assessment of tax and rectification of clerical or arithmetical or other mistakes.—(1) The appropriate Assessing Authority shall send a notice in **Form VAT-XXXIII**, to the dealer specified in section 23(1) of the Act, and after hearing him and making such enquiry as it considers necessary, may proceed to re-assess the tax payable on the turnover, which has been under-assessed or has escaped assessment and also take action to impose penalty and recover interest under the Act.

(2) The Assessing Authority, under sub-section (2) of section 23 or any Appellate Authority or any other officer appointed under section 3 of the Act or the Commissioner may, rectify any clerical or arithmetical mistake apparent from the record of any order passed by it:

Provided that no such rectification which has the effect of enhancing the tax, interest, penalty or any other liability shall be made unless the authority concerned has given notice in **Form VAT-XXXIII** to the dealer concerned of its intention to do so and has allowed him a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that the Commissioner may, in the like manner rectify any mistake apparent from the record under section 47 of the Act.

(3) Any additional demand created or any refund due as a result of the rectification shall be recovered or allowed as the case may be, in the manner provided for recoveries and refunds under the Act and these rules.

73. Jurisdiction of Assessing Authorities.— (1) An Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer, incharge of the district and other Excise and Taxation Officers shall exercise the powers of Assessing Authority in

relation to all dealers within his territorial jurisdiction, subject to the overall control of the Deputy Excise and Taxation Commissioner of the zone.

(2) The Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer, incharge of the district may on an application made to him in this behalf, for reasons to be recorded in writing by an order transfer any case from the file of Excise and Taxation Officer serving in his district, to his own file and vice-versa.

(3) The Deputy Excise and Taxation Commissioner of the zone may *suo-motu* or on application made to him in this behalf, by order in writing, transfer any case from one Assessing Authority to another *of the same district*:

Provided that where an application for such transfer lies under sub-rule (1), no application under this sub-rule shall lie unless the former application has been rejected under sub-rule (1).

CHAPTER-X

PROCEDURE FOR REFUNDS

74. Application for refund.— An application for refund of any amount admissible under section 28 shall be made to the appropriate Assessing Authority and shall contain the grounds on which the refund is claimed.

75. Determination of amount of refund and sanction.— (1) When the Assessing Authority is satisfied after such scrutiny *of* accounts and such inquiries as it considers necessary that the claim for refund is admissible, he shall determine the amount of refund due and shall, if the amount to be refunded:—

(*i*) does not exceed ***ten*** thousand rupees, record an order sanctioning refund;

(*ii*) exceeds ***ten*** thousand rupees but does not exceed ***twenty five*** thousand rupees, submit the record of the case together with his recommendations to the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation officer In-charge of the District, as the case may be, for orders;

(*iii*) exceeds ***twenty-five*** thousand rupees but does not exceed ***fifty*** thousand rupees, submit through Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer Incharge of the District, the record of the case together with his recommendations to the Deputy Excise and Taxation Commissioner or other officer Incharge of the zone (except Flying Squads) concerned, as the case may be, for orders; and

(*iv*) exceeds ***fifty*** thousand rupees, submit through the officers Incharge of the District and Zone concerned, the record of the case together with his recommendations to the Commissioner for orders;

and the Assessing Authority shall record the order sanctioning the refund mentioned in clauses (*ii*), (*iii*) and (*iv*) only in accordance with the orders made by authorities specified in respective clause.

(2) When an order for the refund of any amount has been made, the officer-in-charge of the district —

(*i*) shall, if the dealer desires payment in cash issue to him a refund payment order in **Form VAT-XXXIV** for such amount as may remain after adjusting the recovery of any amount due from the dealer or other person;

(*ii*) if the dealer desires payment by adjustment against any amount subsequently payable by him the officer-in-charge of the district or the appropriate Assessing Authority shall issue refund adjustment order in **Form VAT-XXXV** authorising the dealer to deduct the sum to be refunded from the amount payable by him in respect of the period for which a return is to be filed subsequent to the issue of such refund adjustment order or from any amount determined to be payable by him subsequently. After allowing adjustment the officer-in-charge of the district or the Assessing Authority, as the case may be, shall cause a refund adjustment order to be cancelled.

(3) Where a refund payment order or a refund adjustment order is issued the authority issuing such order shall simultaneously record an order sanctioning the interest payable, if any, under section ***19*** on such refunds specifying therein, the amount of refund the payment of which was delayed, the period of delay for which such interest is payable and the amount of interest payable by the State Government and shall communicate the same to the dealer to whom the interest is payable and also to the Commissioner stating briefly the reasons for the delay in allowing the refund. Where an order for the payment of interest on delayed refund under this rule has been made, the sanctioning authority shall issue to the dealer interest payment order.

76. Claim of adjustment.— In support of claim for deduction according to rule **75**, a dealer shall attach refund adjustment order to the next return to be furnished by him.

CHAPTER-XI

APPEAL AND REVISION

77. Submission of appeal or application for revision.— (1) Every memorandum of appeal under section *45* shall—

(*a*) (*i*) be in writing; and

(*b*) (*ii*) be in **Form VAT-XXXVI** when appeal is filed under section *45* (*a*) or and in **Form VAT-XXXVII** when appeal is filed under section *45* (*c*);

(*b*) specify all the particulars given in **Form VAT-XXXVI** or in **Form VAT-XXXVII** as the case may be;

(*c*) contain a clear statement of facts and grounds of appeal briefly but clearly set out;

(*d*) state precisely the relief prayed for;

(*e*) be accompanied by—

(*i*) the original order against which appeal is made or certified copy thereof unless the omission to do so or to produce such order or copy is explained at the time of presentation of a memorandum of appeal to the satisfaction of the appellate authority; and

(*ii*) proof of payment of tax (including interest, payable) or of penalty, or of both unless the inability to make payment of these amounts is proved and unless a written prayer to that effect has been submitted alongwith the memorandum of appeal;

(*f*) be signed and verified by the appellant or by an agent duly authorised by him in that behalf in the manner provided in **Form VAT-XXXVI** or in **Form VAT-XXXVII**, as the case may be.

(2) Every application for revision under sub-section (3) of section *46* shall be in **Form VAT-XXXVIII.**

(3) The provisions of sub-rule (1) except the provisions of sub-clause (*ii*) of clause *(f)*, shall also apply *mutatis mutandis* in relation to the submission of application for revision.

(4) The memorandum of appeal under sub-rule (1) or application for revision under sub-rule (2) shall either be presented by the appellant or applicant or his agent, as the case may be to the appellate or revisional authority or be sent to the said authority by registered post.

(5) The memorandum of appeal or application for revision shall be accompanied by the order in original against which it is made or duly authenticated copy thereof, unless the omission to produce such order or copy is explained at the time of the presentation of the appeal or application for revision to the satisfaction of the appellate or revising authority.

78. Summary rejection.— (1) If the memorandum or appeal or application for revision omits to state any of the particulars required under rule 77 or is not accompanied by the orders against which it is made or a duly authenticated copy thereof, the appeal or application for revision may be summarily rejected:

Provided that no appeal or application for revision shall be summarily rejected under this sub-rule unless the appellant or the applicant is given an opportunity to amend the memorandum of appeal or application for revision, as the case may be.

(2) The appeal or application for revision may also be summarily rejected on grounds other than those specified in sub-rule (1) which the appellate or revising authority may consider sufficient and which shall be reduced in writing by the appellate or revising authority:

Provided that before an order summarily rejecting an appeal or an application for revision under this sub-rule is passed, the appellant or applicant shall be given an opportunity of being heard.

79. Hearing and disposal of appeals or applications for revision.— (1) If the appellate or revisional authority does not reject the appeal or application for revision under rule 78, it shall admit the appeal or application for revision and shall fix a date for its hearing.

(2) The appellate authority shall send a copy of the memorandum of appeal to the authority or officer against whose order the appeal has been preferred asking him to send the record of the order appealed against together with his comments.

(3) The Tribunal shall send a copy of application made to it under sub-section (3) of section 46 of the Act to the Commissioner against whose order application for revision has been preferred and call for the record of the case together with his comments.

(4) (*i*) The appellate authority shall give a notice of hearing to the appellant and to the authority or officer against whose order the appeal under section 45 has been preferred. Such notice may be delivered personally or may be sent by post.

(*ii*) The Tribunal shall give a notice of hearing to the applicant who made the application under sub-section (3) of section ***46*** of the Act and to the authority or officer against whose order the application for revision has been preferred. Such notice may be delivered personally or ***may*** be sent by post.

(5) The appellate authority shall decide such appeal after consideration of the comments that may be furnished by the authority or officer under sub-rule (2) or if the authority of the officer so desires through any of its subordinates or through an authorised representative of the State Government, and after giving an opportunity to the appellant of being heard either in person or by a duly authorised agent.

(6) The appellate authority may before deciding the appeal under sub-rule (5) itself hold such further enquiry or direct it to be held by the authority or officer against whose decision the appeal has been preferred, or by any other officer duly authorised by it for the purpose, as may appear necessary to the said appellate or revisional authority.

(7) The Tribunal shall decide such application for revision filed under sub-section (3) of section ***46*** of the Act after considering any representation that may be made on behalf of the Commissioner through any of his subordinate or through an authorised representative of the State Government and after giving an opportunity of being heard to the applicant either in person or by a duly authorised agent.

(8) The appellate or revisional authority aforesaid may for sufficient reasons adjourn at any stage, the hearing of an appeal or application for revision to a different time on the same day or any other day.

(9) If on the date and time fixed for hearing or on any other date and time to which the hearing may be adjourned the appellant or the applicant does not appear before the said authority either in person or through an agent, the said authority may, dismiss the appeal or revision as the case may be, or may decide it exparte as it may think fit:

Provided that if, within thirty days from the date on which the appeal or application for revision was dismissed or decided *ex-parte* under this sub-rule, the appellant or the applicant, as the case may be, makes an application to the appellate or revisional authority for setting aside the order and the said authority is satisfied, that the intimation of the date of hearing was not duly served on him or that he was prevented by sufficient cause from appearing when the appeal or application for revision, as the case may be, was called on for hearing, the said authority shall make an order setting aside the dismissal or *ex-parte* decision upon such terms as it may think fit, and shall appoint a day for proceeding with the appeal or application for revision.

(10) The appellate or revisional authority may also impose cost on the appellant or applicant for revision for non-attendance or non-compliance with the orders.

(11) The appellate or revisional authority shall maintain an institution register and a disposal register of appeals or applications for revision or *suo motu* revisions in Forms VAT-XXXIX and VAT-XXIX-A respectively.

(12) Subject to the provisions contained in sub-section (4) of section 3, the Commissioner may on application and for reasons to be recorded in writing transfer an appeal from one Deputy Excise and Taxation Commissioner to another.

80. Revision by Commissioner.— (1) When the Commissioner proposes to pass an order under sub-section (1) of section 46, which adversely affects any person, he shall issue a notice in **Form VAT-XXXX** to such person or the dealer and to the Assessing Authority or the appellate authority concerned, as the case may be, before whom the proceedings referred to in that section are pending or by whom the same have been disposed of or by whom the order has been made therein. Such notice may be delivered personally or may be sent by post.

(2) The Commissioner shall pass the order under sub-section (1) of section 46 of the Act after considering any representation that may be made under sub-rule (1), either in person or through any of its subordinates by the authority or the officer before whom the proceedings are pending or by whom these have been disposed of or by whom any order has been made therein, and after giving an opportunity to the person or dealer of being heard either in person or by a duly authorised agent.

(3) The provisions of sub-rules (7), (8) and (9) of rule 79 shall, *mutatis mutandis,* apply in relation to the passing of an order by the Commissioner under sub-section (1) of section 46 of the Act.

81. Order and appeal or revision to be communicated.— (1) A copy of every order finally disposing of an appeal or of an order summarily rejecting an appeal under rule 78 passed by the appellate authority shall be sent to the appellant and to the Assessing Authority or the officer concerned, as the case may be.

(2) A copy of every order finally disposing of an application for revision under sub-section (3) of section 46 of the Act passed by the Tribunal shall be sent to the applicant and to the Assessing Authority or the officer concerned, as the case may be.

(3) A copy of every final order passed by the Commissioner under sub-section (1) of section 46 of the Act shall be sent to the person or the dealer in whose case the same has been passed and to the Assessing Authority or appellate authority or any other officer concerned, as the case may be.

(4) The copy of the orders to be communicated under sub-rule (1), (2) or (3) may be delivered personally or may be sent by post.

82. Execution of the order of appellate or revisional authority.— (1) Unless the order passed ***in*** appeal under section 45 is subject matter of further proceedings, the order passed in appeal under section 45, which has the effect of barring or modifying any order of the Assessing Authority, appellate authority or any other officer, such authority or officer shall take action to implement the order, and the Assessing Authority or other officer shall realise the deficit or refund or adjust the amount paid in excess, as the case may be. The excess amount shall be refunded in the manner as laid down in rule 74.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall, *mutatis mutandis*, apply to a revisional order passed under section 46.

CHAPTER-XII

ISSUE OF SUMMONS, SERVICE OF NOTICES INSPECTION OF RECORDS BY DEALERS AND FEES ETC.

83. Issue of summons.— The summons to be issued by the assessing, appellate and revisional authority for the appearance of any person or for the production of a document or documents by him, may be in **Form VAT-XXXXI.**

84. Service of notice.— (1) Notice under the Act or under these rules shall be served by one of the following methods:—

(*a*) by delivery by hand of a copy of the notice to the addressee or to any other agent duly authorised in this behalf by him or to a person regularly employed by him in connection with the business in respect of which he is registered as a dealer, or to any adult male member of his family residing with the dealer.

(*b*) by post; provided that if upon an attempt having been made to serve any such notice by either of the above said methods, the authority concerned has reasonable grounds to believe that the addressee is evading the service of notice or that, for any other reason which in the opinion of such authority is sufficient that notice cannot be served by any of the above-mentioned methods, the said authority shall after recording the reasons therefore cause the notice to be served by affixing a copy thereof –

(i) if the addressee is a dealer, on some conspicuous part of the dealer's office or the building in which the dealer's office is located, or upon some conspicuous part of the place of the dealer's business last intimated to the said authority by the dealer or of the place where the dealer is known to have last carried on business; or

(*ii*) if the addressee is not a dealer, on some conspicuous part of his residence or office or the building in which his residence or office is located and such service shall be deemed to be as factual as if it has been made on the addressee personally:

Provided further that, where the officer, at whose instance the notice is to be served is on enquiry satisfied that the said office, building, place or residence is known not to exist or is not traceable, such officer may by order in writing dispense with the requirement of service of the notice under the last preceding proviso.

(2) When the officer serving a notice delivers or tenders a copy of the notice to the dealer or addressee personally or to his agent or to any of the persons referred to in clause (*a*) of sub-rule (1) he shall require the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered to an acknowledgement of service endorsed on the original notice. When the notice is served by affixing a copy thereof in accordance with the first proviso to sub-rule (*b*) the officer serving it shall return the original to the authority which issued the notice with a report endorsed thereon or annexed thereto, stating that he so affixed the copy, the circumstances under which he did so and the name and address or the person if any, by whom the addressee's office or residence or the building in which his office or residence is located or his place of business was identified and in whose presence the copy was affixed. The said officer shall also obtain the signature or thumb-impression of the person identifying the addressee's residence or office or building or place of business to his report.

(3) When service ***is*** made by post, the service shall be deemed to be effected by properly addressing or preparing the notice and posting it by registered post with acknowledgement due, and unless the contrary is proved, the service shall be deemed to have been effected at the time at which the notice would be delivered in the ordinary course of posts.

85. Inspection of record by dealers.— (1) In the case of every dealer, the appropriate Assessing Authority shall prepare separately two files, namely, the 'personal file' and the 'confidential file'.

(2) The dealer concerned or his agent, on making to the appropriate Assessing Authority, a written application stamped with a court fee of the value of rupees ten, ***may*** inspect the record of his 'personal file' or any entries relating to himself in any register maintained under the rules. A separate application shall be made for the inspection of each record or register.

(3) The court fee of rupees ten paid on the application shall cover the first hour of inspection only. For each subsequent hour or part of an hour, an additional court fee stamp

of rupee ten must be supplied by way of payment before hand. No fresh application shall be demanded for the continuation of an incomplete inspection on the next working day.

(4) If the document to be inspected relates to any previous year, research fee in the form of a court-fee stamp of the value of rupee twenty per application shall be charged.

(5) A person entitled under sub-rule (2) to the inspection of any document shall be granted a copy of the same on his paying the charges in the shape of court fee on the following scale on an application made in this behalf bearing a court fee stamp of the value of: —

(*a*) ten rupees for every entry in a register;

(*b*) ten rupees for every notice or summon issued by an Assessing Authority;

(*c*) twenty rupees per page for every return or statement recorded in any enquiry held under these rules or any other document of which copies permissible under these rules;

(*d*) five rupees for every adverse order of assessment of tax; and

(*e*) ten rupees for every other order of assessment; and

(6) If the documents of which a copy is to be granted under sub-rule (5) relates to any previous year, search fee in the form of a court fee stamp of the value of rupee twenty per application shall be charged.

(7) A copy to be granted under sub-rule (5) shall be prepared in the office of the appropriate Assessing Authority.

(8) The provisions of sub-rules (2) to (7) shall apply *mutatis-mutandis* to inspection of records of the offices of the appellate and revising authorities and grant of copies thereof.

86. Fees for certain matters.— The following fees shall be payable in the shape of court fee stamps :—

Sl. No.		*Nature of documents*	*Value of court fee stamps*
1.	(*a*)	Memorandum of appeal under section 45 (1) (*a*)	Twenty rupees
	(*b*)	Memorandum of appeal under section 45 (1) (*b*) and (*c*).	Fifty rupees

Sl. No.	*Nature of documents*	*Value of court fee stamps*
	(*c*) Application for revision under section 46 (3)	One hundred rupees
	(*d*) Application for rectification of mistakes under section 47.	Twenty rupees
2.	Vakalatnama by an advocate or a relative or a regular and whole-time employee of the assessee or dealer or an agent, when filed before the Tribunal, Commissioner and any officer below the rank of commissioner.	Five rupees
3.	(*a*) Application for adjournment of any proceedings before any authority under the Act.	Five rupees
	(*b*) Application for restoration of appeal etc.	Twenty rupees
4.	(*a*) Copy of any order passed by any authority under the Act or any other document.	Two rupees for every page or part thereof.
	(*b*) Application for urgent copies	Double of the fee payable in 4 (*a*), above, (copies to be issued within two days from the date of receipt of application.
5.	Application for amendment or registration certificate	Twenty-five rupees
6.	Application for grant of instalments of demand of tax etc. or postponement of payment of any demand or stay of demand of tax etc.	Ten rupees
7.	Application for deferment certificate, exemption certificate or any other certificate under the Act.	Twenty five rupees
8.	Application for statutory forms under the Act.	Nil
9.	Application for any other document not covered under Sl. No. 1 to 8, above and rule 86.	Five rupees

CHAPTER- XIII

MISCELLANEOUS

87. Superintendence and control of administration under the Act.— (1) The Commissioner shall superintend the administration and the collection of tax leviable under the Act and shall control all officers appointed to assist him under section 3(1) of the Act.

(2) Subject to the control of the Commissioner, the Deputy Excise and Taxation Commissioner, incharge of the zone shall control all other officers subordinate to him and posted in the districts and areas under his jurisdiction.

(3) Subject to the control and direction of the Commissioner and Deputy Excise and Taxation Commissioner incharge of the zone, the Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer incharge of a district is charged with the duty of carrying out the provisions of the Act.

(4) Subject to the provisions contained in sub-section (4) of section 3 and sub-section (2) of section 46, the Commissioner may either *suo-motu* or on application, for reasons to be recorded in writing transfer an assessment or revision, at any stage of the proceedings pending before any assessing authority, or revisional authority appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 to another assessing, or such revisional authority and shall communicate the order of transfer to the applicant affected by the order and to the authorities concerned.

88. Delegation of routine duties.— An Assessing Authority may, by an order in writing, delegate or authorise generally or in any particular case any person subordinate to and working under it to exercise the powers conferred upon such authority under these rules in so far as such powers relate to preparation and signing of receipts, notices and challans under these Rules.

89. Powers to extend time.— Where in these rules a period is prescribed for doing a certain act, the appropriate Assessing Authority may, for special reasons to be recorded in writing, extend that period from time to time.

90. Business owned by a person under disability.— A trustee, a guardian or manager (whether appointed by a court or otherwise), or the Court of Wards carrying on a business on behalf of an owner who is under disability, shall be liable to perform all obligations imposed by the Act and these rules in respect of such business to the same extent as the owner would have been liable if he had not been under disability and had been carrying on the business himself.

91. Business forming part of a Estate under the control of a Court.— The Administrative General, the Official Trustee, and Executor to Administrator, under the Indian Succession Act, 1925 or any Receiver, carrying on any business forming part of an estate placed under his control by order of a court shall be liable to perform all obligations imposed by the Act and these rules in respect of such business to the same extent as if he were the owner of the business and shall also be liable to pay any tax, penalty or interest under the Act and these rules for the period during which he remained in control thereof.

92. Supply of copies of order of Assessment, appeal or revision.— (1) A certified copy of the assessment order alongwith a copy of the notice as prescribed in rule 70 shall be supplied to the dealer by the appropriate Assessing Authority.

(2) Immediately on passing an order in appeal or revision, its certified copy shall be supplied to the appellant or applicant, as the case may be, by the authority concerned.

CHAPTER-XIV

DEFERMENT AND EXEMPTION

93. Conditions of incentives for the unexpired period of sales tax incentives.—For the purposes of sub-section (5) of section 62, the conditions of exemption or deferment shall be the same as existing under the repealed Act at the commencement of the Act:

Provided that where any dealer (industrial unit) has been availing the incentive of partial exemption from tax levied under the repealed Act, such dealer shall be entitled to pay tax for the unexpired period of the incentive on the sale of goods manufactured by such dealer, at the rate of 25% of the rates of tax notified or specified under section 6 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005:

Provided further that such dealer shall not be entitled to any input tax credit on the goods purchased by him.

94. Invoice to be issued by units enjoying incentives.— *Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules an industrial unit which is availing the facility of exemption shall issue a retail invoice and an industrial unit which is availing the facility of deferment shall issue a tax invoice in respect of the goods sold by it.*

95. Assessments etc.— The industrial unit availing the facility of exemption from payment of tax or of making deferred payment of tax shall be governed by the provisions of the Act and these rules. The additional demand, if any created, under the Act or these rules shall be paid as per the provisions of the Act and Rules made thereunder.

SCHEDULE
Input tax restricted goods

Section 11(8) registered dealer shall not qualify for Input Tax Credit in respect of tax paid on purchase of the following goods, namely:—

Sl. No.	Description of goods
1.	Automobiles including commercial vehicles, two wheelers, three wheelers and spare parts for the repair and maintenance thereof, unless the dealer is in the business of dealing in such automobiles or spare parts.
2.	Article of food and drinks sold and prepared in eating-places including cakes, biscuits and confectionery, sweets and sweet meat.
3.	All electrical or electronic goods and appliances including air conditioners, air coolers, telephones, fax machines, duplicating machines, photocopiers and scanners, parts and accessories thereof, other than those for sale or use in the manufacture, processing, packing and those for use in computing, issuing tax invoice or sale bills, security and storing information .
4.	Petrol, diesel, aviation turbine fuel, liquified petroleum gas and condensed natural gas, unless the dealer is in the business of selling such products and subject to second proviso to sub-section (3) of section 11 of the Act.
5.	Furniture, fixtures including electrical fixtures and fittings, office equipments and building materials unless the dealer is in the business of dealing in such goods.
6.	Earth moving equipment such as bulldozers, JCB's and proclaim etc., unless the dealer is in the business of dealing in these goods.
7.	Lime, limestone, clinker and dolomite
8.	Timber

APPENDIX

FORMS

FORM VAT-1

[*See* rule 3(1)]

Application for the grant of VAT/GENERAL registration under section 14 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005

To

The Assessing Authority,
.....District.

I/We ..... Proprietor/Manager (duly authorised)/ Partner(s) Karta of HUF/Principal Officer managing the business/affairs of the Company/Society/Association of persons/Club/Head of the Department or any other officer duly authorised by him in writing, of the business, details of which are given below, hereby apply on behalf of the said business for grant of a certificate of registration under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, for which a registration fee of Rs.100.00 has been paid on ..... *vide* TR No..... date .....

1. Name and style of business.

2. Principal place of the business and contact address:

Principal place of business	
Address	Phone:
City	Fax:
District	E-mail:

3. Permanent Account number of the business under the Income Tax Act, 1961. (PAN)

4. Constitution of the business, (✓) whichever is applicable:

Proprietorship	Private Limited Company	Association of Persons	Government Corporation/ Board
Partnership	Public Limited Company	Club	*
HUF	Co-operative Society	Government	

*(To be specified if not covered by any of the given descriptions)

5. Nature of business, (✓) whichever is applicable :

Manufacturing	Leasing	Telecommunication	**Stone Crusher**
Wholesale business	Catering (service of eatables)	Halwai/Dhaba/ Tandoor/Loh/Chat service	Other
Retail-sale business	Mining	Brick-kiln owner	
Works Contracting	Power Generation or distribution	Lottery dealer	

6. Principal commodities in which the business is done.

7. EAC (Economic Activity Code) (As per Schedule-I appended to the rules)

8. Basis of incurring liability to pay tax (✓) whichever is applicable

Import:
Export:
Sale exceeding Rs.....:
Registration under section 14(2):-

9. Date of liability

D	D	-	M	M	-	Y	Y	Y	Y
		-			-				

10. Details of Bank Account(s) of persons having interest in the business:

Name of Bank with address	Type of account	Account Number

11. Details of immovable properties owned wholly or partly by persons having interest in the business:

Serial No.	Name of the owner	Description of property	Address where property is situated	Approximate value	Share Percentage

12. Script in which account books are maintained

13. The names, addresses and other details of the proprietor, each of the partner or member, Karta of Hindu Undivided Family and each director (in case of private limited company) are attached as per Annexure-I.

14. Attested copy of the partnership deed /Memorandum of Association and Articles of Association/ other agreement/ document..... is/ are enclosed.

15. The details of additional place(s) of business are attached as per Annexure-II.

16. The list of goods required to be purchased for use in manufacture, telecommunication network, generation or distribution of electric energy or other power captive use or packing of goods and use as capital goods is attached as per Annexure-III.

17. The details of security furnished are attached as per Annexure-IV.

18. Passport size (self-signed) photographs of the proprietor, each of the partner, Karta of Hindu Undivided Family and each director (in case of private limited company) ect. are pasted below :

Name	Name	Name
Status	Status	Status

and one such photograph (self-signed) of each of the concerned attached.

VERIFICIATION

I/We..... do hereby solemnly affirm and declare that the information contained in this application, including Annexures attached herewith, is true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place:
Date:

Signature .....
Status .....
Full Name .....

DECLARATION

(i) I/We hereby undertake to abide by the provisions of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 and the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005.

(ii) A signboard in the name of my/our business has already been displayed at all the business premises.

(iii) The books of accounts in respect of the said business are being maintained and shall be found at the said business premises.

Place: Signature .....
Date: Status .....

Full Name .....

(Signature of other partners in case of partnership business)

(1) Place ..... Signature ..... (2) Place..... Signature .....

Full name ..... Full Name.....

Date Status Date Status .....

(3) Place .....Signature ..... (4) Place..... Signature .....

Full name ..... Full Name.....

Date Status Date Status .....

(For office use only)

Acknowledgement receipt No. ... Date..... Circle No. .....

Annexure-I

(To be attached with form VAT-1)

Information about Proprietor, Manager (duly authorised), each Partner (in case of partnership business)/Director (in case of Private Company) separately, Karta of Hindu Undivided Family

1. Full name (in capital letters) .....
2. Father's Name (in capital letters) .....
3. Status .....
4. Extent of interest in business .....
5. Permanent Address House No. .....Village/Town/City .....
   Tehsil..... District .....
   State..... Pin code.....

6. Present Address House No. .....Village/Town/City .....
Tehsil ..... District .....
State..... Pin code .....

7. Details of all immovable properties owned:

Sr. No.	Full address where property is situated	Approximate value	Extent of share

8. Particulars of other business(*s*) in which the person has interest :

Sr. No.	Full address where property is situated	Approximate value	Extent of share

VERIFICATION

The above details are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place .....

Signature of the person concerned.

Date.....

Annexure-II

(To be attached with form VAT-1)

Details of additional places of business :

Sr. No.	**Complete Address**	Use of premises factory/godown/officer/sale outlet/any other (to be specified)	Telephone Number

VERIFICATION

The above details are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. I further declare that I shall inform the appropriate Assessing Authority whenever there is a change in the information provided in this Annexure.

Place .....

Date.....

1. Signature .....
   Full name .....
   Status .....
2. .....
3. .....

Annexure-III
(To be attached with form VAT-I)

The List of goods required to be purchased for use in manufacture, telecommunication, generation or distribution of electricity or other form of power, packing of goods and use as capital goods:

Serial No.	Purpose for which required	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	For use in manufacture of goods.	
2.	For use in telecommunication network.	
3.	For use in generation or distribution of electricity or any other form of power.	
4.	For use in packing of goods specified in Column (3) of entries at serial Nos. 1 to 3 above, as the case may be.	
5.	For use as Capital goods.	

Signature .....
Full Name .....
Status.....

Annexure-IV
(To be attached with form VAT-I)

(Details of Security Furnished)

Serial No.	Type of security	Name of the surety (if applicable)	Amount	Name and TIN of the business in which surety has an interest	Date of expiry (in case of bank guarantee)

VERIFICATION

The above details are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. I further declare that I shall inform the appropriate Assessing Authority whenever there is a change in the information provided in this Annexure.

Signature .....
Full Name.....
Status.....

Place .....
Date .....

Annexure-V

(To be attached with form VAT-I)

Details of Stock of goods (other than capital goods) as on 31-03-2005

1. Total value of the stock as on 31-03-2005: **Rs.....**

2. Value of goods out of (1) above which are lying in the form in which these were purchased: **Rs.....**

3. Value of manufactured goods including goods in process (in case of a manufacturing concern): **Rs.....**

4. Break-up of value of goods at (2) above:

Value of stock of goods as on 31-03-2005: Rs.					
Value of goods purchased within the State					Value of goods purchased from outside the State Rs. Rs.
Tax paid goods			Tax free goods	Taxable goods (purchased without payment of tax)	
Rate of tax	Value of goods Rs.	Tax element in value Rs.	Rs.	Rs.	
Total:					

5. Break up of value of goods used in the manufacture of goods at (3) above:

Total Value: Rs.					
Value of goods purchased within the State: Rs.					
Tax paid goods			Tax free goods	Taxable goods (purchased without payment of tax)	Value of goods purchased from outside the State
Rate of tax	Value of goods Rs.	Tax element in value Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Total:					

VERIFICATION

The above details are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place.....

Date: .....

Signature .....

Status .....

Full Name .....

FORM VAT- II

[*See* rules 3 (2) and 33 (1) and 37 (1)]

CHALLAN

Original	*Triplicate*
Duplicate	**Quadruplicate**

Invoice of the Tax paid into ..... Treasury/Sub-Treasury/Branch or State Bank of India or the State Bank of Patiala and credited under the Head of Account "0040—Sales Tax –Receipts from Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005."

District:	Circle
Period From / / 20	To / / 20
Last date of payment / / 20	
1. By whom tendered	
2. Name of the dealer/ person	
3. Complete address:	
TIN	

102 – RECEIPTS FROM STATE VALUE ADDED TAX ACT:

01– Voluntary Value Added Tax	Rs.
02 – Purchase Tax	Rs.
03 – Tax Deducted u/s 17	Rs.
04 – Additional Demand -----	Rs.
05 – Penalty u/s -------	Rs.
06 –Interest	Rs.
07 – Other payments on account of ---------- -------	Rs.
TOTAL IN FIGURES:	Rs.
TOTAL IN WORDS:	Rupees

Certified that all the particulars given above are correct.

Signature of depositors

Assessing Authority (with Seal)

		/			/	2	0		

Date:

FOR USE IN TREASURY

Received the sum of Rupees		and credit under
Account "0040—Value Added Tax – 102 State Value Added Tax		
Treasury Accountant		

Treasury Officer/
Sub-Treasury Officer/
Manager, State Bank of India/
Manager, State Bank of Patiala.

Stamp of Treasury

Footnote:

"Original" : To be sent by the Treasury Officer to the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer, incharge of the District.

"Duplicate": To be retained in the Treasury.

"Triplicate": To be returned to the person making payment.

"Quadruplicate": To be returned to the person making payment.

FORM VAT-III

PERSONAL BOND WITH SOLVENT SURETIES

[*See* rule 4(1)(b)]

BEFORE THE ASSESSING AUTHORITY..... CIRCLE, DISTRICT ....., HIMACHAL PRADESH, UNDER SECTION 15 OF THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX ACT, 2005.

No..... 200 .....

M/s.....Petitioner

Versus

The State of Himachal Pradesh

through the Assessing Authority .....

Know all men by these presents that I/we .....(full name).....(full address)..... Tax Payer's Identification No., (if any) ..... am/are held and firmly bound to the Government of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as "the Government" which expression shall, unless excluded by, or repugnant to, the context, include his successor-in-office and assigns) in the sum of Rs.....(Rupees.....) hereinafter referred to "as the said sum" to be paid to the Government on demand, for which payment will and truly to be made, I/we bind myself/ourselves/our heirs, executors, administrators and legal representatives by these presents.

Whereas the above bounden has been required by the appropriate Assessing Authority..... District ..... Himachal Pradesh to furnish security for the said sum for the purpose of,—

(*a*) securing the payment of any amount payable by him/ them on account of tax, interest or penalty under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the 'Act'), within the time provided and in the manner prescribed, and

(*b*) indemnifying the Government against all losses, costs or expenses which the government may, in any way, suffer, sustain or pay by reasons of the omission, default or failure or insolvency of the above bounden or, any person or persons acting under or for him/them, to pay the said sum in the manner and by the time provided by or prescribed under the said Act and the rules made thereunder.

Now, the condition of the above written bond is such that if the above bounden, his/their heirs, executors, administrators and legal representatives or any other person acting under or for him/them shall,—

(*a*) pay the full amount due under the said Act and rules made thereunder in the manner and within the period provided or prescribed under the said Act and the rules, on demand by any authority appointed by the Government under section 3 of the said Act, such demand to be in writing and to be served upon the above bounden, his/their heirs, executors, administrators and legal representatives or any other person acting under or for him/them in the manner and within the period provided by or prescribed under the said Act and the rules made thereunder, and

(*b*) also at all times indemnify and save the Government from all and every loss, costs or expenses which has/ have been or shall or may, at any time or times hereafter during the period in which the above bounden is held liable to pay any sum due under the said Act and the rules made thereunder, be caused by reason of any person acting under or for him/them,

then this obligation shall be void and be of no effect, otherwise the same shall be and remain in full force and effect and it is hereby further agreed that in the event of the death/ partition/disruption/dissolution/winding up or the final cessation of the liability, under the Act or the rules made thereunder, of the above bounden, this bond, shall remain with the aforesaid Assessing Authority for recovering (*a*) any sum that may be payable by the above bounden or (*b*) any loss, cost or expenses that may have been sustained, incurred on insolvency of the above bounden, his/their heirs, executors, administrators and legal representatives and which may not have been discovered until after the above bounden's death/partition/disruption/dissolution/winding up or final cessation or his/their liability under the said Act or the rules made thereunder:

Provided always that without prejudice to any other right or remedy for recovering any sum due under the Act or loss or damages as aforesaid, it shall be open to the Government to recover the amount payable under this bond as arrears of land revenue.

In witness whereof the said .....(full name) has hereunto set his/their hand(s) this..... day of .....

Signed and delivered by the above named in the presence of the witnesses here-in-below.

Signature .....
Status .....

Witness:
1. (Full Name).....
2. Full Name) .....

We (1) .....

(2) .....

(Name and full addresses of the Sureties) hereby declare ourselves to be sureties for the above bounden and guarantee that he/they shall do and perform all that he/they has/have above undertaken to do and perform and in case of his/their omission, default or failure therein, we hereby bind ourselves jointly and severally to forfeit to the Government of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as 'the Government', which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, includes its successors-in-office and assigns) the sum of Rs..... (Rupees.....) (hereinafter referred to as 'the said sum') in which the above bounden has bound himself or such other lesser sum as shall be deemed to be sufficient by the Assessing Authority or any other officer appointed under section 3 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, to recover any sum payable by the above bounden and remaining unpaid and also to recover any loss, damages, cost or expenses, which the Government may sustain, incur or pay by reasons of such omission, default or failure.

And we further agree that the Government may without prejudice to any other rights or remedies of the Government, recover the said sum from us, jointly and severally, as arrears of land revenue.

And we also agree that neither of us shall be at liberty to terminate this surety-ship except upon giving to the appropriate Assessing Authority six calendar months' notice, in writing, of his intention so to do prospectively, and our joint and several liability under this bond shall continue in respect of all acts, omissions, defaults, failure and insolvencies on the part of the bounden even upto the expiration of the said period of six months.

Signatures of the sureties in presence of witnesses

1. Witness:
Signature .....
(Full Name).....
(Complete address) .....
.....

1. Signature.....
(Full Name) .....
Permanent Address.....

2. Signature .....
(Full Name).....
(Complete address) .....
.....

2. Signature.....
(Full Name).....
Permanent Address.....

Accepted for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in pursuance of Article 299 (1) of the Constitution.
In presence of :
1.
2.

Name and Designation of the Officer.

FORM VAT-IV

CERTIFICATE OF REGISTRATION (GENERAL /VAT REGISTRATION)

[*See* rule 5 (1)]

TIN (Tax-payer's Identification Number)

DISTRICT:

Space for affixing photograph of applicant.

This is to certify that the business known as M/s .....whose principal place of business in Himachal Pradesh is situated at..... town/village.....post office .....Tehsil.....District.....has been registered as a dealer/person under sub-section (1)/(2) of section 14 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

2. The business is [ ] and has additional places of business at,—

(i)		(ii)	
(iii)		(iv)	

3. Periodicity of furnishing returns and payment of tax: [ ]

4. **DATE OF LIABILITY**

DD	MM	YYYY

DATE OF VALIDITY

DD	MM	YYYY

Seal of Assessing Authority

(Signatures).....
Assessing Authority
District.....

Dated.....

Note.— This certificate shall be kept at the principal place of business and its attested copy be kept at each additional place of business. It shall be produced on demand by any person exercising authority under the Act and rules.

CONTINUED

(A) CLASS(ES) OF GOODS ALLOWED:—

Serial No.	Purpose for which allowed	Description of goods
1.	**For re-sale**	
2.	For use in manufacture of goods.	
3.	For use in telecommunication network.	
4.	For use in generation or distribution of electricity or any other form of power.	
5.	For use as packing of goods specified in entries at Sl. Nos. 2 to 4 above.	
6.	For use as capital goods	

Assessing Authority

(B) PARTICULARS OF RENEWALS :

Date of renewal	Period for which renewed		Signatures of Assessing Authority
	From	To	

(C) PARTICULARS OF SECURITY :

Nature of security	Amount Rs.	Name and address of the bank/post Office/surety

FORM VAT-V
[*See* rule 8(1)]

Register of dealers registered under section 14(1) of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005

List of registered dealers of ..... District.

Sr. No.	Dealers' Name and Address	Name and address of proprietor /partners etc.	Economic Activity Code
1	2	3	4

Address of Head office and branches	Date of liability	Particulars of TIN (Tax-payer's Identification Number)			
		Number	Date of issue	Date of Validity	Date of Cancellation
5	6	7	8	9	10

Details of Security			**Signatures**	
Nature of security	Particulars of the bank/post office/ surety	Amount	Dealing Hand	Assessing Authority concerned
11	12	13	14	15

FORM VAT-VI
[*See* rule 8(2)]

Register of persons registered under section 14(2) of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005

List of registered persons of ..... District.

Sr. No.	Dealers' Name and Address	Name and address of prop./partners etc.	Economic Activity Code
1	2	3	4

Address of Head office and branches	Date of liability	Particulars of TIN (Tax-payer's Identification Number)			
		Number	Date of issue	Date of Validity	Date of Cancellation
5	6	7	8	9	10

Details of Security			**Signatures**	
Nature of security	Particulars of the bank/post office/ surety	Amount	Dealing Hand	Assessing Authority concerned
11	12	13	14	15

FORM VAT-VII

INDEMNITY BOND

[*See* rule 25 (1)]

BEFORE THE ASSESSING AUTHORITY..... CIRCLE, DISTRICT ....., HIMACHAL PRADESH, UNDER RULE 25(1) OF THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX RULES, 2005.

No..... 200 .....

M/s/.....Petitioner

Versus

The State of Himachal Pradesh

through the Assessing Authority.....

Know all men by these presents that I/we .....(Full address of the dealer) ..... *registered dealer/dealer under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 under Tax Payer's Identification Number (Registration No) ..... dated..... in the State of Himachal Pradesh(hereinafter called the Obligor) * am/are held and held and firmly bound upto the Governor of Himachal Pradesh (hereinafter called the Government) in the sum of Rs. .....(Rupees in words)..... *(hereinafter referred to as the said sum) to be paid to the Government on demand for which payment will and truly be made, I/we bind myself/ourselves and my/our heirs, executors, administrators, legal representative and assigns and the person for the time being having control over assets and affairs by these presents.

Signed this .....day of .... two thousand and ....

Whereas sub-rule (1) of rule 25 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, requires that in event of the original tax invoice having been lost, destroyed or mutilated, he registered dealer shall make an application to the appropriate Assessing Authority and attach alongwith the same a duplicate copy of the tax invoice issued by the selling dealer and shall be required to furnish an indemnity bond to the appropriate Assessing Authority for the amount equal to the amount of input tax credit claimed under such invoice;

And whereas the obligor herein is the dealer to whom the tax invoice in **Form VAT- .....** bearing serial number ..... dated ..... was issued by ..... (Name and address of the selling dealer);

And whereas the obligor has lost/ destroyed/mutilated the said tax invoice in **Form VAT-**..... bearing serial number ..... dated ..... was issued by ..... (Name and address of the selling dealer).

Now the condition of the above written bond is such that if the obliger shall in the event of a loss suffered by the Government (in respect of which the decision of the Government or the authority appointed for the purpose shall be final and binding on the obligor) as a result of the misuse of the aforesaid Form, pay to the Government on demand and without demur the said sum of Rs. .....(Rupees.....in words) and hall otherwise indemnify and keep the Government harmless and indemnified from all liabi ties incurred by the Government as a result of the misuse of such from then the above wr..ten bond shall be void and of no effect but otherwise shall remain in full force, effect and virtue. The Obligor further undertakes to mortgage/charge to properties specified in the Schedule hereunder written by execution of proper deed of mortgage/charge for the payment of the said sum.

SCHEDULE

(Give details of properties mortgaged/charged)

.....

.....

And these presents also witnesseth that the liability of the Obliger hereunder shall not be impaired or discharged by reason of any forbearance, act or omission of the Government or for any time being granted or indulgence shown by the Government.

The Government agrees to bear the stamp duty, if any, chargeable on these presents.

In witness whereof the Obligor has set his hand/*has caused these presents executed by his authorised representative on the day, month and year above written in the presence of .....

1.....

2.....

(Obligor's signatures)

Accepted for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh by name and designation of the Officer duly authorised in pursuance of Article 299 (1) of the Constitution of India to accept the Bond for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh.

In the presence of –

1. .....
2. .....

(Name and designation of the officer)

FORM VAT-VIII
[*See* rule 27(1)]

APPLICATION FOR PERMISSION BY CASUAL TRADER

To

The Assessing Authority,
Circle

1.	**Particulars of Business**	
1.1	Full Name of applicant and Father's Name .	
1.2	Trade name, (if different from the above).	
1.3	Principal place of business .	
		Pin State:
		Tel Fax
		E-mail address:
1.3.1	Place of business, if any, in Himachal Pradesh.	
1.3.2	Place of business from which goods are proposed to be brought to H.P.	
1.4	TIN, if any	
1.5	PAN No., if any	
1.6	VAT Regn. No., if any, in other State than that mentioned in 1.3.	
1.7	Proof of identify, if above numbers (columns 1.4 to 1.6 do not exit).	

2.	**Particulars of the business event for which application is made in this form:**		
(a)	Nature of business event.		
(b)	Date of commencement .	/ / 2 0	(dd. mm. yy)
(c)	Date of conclusion.	/ / 2 0	(dd. mm. yy)
(d)	Location (address)		
(e)	Description of goods proposed to be sold (Attach list of goods, if necessary).		
(f)	Value of goods proposed to be brought for sale at the place of event.		
(g)	Anticipated Gross Sales (Rs.)		
(h)	Anticipated Tax liability (Rs.).		
(i)	Sale Bill Books (for authentication).	No. of Books	Pre-printed Sr. Nos
(j)	Books of Accounts (for authentication).		
3.	**Local correspondence**		
(a)	Local contract address.		
		Pin	Area:
		Tel	Fax
(b)	Local reference, if any.		
(c)	Name and permanent address of event organizer.		

(d)	Attach Confirmation letter of event organizer alongwith proof of payment, if any.	
(e)	Name and address of the owner of location.	
(f)	Attach Confirmation letter of the owner of the location or proof of payment, if any.	

4.	**Details of payment of Fee :**				
TR No.		Date		Amount	
5.	**Details of security :**				

Declaration: I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given on this form is true and correct.

Name		Designation	
Signature		Date (dd mm yy)	

For office use only

Date of receipt of application				
Permission Certificate No. and Date.				
Security details				
Details of tax payment				
Date of assessment				
Additional tax demand, if any				
Receipt of additional tax demand.	Instrument (Tick as applicable)	TR	Demand Draft	Banker's Chq.
	Instrument No.			
	Amount			
	Date of receipt			
Refund, if any, allowed				
Refund details				

Date of issuance of Tax Clearance Certificate.	Instrument No.		Date		Amount	

FORM VAT-IX

[*See* rule 29]

PERMISSION TO CASUAL DEALER

Permission Certificate No.

1. M/s ....., having their principal place of business at ..... are hereby permitted to organize a business event for sale or purchase of taxable goods in Himachal Pradesh.
2. This permission is valid from ..... to ..... or conclusion of the business event whichever is earlier.
3. The casual trader will deal in the following items .....
4. The place of casual business event will be at .....
5. In addition to above said place, the casual business event is to be conducted at :
   (*a*) .....
   (*b*) .....
6. The casual trader has furnished security in form of cash/bank guarantee for Rs..... and this bank guarantee is valid upto.....
7. The casual trader is to pay tax on ..... (dates) and the following person/persons will discharge such liability :

Sl. No.	Name	Father's Name	Status	Complete Address

Signature of the Assessing Authority,
(With official stamp/seal)

Conditions:

1. This certificate will be displayed at the prominent place of the business event.
2. The certificate will stand cancelled automatically on the said date mentioned in Col. 2 unless extended.
3. The goods shall be sold against authenticated sale bills only
4. The casual trader shall immediately inform the Assessing Authority if the casual business closes earlier to the last date of validity of this certificate and shall inform the said atleast 3 working days in advance if he intends to extend such business event.
5. The tax liability statement should be submitted in Form VAT-X.
6. Statement of purchases, sales and unsold stock shall also be submitted at the time of closure of business event.
7. The casual trader shall report regarding his unsold stock at the last check-post or barrier.

***Strike off, if not applicable.**

FORM VAT-X

[*See* rule 33(1)]

STATEMENT OF SALES, PURCHASES AND TAX LIABILITY BY A CASUAL TRADER

Place :		District	
TIN Number, if any			
Permission Certificate Number			
Date:			/ / 20
Name			1
Address			2
Address of additional place of business (if any)			
(A)			3
(B)			
Nature of casual business event			4
Location of business event			5

Period of trade	From:			/			/	2	0			To			/			/	2	0		

	Opening stock at the commencement of the casual trade:	Rs.	6
Add	Purchase on which purchase tax is leviable:	Rs.	7
Add	Purchase on which VAT is payable:	Rs.	8
	Stock imported subsequently:	Rs.	9
	Total stock:		10
	Gross sales :	Rs.	11
Less	Sales of tax free goods :	Rs.	12
	Balance:	Rs.	13
	Sales of goods on which VAT is payable:	Rs.	14
	Purchase Value of goods on which Purchase Tax is payable :	Rs.	15

Total Taxable Turnover ((14+15) (give rate of tax-wise breakup)	Rs.	16
Total tax liability	Rs.	17
Closing Stock (10-14+15)	Rs.	18
Amount of security deposited	Rs.	19
Balance Tax Payable (17-18)	Rs.	20
Refund (19-17)	Rs.	21

DECLARATION

I ..... hereby declare that the above statements are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Date

		/			/	2	0		

Signature
and seal of the Assessing Authority.

Encl. 1. Permission Certificate in original.
2. Account Book(s).
3. Statement of unsold stock.
4. Receipt of cash/bank guarantee in original.

For Office Use Only

1. I have examined the tax liability statement and accept the same.

OR

2. The tax liability statement furnished by the casual Trader examined and the tax liability is determined as under:

	Opening stock at the commencement of the casual trade:	Rs.
Add	Purchase on which purchase tax is leviable:	Rs.
Add	Purchase on which VAT is payable:	Rs.
	Stock imported subsequently :	Rs.
	Total stock:	Rs.

	Gross sales :	Rs.
Less	Sales of tax free goods:	Rs.
	Balance:	Rs.

Sales of goods on which VAT is payable:	Rs.
Purchase Value of goods on which Purchase Tax is payable :	Rs.
Total Taxable Turnover (give rate of tax-wise breakup)	Rs.
Total tax liability	Rs.
Closing Stock	Rs.
Amount of security deposited	Rs.
Baiance Tax Payable	Rs.
Refund (18-16)	Rs.

Date

		/			/	2	0		

Signature and seal of the Assessing Authority.

Encl. Tax demand notice and challan.

FORM VAT-XI

[See rule 33(4)]

Clearance Certificate for casual trader

District	
Permission Certificate No.	

Certified that the M/s ..... was granted permission to conduct business event from ..... to ..... The said casual trader has concluded the casual business event on .....(dd. mm. yy) and has deposited the tax and penalty, if any, assessed by the undersigned on .....

The goods, as listed below are allowed to be transported out of State of Himachal Pradesh.

S.No.	Name of Commodity	Value	Remarks

Signature of the appropriate Assessing Authority (with official stamp and seal)

Date

		/			/	2	0		

FORM VAT-XII

[*See* rule 38(1) and (2)]

Form of furnishing particulars of contracts entered into by a contractee with a works contractor or a sub-contractor and application for tax deduction number

To

The Assessing Authority,
Circle..... District.....

I/We ..... contractees/ contractors with the following particulars have entered into works contract(s) detailed below with the contractors/ sub-contractors: —

1. Contractee's identity:

Name	M/s		
Address		Contact No.	
Deduction No.			

* (to be filled in case contractee is a registered dealer)

2. Details of works contract(s) entered into

Sr. No.	Name and complete address of contractor (s)/ sub-contractor	TIN (if any)	Number, date and name, if any, and nature of works	Total value of works contract and date of award		Amount, if any, paid to the contractor/ sub-contractor till the date of making this application		Amount deducted from payment in column (7) and (8) and paid (give details)
				Total Value	Date of award	Date	Amount	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Total					

3. I/we do hereby solemnly affirm that I/we am/are authorised to furnish this information and that all its contents are true, correct and complete and nothing has been concealed therefrom;

4. I/we hereby also apply for that tax deduction number under sub-rule (2) of rule 38 for enabling deduction of tax under section 17 of the Act.

Place:
Date: [Signature of the contractee]

To

The Assessing Authority,
..... Circle, ... District.

(For use in the office of the assessing authority)	
(1) Date of data entry in the office record/Computer:	
(2) Signature (with Name) of the official making the date entry:	
(3) Signature of the assessing authority with Date: (Affix stamp of name and designation)	

ACKNOWLEDGEMENT

The undersigned acknowledges having received the original of this return on the date mentioned below:—

(1) Date of receipt of return: (2) [Signature with stamp of name and designation of receipt clerk]

Footnote.— It is to be furnished by the contractee to the appropriate Assessing Authority of the contractor.

FORM VAT-XIII

[*See* rule 38(5)]

Form of return to be furnished by a Contractee

Original/Duplicate copy of the return for the Quarter ended on: D D– M M – Y Y Y Y

1. Contractee's identity :

Name	M/s		
Address		Contact No.	
Deduction No.			

* (to be filled in case contractee is a registered dealer)

2. Details of works contract(s) against which payments made, tax deductible, deducted and paid:

Sr. No.	Name and complete address of contractor(s)	TIN (if any)	Number, date and name, if any, and nature of works contract against which payments made during the period	Total value of works contract	Amount paid to the contractor		Amount deductible during the period @ ..... of total value in column (5)
					During the return period	Progressive	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Total			

Amount of tax deducted and paid each month during the period							Paid upto the period
1st Month		2nd Month		3rd Month		Total Paid	
Deducted	Paid	Deducted	Paid	Deducted	Paid		
(9)	(9.1)	(10)	(10.1)	(11)	(11.1)		

(Attach separate sheet for additional entries, if space is insufficient)

3. Details of tax deposited during the period :

Sr. No.	Name of treasury where tax deposited or Bank on which DD/ Pay order drawn	Treasury receipt (TR) DD/PO				For office use	
		Type of Instrument	No.	Date	Amount	DCR No.	Date
	Total						

DECLARATION

I, ...(name in CAPITALS), do hereby solemnly affirm that I am authorised to furnish this return and that all its contents are true, correct and complete and nothing has been concealed therefrom.

Place:

Date: [Signature of the contractee]

(For use in the office of the assessing authority)	
(1) Date of data entry in the office record/Computer:	
(2) Signature (with Name) of the official making the data entry:	
(3) Signature of the assessing authority with Date: (Affix stamp of name and designation)	

ACKNOWLEDGEMENT

The undersigned acknowledges having received the original of this return on the date mentioned below:—

(1) Date of receipt of return: (2) [Signature with stamp of name and designation of receipt clerk]

FORM VAT-XIV

[*See* rule 39 (1)]

DAILY COLLECTION REGISTER

Serial No.	Date	Name and Address of the dealer/ person	TIN, if any	Treasury Challan No. and Date and period to which the payment relates	*Collection on Account of*		
					Voluntary payment of VAT	Purchase tax	Tax deduct-ed under section 17
1	2	3	4		5	6	7

Continued						
Additional demand	Penalty	Interest	Fees	Composition money	Total	Signature of dealing hand
8	9	10	11	12	13	14

Note:— 1. Serial No. to be started from 01 for each day.

2. The register to be signed by officer incharge of the District at the end of the day.

3. After the close of each month a reconciliation certificate shall be recorded at the end by the Officer incharge of the District.

FORM VAT-XV
[*See* rule 17(7) and 40 (1)]

RETURN FOR THE MONTH/ QUARTER ENDED ON:

D D - M M - Y Y

1. Dealer's identity :

Name and style of business	M/s		
Address		Contact No.	
Tax Payer's Identification Number		Economic Activity Code	
Permanent Account Number under Income Tax Act			
Place and circle of Income Tax Assessment:			

2. Gross turnover, deductions from gross turnover taxable turnover of sales and computation of tax [*See* sections 2(ze), 6 and 9 of the Act]

	(a) Description	(b) Value of goods	(c) Lists appended to the return
2A.	(1) Sale price received and receivable for goods sold during return period:		
	(2) Value of goods sent within or outside the State otherwise than by way of sale:		
2B.	**Gross turnover [(1) +(2)]**		
2C.	**Deductions from Gross Turnover [section 6(3)]**		
(1)	Sale of tax-free goods under section 9		LS-1
(2)	Sale in the course of inter-State trade or commerce		
(3)	Sale in the course of import into India		
(4)	Sale in the course of export out of India		
(5)	Sales outside the State of goods purchased outside the State		
(6)	Value of goods sent otherwise than by way of sale : -		
	(i) in the course of inter-State trade or commerce		
	(ii) in the course of export out the territory of India		
	(iii) to local agents (registered dealers) for sale		
(7)	Total of (1) to (5)		

2D.	Taxable turnover of sales [2B(b)-2C(7)(b)]				
2E.	**(a)Break-up of 2D according to rate of tax**	**(b) Effect of return of goods and de-escalation [LS-10]**	**(c) Net taxable turnover [(a)+(b)]**	**(d) Rate of tax**	**(e) Tax Amount [(c)x(d)]**
(1)				1%	
(2)				4%	
(3)				12.5%	
(4)				20%	
(5)				%	
(6)	Total tax amount				

3. Purchase, import and receipt of goods and computation of amount of tax paid on purchases made in the State

3A.	(a) Description	(b) List append-ed to return	(c) Amount	(d) Stock as on 31st March last to be given with return for 31/3
	Aggregate price/ value of goods, –			
(1)	Purchased from registered dealers in the State on tax invoice (including capital goods eligible for input tax credit)	LP-1		
(2)	Purchased from other dealers without tax invoice			
(3)	Purchased in the course of inter-State trade or commerce			
(4)	Purchased in the course of import into India			
(5)	Purchased in the course export out of India			
(6)	Imported into the State			
(7)	Purchased outside the State for sales outside			
(8)	Received for sale from dealers registered in the State			
(9)	Received for sale from dealers outside the State			
(10)	**Total [(1) to (9)]**			

3B.	(a) Break-up of 3A(9) according to rate of tax	(b) Effect of return goods and of price [LP-2]	(c) Net taxable purchases [(a) +/- (b)]	(d) Rate of tax	(e) Amount of Tax paid [(c) x (d)]
(1)				1%	
(2)				4%	
(3)				12.5%	
(4)				%	
(5)	Total amount of tax paid on purchases				

4. Aggregate of tax levied on sale or purchases

(1)	Tax on Sales [2E(6)]	
(2)	Purchase Tax 11(4)(d) Page 3	
(3)	**Total tax [(1) + (2)]**	

5. Computation of Input tax credit (See- section 11)

(1)	Tax paid on purchases made in the State [3B(5) e)]	
(2)	Less tax paid, not part of input tax [10C(3) g) Page 3]	
(3)	Input tax credit[(1)-(2)]	

6. Tax payable or adjustable (See section 12) :

(1)	Tax payable [4(3)-5(3)]	
(2)	Amount of Input Tax Credit adjusted under section 12(2)	
(3)	Amount of input tax credit adjusted under section 12(3)	
(4)	Excess carry forward after (2) or (3) above	

Date:

[Signature of authorised person]

7. Details of tax deposited :

Sr. No.	Name of treasury where tax deposited or bank on which DD/Pay order/ crossed cheque drawn/RAO		Treasury receipt			For office use	
	Treasury/ Bank	Type of instrument	No.	Date	Amount	DCR No.	Date
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							
(6)	..... (by contractee)						
(7)	Excess paid brought forward from last return						
(8)	Total [(1) to (7)]						

8. Account of forms printed under the Government authority/ required to be authenticated by the assessing authority :

Serial No.	Type of Form	Opening stock at the beginning of the return period	Blank form received or authenticated during the return period	Number of forms used during the return period	Aggregate of amount of transactions for which forms used
(1)					
(2)	ST-XXVI-A (out)				
(3)	VAT-				
(4)	C				
(5)	E-I				
(6)	E-II				
(7)	F				
(8)	H				

9. Statutory declarations and certificates received from other dealers furnished with the return :

Serial No.	Type of form	No. of forms furnished	Aggregate of amount of transactions for which forms furnished		Serial No.	Type of form	No. of forms furnished	Aggregate of amount of transactions for which forms furnished
(1)	ST XXVI-A (out)				(5)	E-I		
(2)	VAT-				(6)	E-II		
(3)	C				(7)	F		
(4)	D				(8)	H		

Declaration :

I,..... (name in CAPITALS), hereby, solemnly affirm that I am authorised to furnish this return and all its contents including tables 10 and 11, lists, statements, declarations, certificates and other documents appended to it or filed with it are true, correct and complete and nothing has been concealed therefrom.

Place:
Date:

[Signature]

Status: Tick (✓) application [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised officer]

(For use in the office of the Assessing Authority)

(1) Date of data entry in VAT- register/Computer:

(2) Signature of the official making the data entry:
(Affix stamp of name & designation)

(3) Signature of the Assessing Authority with date:

---

1. Reference to sections or Schedules of the act in the return is indicative and not comprehensive.
2. A dealer who has not dealt goods in the circumstances specified in Tables 10 or 11 during the tax period does not have to fill in the next page of the return.

10. Computation of tax paid in respect of goods purchased in the State from registered dealers on tax invoice but which shall not form part of input tax credit (See section 11) :

Circumstances in which tax paid in respect of purchase of certain goods not to form part of input tax credit	**Purchase Value**
(a)	**(b)**
A. All goods except mentioned as purchased from registered dealers on tax invoice when,—	
(1) used in the telecommunications network, or in the generation and distribution of electricity or other form of power.	
(2) the tax on their purchase was paid @ 4% or less but such goods are disposed of otherwise than by way of sale and	
(3) used in manufacture or packing of goods declared tax-free under section 9 (except when such goods are sold in the course of export out of India).	
(4) left in stock, whether in the form purchased or in manufactured or processed form, on the day of closure of business or cancellation of the registration certificate.	
(5) made in the circumstances specified in section 11(7)(c).	
(6) covered by section 11(7)(d) and (e).	
(7) used for the purpose specified in section 11(7) (j)	
(8) tax invoice is not available or not issued or original tax invoice issued does not show separate details of tax charged	
B. Total [(1) to (8)] :	

C. Calculation of input tax at different rates	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	Total (c) to (g) (h)
(1) Break-up of A(b) according to tax rate						
(2) Rate of tax	1%	4%	12.5%	%	%	
(3) Input tax to be reversed [(1) x (2)]						

Note:— Where any goods purchased in the State are used or disposed of partly in the circumstances mentioned in column (a) against entries in **A** above and partly otherwise, the purchase value of such goods shall be computed pro rata.

11. Purchase tax [See section 6(1) (b) and 8]

Circumstances in which purchase tax levied		**Purchase value of goods taxable at different rates**		**Rate of tax**	**Purchase tax**
(a)		**(b)**		**(c)**	**(d)**
(1)	Turnover of goods specified in Schedule 'C' to the Act				
(2)	Turnover of taxable goods purchased in the State without payment of tax when such goods or the goods manufactured therefrom are either exported out of State or used or disposed of (except when sold in the course of export out of India) in a manner that no tax or CST is payable to the State	(i)			
		(ii)			
(3)	**Total (1) + (2)**				

Note:— Where any goods purchased in the State are used or disposed of partly in the circumstances mentioned in column (a) against entries at serial number (2) above and partly otherwise, the purchase tax leviable on such goods shall be computed pro rata.

Place:
Date: [Signature]
Status: Tick (✓) application [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised officer]

ACKNOWLEDGEMENT

Received from M/s..... TIN .....a return in **Form VAT-XV** for the month of/ quarter ending .....alongwith a list in Forms LS-2.

Assessing Authority/
Excise and Taxation Inspector,
(when posted in circle outside District Headquarters)
Circle.....District.....
(SEAL)

Date.....

FORM LS-I
(See VAT-XV)
(*See* rule 41)

Lists of sales to be submitted with return

FOR THE MONTH/QUARTER ENDED ON:

D D–M M-Y Y

1.	**Particulars of Business :**	
1.1	Full Name of Applicant (M/s)	
1.2	Address of Applicant	
		Pin
		Tel Fax
1.3	TIN	

2. Details of Sales made by the dealer filing the return :

Sr. No.	Customer's Name	Address of the customer	TIN	Value of sales during tax period	VAT during tax period
Total					

Declaration: I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given on this form is true and correct

Place:
Date: [Signature]
Status: Tick (✓) application [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised officer]

Footnote:— In this form, the details may be given only party-wise (rather than transaction-wise) for the entire tax period.

FORM LP-I

(See VAT-XV)

(*See* rule 41)

Lists of purchases to be submitted with return

FOR THE MONTH/ QUARTER ENDED ON:

D D - M M - Y Y

1.	**Particulars of Business :**	
1.1	Full Name of Applicant (M/s)	
1.2	Address of Applicant	
		Pin
		Tel Fax
1.3	TIN	

2. Details of purchases made by the dealer filing the return :

Sr. No.	Seller' s Name	Address of the seller	TIN	Value of purchases during tax period	VAT during tax period
Total					

Declaration: I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given on this form is true and correct

Place:

Date: [Signature]

Status: Tick (✓) application [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised officer]

Footnote:— In this form, the details may be given only party-wise (rather than transaction-wise) for the entire tax period.

FORM VAT-XV-A

[*See* rule 40 (5)]

RETURN FOR THE YEAR ENDED ON: **D D – M M –Y Y**

1. Dealer's identity :

Name and style of business	M/s		
Address		Contact No.	
Tax Payer's Identification Number		Economic Activity Code	
Permanent Account Number under Income Tax Act			
Place and circle of Income Tax Assessment:			

2. Gross turnover, deductions from gross turnover taxable turnover of sales and computation of tax (See sections 2(ze), 6 and 9 of the Act) :

	(a) Description	(b) Value of goods	(c) Lists appended to the return
2A.	(1) Sale price received and receivable for goods sold during return period:		
	(2) Value of goods sent within or outside the State otherwise than by way of sale:		
2B.	**Gross turnover [(1) +(2)]**		
2C.	**Deductions from Gross Turnover [section 6(3)] :**		
(1)	Sale of tax-free goods under section 9		LS-I
(2)	Sale in the course of inter-State trade or commerce		
(3)	Sale in the course of import into India		
(4)	Sale in the course of export out of India		
(5)	Sales outside the State of goods purchased outside the State		
(6)	Value of goods sent otherwise than by way of sale :—		
	(i) in the course of *inter-State* trade or commerce		
	(ii) in the course of export out the territory of India		
	(iii) to local agents (registered dealers) for sale		
(7)	Total of (1) to (5)		
2D.	**Taxable turnover of sales [2B(b)-2C(7)(b)]**		

2E.	(a)Break-up of 2D according to rate of tax	(b) Effect of return of goods and de-escalation [LS-10]	(c) Net taxable turnover [(a)+(b)] -	(d) Rate of tax	(e) Tax Amount [(c)x(d)]
(1)				1%	
(2)				4%	
(3)				12.5%	
(4)				20%	
(5)				%	
(6)	Total tax amount				

3. Purchase, import and receipt of goods and computation of amount of tax paid on purchases made in the State :

3A.	(a) Description	(b) List append-ed to return	(c) Amount	(d) Stock as on 31st Mar. last to be given with return for 31/3
	Aggregate price/ value of goods, —			
(1)	Purchased from registered dealers in the State on tax invoice (including capital goods eligible for input tax credit)	LP-1		
(2)	Purchased from other dealers without tax invoice			
(3)	Purchased in the course of inter-State trade or commerce			
(4)	Purchased in the course of import into India			
(5)	Purchased in the course export out of India			
(6)	Imported into the State			
(7)	Purchased outside the State for sales outside			
(8)	Received for sale from dealers registered in the State			
(9)	Received for sale from dealers outside the State			
(10)	**Total [(1) to (9)]**			

3B.	(a) Break-up of 3A(9) according to rate of tax	(b) Effect of return goods and of price [LP-2]	(c) Net taxable purchases [(a) +/- (b)]	(d) Rate of tax	(e) Amount of Tax paid [(c) x (d)]
(1)				1%	
(2)				4%	
(3)				12.5%	
(4)				%	
(5)	Total amount of tax paid on purchases				

4. Aggregate of tax levied on sale or purchases

(1)	Tax on Sales [2E(6)]	
(2)	Purchase Tax 11(4)(d) Page 3	
(3)	**Total tax [(1) + (2)]**	

5. Computation of Input tax credit (See section 11)

(1)	Tax paid on purchases made in the State [3B(5) (e)]	
(2)	Less tax paid, not part of input tax [10C(3) (g)Page 3]	
(3)	Input tax credit [(1)-(2)]	

6. Tax payable or adjustable (See section 12) :

(1)	Tax payable [4(3)-5(3)]	
(2)	Amount of Input Tax Credit adjusted under section 12(2)	
(3)	Amount of input tax credit adjusted under section 12(3)	
(4)	Excess carry forward after (2) or (3) above	

Date..... **[Signature of authorised person]**

7. Details of tax deposited :

Sr. No.	Name of treasury where tax deposited or bank on which DD/Pay sorder/ crossed cheque drawn		Treasury receipt			For office use	
	Treasury/ Bank	Type of instrument	No.	Date	Amount	DCR No.	Date
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							
(6)	..... (by contractee)						
(7)	Excess paid brought forward form last return						
(8)	Total [(1) to (7)]						

8. Account of forms printed under the Government authority/ required to be authenticated by the assessing authority :

Serial No.	Type of Form	Opening stock at the beginning of the return period	Blank form received or authenticated during the return period	Number of forms used during the return period	Aggregate of amount of transactions for which forms used
(1)					
(2)	ST-XXVI-A (out)				
(3)	VAT-				
(4)	C				
(5)	E-1				
(6)	E-II				
(7)	F				
(8)	H				

9. Statutory declarations and certificates received from other dealers furnished with the return :

Serial No.	Type of form	No. of forms furnished	Aggregate of amount of transactions for which forms furnished		Serial No.	Type of form	No. of forms furnished	Aggregate of amount of transactions for which forms furnished
(1)	ST XXVI-A (out)				(5)	E-I		
(2)	VAT-				(6)	E-II		
(3)	C				(7)	F		
(4)	D				(8)	H		

Declaration :

I,..... (name in CAPITALS), hereby, solemnly affirm that I am authorised to furnish this return and all its contents including tables 10 and 11, lists, statements, declarations, certificates and other documents appended to it or filed with it are true, correct and complete and nothing has been concealed therefrom.

Place:
Date:
[Signature]
Status: Tick (✓) applicable [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised officer]

(For use in the office of the Assessing Authority)

(1) Date of data entry in VAT- register/Computer:

(2) Signature of the official making the data entry:
(Affix stamp of name & designation)

(3) Signature of the Assessing Authority with date:

---

1. Reference to sections or Schedules of the act in the return is indicative and not comprehensive.
2. A dealer who has not dealt goods in the circumstances specified in Tables 10 or 11 during the tax period does not have to fill in the next page of the return.

10. Computation of tax paid in respect of goods purchased in the State from registered dealers on tax invoice but which shall not to form part of input tax credit (See section 11) :

Circumstances in which tax paid in respect of purchase of certain goods not form part of input tax credit	**Purchase Value**
(a)	**(b)**
A. All goods except mentioned as purchased from registered dealers on tax invoice when,—	
(1) used in the telecommunications network, or in the generation and distribution of electricity or other form of power.	
(2) the tax on their purchase was paid @ 4% or less but such goods are disposed of otherwise than by way of sale and	
(3) used in manufacture or packing of goods declared a tax-free under section 9 (except when such goods are sold in the course of export out of India).	
(4) left in stock, whether in the form purchased or in manufactured or processed form, on the day of closure of business or cancellation of the registration certificate.	
(5) made in the circumstances specified in section 11(6)(c)	
(6) covered by section 11(6)(d) and (e)	
(7) used for the purpose specified in section 11(6) (j)	
(8) tax invoice is not available or not issued or original tax invoice issued does not show separate details of tax charged.	
B. Total [(1) to (8)] :	

C. Calculation of input tax at different rates	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	Total (c) to (g) (h)
(1) Break-up of A(b) according to tax rate						
(2) Rate of tax	1%	4%	12.5%	%	%	
(3) Input tax to be reversed [(1) x (2)]						

Note:— Where any goods purchased in the State are used or disposed of partly in the circumstances mentioned in column (a) against entries in **A** above and partly otherwise, the purchase value of such goods shall be computed pro rata.

11. Purchase tax [See section 6(1) (b) and 8] :

Circumstances in which purchase tax levied		**Purchase value of goods taxable at different rates**		**Rate of tax**	**Purchase tax**
(a)		**(b)**		**(c)**	**(d)**
(1)	Turnover of goods specified in Schedule 'C' to the Act.				
(2)	Turnover of taxable goods purchased in the State without payment of tax when such goods or the goods manufactured therefrom are either exported out of State or used or disposed of (except when sold in the course of export out of India) in a manner that no tax or CST is payable to the State.	(i)			
		(ii)			
(3)	**Total (1) + (2)**				

Note:— Where any goods purchased in the State are used or disposed of partly in the circumstances mentioned in column (a) against entries at serial number (2) above and partly otherwise, the purchase tax leviable on such goods shall be computed pro rata.

Place:
Date: [Signature]
Status: Tick (✓) application [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised officer]

FORM VAT-XV-B
[*See* rule 40 (6)]

Form of annual commodity -wise tax return to be furnished by a registered dealer other than a dealer paying lumpsum by way of composition under section 16(2)

Original/Duplicate copy of return for the quarter/year ended on: D D- M M- Y Y

		-			-		

1. Dealer's identity :

Name and style of business	M/s																		
Address														Contact No.					
TIN									Economic Activity Code										

2. Sale of goods sold for the first time in the State at full rate of tax :

Serial No.	**Description of Commodity**	**Code as per Schedule-II**	**Taxable Turnover**	**Breakup of taxable turnover according to rates of tax**			
				@ %	**@ %**	**@ %**	**@ %**
		Total					

Declaration

I, ... (name in CAPITALS), hereby, solemnly affirm that I am authorised to furnish this return and that all its contents are true and correct and nothing has been concealed therefrom.

Place:
Date: [Signature]
Status: Tick (✓) application [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised officer]

(For use in the office of the assessing authority)

(1) Date of data entry in the office record/Computer.

(2) Signature of the official making the data entry:
(Affix stamp of name & designation)

(3) Signature of the assessing authority with date:
(Affix stamp of name & designation)

ACKNOWLEDGEMENT

Received from M/s..... TIN .....a return in **Form VAT-XV-B** for the quarter/ year ending .....

Assessing Authority/
Excise and Taxation Inspector,
(when posted in circle outside District Headquarters)
Circle.....District.....

(SEAL)

FORM VAT-XV-C
[*See* rule 42 /43]

RETURN OF TAX REALISED IN CONTRAVENTION OF THE PROVISIONS OF SECTION 20

FOR THE MONTH ENDED ON D D- M M- Y Y

1.	Name of the Dealer	
2.	TIN, if any	
3.	Total amount of tax collected	Rs.
4.	Amount paid by means of Treasury challan /cheque/Draft	No. Date
5.	Balance due/ excess paid, if any	Rs.

I..... solemnly affirm and declare that the statements made and particulars furnished in and with this return are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefom.

Place:.....
Date.....

Full signatures of the dealer
or authorised agent.

Status: Tick (✓) applicable [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised officer]

(For use in the office of the Assessing Authority)

(1) Date of data entry in VAT- register/Computer:

(2) Signature of the official making the data entry:
(Affix stamp of name and designation)

(3) Signature of the Assessing Authority with date:

ACKNOWLEDGEMENT

Received from M/s.....
TIN.....a return in **Form VAT-XV-C** of tax payable under section 20 for the month of.....alongwith a list in Forms LS-2.

Assessing Authority/
Excise and Taxation Inspector,
(when posted in circle outside District Headquarters)
Circle.....District.....
(SEAL)

Date.....

FORM LS-3
[*See* VAT XV-C]

LIST OF PERSONS FROM WHOM TAX WAS REALISED IN CONTRAVENTION OF PROVISIONS OF SECTION 20

FOR THE MONTH ENDED ON : **D D - M M - Y Y**

1.	Name and address of the dealer	
2.	TIN if any	

Sl.No.	Name and complete address of the person from whom tax was realised	Retail invoice/ Cash memo/bill No. with date	Description of goods sold
1	2	3	4

Value of goods sold	Tax realizable under the law	Tax realised	Amount realised in excess
5	6	7	8

Place.....
Date.....

Full signatures of the dealer
or authorised agent.

Status: Tick (✓) applicable [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised officer]

FORM VAT-XV-D

[*See* rule 46(4)]

FORM OF RETURN TO BE FURNISHED BY A BRICKS KILN OWNER

Original/Duplicate copy of return for the quarter ended on: **DD-MM-YY** | | | - | | | - | | |

1. Dealer's identity :

Name and style of business	M/s		
Address		Contact No.	
TIN		Economic Activity Code	

2.	**Category and capacity of kiln(s), the lumpsum payable and in case of option during the year and addition of new kiln(s) during the year, the month from which the lumpsum is payable**	Kiln number	Category	Number of Ghoris	Lump-sum payable	Month from which lump sum payable
		1st Kiln				
		IInd Kiln				
		IIIrd Kiln				
		IVth Kiln				
				Total		

3. Details of tax deposited

Sr. No.	Name of treasury where tax deposited or Bank on which DD / Pay order drawn	Treasury receipt(TR)/DD/PO				For office use	
		Type of inst-rument	No.	Date	Amount	DCR No.	Date
	Excess paid brought forward from last return						
	Total						

4. Account of forms printed under the Government authority :

Sr. No.	Type of Form	Opening stock at the beginning of the return period	Blank forms received or authenticated during the return period	Forms used during the return period	
				No.	Aggregate of amount of transactions for which forms used
(1)	C				

Declaration

I, ...(name in CAPITALS), hereby, solemnly affirm that I am authorised to furnish this return and all its contents including tables, lists, statements, declarations, certificate and other documents appended to it or filed with it, are true, correct and complete and nothing has been concealed therefrom.

Place:
Date: Signature

Status: Tick (✓) applicable [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised officer]

(For use in the office of the Assessing Authority)

(1) Date of data entry in computer :
(2) Signature of the official making the data entry:
(Affix stamp of name and designation)
(3) Signature of the assessing authority with date:
(Affix stamp of name and designation)

ACKNOWLEDGEMENT

Received from M/s.....
TIN..... a return in **Form VAT-XV-D** of tax payable under section 20 for the month of .....alongwith a list in Forms LS-2.

Assessing Authority/
Excise and Taxation Inspector,
(when posted in circle outside District Headquarters)
Circle.....District.....
(SEAL)

Date.....

FORM VAT-XV-E
[*See* rule 47 (5)]

FORM OF RETURN TO BE FURNISHED BY A LOTTERY DEALER

D D - M M - Y Y

Original/Duplicate copy of return for the quarter ended on: | | | - | | | - | | |

1. Dealer's identity :

Name and style of business	M/s										
Address								Contact No.			
TIN									Economic Activity Code				

2. Details of draws during the tax period and tax payable thereon--

Serial No.	Type of Dealer	No. of draws during the tax period	Lump sum tax payable in respect of each draw during the tax period
(1)	Daily lottery		
(2)	Weekly lottery		
(3)	Monthly lottery		
(4)	Festival lottery		
(5)	Instant lottery		

Total Tax payable =

Paid =

Note:— **Date-wise details of each type of draw are attached separately as per Annexure(s).**

3. Account of forms printed under the Government authority or required to be authenticated by Assessing Authority :

Serial No.	Type of Form	Opening stock at the beginning of the return period	Blank forms received or authenticated during the return period	Number of Form used during the return period	Number of forms in stock at the end of return period
(1)	VAT-				
(2)	C				

4. Aggregate price of goods purchased in the State

	List LP-1 appended

Declaration :

I, ...(name in CAPITALS), hereby, solemnly affirm that I am authorised to furnish this return and all its contents lists, statements, declarations, certificate annexed to it or filed with it are true, correct and complete and nothing has been concealed therein.

Place:
Date: {Signature}

Status: Tick (✓) applicable [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised officer]

(For use in the office of the Assessing Authority)

(1) Date of data entry in VAT-XVII register/ computer :

(2) Signature of the official making the data entry:
(Affix stamp of name and designation)

ACKNOWLEDGEMENT

Received from M/s.....
TIN ..... a return in **Form VAT-XV-D** of tax payable under section 20 for the month of ..... alongwith a list in Forms LS-2.

Assessing Authority/
Excise and Taxation Inspector,
(when posted in circle outside District Headquarters)
Circle.....District.....
(SEAL)

Date.....

Annexure to return in form VAT- XV-E

Date-wise details of Daily/Weekly/Monthly/Festival and Instant Draw during the period ..... to .....

Sr. No.	Date of Draw	Name of organizer(s) of the draw	Number of draws on the date	Rate of lump-sum per draw	Tax Pay-able	Date of payment		TR No. or DD No. alongwith the name of Bank	DCR No. and date (to be filled by the office)
						Due	Actual		
				Total					

Declaration

I, ... (name in CAPITALS), hereby, solemnly affirm that I am authorised to sign this annexure and the details given in it are true and correct.

Place:
Date: [Signature]
Status: Tick (✓) applicable (Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised officer).

Note:— Separate statements to be attached for each type of draw.

Place:

Signature of the Dealer or his authorised agent.

Date:

FORM VAT-XV-F
[*See* rule 48 (6)]

Form of return to be furnished by the Works Contractor under section 16(2)

Original/Duplicate copy of return for the quarter ended on: D D - M M - Y Y

1. Dealer's identity :

Name and style of business	M/s		
Address		Contact No.	
TIN*		Economic Activity Code	

2. Details of execution of works contract and computation of lumpsum payable :

Sr. No.	Number, date and name, if any, and nature of works contract under execution during the tax period	Name and compete address of the contractee(s)	Total value of works contract	Amount receivable		Lumpsum payable @___ of (e)
				During the tax return period	Progressive	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
			Total			

3. Details of tax deducted at source by the contractee(s) in respect of contracts in 2 above:

Name of the contractee	Name of Treasury	Treasury Receipt No.	Date	Amount
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total		

4. Tax payable [2 (g)-3(e)] Rs.

5. Details of tax deposited :

Sr. No.	Name of treasury where tax deposited or Bank on which DD/ Pay order drawn	Treasury receipt (TR)/ DD/ PO				For office use	
		Type of instrument	No.	Date	Amount	DCR No.	Date
	Excess paid brought forward from last return						
	Total						

Date: [Signature of Authorised Person]

6. Value of goods purchased in the State from registered dealers :

	LP-1 appended

7. Account of forms printed under the Government authority / required to be authenticated by the Assessing Authority :

Sr. No.	Type of Form	Opening stock at the beginning of the return period	Blank forms received or authenticated during return period	Number of form used during the return period	Aggregate of amount of transactions for which forms used
(1)	VAT-				
(2)	C				
(3)	F				

8. Statutory declarations and certificates received from other dealers furnished with the return :

Sr. No.	Type of form	No. of forms furnished	Aggregate of amount of transactions for which forms furnished
(1)	VAT-		
(2)	C		
(3)	D		

Declaration

I, ...(name in CAPITALS), hereby, solemnly affirm that I am authorised to furnish this return and that all its contents including table lists, statements, declarations, certificates and other documents appended to it or filed with it are true, correct and complete and nothing has been concealed therefrom.

Place:
Date: {Signature}

Status: Tick (✓) applicable [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised officer]

(For use in the office of the Assessing Authority)

(1) Date of data entry in computer :
(2) Signature of the official making the data entry :
(Affix stamp of name and designation)
(3) Signature of the assessing authority with date :
(Affix stamp of name and designation)

ACKNOWLEDGEMENT

Received from M/s.....
TIN..... a return in **Form VAT-XV-F** of tax payable under section 20 for the month of ..... alongwith a list in Forms LP-1.

Assessing Authority/
Excise and Taxation Inspector,
(when posted in circle outside District Headquarters)
Circle .....s.....District.....
(SEAL)

Date.....

FORM VAT-XV-G

[*See* rule 50(4)]

FORM OF RETURN TO BE FURNISHED BY A RETAIL-SALE DEALER PAYING THE LUMPSUM UNDER SECTIONS 16(2)

Original/Duplicate copy of return for the quarter ended on :

D	D-	M	M-	Y	Y

1. Dealer's identity :

Name and style of business	M/s		
Address		Contact No.	
TIN _ _			

2. Lumpsum payable on sales of taxable goods during the return period :

		Taxable turnover (a)	Amount of tax (b)
From registered dealers in the State			

3. Details of tax deposited :

Sr. No.	Name of treasury where tax deposited or Bank on which DD/ Pay order drawn/RAO	Treasury receipt (TR)/DD/PO				For office use	
		Type of Instrument	No.	Date	Amount	DCR No.	Date
	Excess paid brought forward from last return						
	Total						

4. Account of forms printed under the Government authority required to be authenticated by the assessing authority :

Sr. No.	Type of Form	Opening stock at the beginning of the return period	Blank forms received or authenticated during the return period	Number of forms used during the return period	Aggregate of amount of transaction for which forms used
(1)	VAT				
(2)					
(3)					

5. Statutory declarations in Form C or Form F furnished with the return and amount of transactions for which forms furnished.

No. of Forms
Amount of Transactions

Declaration

I, ...(name in CAPITALS), hereby, solemnly affirm that I am authorised to furnish this return and all its contents including tables, lists, statements, declarations, certificate and other documents appended to it or filed with it are true, correct and complete and nothing has been concealed therefrom.

Place:
Date: {Signature}

Status: Tick (✓) applicable [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised officer]

(For use in the office of the Assessing Authority)

(1) Date of data entry in computer :
(2) Signature of the official making the data entry:
(Affix stamp of name and designation)
(3) Signature of the Assessing Authority with date:
(Affix stamp of name and designation)

ACKNOWLEDGEMENT

Received from M/s..... TIN .....a return in **Form VAT-XV-G** for the quarter.....

Assessing Authority/
Excise and Taxation Inspector,
(when posted in circle outside District Headquarters)
Circle.....District.....
(SEAL)

Date.....

FORM VAT- XVI
[*See* rule 2 (b)]

Before .....

In re:—

..... dealer/appellant.

Versus

.....(designation of the authority passing the order).

Know all men by these presents that I/we .....son of .....r/o ..... hereby appoint ..... to be my/our agent in the above mentioned case, to do all the following Acts, deeds or things or any of them that is to say: —

(i) to act, represent the dealer, appear and plead in the above mentioned cause before the ..... (Name of Authority) by whom the same may be heard in the first instance/in appeal/revision in any stage of its progress until finalisation/decision;

(ii) to present appeals/review/revision, cross objection and plead, withdraw or compromise, and present affidavit or other document as shall be deemed necessary or advisable for the prosecution of the said cause in all its stages appeal/review/revision; and

(iii) to receive and acknowledge adjournment notice(s) and further notice(s) in the said cause and to do all other acts and things including inspection of record of dealer under the Act and the rules framed thereunder, which may be necessary to be done for the prosecution of the cause.

AND I/we hereby agree that all acts, deeds and things lawfully done by my/our said agent shall be construed as acts, deeds and things done by me/us and I/we undertake to satisfy and confirm all and what soever that my/our said agent shall lawfully do or cause to be done for me/us by virtue the power hereby given.

IN WITNESS WHERE OF I/we hereunto set my/our hands to these presents, this the .....day of 200

Signature and full name of the dealer.
TIN .....
Full address.....

Accepted:

Signature and full name
and address of the agent.

FORM VAT-XVII
[*See* rule 42]

DEMAND AND COLLECTION REGISTER

	District

Name of the dealer:
Address:

TIN:

	AMOUNT COLLECTED/ PAID UNDER SECTION 16											
Financial Year	Amount paid on account of	FIRST QUARTER			T.R. No. and Date	SECOND QUARTER			T.R. No. and Date	THIRD QUARTER			T.R. No. and Date
		April	May	June		July	August	September		October	November	December	
		Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	
1	2	3(a)	(b)	(c)	4	5(a)	(b)	(c)	6				
	Value Added Tax												
	Purchase Tax												
	Interest												
	Penalty												
	Composition money												
	Other												

							AMOUNT ASSESSED UNDER SECTION 21 OR 22			
Financial Year	Amount paid on account of	FOURTH QUARTER			T.R. No. and Date	Total (3+5+7+9)	Gross demand assessed	Balance Dem and recoverable	T.R. No. and date	Initials of Assessing Authority
		January	Febr-uary	March						
		Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.		
1	2	9(a)	(b)	(c)	10	11	12	13	14	15
	Value Added Tax									
	Purchase Tax									
	Interest									
	Penalty									
	Composition money									
	Other									

FORM VAT-XVIII
[*See* rule 52(4)]

TAX INVOICE

FOR PURCHASER
TRANSPORTER'S COPY
SELLER'S COPY

Name:	
Address	

Telephone Number	**Fax Number**	**E-mail Address**

Serial No.			**Date**									
			TIN									
		Valid From:										

Purchaser's Particulars:

Name:											
Address:											
TIN:											

Sl. No.	Qty.	Description of goods	Price per unit	Value of goods			
				1%	4%	12.5%	Total
1.							
2.							
3.							
Total of 1 to 3 (Price of goods without VAT)							
Value Added Tax							
Total price (price of goods + VAT)							

GR No.	
Name and address of Transport Co.	

Signature of the dealer or
authorised agent (with seal).

Status: Tick (✓) applicable [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised agent]

FORM VAT-XIX
[*See* rule 53(3)]

RETAIL INVOICE

FOR PURCHASER
SELLER'S COPY

Name:
Address:

Telephone Number	**Fax Number**	**E-mail Address**

Serial No.			**Date**											
			TIN											
		Valid From:												

Purchaser's Particulars:

Name:
Address:
TIN:

Sl. No.	Qty.	Description of goods	Price per unit	**Value of goods**			
				1%	**4%**	**12.5%**	Total
1.							
2.							
3.							
Total of 1 to 3 (Price of goods without VAT)							
Value Added Tax							
Total price (price of goods + VAT)							

GR No.	
Name and address of Transport Co.	

Signature of the dealer
or authorised agent (with seal).

Status: Tick (✓) applicable [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised agent]

FORM VAT-XX
[*See* rule 54]

CASH MEMO

FOR PURCHASER
SELLER'S COPY

Name:
Address:

Telephone Number	**Fax Number**	**E-mail Address**

Serial No.			**Date**											
			TIN											
		Valid From:												

Purchaser's Particulars:

Name:
Address:
TIN:

Sl. No.	Qty.	Description of goods	Price per unit	**Value of goods**			
				@	@	@	Total
1.							
2.							
3.							
Total of 1 to 3							
Tax							
Total price (price of goods + tax)							

GR No.	
Name and address of Transport Co.	

Signature of the dealer
or authorised agent (with seal).

Status: Tick (✓) applicable [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised agent]

FORM VAT- XXI
[*See* rule 55(3)]

CREDIT/DEBIT NOTE

FOR PURCHASER
SELLER'S COPY

Name:
Address:

Telephone Number	Fax Number	E-mail Address

Serial No.		Date										
		TIN										
		Valid From:										

2. Purchaser's Particulars:

Name:
Address:
TIN:

3. Particulars:

Sl. No.	Credit Note / Debit Note relates to		Brief reasons for issue	Price per unit	Qty.	Value of goods		Amount	
	Invoice No. and date	Amount Rs.		Rs.		@ Rs.	@ Rs.	Credited (+) Rs.	Debited (-) Rs.
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
1.									
2.									
Total of 1 to 2 [Price of goods (g) +(h)]									
Value Added Tax									
Total price chargeable (price of goods + VAT)									
Variation between (c) and (g) + (h)									

G.R. No., wherever applicable	
Name and address of Transport Co.	
Previous Tax/Retail Invoice No. and Date which is hereby modified *vide* (h) or (i)	
Other explanation	

Signature of the dealer
or authorised agent (with seal).

Status: Tick (✓) applicable [Karta, proprietor, partner, director, president, secretary, manager, authorised agent]

FORM VAT- XXII
[*See* rule 59]

TRANSPORT RECEIPT

From..... To.....
Delivery from..... Delivery at .....
Consignor with complete address .....
TIN .....

The Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.
.....
.....

The Central Sales Tax Act, 1956.....
TIN .....

Consignee with complete address .....

The Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.....
The Central Sales Tax Act, 1956.....

No. of packing	Method of packing	Contents as declared	Value	Private mark, if any
1	2	3	4	5

Weight		Rate	Total freight	Freight paid/to pay	Remarks
Actual	Charged		Rs. P.		
6	7	8	9	10	11

Signature of the Manager/Booking Clerk
Name of Transport Company/Booking Agency.

FORM VAT-XXII-A
[*See* rules 59(1) and 60(2) (*b*)]

FORWARDING NOTE

To

The Manager/Incharge

Name of Transport Co./ Booking Agency

Please receive the undermentioned and forward by Road Transport to ..... as consigned below:—

By whom consigned		To whom consigned		
Name	Address	Name	Address	Place
1	2	3	4	5

Nature of goods	Number of articles	Value	Description and private marks	**Senders Weight** Q. Kgs.
6	7	8	9	10

I do hereby certify that I have satisfied myself that the description/marks and weight or quantity of goods consigned by me have been correctly entered in this forwarding note.

Signature of the sender or his authorised agent

Date.....

Address.....

continued

To be filled by the transporter

Actual Weight	Weight Charged	No. of articles	Transport receipt No.	Date
11	12	13	14	15

Signature of the Manager/Booking Clerk.
Name of Transport Company/ Booking Agency.

FORM VAT-XXII-B
[*See* rule 59 (1)]

WAY-BILL

Vehicle No. ..... Name of Driver ..... Owner.....
From ..... To .....

Sr. No.	Transport Receipt No.	Destination	**Contents**
1	2	3	4

Weight Q. Kgs.	Freight paid Rs. P.	Freight to be paid Rs. P	Previous freight Rs. P.	Remarks
5	6	7	8	9

---------- ---------- ----------
Signature of the Driver Booking Clerk Loading Clerk

FORM VAT-XXII-C
[*See* rule 59 (1)]

DESPATCH REGISTER (TO BE MAINTAINED BY THE TRANSPORTERS)

Date	From	To	No. of packages alongwith the method of packing	Nature of goods
1	2	3	4	5

Value of goods	Name and complete address of the consignor with TIN under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005/ the Central Sales Tax Act, 1956	Name and complete address of the consignee with TIN under the Value Added Tax Act, 2005 / the Central Sales Tax Act, 1956
6	7	8

Transport Receipt No.	Challan No.	Vehicle No.	Freight Charged	Date of movement of goods	Remarks
9	10	11	12	13	14

FORM VAT-XXIII
[*See* rule 59(3) (c)]

BILTY REGISTER (TO BE MAINTAINED BY THE DEALER) INWARD

T.P.T.R./ P.R.R. No.	Invoice No. with date	Nature of goods	Value of goods	Vehicle No.
1	2	3	4	5

Name and complete address of the consignee with TIN under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005/Central Sales Tax Act, 1956	From	No. of packages alongwith the method of packings	Actual weight	Weight charged for	Rate
6	7	8	9	10	11

Date of receipt of goods	Freight paid	Name of transport Co.	Signature of the official of the transport Co. with stamp	Remarks
12	13	14	15	16

FORM VAT-XXIII-A
[*See* rule 59(3) (*c*)]

BILTY REGISTER (TO BE MAINTAINED BY THE DEALER) OUTWARD

T.P.T.R./ P.R.R. No.	Invoice No. with date	Nature of goods	Value of goods	Vehicle No.
1	2	3	4	5

Name and complete address of the consignee with TIN under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005/Central Sales Tax Act, 1956	To	No. of packages alongwith the method of packings	Actual weight	Weight charged for	Rate
6	7	8	9	10	11

Date of despatch of goods	Freight paid	Name of transport Co.	Signature of the official of the transport Co. with stamp	Remarks
12	13	14	15	16

FORM VAT-XXIV
[*See* rule 59 (1)]

DELIVERY REGISTER TO BE MAINTAINED BY THE TRANSPORTERS

Sl. No.	Date of delivery	Station of transport	Transport receipt No.	Name of the Transport Co.
1	2	3	4	5

Name and complete address of the consignor with TIN under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005/ the Central Sales Tax Act, 1956	Name and complete address of the consignee with TIN under the Value Added Tax Act, 2005 / the Central Sales Tax Act, 1956	No. of packages alongwith method of packing
6	7	8

Nature of goods	Value of goods	Freight Charged	Commission	Total	Name, signature and address of the consignee/ authorised person taking delivery of goods	Date on which bilty register of the consignee signed by the transporter
9	10	11		12	13	14

FORM VAT-XXV
[*See* rule 60 (2) (d)]

BILTY REGISTER (TO BE MAINTAINED BY THE DEALER) INWARD

T.P.T.R./ P.R.R. No.	Invoice No. with date	Nature of goods	Value of goods	Vehicle/ Wagon No.
1	2	3	4	5

Name and complete address of the consignee with TIN under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005/ Central Sales Tax Act, 1956.	From	No. of packages alongwith the method of packing	Actual weight	Weight charged for	Rate
6	7	8	9	10	11

Freight Paid. To pay	Date of receipt of goods	Name of Transport Co.	Signature of the official of the transport Co. with stamps.	Remarks
12	13	14	15	16

FORM VAT-XXV-A
[*See* rule 60 (2) (d)]

BILTY REGISTER (TO BE MAINTAINED BY THE DEALER) OUTWARD

T.P.T.R./ P.R.R. No.	Invoice No. with date	Nature of goods	Value of goods	Vehicle/ Wagon No.
1	2	3	4	5

Name and complete address of the consignee with TIN under the Himachal Pradesh value Added Tax Act, 2005 Central Sales Tax Act, 1956	To	No. of packages alongwith the method of packing	Actual weight	Weight charged for	Rate
6	7	8	9	10	11

Freight Paid To pay	Date of despatch of goods	Name of transport Co.	Signature of the official of the Transport Co. with stamps	Remarks
12	13	14	15	16

FORM VAT- XXVI
[See rule 61 (1)]

1. Name and complete address of the consignor.	
2. TIN of the consignor under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 and the Central Sales Tax Act, 1956, if any.	
3. Name and complete address of the consignee .	
4. TIN of the consignee under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005/Central Sales Tax Act, 1956, if any.	
5. Place of dispatch	
6. Place of destination	
7. Description of goods	
8. Quantity (Weight)	
9. Approximate value	
10. Vehicle number	

Name of the check-post/barrier.....
Date: .....

Signature or thumb impression of the person transporting the goods

Date.....

FORM VAT-XXVI-A
[*See* rule 61 (1)]

DECLARATION

Original
Duplicate
Triplicate

FT	NT	GC

IM	EX	RE

1. Form No.	Name .....
2. CONSIGNOR:	Full address..... TIN (VAT/CST). .....
3. Consigned from :	Place .....
4. CONSIGNEE:	Name ..... Full address..... TIN (VAT/CST). .....
5. Destination of Goods.....	
6. Vehicle No. ..... Name of Transport Co.	
7. Value of Goods: Rs.....G.R. No.	

8. Details of Goods (Give details overleaf in case of Multiple Bills)

Bill No.	Date	Aggregate value of goods Rs. P.	Brief Description of Goods
1	2	3	4

Signature of Officer-in-charge of the Check Post/Barrier with stamp to be appended after the checking. Name of the check-post/barrier	Signature or thumb impression, name and address of the person transporting the goods

Date ..... Date.....

Note.-- 1. The complete bill of lading is to be in the hand of the person carrying the goods at the check-post or barrier.

2. Please see instructions *overleaf.

Bill No.	Date of Bill	Value of goods	Brief description of goods
Total value of goods:			

INSTRUCTIONS

A. Guidelines for filling the CST/ VAT TIN	
1. If un-registered Dealer :	District ……,.UNR blank.
2. If applied for registration	District ……..AFR-blank.
3. If registered	District No. ……
B. Tick (✓) wherever applicable;	
FT= Goods for Trade	IM= Goods Imported
NT=Goods Not for Trade	EX= Goods Exported
GC=Government Goods	RE= Goods RE-Entered.

FORM VAT- XXVI-B

[*See* rule 62 (8)]

Register to be maintained by dealers who obtain declaration in Form-VAT XXVI-A from the Assessing Authority

Particulars of receipt				Particulars of utilisation						
Date	Total Number	Serial No. From	Serial No. To	Date	Serial No. of Form used	Description of goods	Quantity	Bill/ Cash Memo/ challan No. And date	Value of goods	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

FORM VAT-XXVI-C
[*See* rule 62 (12)]

Register of receipt and issue of declaration forms to be maintained by the Assessing Authority

Receipt of forms			Serial No.	
Date	Authority from whom received with No. and date of letter under which received	Total number of forms	From	To
1	2	3	4	5

Issue of forms				Serial No.	
Date	Name and address of the dealer to whom issued	TIN, if any	Number of forms issued	From	To
6	7	8	9	10	11

Signature of the precipient	Receipt No. and date of payment of price of forms	Signature of Assessing Authority	Remarks
12	13	14	15

FORM VAT-XXVI-D
[*See* rule 62(2) and (13)]

Statement showing details of Forms VAT- XXVI-A in respect of registered dealers received at ..... (Name of the check-post or barrier)

Date	Sl. No.	Vehicle No. in which the Goods were transported	VAT-.XXVI-A declaration form No.	Name of the dealer exporting/ importing the goods
1	2	3	4	5

Value of goods	Initials of the Excise and Taxation Inspector on duty	Page of form VAT-XXVI-F at which posted	Initial of the clerk posting the entries of form VAT- XXVI-A
6	7	8	9

Signature of the officer-in-charge of check-post or the barrier.

No..... dated .....:.....

Forwarded to the Assistant Excise and Taxation Commissioner/Excise and Taxation officer, Incharge of the District alongwith .....Forms VAT-XXVI-A

Signature of the officer-in-Charge of the check post or barrier.

Note.—1. In this form the columns 1 to 7 shall be completed immediately by the Excise and Taxation Inspector on duty at the check post or the barrier, and the column 8 and 9 will be completed by the clerk concerned in the district office.

2. At the end of each week, a copy of the abstract shall be prepared by the concerned Excise and Taxation Inspector and the Officer incharge shall forward the same, alongwith the original copies of VAT-XXVI-A forms received at the barrier during the relevant week, to the Assistant Excise and Taxation Commissioner/Excise and Taxation Officer, Incharge of the district in which the concerned dealer is registered.

FORM VAT-XXVI-E

[*See* rule 62(13)]

Statement showing details of Forms VAT-XXVI-A in respect of un-registered dealers received at_____(Name of the check post or barrier)

Date	Sl. No.	Vehicle number in which the goods were transported	VAT- XXVI-A declaration form No.	Name of the dealer exporting/importing the goods
	2	3	4	5

Value of goods	Initials of the Excise and Taxation Inspector on duty	Page of form VAT-XXVI-F at which posted	Initials of the Clerk posting the entries of form VAT-XXVI-A
6	7	8	9

Signatures of the Officer-in-Charge of the check post or barrier.

No..... dated .....

Forwarded to the Assistant Excise and Taxation Commissioner/Excise and Taxation Officer, Incharge of the District alongwith ..... Forms VAT-XXVI-A.

Signatures of the Officer-in-Charge of the check post or barrier.

Note.--- 1. In this form the columns 1 to 7 shall be completed immediately by the Excise and Taxation Inspector on duty at the Check post or the barrier and the columns 8 and 9 will be completed by the Clerk concerned in the district office.

2. At the end of each week, a copy of the abstract shall be prepared by the concerned Excise and Taxation Inspector and the officer-in-Charge shall forward the same, alongwith the original copies of VAT-XXVI-A forms received at the barrier during the relevant week, to the Assistant Excise and Taxation Commissioner/Excise and Taxation Officer, incharge of the district in which the concerned dealer is registerable.

FORM VAT-XXVI-F
[*See* rule 62 (13)]

Register to be maintained dealer-wise in the district

Name of the dealer

TIN

Sl. No.	Name of the barrier/check post from which VAT-XXVI-A received	Sl. No. of the declaration form	Value of the goods
1	2	3	4

Year of assessment	Date of handing over the forms to the concerned Assessing Authority	Signatures of the official receiving forms (*vide* column No. 6)
5	6	7

FORM VAT- XXVII
[*See* rule 61(2)]

TRANSIT-SLIP

Name of the check-post/barrier

1. Date and time of arrival of goods at the check-post/barrier of entry	
2. Name of person-in-charge of the goods	
3. Name and address of the owner of the goods	

4. Place from where goods were purchased	
5. Name of the place from where the goods were consigned.	
6. Description of goods	
7. Quantity of goods/number of packages	
8. Value of goods	
9. Destination of the goods	
10. Vehicle Number	
11. Name of check-post/barrier of exit in case the goods would ultimately leave the territory of Himachal Pradesh.	
12. Signature of the officer-in-charge of the check-post/barrier at the point of entry of goods into the State of Himachal Pradesh.	
13. Date and time when goods reach the exit check-post/barrier referred to in column (11).	
14. Signature and seal of officer-in-charge of the exit check-post/barrier.	
15. Remarks	

Signature or thumb impression of the person transporting the goods.

FORM VAT-XXVIII

[*See* rule 61 (3)]

Security bond to be furnished by the owner of goods/driver or other person incharge of the goods vehicle or vessel

BEFORE THE OFFICER INCHARGE OF THE CHECK-POST OR BARRIER OR THE OFFICER EMPOWERED UNDER SUB-SECTION (6) OF SECTION 34 OF THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX ACT, 2005

No..... of 200 .

.. *Petitioner*

Versus

THE STATE OF HIMACHAL PRADESH---------- RESPONDENT.

SECURITY BOND executed in favour of the Governor of Himachal Pradesh and his successor-in-office and assigns.

WHEREAS the officer-in-charge of the check-post/barrier (name of the Check-post or barrier) or the officer empowered under sub-section (6) of section 34 had directed the owner of goods/driver or the other persons incharge of the goods vehicle or vessel to furnish adequate security and in pursuance of such direction, I/we hereby personal undertake and bind myself/ourselves, my heirs/our heirs and legal representatives to pay the Government of Himachal Pradesh the sum of Rs. ..... (Rupees.....) and mortgage/charge the properties specified in the schedule hereunto annexed for the payment of the sum of Rs. .....(Rupees .....) to the Governor of Himachal Pradesh and covenant that if the penalty or other amount due under section 34 is paid this bond shall be void and of no effect otherwise it shall remain in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF I/WE have hereunto affixed/our hands and seal this day of .....200 .....at.....

Witness:

1. .....
Signature
Full address.....

2. Signature.....
Full address.....

Signature .....

Note.—The Security bond should be affixed with adhesive non-judicial stamps of the value of ..... when the amount secured does not exceed Rs. 1,000 and with adhesive non-judicial stamps ..... of the value of ..... when the amount secured exceeds Rs. 1,000.

FORM VAT-XXVIII-A
[*See* rule 61(3)]

PERSONAL/SURETY BOND

Personal bond to be executed by the owner of the goods or his representative, driver or other person incharge of the goods vehicle or vessel on behalf of the owner of goods.

BEFORE THE OFFICER INCHARGE OF THE CHECK-POST OR BARRIER OR AN OFFICER EMPOWERED UNDER SUB-SECTION (6) OF SECTION 34 OF THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX ACT, 2005

No 200

Versus

THE STATE OF HIMACHAL PRADESH .. *Respondent.*

Known all men by these presents that I/we .....(Full name).....

(full address) with Registration certificate No. if any, am/are held and firmly, bond to the Governor of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as "The Government") which expression shall, unless excluded by or repungnant to the context, includes his successor-in-office and assigns in the sum of Rs. .....(amount in figures and followed by amount in words) (hereinafter referred to as "The said sum") to be paid to the Government as demanded, for which payment well and truly to be made. I we bind myself/our selves/my/our heirs, executors, administrator s and legal representatives by these presents.

Whereas the above bounden has been required by the Officer Incharge Sales Tax Check-post/barrier..... Excise and Taxation Officer/Assistant Excise and Taxation Officer ..... in writing to furnish security for the said sum for the purpose of security of securing the proper payment of the tax, surcharge, interest or penalty payable by him/them under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the said Act) and an indemnifying the Government against all loss, costs or expenses which the Government may in any way, suffer, sustain or pay by reason of commission, default or failure of insolvency of the above bounden or any person or persons acting under or for him/them to pay such tax, surcharge, interest or penalty in the manner and by the time provided by or prescribed under the said Act.

Now the condition of the above written bond is such that if the above bounden, him/them, heirs, executors, administrators and legal representative of any person acting under or for him/them pays the full amount of tax, surcharge, interest or penalty payable by

him under the said Act in the manner and by the time provided by or prescribed under said Act on demand by any authority appointed by Government under section 3 of the said Act, such demand to be in writing and to be served upon the above bounden person his/their heirs, executors, Administrators and legal representative of any person acting under or for him/them in the manner provided by or prescribed under the said Act, and shall also at all times indemnifying and save harmless the Government from all and every loss, cost or expenses which has been or shall or may at any time, or times hereafter during the period in which the above bounden is held liable to pay the tax, surcharge, interest or penalty under the said Act be caused by reasons of any act, omission, default, failure or insolvency of the above bounden or of any person or persons acting under or for him/them then this obligation shall be void and of no effect, otherwise the same shall be and remain in full force and it is hereby further agreed that in the vent of the death/partition/disruption/dissolution/winding up or the final cessation of the liability, under the Act or the rules prescribed thereunder, of the bounden this bond shall remain with the officer Incharge Check-post/Barrier the Excise and Taxation Officer/Assistant Excise and Taxation Officer for one year from the occurring of any of the events aforesaid for recovering any tax, surcharge, interest or penalty that may be payable by the above bounden or any loss, cost or expenses that may be payable by the above bounden or any loss, cost or expenses that may have been sustained included or paid by the Government owing to the act, omission, default, failure or insolvency of the above bounden or any person or persons acting under or for him/them of the above bounden's heir, executors, administrators and legal representatives and which may not have been discovered until after the above bounden's death/partition/disruption/dissolution/winding up or final cessation of his their liability under the said Act or the rules prescribed thereunder:

Provided always that without prejudice to any other right or remedy for recovering the tax, surcharge, interest or penalty loss or damage as aforesaid it shall be open to the Government to recover the amount payable under this bond as arrear of land revenue or fine imposed by any authority under the said Act.

In witness whereof the said .....(Full name) has hereunto set his hand this ..... day of .....signed and delivered..... by the above named in the presence of .....signature.....Status.

Witness:

1. .....
(Signature with address)

2. .....
(Signature with address)

SURETY BOND

We (1) .....
(2) .....

(Name and full address of the sureties)

hereby declare ourselves sureties for the above bounden and guarantee that he/they shall do and perform all that he/they has/have above undertaken to do and perform and in case of his/their omission, default or failure therein we hereby bind ourselves jointly and severally to forfeit to the Government of the Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the 'Government') which expression shall unless excluded by or repugnant to the context includes his successor-in-office and assigns the sum of rupees..... (amount in figures followed by amount in words) hereinafter referred to as 'the said sum' in which the above bounden has bound himself or such other lesser sum as shall be deemed to be sufficient by the Officer Incharge Check-Post/Barrier, the Excise and Taxation Officer/Assistant Excise and Taxation Officer in writing to recover any amount of tax, surcharge, interest or penalty payable by the above bounden and amount of tax, surcharge, interest or penalty payable by the above bounden and remaining unpaid and also to recover any loss, damages, cost or expenses, which he Government sustain, incur or pay by reason of which such omission, default or failure.

And we agree that the Government may without prejudice to any other rights or remedies of the Government recover the said sum from us, jointly and severally as an arrears of land revenue and/or fine imposed by a Magistrate.

And we also agree that neither of us shall be at liberty to terminate this surety ship except upon giving to the Officer Incharge Check-post/Barrier the Excise and Taxation Officer/Assistant Excise and Taxation Officer six calendar months notice in writing of his intention so to demand out joint and several liability under the bond shall continue in respect of all acts, omission, defaults, failure and insolvencies on the part of the above bounden until the expiration of the said period of six months.

Signature of sureties in presence of witness.

(1) .....

(Name and complete address of the witness)

(2) .....(Signature)

Present Address:

Signature .....
Permanent Address .....

Accepted for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in pursuance of Article 299 (1) of the Constitution.

In presence of :

1.
2.

Name and Designation of the Officer

FORM VAT-XXVIII-B
[*See* rule 62 (5)]

INDEMNITY BOND

Know all men by these presents that * I/we .....(Full address of the dealer) ..... *registered dealer/dealer under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 under TIN . ..... dated ..... in the State of Himachal Pradesh (hereinafter called the Obligor) * am/are held and held and firmly bound upto the Governor of Himachal Pradesh (hereinafter called the Government) in the sum of Rs. .....(Rupees in words) *(hereinafter referred to as the said sum) to be paid to the Government on demand for which payment will and truly be made, I/We bind myself/ourselves and my/our heirs, executors, administrators, legal representative and assigns and the person for the time being having control over assets and affairs by these presents.

Signed this ..... day of .... two thousand and ....

Whereas sub-rule (5) of rule 62 of the Himachal Pradesh Value Added Rules, 2005, requires that in event of a blank or completed form of declaration is lost while it is in the custody of the dealer or in transit, he is required to furnish an indemnity bond to the appropriate Assessing Authority from whom the said form was obtained;

And whereas the obligor herein is the dealer to whom the form VAT- XXVI-A was issued;

*which was issued to him by .....
(name and designation of the authority).

Now the condition of the above written bond is such that if the obligor shall in the event of a loss suffered by the Government (in respect of which the decision of the Government or the authority appointed for the purpose shall be final and binding on the obliger) as a result of the misuse of the Form, pay to the Government on demand and without demur the said sum of Rs.....
(Rupees.....in words) and shall otherwise indemnify and keep the Government harmless and indemnified from all liabilities incurred by the Government as a result of the misuse of such from then the above written bond shall be void and of no effect but otherwise shall remain in full force, effect and virtue. The obliger further undertakes to mortgage/charge to properties specified in the Schedule hereunder written by execution of proper deed of mortgage/charge for the payment of the said sum.

SCHEDULE

(Give details of properties mortgaged/charged)

And these presents also witnesseth that the liability of the Obligor hereunder shall not be impaired or discharged by reason of any fore bearance, act or omission of the Government or for any time being granted or indulgence shown by the Government.

The Government agrees to bear the stamp duty, if any, chargeable on these presents.

In witness whereof the Obligor has set his hand/*has caused these presents executed by his authorised representative on the day, month and year above written in the presence of .....

1.....

2.....

(Obliger's signatures)

Accepted for and on behalf of the Government of Himachal Pradesh by name and designation of the Officer duly authorised in pursuance of Article 299(1) of the Constitution of India to accept the Bond for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh.

In the presence of :—

3. .....
4. .....

(Name and designation of the officer)

FORM VAT- XXIX
[*See* rule 67]

NOTICE UNDER SECTION 21 AND 32 OF THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX ACT, 2005

Case No. _____ Dated _____

Circle _____ District _____

To

.....
.....
.....

TIN _____

Whereas –

(*a*) You, a dealer registered under TIN ..... of ..... District have not furnished return of the year/quarter/month ending the .....day of 200

(*b*) I am not satisfied that the return filed by you for the year/ quarter/ month ending the .....day of ..... is correct and complete/ your case has been selected for scrutiny under rule 66 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 and it appears to me to be necessary to make an assessment under sub-section (3) of section 21 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, in respect of the above mentioned period.

(*c*) I am satisfied on information which has come into my possession that you have been liable to pay tax under Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, in respect of the period commencing on ..... and ending with .....but that you have wilfully failed to apply for registration under section 14 of the said Act and it appears to me to be necessary to make an assessment under sub-section (7) of section 21 of the said Act, in respect of the above mentioned period and all subsequent periods.

You are hereby directed to attend in person or by a agent at (Place) ..... on (date).....at (time).....and thereto produce or cause thereto be produced, at the said time and place the accounts and documents specified below for the purpose of such assessment together with any objection which you may wish to prefer and any evidence you may wish to adduce in support thereof and to show cause on that date as to why a penalty not less than fifteen percentum but not exceeding one-and-a-half time the amount of value

added tax or tax should not be imposed upon you under sub-section (7) of section 21 of the said Act.

In the event of you failure to comply with this notice, I shall proceed to assess under section 21 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, to the best of my judgement without further reference to you.

(Signature.....
Assessing Authority,
.....District

(Seal of Assessing Authority)
Dated.....

Particulars of accounts and documents required

(1)	(3)
(2)	(4)

Failure without sufficient cause to submit a return as required by sub-section (2) and (3) of section 12 or submission of a false return renders a dealer liable to prosecution under section 35 of the Act.

FORM VAT-XXX
[*See* rule 70(1)]

TAX DEMAND NOTICE UNDER SECTION 21 OF THE HIMAHCAL PRADESH VALUE ADDED TAX ACT, 2005

OFFICE OF THE ASSESSING AUTHORITY

Circle : District

Disposal No. Date:

To

.....
.....
.....

TIN

You are hereby informed that your taxable turnover for the year/quarter/month .....has been assessed to tax and penalty under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act and the same, including the amount of interest accrued under section 19 of the Act, is as under:—

1. Taxable turnover determined	Rs.
2. Tax assessed	Rs.
3. Less tax already paid	Rs.
4. Balance due	Rs.
5. Penalty imposed u/s	Rs.
6. Interest accrued	Rs.
7. Net amount due (4+5+6)	Rs.

You are hereby directed to pay the sum of Rs..... (Rupees..... (in words), into the appropriate Government Treasury on or before (date).....and furnish the necessary treasury receipt in this office on or before the above said date failing which you may be liable to pay penalty and other action under the Act and the said sum will be recoverable from you as an arrear of land revenue.

2. A challan in Form VAT-II is enclosed for the purpose.

(Seal of Assessing Authority)

(Signature).....
Assessing Authority,
.....District.

Date: | | | | | | | | | | |

FORM VAT-XXXI
[*See* rule 71]

PESHI REGISTER

Period From | | | | | | | | | | | To | | | | | | | | | | |

Name of the Assessing Authority

Area of Jurisdiction

Sl.No. of Institution	Date of issue of notice	Name and address of the dealer	TIN, if any
1	2	3	4

Date of final order	Gist of the final order	Initials of Assessing Authority	Remarks
5	6	7	8

FORM VAT-XXXII
[*See* rule 71]

REGISTER OF ASSESSMENTS AND RECOVERY OF DEMAND

Period From To

Name of the Assessing Authority

Area of Jurisdiction

Sl. No.	Name and address of the dealer	TIN, if any	Particulars of assessments, additional demand and demand notice				
		3.	Date of assess-ment order	Tax assessed Rs.	Penalty imposed Rs.	Interest accrued	Date of demand notice / date for payment
1.	2.	3.	4(a)	(b)	(c)	(d)	5.

Recovery of additional demand and interest with T.R. No .			**Action for unrecovered additional demand etc.**				**Remarks** and initials of Assessing Authority
Tax Rs.	Penalty Rs.	Interest Rs.	**Under section** 21(9)	**Under** section 15	**Under** section 27	**Under** section 25	
6	7	8	9(a)	(b)	(c)	(d)	10

FORM VAT-XXXIII
[See rule 72(1)]

NOTICE OF RE-ASSESSMENT

Case No. _____ Dated _____

Circle _____ District _____

To

_____

_____

_____ TIN _____

Whereas, in consequence of definite information in my possession, I have reasons to believe that the turnover of your business assessable to tax period..... ending..... has been under assessed/has escaped levy of tax .

I, therefore, propose to re-assess the turnover for the said period that has been under assess/has escaped levy of tax .

I, hereby require you to show cause within ..... days of the service of this notice on you why the contemplated action should not be taken in your case.

(Signature).....
Assessing Authority,
.....District

Seal of the Assessing Authority

Name and address of the person to whom notice is issued with nature of his business together with TIN.....

FORM VAT-XXXIV
[*See* rule 75(2) (i)]

REFUND PAYMENT ORDER

Serial Number :

Place District

TIN Date :

Dealer's name
Address

Date of application

Period From To

Amount of refund

Due date for payment of refund

Interest due under section 28(2), if any. :

Approved for payment of refund Rs.

Date of approval

Date of sanction under rule 75(1)

Total amount of refund available by virtue of this order Rs.

Assessing Authority

Date: District

(Seal)

FORM VAT-XXXV
[*See* rule 75(2) (ii)]

REFUND ADJUSTMENT ORDER

RAO Serial Number:

Place District

Dealer's name :
Address of the firm

TIN Date :

Gross amount approved for refund

Amount approved for adjustment as per this order

Date of approval / / 20

Return in which adjustment allowed

Date of filing the return / / 20

Validity of RAO / / 20

Assessing Authority,

Date: / / 20 District

(Seal)

FOR OFFICE USE ONLY

CONFIRMATION OF REFUND AUTHORISED
Date of Approval _____
Amount _____

Refund payment order _____
Date: _____
Amount _____
Date of refund order

		/			/	2	0		

Assessing Authority,
Asstt. Excise and Taxation Commissioner/
Excise and Taxation Officer Incharge,
District .....

FORM VAT- XXXVI
[*See* rule 77(1) (a)(ii)]

Form of memorandum of appeal to the Appellate Authorities other than the Tribunal, under section 30 (a) and (b) of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005

(Space for Court fee stamp)

Value of Court fee stamps affixed

Before the

(Appellate Authority)

M/s

Appellant(s)

Versus

Respondent

1.	Assessment year	
2.	District in which assessment made	
3.	Authority passing the order in dispute	
4.	Date of passing order appealed against	

5.	Address to which notice may be sent to the appellant(s)				
6.	Address to which notice may be sent to the respondent				
7.	Relief claimed in appeal:				
	(a)	Turnover determined by the Assessing Authority.			
	(b)	If turnover is disputed:—			
		(i)	Disputed turnover; and		
		(ii)	Tax on disputed turnover;		
	(c)	If rate of tax is disputed:—			
		(i)	Turnover involved; and		
		(ii)	Amount of tax disputed		
	(d)	If the order or penalty is disputed:—			
		(i)	Section under which penalty imposed;		
		(ii)	Amount of penalty in disputed; and		
		(iii)	Amount of input tax credit in dispute.		
	(e)	Any other relief claimed.			
8.	Whether the additional demand (i.e. tax, penalty or interest) created by the Assessing Authority has been deposited into the Government Treasury or not?			TR No.	
				Date	/ / 20
9.	Grounds of appeal (Full in here)				

Signature of the Appellant(s)
or his/their duly authorised agent.

Verification:

I/we..... appellant(s) named in the above appeal do hereby declare that what is stated above from para 1 to ..... of the appeal, is true to the best of my/our knowledge and belief.

(Verified ..... this ..... the day of 200

Signature of Appellant(s) or his/their duly authorised Agent

Note.—

(i) The appeal shall be written on the standard water marked judicial paper and to be filled in triplicate specifying all the particulars given in this form .

(ii) It shall bear court-fee stamps worth Rs. ..... contain a clear statement of facts and grounds of appeal briefly but clearly set-out and shall also state precisely the relief prayed for.

(iii) It shall be accompanied by : --

(a) the order in original against which it is made duly authenticated copy thereof unless the omission to do so or to produce such order or copy is explained at the time of presentation of memorandum of appeal to the satisfaction of the appellate authority; and

(b) proof of payment of tax (including interest payable) or of penalty or of both unless the inability to make payment of these amounts proved and unless a written prayer to that effect has been submitted alongwith the memorandum of appeal.

(iv) It shall be signed and verified by the appellant(s) or by an agent duly authorised by him/them in the behalf.

* Please indicate the designation of the authority, before whom the appeal is to be filled.
** Please indicate the place of the Appellate Authority, where his office court is situated.

FORM VAT-XXXVII

[*See* rule 77(1) (a)(ii)]

Form of memorandum of appeal to the Tribunal, under section 30 (c) of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

(Space for Court fee stamp)	Value of Court fee stamps affixed

NO._____ of 200_____

Before the

(Appellate Authority)

M/s

Appellant(s)

Versus

Respondent

1.	Designation of the authority passing the original order			
2.	Assessment year			
3.	Designation of the authority passing the order appealed against			
4.	Date of communication or order at Sl. No. 3			
5.	Address to which notice may be sent to the appellant(s)			
6.	Relief claimed in appeal:			
	(a)	turnover determined by original order;		
	(b)	turnover determined by the order appealed against;		
	(c)	If turnover is disputed		
		(i)	disputed turnover; and	
		(ii)	tax on disputed turnover;	
	(d)	If rate of tax is disputed: -		
		(i)	turnover involved; and	
		(ii)	amount of tax disputed	
	(e)	If the order of penalty is disputed:		
		(i)	penalty imposed by the original order;	
		(ii)	penalty determined by the order appealed against;	
	(f)	If input tax credit is disputed		

		(i)	input tax credit determined by original order	
		(ii)	input tax credit determined by the order appealed against	
	(g)	Any other relief claimed.		
8.	Appellant has paid tax assessed, penalty imposed and interest accrued		TR No.	
			Date	/ / / 2 0
9.	Grounds of appeal (Full in here)			

Signature of the Appellant(s)
or his/their duly authorised agent

Verification:

I/we..... appellant(s) named in the above appeal do hereby declare that what is stated above from para 1 to ..... of the appeal, is true to the best of my/our knowledge and belief.

(Verified .....this ..... the day of 200

(For use in the office of authority concerned).
Official Seal.

Receipt No. .....
Date: .....

Receiving officer/official

ACKNOWLEDGEMENT

Received from M/s ..... of district ..... (TIN, if any) ..... appeal alongwith the enclosures mentioned therein.

Place.....

Receiving officer/official

Dated .....

FORM VAT-XXXVIII
[*See* rule 77(2)]

FORM OF APPLICATION FOR REVISION UNDER SECTION 46(3)

(Space for Court fee stamp)	Value of Court fee stamps affixed

NO..... of 200.....

BEFORE THE TRIBUNAL UNDER THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX ACT, 2005

M/s	Applicant(s)
Versus	
	Respondent

1.	Assessment year				
2.	District in which assessment was made				
3.	Date of passing the order of which revision is sought				
4.	Address to which notice may be sent to the applicant(s)				
5.	Address to which notice may be sent to the respondent(s)				
6.	Relief claimed in revision				
	(a)	If turnover is disputed,—			
	(i)	disputed turnover;			
	(ii)	tax on disputed turnover			
	(b)	If tax is disputed,—			
		(i)	turnover involved;		
		(ii)	tax on disputed turnover;		
	(c)	If the order of penalty is disputed,—			
		(i)	Section under which penalty imposed		
		(ii)	Amount of penalty in dispute		
	(d)	If input tax credit is disputed —			
		(i)	turnover on which input tax credit disputed		
		(ii)	amount of input tax credit disputed		
	(e)	Any other relief claimed.			
8.	Applicant has paid tax determined, penalty imposed by the order under revision and the interest accrued.			TR No.	
				Date	/ / 20
9.	Grounds of revisional:— (i) improprieties, (ii) illegalities (Full in here)				

Signature of the Applicants

Verification:

I/we..... Applicant(s) named in the above application do hereby declare that what is stated above from para 1 to ..... of the application for revision, is true to the best of my/our knowledge and belief.

(Verified..... this .....the day of 200

Signature of applicant(s) or his/
their duly authorised agent

Note. –

(i) The application for revision shall be written on the standard water marked judicial paper and to be filled in triplicate specifying all the particulars given in this form.

(ii) It shall bear court-fee stamps worth Rs..... contain a clear statement of facts and grounds of appeal briefly but clearly set-out and shall also state precisely the relief prayed for.

(iii) It shall be accompanied by : —

(a) the order in original against which it is made duly authenticated copy thereof unless the omission to do so or to produce such order or copy is explained at the time of presentation of the application for revision to the satisfaction of the Tribunal; and

(b) proof of payment of tax (including interest payable) or of penalty or of both.

(iv) It shall be signed and verified by the applicant or by an agent duly authorised by him/them in the behalf.

(For use in the office of authority concerned).
Official Seal.

Receipt No. .....
Date: .....

Receiving officer/official

ACKNOWLEDGEMENT

Received from M/s ..... of district ..... (TIN, if any) ..... appeal alongwith the enclosures mentioned therein.

Place.....

Receiving officer/official

Dated .....

FORM VAT- XXXIX
[*See* rule 79 (10)]

INSTITUTION REGISTER OR APPEALS/APPLICATIONS/REVISIONS

Period From | | / | | / 2 0 | | To | | / | | / 2 0 | |

Name of the Authority:

Area of Jurisdiction

Sr.No. of Institution	Date of Institution	Appeal/ Application / Revision	Amount of tax/penalty involved	Title of Appeal/ Application/ Revision
1	2	3	4	5

continued

Date of order	Result		Disposal Number	Remarks
	Whether: Accepted: Rejected: Remanded or Revised	Amount Rs.		
6	7	8	9	10

FORM VAT-XXXIX-A
[*See* rule 79(10)]

DISPOSAL REGISTER OF APPEALS/APPLICATIONS/REVISIONS

Period From | | / | | | / | 2 | 0 | | | To | | / | | | / | 2 | 0 | | |

Name of the Authority

Area of Jurisdiction

Disposal Number	Date of Disposal	No. of Appeal/ Application/ Revision	TIN No.	Date of Institution
1	2	3	4	5

continued

Title of Appeal/ Application/ Revision	Orders whether Accepted/Rejected /Remanded /Revised	Additional demand	Date of issue of copy or orders	Signature
6	7	8	9	10

FORM VAT-XL
[*See* rule 80(1)]

Notice under section 46 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005

BEFORE COMMISSIONER UNDER THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX ACT, 2005

Case No. | | Year | | | | | | | |

To

.....
.....
.....

TIN | | | | | | | | | | | |

Whereas: —

(a) you are a dealer un-registered/ registered under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005;

(b) The proceedings relating to the period/case .....which are pending/which have been disposed of by the Assessing Authority..... district/ by ..... (Designation of any other officer) and such authority/officer has made the order dated ..... therein.

(c) In order to satisfy myself as to legality and propriety of the aforesaid proceedings/the aforesaid order and other proceedings connected therewith, the record of the same was called for and it has been found that : —

(List the illegality or impropriety noticed)

2. In view of the aforesaid, the said proceedings or order appears not to be legal and proper and as such the same requires to be revised under sub-section (1) of section 46 of the Act.

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred upon me under section 31(1) of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, it is proposed to take action in the matter and to pass appropriate consequential orders in relation to the said proceedings/ order. Before, however, the requisite order under section 46(1) is passed, you are hereby afforded the opportunity of being heard and directed to attend in person or by a duly authorised agent in my office located in the ..... on ..... at .....and there to prefer: any objection, which you may wish to prefer in this behalf as to why the appropriate order under section 46 of the aforesaid Act should not be passed.

4. In the event of your failure to comply with this notice, I shall proceed to pass the order as aforesaid without further reference to you.

SEAL

Signature .....
Commissioner, Himachal Pradesh

Copy to the Assessing Appellate Authority ..... for necessary action.

Commissioner, Himachal Pradesh

Strike out whichever is not applicable

FORM VAT-IXL
[*See* rule 83]

SUMMONS TO APPEAR IN PERSON AND/OR TO PRODUCE DOCUMENTS

Case No. [ ] Year [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

To

_____
_____
_____

Whereas your attendance is necessary to give evidence/whereas the following documents are required with reference to an enquiry under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 regarding the case concerning .....son of.....now pending before me, you are hereby summoned to .....produce ,or cause to be produced the said document(s) before me on the .....day of ..... at (time.....A.M./P.M. at (Place).....and not to depart until permitted by me.

2. A sum of Rs..... being your diet money and travelling expenses is lying in deposit and will be paid to you in due course.

3. Failure, without lawful excuse, to appear and give evidence or produce or cause to be produced the documents as the case may be, is punishable under the provisions of Order XVI, Rule 12, Civil Procedure Code, 1908.

Given under my hand and seal, this ..... day of.....

(Signature) .....
Designation .....

(SEAL)
Date: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

By order,

Sd/-
Principal Secretary (E&T).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित